राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या: 06

गुरुवार,

11 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

राजीकावास बांध (रानीवाड़ा) की मरम्मत व जीर्णोद्धार का कार्य

74. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजीकावास बांध की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमश: 1441.96 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए कार्य करने हेतु निविदाएं आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है? यदि हां, तो कार्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) जी हां। राजीकावास बांध की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश जारी किये गये थे, आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजीकावास बांध की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश जारी किये जाने के पश्चात कार्यादेश जारी नहीं किये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा परिशिष्ट 'अ' में जवाब

(श्री नारायण सिंह देवल)

दिया गया है कि राजीकावास बांध का वीसी रेशो, डिजाइन एण्ड ड्राइंग एप्रूव तो विभाग को ही करना है, विभाग ने अभी तक क्यों नहीं किया और कब तक कराएंगे?

दूसरा, आपने जवाब में बताया है कि नाबार्ड से लोन लेने के लिये कहा है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि विभाग ने लोन के लिये कब एप्लाई किया और कितनी राशि के लिए किया और इसकी सैंक्शन के लिये क्या-क्या गम्भीर प्रयास किया और कब तक एप्रूव हो जाएंगे, यह बताने की कृपा करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 3.7.2018 को आदेश जारी किये गये थे। एम्पावर्ड बोर्ड की मीटिंग 16.11.2018 को हुई, उसमें प्रमुख सचिव, जल संसाधन, वित्तीय सलाहकार, मुख्य अभियंता, जल संसाधन सदस्य थे और मीटिंग में दरों को उचित नहीं माना। दरों को उचित नहीं मानकर पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में ही यह कार्य निरस्त कर दिया गया था। पिछली सरकार ने जाते-जाते कुछ कार्य स्वीकृत किये थे और उन कार्यों में यह एक था। उन्हीं के कार्यकाल में यह कार्य निरस्त हो गया था।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एक ओर तो कल जो बजट घोषणा हुई, उसमें आप पानी को रोकने के लिये राजीव गांधी जल संचय योजना बना रहे हैं और दूसरी ओर पूर्व के बने हुए इतने महत्वपूर्ण बांध की मरम्मत न कराकर बरसात के पानी को बर्बाद होने दे रहे हैं, यह कहां तक उचित है? दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा बांध है ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 14 करोड़ की ही लागत है, आप काम को लोन के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, पूर्व सरकार का नाम ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज प्रश्न पूछें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या यह जनहित में उचित है और अगर नाबार्ड इसको ना कह दे तो इस बांध का काम होगा या नहीं, यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बताया पूर्व वर्ती सरकार के कार्यकाल में यह कार्य निरस्त हो गया। जहां तक इनका यह कहना है कि पूर्व में जैतपुरा बांध के उद्धार का काम भी हाथ में था, 2.59 करोड़ की लागत से इसके कार्य आदेश जारी कर दिये और वह प्रगतिरत है, हमारी ऐसी नीयत नहीं है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस काम को निरस्त कर दिया उसके बारे में जो भी नाबार्ड वगैरह से बात होगी, उसके बाद में ही कुछ बता पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस काम को...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय इसको निरस्त कर दिया लेकिन यह डैड स्टोरेज बांध कई वर्षों पुराना बना हुआ बांध है और इसके कारण इसमें न कोई सिंचाई होती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके कारण से आस-पास का वाटर लेवल बहुत बढ़ता है। अगर इतनी कम राशि खर्च करके, एक तो यह बता दें कि इसमें कितना एमसीएफ पानी रुकता है? क्या उस पानी को रोकने के लिये यह जो 14 करोड़ है, यह वीसी रेशो में महत्वपूर्ण है या केवल अंडर ग्राउंट वाटर लेवल को बढ़ाने के लिये इसकी उपयोगिता है, निरस्त कर दिया या कुछ भी कर दिया, क्या वापस सरकार इस पर विचार करने का मन रखती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो प्रश्न किया है, इस संदर्भ में मेरा यह कहना है कि नाबार्ड से यह वित्त पोषित कार्यक्रम है, नाबार्ड से भी इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। अब आगे जब भी नाबार्ड के कार्यक्रम आएंगे, उसके सामने रखेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। इसका सिंचित क्षेत्र केवल 200 हैक्टेयर है, किन्तु बांध तो पुराना है। आपकी सरकार के वक्त में आपने स्वयं ने इसको स्वीकृत किया था लेकिन टेंडर 18 दशमलव समथिंग परसेंट बिलो आया तो एम्पावर्ड कमेटी ने आपके वक्त में ही उस कार्य को एक तरह से अस्वीकृत कर दिया था। लेकिन जैतपुरा का काम भी इसके साथ था, उसका

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

नाबार्ड से पैसा आ गया, हमने स्वीकृत कर दिया, वह कार्य प्रगतिरत है, हमारी नीयत कोई खराब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मदन दिलावर।

पशु मांस विक्रेताओं के लाइसेंस के दिशा-निर्देश

75. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पशु मांस बेचने हेतु पशुओं को काटने से पूर्व सरकार द्वारा क्या-क्या निर्देश व आदेश जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पशु को काटने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करवाना जरूरी है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में गत 2 वर्षों में किस-किस मांस बेचने वाले ने किस-किस माह में कितने-कितने पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) पूजा स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से या इनको जाने वाले रास्तों पर कितनी दूरी तक मांस बेचा जा सकता है? ऐसे आदेशों व दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सुकेत कस्बे/गांव में कितनी मांस/अण्डा बेचने की दुकानें आवासीय व व्यावसायिक स्थानों पर पूजा स्थलों व पूजा स्थलों के रास्तों से कितनी-कितनी दूरी पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त मांस विक्रेताओं को उपरोक्त स्थानों से कब तक हटा दिया जाएगा? व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या मांस की दुकानें गैर कामर्शियल भूखण्ड, दुकान व मकान में लगाई जा सकती हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल) : पशु मांस बेचने हेतु पशुओं को काटने के संबंध में भारत सरकार के Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960" & "Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001" प्रभावशील है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 269 में

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बूचड़खानों एवं कतिपय कारोबार का लाइसेन्स जारी करने, नियंत्रण करने के प्रावधान किये जाकर नगरपालिकाओं को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं तथा अधिनियम की धारा 270 में बाजारों एवं बूचड़खानों को खोलने, बन्द करने के नियंत्रण के अधिकार भी नगरपालिकाओं को दिये गये हैं।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340 में बूचड़खानों के लाइसेन्स जारी करने, नियंत्रण करने, फीस एवं जुर्माना निर्धारित करने आदि के लिए उप विधियां बनाने के अधिकार नगरपालिकाओं को प्रदत्त किये गये हैं।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नगरीय क्षेत्र में पशुवधशाला (स्लाटर हाउस) में पशुवध से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। पशुपालन विभाग रामगंज मण्डी के अनुसार गत 02 वर्षों में रामगंज मण्डी तहसील में मांस विक्रेताओं के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया गया है।

(3) इस संबंध में नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

(4) सुकेत कस्बे में मांस/अण्डा बेचने की दुकानें आवासीय व व्यावसायिक स्थानों पर पूजा स्थलों व पूजा स्थलों के रास्तों से मन्दिर की दूरी लगभग 100 मीटर एवं मस्जिद की दूरी लगभग 20 मीटर है। मांस विक्रेताओं के नाम की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) उक्त मांस विक्रेताओं की दुकानों को हटाने की कार्यवाही जैरकार है। सभी दुकान मालिकों को मांस आदि को ढक कर रखने तथा दुकान में पर्दे लगाकर रखने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। रामगंज मण्डी क्षेत्र में स्थित पिलीया खान नामक स्थान पर इन दुकानों को स्थान आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) नगरीय निकाय क्षेत्रों में वर्तमान में बिल्डिंग बायलाज प्रभावशील हैं। उक्त बायलाज के अनुसार मांस की दुकानें गैर वाणिज्यिक भूखण्ड, दुकान व मकान में अनुमत नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में पशु काटने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण तथा मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, स्कूलों से निश्चित दूरी हेतु व ग्रामीण क्षेत्र में भी वाणिज्यिक क्षेत्र में ही मांस और शराब की दुकानें लगाने का स्पष्ट प्रावधान अभी तक क्यों नहीं है और अब कब तक कर देंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो नियम बने थे वह 2001 में बने हैं। 2001 से लेकर 2012 तक इस विषय में राज्य सरकार के द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया। 2012 में पहली बार यह नियम बने और नियम के साथ-साथ ही यह भी हुआ कि अगर नगरपालिका बायालाज बनाती है तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होंगे, पंचायतों में भी लागू होंगे। नियम तो बने हुए हैं लेकिन उन नियमों की कितनी पालना होती है, कितनी पालना नहीं होती है, मेरा खयाल है इस सब्जैक्ट को तो मुझ से क्या, हजारों से ज्यादा आप जानते हैं।

आपके सुझाव मिल जाएंगे, तो इसमें तब्दीली हो सकेगी और इस पर कंट्रोल हो सकेगा। यह बात सही है कि कोई परीक्षण नहीं करवाया जाता है, उसके पहले बंद हो जाता है। बिक्री भी होती है, दुकानें भी ऐसी बनी हुई हैं, लेकिन प्राब्लम यह है कि जिस सुकेत के लिए आपने पूछा है, वह सुकेत ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायतों में नोन स्कीम एरिया में... वे 100 साल, 60-70 साल पुरानी दुकानें हैं, जब न तो कोई बिल्डिंग बाइलाज हुआ करते थे, न कुछ और हुआ करते थे। आपने यह पूछा कि दुकानों की मंदिर और मस्जिद से दूरी होनी चाहिए। इसका नियमों में प्रावधान नहीं है, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई विवाद आज तक पैदा नहीं हुआ और न ही किसी ने शिकायत की। न तो बीडीओ के पास शिकायत हुई, न नगरपालिका के चेयरमैन के पास कोई शिकायत मिली। लेकिन फिर भी, चूंकि आपने कहा है तो सुझाव अच्छा है। अगर मंदिर/मस्जिद और गुरूद्वारे से दूरी तय कर दी जाए तो इस तरह से शांति बनी रहेगी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुकेत कस्बे में उल्लेखित दुकानों व राजस्थान में मांस व शराब की दुकानें नोन कमर्शियल एरिये में लगा रखी हैं, उनको कब तक हटा दिया जाएगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): मैंने आपको अर्ज किया है न। आप पांचवां पढ़ें - उक्त मांस विक्रेताओं की दुकानों को हटाने की कार्यवाही है, जैरकार है। सभी दुकान मालिकों को मांस आदि को ढककर रखने तथा दुकान में पर्दे लगाने के लिए पाबंद कर दिया गया है। रामगंज मण्डी क्षेत्र में पिलीया खान नामक स्थान पर इन दुकानों का स्थान आबंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इन्हें कब तक हटा देंगे, यह मैंने निवेदन किया है। क्योंकि लोग वहां नहीं जा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हम यहां पर ही काटेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, यह सम्भव नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरा पूरा सहयोग रहेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी खड़े हैं, प्लीज बैठें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप अगर सहयोग देंगे तो निश्चित तौर पर जितने टाइम में ये हटनी चाहिए थीं, उससे कम टाइम में हट जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, दीपेन्द्र सिंह जी।

नमक उत्पादन क्षेत्र में विद्युत चोरी पर कार्यवाही

76. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर तथा नागौर जिलों के नमक उत्पादन क्षेत्र में अनधिकृत रूप से ट्यूबवैल खोदकर विद्युत चोरी की जा रही है? यदि हां, तो कितने ट्यूबवैल पर कब से प्रति दिन कितनी विद्युत की चोरी की जा रही है?

(2) क्या विद्युत चोरी रोकने के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) नागौर जिले के नमक उत्पादन क्षेत्र में गत तीन वर्षों में विद्युत चोरी के 18 प्रकरण पकड़े गये, जिनमें 31.18 लाख रुपये की वसूली की गयी। जयपुर जिले में नमक उत्पादन

(ऊर्जा मंत्री)

क्षेत्र (सांभर) में अनधिकृत रूप से ट्यूबवैल खोदकर विद्युत चोरी का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है।

विद्युत चोरी का प्रति दिन के हिसाब से आकलन किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) नमक उत्पादन क्षेत्र में विद्युत चोरी के प्रकरणों में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रश्न के पार्ट-1 पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में नमक उत्पादन क्षेत्र सांभर में अनधिकृत रूप से ट्यूबवैल खोदकर विद्युत चोरी का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कब तो चैकिंग करायी, जिसमें चोरी नहीं पायी गयी। चैकिंग करने कौन गया? चोरी नहीं हो रही थी तो फिर लोग एनजीटी में क्यों गये और एनजीटी ने क्यों कॉग्निजेंस लिया और एनजीटी के आदेश से फिर धर-पकड़ करके आपने क्यों हटाये? एनजीटी के आदेश से हटाए, चोरी पकड़ी गयी। फिर आप कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि नावां क्षेत्र में ट्यूबवैल है, वह आफिशियल ट्यूबवैल है। सांभर क्षेत्र में तीन किलोमीटर दूर अनआथराइज्ड ट्यूबवैल खोदकर यहां के कनेक्शन की पाइप लाइन और केबिल वहां डालकर धड़ाधड़ चोरी हो रही है और यह कहा जा रहा है कि चोरी नहीं हो रही है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 2017 से नवम्बर, 2017 तक एक अभियान चलाकर 84 कनेक्शन काटे गये। उसके बाद चार कनेक्शन हाई कोर्ट के आदेश से पुन: करने पड़े। अभी वर्तमान में कोई चोरी नहीं की गयी है। लेकिन मैंने प्रश्न एप्रूव करते वक्त हमारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वक्त-वक्त पर वहां पर विजिलेंस की टीम जाए और वहां पर कोई भी इस प्रकार का अवैध कनेक्शन मिलता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। अभी हाल ही में 20.03.19 को हमने 2 लाख 1 हजार रुपये की वसूली की है। हमें ध्यान में नहीं है कि इसके बाद वहां पर इस तरह का कनेक्शन है। इसके बावजूद भी आप कोई स्पेसिफिक मामला बताएं कि यहां पर विद्युत चोरी हो रही है, अमुक आदमी कर रहा है। वैसे भी मैंने विजिलेंस की टीम को चौकस कर दिया है, वे उस स्थान पर जाकर कोई भी अवैध कनेक्शन मिलता है तो उसके ऊपर कार्यवाही करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के खिलाफ नहीं पूछ रहा हूं। इन्होंने यह कहा है कि हमने 2017 से कनेक्शन काटे हैं और कह रहे हैं कि तीन साल में चोरी की कोई संभावना सामने नहीं आयी है। फिर 2017 में कनेक्शन क्यों काटे जब चोरी नहीं हो रही थी तो? आप कह रहे हो कि चोरी नहीं हो रही थी। फिर कनेक्शन काटने की जरूरत कहां पड़ गयी। जब आपने कनेक्शन काटे हैं, इसका मतलब चोरी हुई है। हुई है, तो आपने किसको दोषी माना? क्या आपने किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की?

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करूं। आप आश्चर्य करेंगे। एक ट्रांसफार्मर कहीं दूसरी जगह से चोरी करके सांभर झील में अनआथोराइज्ड ट्यूबवैल खोदकर उसमें ट्रांसफार्मर लगाकर एक हिस्ट्रीशीटर द्वारा चोरी की गयी और चोरी करते पकड़ा गया। चोरी का ट्रांसफार्मर पकड़ा गया। जेल गया। उसके बाद मंत्री जी कहते हैं कि कोई चोरी नहीं होती है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 3 वर्षो में विद्युत चोरी के 18 प्रकरण पकड़े गये। 2016-17 में 13, 2017-18 में 4, 2018-19 में 1, तो हमने पकड़े हैं। वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखी है।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): मैंने आज का नहीं पूछा है कि आज पकड़े हैं या नहीं पकड़े? ये मान रहे हैं चोरी पकड़ी है।

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर हैं। मंत्री जी खड़े हैं। प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 18 मामले पकड़े गये और 31 लाख 18 हजार रुपये हमारी विजिलेंस की टीम ने पकड़े हैं। इसके बाद जैसा मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया कि यदि कोई स्पेसिफिक केस हो तो बताएं। हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

शहरी विकास परियोजनान्तर्गत नोखा शहर हेतु स्वीकृत कार्य

77. **श्री बिहारीलाल** (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या एशियन डवलपमेंट बैंक की शहरी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण में नोखा शहर हेतु 100 करोड़ की राशि जलापूर्ति एवं 55 करोड़ की राशि सीवरेज के कार्यों हेतु स्वीकृत है?

(श्री बिहारीलाल)

वर्तमान में उक्त कार्य की क्या स्थिति है व उपरोक्त कार्य कब तक शुरू हो जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल) : जी हां। आरयूआईडीपी फेज चतुर्थ के तहत नोखा शहर में जलापूर्ति हेतु राशि रुपये 99 करोड़ एवं सीवरेज कार्य हेतु 55.24 करोड़ के कार्यों हेतु कार्य योजना जिला कलेक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में गठित (CLC) की बैठक दिनांक 06.08.2018 को अनुमोदित की जा चुकी है।

सीवरेज कार्यों के अन्तर्गत एसटीपी हेतु भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन है। भूमि आबंटन के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाकर एशियन डवलपमेन्ट बैंक को भेजी जाएगी। एशियन डवलपमेन्ट बैंक के अनुमोदन पश्चात् निविदा आमंत्रित कर कार्य शुरू किया जाएगा। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नोखा शहर में अब बरसात का सीजन है। गर्मी तो हमने प्यासे रहकर निकाल दी। बरसात के सीजन में सीवरेज का सिस्टम इतना अस्त-व्यस्त है कि शहर के छह से ज्यादा वार्डों में, घरों में चूल्हों तक पानी भर जाएगा। इसलिए हमारा आग्रह है।

क्योंकि पानी और सीवरेज की डीपीआर साथ में है, इसलिए नगरपालिका को टाइम बाउंड कीजिए कि इसमें लेट न करके इस समस्या से नोखा को निजात दिलाए। नोखा में शांति बनी रहे। अशांति न हो। पानी और सीवरेज के मामले में तो क्रांति भी हो सकती है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि नगरपालिका को समय बाउंड कीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं पेयजल और सीवरेज दोनों की एक डीपीआर बनती है और उस डीपीआर के लिए यह जरूरी है कि सीवरेज का एसटीपी किस जगह पर बनेगा। जब तक जमीन का आबंटन नहीं होगा, तब तक यह डीपीआर कमप्लीट नहीं हो सकती। पहले डीपीआर कमप्लीट होगी, फिर एशियन डवलपमेंट बैंक में जाएगी। वहां से मंजूरी होने के बाद फिर जाकर निविदा की प्रक्रिया चालू हो पाएगी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय मंत्री जी, नगरपालिका से कोई समय तय कीजिए, उस पर आप लगाम लगाइये। यह लेट होने से नोखा की जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है। यह आपसे आग्रह है कि आप इस पर कुछ अंकुश लगाएं। क्योंकि नगरपालिका का छह करोड़ का बकाया है, बिजली वाले नोटिस देते हैं, वे काट देंगे। आपसे आग्रह है कि आप अंकुश लगाइए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी।

देवस्थान विभाग की सम्पतियों के बकाया किराये की वसूली

78. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग के अधीन सम्पत्तियों को किराए पर दिए जाने, किराया वसूली एवं किराया भुगतान में चूक करने पर सम्पत्तियों को खाली करवाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 01 जून, 2019 को जिला अनुसार 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि के बकाया किराये के कितने प्रकरण हैं? विगत पांच वर्षों की किराये की राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में बकाया किराये की वसूली, किराया भुगतान में चूक करने वाले से सम्पत्ति को खाली करवाने एवं किराए की दरों में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विभाग की सम्पत्तियों पर कितने अतिक्रमण चिन्हित किये गये एवं अतिक्रमण हटाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) देवस्थान विभाग के अधीन देवस्थान की सम्पतियों को किराये पर दिये जाने के संबंध में वर्तमान में किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के तहत सम्पत्तियां किराये पर दी जाती हैं। निरीक्षक एवं प्रबंधक, देवस्थान विभाग द्वारा प्रति माह किराये का मांग पत्र दिया जाकर किराया वसूली की जाती है। किराया भुगतान में चूक करने पर सम्पत्तियों को खाली करवाने के संबंध में राजस्थान सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डी. बी. सिविल रिट

(पर्यटन मंत्री)

पिटिशन संख्या 752/2016 (जनहित याचिका) सुमोटो नोटिस बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2017 से विभाग की किराया नीति दिनांक 6.6.2000 को स्थगित करते हुये नवीन किराया नीति प्रस्तावित करने के निर्देश दिये हैं। जिसकी अनुपालना में नवीन किराया नीति 2019 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जो विचाराधीन है।

(2) देवस्थान विभाग में बकाया किराया की जिलेवार स्थिति परिशिष्ट 1 एवं विगत पांच वर्षों की किराये की राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) बकाया किराया की वसूली हेतु निरीक्षक व प्रबंधक देवस्थान विभाग को समय-समय पर निर्देशित किया जाता है। जिन किरायेदारों द्वारा किराया जमा नहीं कराया गया है उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम 1964 के नियम 4 के अन्तर्गत बेदखली हेतु वाद दायर कर कार्यवाही की जाती है। किराया राशि में वृद्धि के लिए किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के अनुसार प्रति तीन वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत किराया वृद्धि की जाती है।

(4) देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों पर जिलेवार चिह्नित अतिक्रमण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिला	राजस्थान सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण
1	जयपुर	19
2	दौसा	2
3	सीकर	0
4	झुंझुनूं	0
5	अलवर	0
6	बीकानेर	3
7	चूरू	0
8	कोटा	2
9	बूंदी	1

(पर्यटन मंत्री)

क्र. सं.	जिला	राजस्थान सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण
10	बारां	0
11	झालावाड़	0
12	उदयपुर	72
13	चित्तौड़गढ़	8
14	प्रतापगढ़	5
15	राजसमन्द	4
16	डूंगरपुर	0
17	बांसवाड़ा	0
18	जोधपुर	6
19	पाली	0
20	बाड़मेर	0
21	जालौर	0
22	सिरोही	0
23	जैसलमेर	0
24	अजमेर	2
25	नागौर	0
26	टोंक	0
27	भीलवाड़ा	0
28	भरतपुर	51
29	धौलपुर	0
30	सवाई माधोपुर	0
31	करौली	0
32	श्रीगंगानगर	0
33	हनुमानगढ़	0
	योग	**175**

(पर्यटन मंत्री)

देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में सर्वे कार्य हेतु निरीक्षक को निर्देशित किया गया है तथा जिन किरायेदारों द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किया गया था उनके विरुद्ध बेदखली के लिए सम्पदा न्यायालय में वाद दर्ज कराये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो जवाब प्रस्तुत किया है सदन में कि 6.6.2000 से जो किराया नीति चल रही है, कम से कम उस किराया नीति जो बनकर तैयार हो गयी है 2017 में, उसे तुरन्त लागू करें। मेरा प्रश्न यह है आपने जो बताया कि 175 स्थानों पर तो अतिक्रमण पाये गये हैं और 8 करोड़ 66 लाख रुपये किराया बकाया चल रहा है। जो किराया बकाया चल रहा है। किरायेदार किराया दे नहीं रहा है। आन रिकार्ड तो उसका बकाया चलता रहता है लेकिन उस किरायेदार को बेदखल करने का भी कोई नियम होगा और बेदखल करने का नियम आपने बता दिया कि उसका वाद दायर होता है और हम उसे करवाते हैं। लेकिन आज तक कितने ऐसे किरायेदार, जिन्होंने किराया नहीं चुकाया, उनको आपने बेदखल किया? अतिक्रमण के अंदर आपने 175 योग बताया कि टोटल 175 स्थान पर अतिक्रमण है। कितने लोगों के अतिक्रमण हटाये और कितने लोगों को किराया नहीं चुकाने पर बेदखल किया? यह पहला है, फिर मैं दूसरी बात करूंगी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग की सम्पत्ति पर जहां-जहां अतिक्रमण चिह्नित किए जाते हैं, उनके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के तहत कार्यवाही की जाती है। पूरे राज्य में 175 प्रकरण सभी सम्पदा अधिकारियों के कार्यालयों में दर्ज हैं जिसमें विभाग द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। इन 175 प्रकरणों में से 148 प्रकरण पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं। चूंकि कई मामले विचाराधीन रहते हुए सिविल कोर्ट में चले जाते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, यह तो वही जवाब है, इन्होंने वापस रिपीट कर दिया। मेरा आपसे यह कहना है कि जो देवस्थान विभाग की अरबों-खरबों की जमीन है। इन जमीनों को लोग बेच

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रहे हैं, कोई लीज पर जाती है तो लीज के बाद में उसे बेच देते हैं। कोई उसके ऊपर इंस्पैक्शन नहीं है। सदन के सामने यह बात रखना चाहूंगी कि देवस्थान विभाग...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल में प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। मेरा यह कहना है कि यह जिस प्रकार से नैगलेक्टेड डिपार्टमेंट है। इतने अरबों की जमीन होते हुए भी...

श्री अध्यक्ष: यह अलग तरीका है। अभी प्रश्न काल है। आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न ही पूछ रही हूं। उदयपुर के अंदर एक इंस्पैक्टर है, चार जिले दिये हुए हैं। जोधपुर के अंदर एक इंस्पैक्टर है......

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष जी, चारभुजा मंदिर जो राजसमन्द जिले में आता है, देवस्थान के अधीन है। वहां की एक लैंड देवस्थान विभाग ने किसी को 1956 में लीज पर दी, 99 वर्ष के लिए। उस लीज को बाद में ट्रांसफर आफ लीज....

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? मैं अगला प्रश्न लूंगा। प्रश्न पूछिए आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न यह है कि ट्रांसफर आफ लीज होती है, वह ट्रांसफर आफ लीज अगर किसी को बेची जाती है। क्या अधिकार है देवस्थान विभाग को कि इस प्रकार से....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न यही है कि क्या लीज पर दी हुई जमीन को देवस्थान विभाग बेच सकता है?

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): नहीं बेच सकते।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं बेच सकती तो क्या मंत्री महोदय उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। अगला प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। आप प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। सीनियर सदस्य हैं आप। उसका कोई और तरीका है, वह लाइए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। श्रीमती संतोष।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

अनूपगढ़ में कृषि भूमि पर अतिक्रमण के दर्ज प्रकरण

79. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में विगत 10 वर्षों में किस-किस कृषि भूमि पर किस-किस के द्वारा कब-कब से अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ है? वास्तविक खाता धारक व अतिक्रमण/कब्जाकर्ता के नाम सहित अनूपगढ़, घड़साना, रावलामंडी तहसीलों की पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर को कब-कब शिकायत की गयी या वाद दायर किया गया प्रत्येक प्रकरण में 31 मार्च, 2019 तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एससी/एसटी/सामान्य वर्ग की भूमि पर कब्जा हटाने हेतु उपरोक्त कोर्ट को समय सीमा में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया हुआ है? यदि हां, तो समय सीमा समाप्त होने के पश्चात भी 31 मार्च, 2019 तक उक्त प्ररकणों के निस्तारण नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? प्रकरणवार कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील अनूपगढ़, घड़साना, रावला में अतिक्रमण, वास्तविक खाता धारक व अतिक्रमणकर्ता का नाम सहित विवरण की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर को की गयी शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-ब पर तथा न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व न्यायालय जिला कलेक्टर में दायर वाद एवं की गयी कार्यर्वाही का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) एससी/एसटी वर्ग की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को संक्षिप्त विचारण कर आम तौर पर 3 माह में निर्णित करने के संबंध में राजस्व विभाग ने संबंधित राजस्व न्यायालयों को निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.12.2000, 09.02.07 एवं 23.04.09 व 11.01.12 को परिपत्र जारी कर अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर उनकी सख्ती से पालना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के न्यायालय में 36 प्रकरण लम्बित हैं तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना में 06 प्रकरण लम्बित हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत तहसीलदार अनूपगढ़ के न्यायालय में 51 प्रकरण, न्यायालय तहसीलदार रावला में 2 एवं न्यायालय तहसीलदार घड़साना में लम्बित 54 प्रकरण लम्बित हैं। न्यायालय जिला कलेक्टर में लम्बित प्रकरणों की सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस सी, एस टी जमीन अतिक्रमण मामले में बार-बार परिपत्र निकालकर राजस्व न्यायालयों को तीन माह में करने के लिए पाबंद किया गया है। इतने लंबे समय तक भी मामले लंबित हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? समय सीमा में केस का निस्तारण करें। 10-10 वर्षों से कब्जा लेकर बैठे इन काश्तकारों को कब तक न्याय मिलेगा? अपने परिवार की रोजी-रोटी के लिए भी इनको भटकना पड़ता है, इनका निस्तारण कब तक किया जाएगा?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्व न्यायालय

(श्री हरीश चौधरी)

के अंदर लंबे समय से लंबित प्रकरणों के बारे में मेरा विभाग और पूरा राजस्थान भी चिंतित है। जहां तक एस सी, एस टी के संबंध में तीन माह के दिशा-निर्देश दिये गये हैं, पर वाद में जाने के कारण, वाद में न्यायालय में जो अवधि लगती है उसके कारण तीन माह से अधिक न्यायालय में लग जाते हैं। कई प्रकरणों में न्यायालय अगर फैसला कर भी देता है उसके बावजूद भी उन प्रकरणों के अंदर उसको कब्जा नहीं मिलता है, इस कारण से उसको वापस न्यायालय में जाने की मजबूरी होती है, इस कारण यह समय लगता है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन प्रकरणों के अंदर और तीव्र गति से कैसे फ़ैसले हो सकें, उसके लिए विभाग कार्यवाही करेगा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस सी की जमीन पर गांवों में कुछ बलशाली लोग कब्जा करके बैठे हैं। वास्तविक एस सी के लोगों को डराते-धमकाते हैं। एस सी के लोगों की जमीन को छुड़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। ऐसा ही ताजा मामला, अभी मेड़ता में घटनाक्रम सामने आया कि लोगों के साथ काफी मारपीट की गयी है, तो सरकार इसके बारे में क्या रवैया रखती है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एस सी की जमीन पर कब्जा करने के राजस्थान के राजस्व विभाग में जो भी प्रकरण आ रहे हैं, उसमें राजस्व विभाग अपनी तरफ से कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेड़ता का आपने प्रकरण बताया, आप मुझे प्रकरण बताना, मैं उसके खिलाफ जो भी न्यायिक कार्यवाही होगी उसमें सहयोग करवाऊंगा, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बलजीत यादव।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्लीज।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपको इतना आश्वस्त कर दिया, प्रकरण नोटिस में लाए, कार्यवाही होगी। अगला प्रश्न, बलजीत यादव।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के मानदण्ड

80. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बलजीत यादव)

(1) खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा तय करने के क्या मानदण्ड हैं।

(2) अन्त्योदय अन्न योजना के तहत गत वर्ष में कितनें परिवारों को चीनी वितरित की गयी? क्या सभी लाभार्थियों को चीनी वितरित कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश के सभी जिलों में सभी राशनकार्ड धारकों को केरोसीन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में कब से केरोसीन तेल नहीं दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हेतु 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र हेतु 53 प्रतिशत जनसंख्या को योजनान्तर्गत चयनित किये जाने की सीलिंग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है।

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।)

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों की चीनी का वितरण किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों हेतु वर्ष 2018 में चीनी का आबंटन किया गया है। वर्ष 2018 में राज्य के कुल 6,83,646 पात्र अन्त्योदय कार्ड धारकों में से 5,71,083 उपभोक्ता चीनी प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं तथा 1,12,563 परिवारों ने उक्त अवधि में चीनी प्राप्त नहीं की है। ज़िलावार सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है तथा चीनी प्राप्त नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट के लिंक http:/food.raj.nic.in//sugar_not_taken_ 2018.aspx पर उपलब्ध है।

(3) प्रदेश के जिलों में उन सभी राशनकार्ड धारकों को 2.5 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड केरोसीन दिया जा रहा है जिनके पास घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है।

वर्तमान में प्रदेश के निम्न ज़िलों में घरेलू गैस कनेक्शनों की उपलब्धता एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण मांग नहीं होने से उनके सम्मुख अंकित माह से केरोसीन का आबंटन नहीं किया जा रहा है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्रम संख्या	नाम जिला	कब से केरोसिन का आबंटन नहीं किया जा रहा
1.	अजमेर	सितम्बर, 2018 से
2.	जोधपुर	नवम्बर, 2018 से
3.	कोटा	नवम्बर, 2018 से
4.	अलवर	जून, 2019 से
5.	जयपुर	जनवरी, 2019 से
6.	करौली	मई, 2019 से
7.	झुंझुनूं	जून, 2019 से
8.	सीकर	जून, 2019 से

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने में जमीन की शर्त लगाई हुई है क्या उसको हटाने का विचार सरकार रखती है? साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जरूरत नहीं होने पर भी कमीशनखोरी के चक्कर में आपके विभाग के अधिकारियों ने अत्यधिक चीनी खरीद ली और अब वह चीनी खराब हो रही है, स्पष्ट रूप ये यह घोटाला है, क्या मंत्री जी आपने उसकी जांच की?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अगर जांच की है और उसमें कोई दोषी पाया गया है तो आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने खातेदारी राजस्व की बात की है उसकी समीक्षा करवा लेंगे। दूसरा आपका निवेदन है कि विभाग में इस तरह की अनियिमतता हुई है, तो पिछली सरकार के समय में, मेरी यह जानकारी में आया है कि गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं। जिसमें एक प्रकरण में विभागीय नोटशीट में फ्लूड लगाकर गलत तरीके से निजी कम्पनी को लाभ पहुंचाना पाया गया। विभाग ने इसे गम्भीर मानते हुए थाना बजाज नगर में जुलाई, 2018 में एफआईआर दर्ज कराई, अनुसंधान जारी है। एक अन्य प्रकरण में भी बिना आधिकारिक क्षेत्र के एक अधिकारी

(श्री रमेश चन्द मीना)

द्वारा निजी कम्पनी को परफोर्मेंस गारंटी की राशि लौटा दी गयी जिसको निगम ने गम्भीर मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की है, जो वर्तमान में चल रही है। ऐसे ही अन्य कुछ और प्रकरण हैं जिनको दिखवा रहे हैं। सरकार गम्भीर है। करोड़ों की गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं, जिसको हम दिखवा रहे हैं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही हुई है। मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एसीबी है, आप एसीबी से जांच करा सकते हैं, आप सीआईडी से जांच करा सकते हैं। कोई रिजल्ट तो आए, इतने दिनों से पैंडिंग है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इतने दिन से पैंडिंग पड़ा हुआ है, कोई रिजल्ट तो आए, किसी भ्रष्टाचारी को सज़ा तो मिले। बस पैंडिंग है, पैंडिंग है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की मंशा साफ है, सरकार भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलाना चाहती है। मंत्री जी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो बताएं कि क्या कार्यवाही करेंगे और कब तक यह कार्यवाही होगी, किसके खिलाफ होगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर देंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वैसे तो यह प्रोब्लम बड़ी गम्भीर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में, पिछली सरकार ने जो कारनामे किए हैं, उनको हम दिखवा रहे हैं, जांच करा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): चीनी की खरीद या चीनी के प्रकरणों में अनियमितता हुई और मामला गम्भीर निकला तो इसकी जांच हम एसीबी से करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री नरेन्द्र नागर।

राजकीय विद्यालयों का एकीकरण

81. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2017 तक समानीकरण एवं एकीकरण के तहत राजकीय विद्यालयों को बन्द करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त की ज़िलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार समानीकरण व एकीकरण के तहत मर्ज किये गये विद्यालयों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां। वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2017 समानीकरण एवं एकीकरण के तहत समीपस्थ विद्यालयों में मर्ज किया गया था, ज़िलेवार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) सत्र 2014-15 से 2017-18 तक आर.टी.ई. नार्म्स के विपरीत समन्वित किये गये विद्यालयों की समीक्षा हेतु पत्रांक पं.14(4)शिक्षा-1/एकी./2014/पार्ट(2016) दिनांक 22.01.2019 द्वारा ब्लाक एवं जिला स्तर पर गठित कमेटी से समीक्षा करवाकर प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। इन प्रस्तावों की समीक्षा उपरान्त चिन्हित विद्यालयों को पर्याप्त नामांकन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुन: प्रारम्भ करने का नीतिगत निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जो स्कूल बंद किए गए हैं वह किस मापदण्ड के तहत, वर्तमान में अपन किस मापदण्ड के तहत स्कूल खोलना चाहते हैं और कब तक खोलना चाहते हैं, खोलेंगे तो पर्याप्त स्टाफ के साथ खोलेंगे? ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो विद्यालय बंद किये उसमें यह लिखा हुआ है कि इस प्रकार राज्य में लगभग

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

39 हजार राजस्व ग्रामों में कुल 86324 राजकीय विद्यालय संचालित थे, यह देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर आर.टी.ई. नार्म्स की आवश्यकता से कहीं अधिक विद्यालय स्थापित हो गये थे जिनके कारण 28013 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 30 से कम नामांकन एवं 142 प्राथमिक विद्यालयों में जीरो नामांकन था।

जो पिछली सरकार ने नार्म्स 2014-15 बजट का हवाला दिया, लेकिन जो किया गया वह 39 हजार राजस्व ग्रामों में 46324 विद्यालय स्थापित, संचालित हैं, जो अत्यधिक, संख्या से अधिक हैं। कहीं आर.टी.ई. नार्म्स में यह नहीं लिखा हुआ है। आर.टी.ई. नार्म्स यह कहता है कि प्राइमरी विद्यालय एक किलोमीटर में होना चाहिए और मिडिल विद्यालय दो किलोमीटर में होना चाहिए। पिछली सरकार ने जो आर.टी.ई. नार्म्स के विपरीत 22204 विद्यालय बंद किये थे उसमें से 2450 तो स्वयं ने ही गलती मानते हुए वापस खोल दिये। जिसमें, आपने जो झालावाड़ में बंद किये न, जिस जिले से आप आते हैं, 441 विद्यालय बंद कर दिये गये, जिसमें से 38 विद्यालय पुन: खोले गये।

अब हमने हमारी सरकार आने पर 22.01.2019 को आर.टी.ई. नार्म्स के मुताबिक एक सर्कुलर निकाला, जिसमें पहली बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने दो स्तरीय, उपखण्ड अधिकारी, सी.बी.ओ., एस.ई.बी.ओ, एस.ई.बी.ओ.-सैकण्ड, आर.पी. और वहां के स्थानीय जन प्रतिनिधि, जिसमें आप भी आते हैं, उन सबकी राय के साथ में यह जो हमारा 22.01.2019 का सर्कुलर, जो हमने परिपत्र जारी किया था, फिर इसकी समीक्षा जिला स्तर के ऊपर जिला कलेक्टर और डी.ई.ओ.-फर्स्ट और सैकिण्ड, एलीमेंट्री और माध्यमिक, ये सारे मिलकर प्रस्ताव भेजेंगे। हमारे पास जो प्रस्ताव आज की तारीख में आये हैं, वे माध्यमिक शिक्षा के 1511 हैं और एलीमेंट्री एजुकेशन के 1324 आये हैं।

इसमें आगे आप पूछेंगे, तो मैं बता ही दूं, ये जितने भी प्रस्ताव आये हैं उनकी समीक्षा करवाई जा रही है। आप सब लोगों से, चाहे बी.जे.पी. हो, चाहे कांग्रेस हो, हम आपकी तरह नहीं कर रहे हैं कि यह कांग्रेस का आदमी था, सारे स्कूल बंद कर दो। (व्यवधान) यह बी.जे.पी. का आदमी है, सारे वापस खोल दो।

एक माननीय सदस्य: आप कितने खोल रहे हैं, यह तो बताओ। आप खोल लेंगे न? कब तक खोल लेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने एक ही आधार पकड़ा है कि वहां का जनप्रतिनिधि शामिल हो, कमेटी ब्लाक स्तर पर बने, जिला स्तर पर कमेटी बने, वह समीक्षा करे और अगर छात्रों की संख्या है, आर.टी.ई. नार्म्स के विपरीत पाये गये तो उन विद्यालयों को हम पुन: नीतिगत निर्णय लेकर खोलने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 6D के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों को भेजने के लिये काउंसलिंग के जरिये यह नीतिगत फैसला किया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बस। यह रिलेवेंट प्रश्न नहीं है। प्लीज। अगला प्रश्न, गोतम लाल मीणा।

धरियावद राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

82. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालय, धरियावद एवं राजकीय महाविद्यालय, लसाड़िया में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र धरियावद में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालय धरियावद एवं राजकीय महाविद्यालय, लसाड़िया में रिक्त पदों को पदोन्नत/चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/अनुकम्पात्मक नियुक्ति/स्थानांतरण के समय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, धरियावद और लसाड़िया में 21-21 पद दोनों में स्वीकृत हैं। 21 में से 17-17 पद रिक्त हैं। अब 21 में से 17 पद रिक्त हैं, वहां पढ़ाई कैसे होती होगी? इन्होंने लिखा है चयनित, स्थानान्तरण पर हम ये करेंगे। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप किसी से भी पद भरें, ये पद कब तक भर दिये जाएंगे।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में स्वीकृत शैक्षणिक पदों की संख्या 6500 है उसमें से 4500 पद भरे गये हैं और वर्तमान में 2000 पद शिक्षकों के रिक्त हैं। बजट घोषणा, 2019-20 में भी कल माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा एक हजार पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गयी है।

जहां तक माननीय विधायकजी ने बताया, धरियावद विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने की बात है तो निश्चित रूप से स्वीकृत पदों के अनुपात में जो कार्यरत पद हैं, उनकी संख्या कम है और आगामी समय में अतिशीघ्र स्थानान्तरण के माध्यम से या पदोन्नति से इन पदों को शीघ्र भरने का कार्य किया जाएगा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय धरियावद में बच्चों की संख्या 300-400 आ रही है और वहां सौ सीटें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सौ सीटें और बढ़ाने का विचार रखते हैं, क्योंकि जनजाति बहुल क्षेत्र है और गरीब का बच्चा वहां पढ़ नहीं सकता है। तो उसमें सौ सीटें और बढ़ाने का विचार रखते हैं?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पूरे प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की सीटें 10 प्रतिशत ई.डबल्यू.एस. के आधार पर और 05 प्रतिशत मिला करके 15 प्रतिशत सीटें इस बार हमने बढ़ाई हैं। पूरे प्रदेश के कालेजों में करीब 37 हजार के करीब सीटें बढ़ाई गयी हैं। माननीय विधायकजी ने जो सुझाव रखा है, जो मांग रखी है उसमें भी इनके द्वारा रखे गये प्रस्ताव के आधार पर हम कार्यवाही करके इनकी मांग पर जो भी गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा, हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है ट्राइबल सब प्लान इलाके में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो संख्या ज्यादा है तो वहां कम से कम फैकल्टी को पूरा करें जिससे ट्राइबल के बच्चे पढ़ने के लिये उत्साहित हो सकें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, सूर्यकान्ताजी व्यास।

16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित चार्जशीट के प्रकरणों का निस्तारण

83. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सी.सी.ए. 16 के अंतर्गत प्रस्तावित चार्ज शीट के कितने प्रकरण अंतिम निस्तारण हेतु कब से एवं क्यों लम्बित हैं? उक्त प्रकरण किस-किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण लम्बित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो क्या व कब तक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनियमितताओं के गम्भीर प्रकरणों में विभागीय जांच प्रक्रिया पूर्ण कर दोष सिद्धता के पश्चात भी सी.सी.ए. 16 के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का अंतिम निस्तारण लम्बे समय से नहीं होने के लिये क्या सरकार जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) वर्तमान में कार्मिक विभाग को प्राप्त सी.सी.ए. नियम 16 के अंतर्गत 1030 प्रकरण विभिन्न स्तरों (कार्मिक विभाग, जांच अधिकारी, मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, माननीय राज्यपाल) पर लम्बित हैं।

(2) जी नहीं। उक्त प्रकरण विभागीय नियमों की सतत प्रक्रिया के अंतर्गत लम्बित हैं।

(3) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानकारी चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को जो उत्तर दिया है, वह उत्तर संतोषजनक नहीं है। मैंने क्या मांगा है, इन्होंने क्या दिया है?

आपका आदेश हो तो मैं पढ़कर सुना दूं। प्रदेश में सी.सी.ए. 16 के

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

अंतर्गत प्रस्तावित चार्ज शीट, मैंने चार्ज शीट के बारे में इनसे पूछा है, चार्ज शीट के कितने प्रकरण अंतिम निस्तारण हेतु कब से एवं क्यों लम्बित हैं? उक्त प्रकरण किस-किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

इन्होंने मेरे को उत्तर दिया है कि वर्तमान में कार्मिक विभाग को प्राप्त सी.सी.ए. नियम 16 के अंतर्गत 1030 प्रकरण विभिन्न स्तरों, स्तर क्या, विभिन्न स्तरों पर क्या, कोई पता तो चले कि विभिन्न स्तर क्या, इतने प्रकरण विभिन्न स्तरों पर बाकी हैं। कार्मिक विभाग, जांच अधिकारी, मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, माननीय राज्यपाल को लम्बित हैं। अब मैं इसका क्या बताऊं आपको बताओ, क्या इन्होंने मेरे को यह उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या दिया है? आप सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, इनका जवाब मैं इनको क्या बताऊं? अब आप कहें तो मैं दूसरा भी पढ़कर सुना दूं।

दूसरा नम्बर, क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण लम्बित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें। इन्होंने मेरे को उत्तर एक लाइन में दे दिया है, जी नहीं।

मतलब उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, जी नहीं। इन्होंने यह दिया है, जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात हो गयी। माननीय मंत्रीजी। आप विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो स्तर पूछे हैं, लिखित कथन और अभ्यावेदन प्रकरणों की संख्या 162, कार्मिक विभाग 271, जांच कमिश्नर 336, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय 06, राजस्थान लोक सेवा आयोग 48, राज्यपाल कार्यालय 35, प्रशासनिक विभाग 172, कुल 1030 मामले इन-इन स्तरों पर पैंडिंग हैं।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): आप तो खाली जोधपुर के बता दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। Let me complete first.

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): आप तो जोधपुर के बता दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): Let me complete first.

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह एक सतत प्रक्रिया है। सबसे पहले तो एक प्रस्ताव आता है संबंधित विभागों से। माननीय सदस्या ने यह नहीं पूछा कि गजेटेड आफिसर के और नान गजेटेड आफिसर के कितने प्रस्ताव हैं? प्रश्न ही एक तरह से ऐसा था कि पूरे राजस्थान का प्रश्न था। प्रस्ताव आने के बाद में यह तय किया जाता है कि यह 16 सी.सी.ए. का है या 17 सी.सी.ए. का है। उसके बाद लिखित कथन प्रस्तुत किया जाता है। लिखित कथन उस अधिकारी का आ जाए, विभाग संतुष्ट हो जाए तो वह ड्रोप कर दिया जाता है, नहीं तो जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, उसमें तीन-चार महीने में जांच अधिकारी उसको जांच करके देते हैं। फिर उसका अभ्यावेदन लिया जाता है। स्वयं कई बार संबंधित कर्मचारी साल-दो साल तक कागज मांगते रहते हैं कि मैं यह रिकार्ड देखूंगा, मुझे यह देखना है। उसके बाद उसका परीक्षण होता है। डी.ओ.पी. यदि संतुष्ट हो जाए तो उसको ड्रोप कर देती है, नहीं तो उसको दंडित करती है। फिर वह कार्मिक मंत्रीजी के पास जाता है और उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। माननीय सदस्या, पहले आप बैठें। आप पहले बैठें, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): सारा एक साथ बोलेंगे तो मेरे तो समझ में ही नहीं आएगा। मेरे को बिलकुल भी समझ में नहीं आएगा।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। आपको उत्तर नहीं सुनना है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): जैसे कोई क्वासी जुडीशियल मामले होते हैं उसी तरीके से उनको बाकायदा सुनने का अवसर दिया जाता है और उसके बाद में फिर अंतिम दंडादेश यदि जारी कर दिया जाता है तो उसकी अपील होती है। वह अपील सी.सी.ए. रूल 33 और 34 के अंतर्गत होती है।

मैं माननीय सदस्या से यह कहना चाहता हूं कि आप इतनी पुरानी सदस्या हैं, आपकी सरकारें समय-समय पर रहीं, उन्होंने कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की? कितने दिनों में काम निपटाए? जरा आप यह बताएं।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): आप यह कहकर बात को टाल नहीं सकते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमसे सवाल कर रहे हैं। हमसे सवाल कर रहे हैं मंत्री। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आपने कहा- जी, नहीं। प्रकरण विभागीय नियमों की सतत प्रकिया के अंतर्गत लंबित है। प्रक्रिया क्या है? नियम क्या है? आप बताओ तो सही। आप किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच करना ही नहीं चाहते। जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उनके खिलाफ कुछ कहना ही नहीं चाहते। आप तो अधिकारियों को बचाना चाहते हो। आप कम से कम उत्तर तो सही दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं तीसरा भी पढ़कर सुना दूं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने पढ़ लिया, माननीय सदस्या, आप विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): आप एक मिनट मेरे को इसको पूरा कर लेने दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी कि कैसे प्रस्ताव आते हैं और आने के बाद वह 16 सी.सी.ए. या 17 सी.सी.ए. के अतंर्गत, गंभीर अपराध होते हैं तो उसको 16 सी.सी.ए. में लेते हैं और यदि कोई माइनर उसके ऊपर कार्यवाही होती है तो वह 17 सी.सी.ए. के अंतर्गत होती है। उसके बाद यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें कोई अधिकारी जिसने अपराध किया है, कोई एम्बेजलमेंट किया है, अथवा कोई लापरवाही बरती है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। मैं स्वयं साढ़े चार वर्ष तक डी.ओ.पी. का मिनिस्टर रहा हूं, हमने कम से कम एक-एक वर्ष में कई-कई हजार मामले निपटाये हैं और कुल मिलाकर कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाती। जब कोई कोताही नहीं बरती जाती है तो किसको दंडित करें? इसीलिए मैंने यह कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री बैठे हैं, आप बता दें कि किसी अधिकारी को, किसी जांच अधिकारी को आपने पनिश किया क्या? 000

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: यह मेरा काम है। मेरा काम है। आप विराजें। माननीय मंत्रीजी ने माननीय सदस्य के खिलाफ कोई बात कही, वह अंकित नहीं होगी। आप कह रहे हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इसमें नियमों का उल्लंघन कोई जांच अधिकारी कहीं करेगा तब कार्यवाही होगी न।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी। माननीय सदस्या, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, सरकार यह रही या वह रही, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह जो आप 1030 प्रकरण हैं, बता रहे हो, 16 सी.सी.ए. का इसमें सबसे पुराना केस जो लंबित है, वह कबसे है? सबसे पुराना, जो 1030 प्रकरणों में से दस साल पुराना, पांच साल पुराना, आदमी रिटायर हो जाता है तब तक उसका फैसला नहीं होता है, उसके कारण से उसके सारे परिलाभ पड़े रहते हैं। सज़ा देनी है, दे दो। छोड़ना है तो छोड़ दीजिए लेकिन आखिर उसको कब तक पैंडिंग के कारण से व्यक्ति जिस प्रकार से यह कष्ट भुगतता है, सबसे पुराना केस आप बता दो कितने साल पुराना है जो कि इन 1030 में है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है लेकिन यह मैं आपको कह सकता हूं कि कार्मिक विभाग सतत प्रक्रिया के अनुसार तेजी से कार्यवाही करता है और कार्यवाही में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाती, आपके पास कोई स्पेसिफिक मामला हो कि यह इतने वर्ष पुराना मामला है तो मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको यही कह रहा हूं कि लोग रिटायर हो गये, उनको सात-सात, आठ-आठ साल हो गये। इस 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही के कारण से उनके सारे परिलाभ आज भी नहीं मिल रहे हैं और बुढ़ापे में घुट-घुटकर मर रहे हैं। यस, आपको सज़ा देनी है तो दे दो, कम से कम फैसला तो करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अब इन आठ सालों में से पांच साल आपके रहे।

श्री अध्यक्ष: अलग ढंग से आप प्रश्न लेकर आएं, इस पर चर्चा करेंगे।

कठूमर-लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बनायी गयी सड़कों की जांच

84. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कठूमर, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बनायी गयी सड़कों की जांच करवाने का विचार रखती है? उक्त सड़कों का निर्माण निर्धारित मानदण्डों व नियमानुसार किया गया है? उक्त बनायी गयी सभी सड़कों की गुणवत्ता की जांच कहां करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बनायी गयी सड़कों के संवेदक के लाइसेंस को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर व लक्ष्मणगढ़ में विगत पांच वर्षों में सड़कों का निर्माण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार करवाया गया है। इन कार्यों की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से विभागीय अभियन्ताओं द्वारा कार्य स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, अलवर में करायी गयी है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच में कमी पाये जाने पर संवेदक द्वारा उसे दुरुस्त करवाये जाने पर ही संवेदक को आगे कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूलाल (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांच सड़कें बता रहा हूं। खूडियाना से हाजीपुर, बड़का नींव से बावड़ी का, करीरिया से दूसराहेड़ा, कठूमर नगर रोड से नगला मतुवा और लक्ष्मणगढ़ जालूकी रोड़ से जावली दो किलोमीटर। आप इनकी जांच करवा दो, किसी एस.ई. रैंक से। ए.ईएन. और जे.ईन. की तो एक परसेंट और दो परसेंट की जो प्रथा चल रही है, उससे यह काम नहीं हो पाएगा। आप एस.ई. से जांच करवा दो, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो उस ठेकेदार से या तो आप वसूल करो या दुबारा से करवाओ या उसका लाइसेंस कैंसिल करवाएं।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग में हम सिर्फ

(श्री सचिन पायलट)

क्वांटिटी पर फोकस न करके चाहते हैं कि गुणवत्ता पर ध्यान दें और यह अनुभव रहा है कि जो क्वालिटी है नेशनल हाइवेज की, स्टेट हाइवेज की, उसके बनिस्पत जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनती हैं उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती है।

माननीय सदस्य ने जिन सड़कों का विवरण दिया है, मैं उस पर उच्च स्तरीय जांच करवाकर अगर कहीं गलती भी होगी किसी ठेकेदार की या किसी अफसर की, तो इस पर कार्यवाही कराएंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि कल आप सभी की शुभकामनाओं से काफी अच्छा बजट मिला है रोड निर्माण के लिए तो इस पर आने वाले समय में हम विभाग के अंदर गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे ताकि राजस्थान देश-भर में उन राज्यों में बनकर आए जहां पर क्वालिटी आफ रोड्स सबसे उम्दा हो।

श्री बाबूलाल (कठूमर): आप इन सड़कों की जांच करवा लें इनकी कोई जांच नहीं हुई है। यह एक साल में ही बिलकुल उखड़ गयीं। आप इनकी जांच करवा लो। (व्यवधान)

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र में 335 किलोमीटर की रोड सैंक्शन की है, 166 का निर्माण हो चुका है और तीन जगह ऐसी थीं जहां पर सैम्पल था वह क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाया वहां पर कैंसिल करके दुबारा से निर्माण किया गया। फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं पुन: इनके क्षेत्र में एक टीम भेजकर जांच करवाऊंगा और माननीय सदस्य को पूरी तरह से संतुष्ट करने के बाद वहां पर आगे काम कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री प्रतापलाल भील।

कोटड़ा (गोगुन्दा) उपखण्ड में लम्बित कृषि कनेक्शन

85. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उपखण्ड कोटड़ा में जनजाति उप-योजना लागू होने के पश्चात विद्युत के कृषि कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं एवं कितने कृषि कनेक्शन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत उप-खण्ड कोटड़ा में जनजाति उप-योजना लागू होने के पश्चात कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन, जारी एवं शेष कनेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी मांग पत्रों की संख्या	जमा मांग पत्रों की संख्या	निरस्त पत्रावलियों की संख्या	जारी कनेक्शनों की संख्या	लंबित मांग पत्र जमा आवेदन
98	98	88	10	80	8

मांग पत्र जमा आवेदकों को सामान की उपलब्धता एवं प्राथमिकतानुसार शीघ्रातिशीघ्र कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोटड़ा एवं गोगुन्दा उपखण्ड टी.एस.पी. एरिया कब घोषित हुआ था? दूसरा, यह कि टी.एस.पी. एरिये के लिए कृषि कनेक्शन लेने के क्या मापदंड हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): टी.एस.पी. एरिया में प्रायोरिटी के आधार पर उनको कनेक्शंस दे दिये जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि 2009-10 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2011-12 में 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 9 कनेक्शन कर दिये गये। वर्ष 2012-13 में 10 कनेक्शन का आवेदन आया, 10 कर दिये गये। 2013-14 में 8 आये, 8 कर दिये। 2014-15 में 15 आये 15 कर दिये। 2015-16 में 28 आये 18 कर दिये गये। 2016-17 में 14 आये 14 ही कर दिये। 2018-19 में 14 आये उसमें 6 कर दिये गये हैं और इसी महीने में बाकी के जो आठ हैं उनको कर दिया जाएगा।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

गुलाब सिंह, श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री गुलाब सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व सदस्य, श्री गुलाब सिंह का जन्म जैसलमेर जिले के लोहारकी ग्राम में हुआ। आपने श्री सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर से सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री गुलाब सिंह दसवीं विधान सभा में जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह वर्ष 1959 से 1961 तथा वर्ष 1978 से 1982 तक लोहारकी ग्राम पंचायत के सरपंच तथा वर्ष 1961 से 1964 तक सांकड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान रहे। आप दो बार सांकड़ा पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री सिंह जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की जैसलमेर जिला इकाई के अध्यक्ष भी रहे। वन्य जीव एवं वनस्पति संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्री सिंह ने गरीबों के उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया।

श्री गुलाब सिंह का दिनांक 4 जुलाई, 2019 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री गुलाब सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीयगण, सदस्य कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में

(श्री अध्यक्ष)

कतिपय स्वीकृत सड़कों का वन भूमि में आने के कारण निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम काटने के बावजूद भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्रीमती चन्द्रकाता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा संभाग में चंबल नदी से निकलने वाली नहरों का पानी टेल तक न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से टोंक जिले की बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था के कारण आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(5) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में डी.एल.सी. की दरों में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ दुग्ध संघ में प्रबन्ध संचालक द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर एवं नगर परिषद, ब्यावर के अधिकारियों की मिलीभगत से ब्यावर शहर में अवैध नक्शे स्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री छगन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के सामुदायिक अस्पताल में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से राजस्थान पुलिस में भर्ती कांस्टेबलों का प्रशिक्षण अन्य प्रदेशों में करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ दुग्ध संघ में प्रबन्ध संचालक के पद पर कार्यरत अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर

(श्री अध्यक्ष)

एयरपोर्ट का निजीकरण किये जाने के फैसले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा के किसानों को सिद्धमुख फीडर से अपने हिस्से का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ डेयरी के प्रबन्ध संचालक, श्री सोहन लाल बरडवा द्वारा दिनांक 25.06.2019 को 8700 लीटर दूध से भरे टैंकर की चोरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से अनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण में राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी अव्यावहारिक शर्तों के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास द्वारा स्वीकृत सभी कार्यों पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश के पेंशनर्स को गम्भीर बीमारियों की दवाइयां सरकारी दुकानों पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अर्जुन लाल जीनगर, श्री कालीचरण सराफ, श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर नगरपालिका में

(श्री अध्यक्ष)

अविश्वास प्रस्ताव आने के उपरांत पार्षद का अनैतिक तरीके से निलम्बन किये जाने के संबंध में।

(2) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नगरासर वितरिका से सिल्ट निकालकर सिंचाई हेतु जल वितरण किये जाने के संबंध में।

(3) श्री गोविंद राम, सदस्य की ओर से खाजूवाला तहसील के किसानों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये जाने हेतु फिल्टर प्लांट लगवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से बालोतरा स्थित दोनों महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(5) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से पर्यावरण संरक्षण हेतु ओरण भूमि विकास बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में।

(6) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से 'भारतमाला परियोजना' में किसानों की अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से दिलवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री राजकुमार गौड़, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज खोले जाने के संबंध में।

(8) श्रीमती कृष्णा पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की बदहाल चिकित्सा व्यवस्थाओं से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(9) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन नहीं मिलने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्रीमती निर्मला सहरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) के केलवाड़ा एवं शाहबाद में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(11) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम काटने के बावजूद भी फसल बीमा का पैसा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत जालौर जिले में गठित पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को मानदेय व यात्रा बिल इत्यादि का भुगतान किये जाने के संबंध में।

मानमीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 11 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री मदन दिलावर, बूंदी शहर में 10.07.2019 को सायंकाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री फूल सिंह मीणा, बड़ी से देवाली, बड़ी से दूधतलाई व रामपुरा से सिसारमा नया खेड़ा नान्देश्वर तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाकर दुरुस्त करवाने के संबंध में।

(3) श्री अमीन खां, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्थानीय निवासियों की मूलभूत सुविधा बहाल करने के संबंध में।

(4) श्री अशोक लाहोटी, राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में किये जा रहे परिसीमन के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरा जो आपने बताया है, वह नहीं था।

श्री अध्यक्ष: माननीय, आप चैक कर लो, विराजो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरे पास यह स्थगन की कापी है। जो मैंने दी थी, वह विषय नहीं था स्थगन का।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री अर्जुन लाल जीनगर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ डेयरी के प्रबन्ध संचालक द्वारा की गईं अनियमितताएं

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुझे आज पहली बार स्थगन लगाने का अवसर मिला और स्थगन पर बोलने का अवसर भी मिला है। तीन बार पहले मैं सरकार में रहा, स्थगन कैसे लगता है पता भी नहीं था लेकिन आज मुझे स्थगन पर बोलने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। (व्यवधान)

मेरा एक निवेदन था कि राजस्थान सरकार हमेशा चाहती है कि भ्रष्टाचार करने वाले चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन, मंत्री जी, मैं जिस विषय के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, प्लीज। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): जिस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं प्रबंध संचालक, चित्तौड़गढ़ डेयरी, प्रतापगढ़ डेयरी के लिए, यह +++ हैं, इनके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं कई ए.सी.डी. के केस हैं जिसमें ये महाशय रंगे हाथों पकड़े गये, लेकिन अभी भी जहां से पकड़े गये, उसी डेयरी के अन्दर इनको वापस लगाया गया।

मैं निवेदन करना चाहूं, दो-चार मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। 25.05.11 को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ डेयरी में ए.सी.डी. ने रंगे हाथों पकड़ा, सरकार ने तुरन्त प्रभाव से एक्शन लेते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया और सरकार ने उनको 27 मई, 2011 को निलम्बित कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बार जालौर-सिरोही दुग्ध संघ 12.06.2015 को 99 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए फिर रंगे हाथों पकड़े गये और 109/2015 मुकदमा दर्ज हुआ, फिर सस्पैंड हुए। इनको फिर वापस अभी हाल ही में चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ डेयरी के अन्दर लगाया गया, चार महीने पहले चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ डेयरी में लगाया गया। जब उन पर इतने केस चल रहे हैं तो उनको फिर वापस उसी डेयरी में लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी?

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

हमारे अधिकारियों को जब यह ध्यान में आया तो हमारे महाप्रबंधक हैं कार्मिक प्रशासन, उन्होंने इनको कारण बताओ नोटिस दिया और कहा कि आपके द्वारा इस संघ के अन्दर जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उस पर नोटिस दिया गया कि 180 ठेकेदारों के पद स्वीकृत हैं फिर भी आपने अतिरिक्त लोगो को और लगा दिये। एक और इन्होंने जो अवहेलना की है, आर.सी.डी.एफ. के माध्यम से पत्र में, 14.05.2019 को भी अवहेलना की है पांच मिल्क प्राइवेट लिमिटेड में बिना राशि प्राप्त किये उदयपुर दुग्ध संघ को 20 मैट्रिक टन घी सप्लाई किया जाना, जिसका इन्होंने पैसा नहीं लिया और सप्लाई कर दिया।

इनकी एक और खासियत है। संघ के द्वारा जो उपस्थिति पंजिका है, सब अधिकारी, कर्मचारी उसी पंजिका में दस्तखत करते हैं लेकिन ये कर्मचारियों के साथ अपनी उपस्थिति पंजिका नहीं रख करके अलग से उपस्थिति पंजिका रखते हैं और उसको लाक एण्ड की में रखते हैं, उसका भी इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एक और नोटिस दिया गया है इनको गोपाल कृष्ण जी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने कि आप संघ की बैठक समय पर नहीं बुला रहे हो, क्या कारण रहे हैं?

इनके द्वारा अभी वर्तमान में एक और घोटाला किया गया, 8700 लीटर दूध जो डेयरी के अन्दर टैंकर लेकर आया, वह टैंकर डेयरी के अन्दर जाता है और वापस बिना खाली किया हुआ डायरेक्ट सीधा-सीधा निकल जाता है। जैसे ही इसकी जानकारी चेयरमैन को पता चलती है, चेयरमैन साहब वहां जाकर पता लगाते हैं कि यह टैंकर कहां गया। टैंकर गायब हो जाता है। सदर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज होती है 214/19, यह घटना है 25.06.19 की लेकिन अभी भी इनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जब सरकार यह कह रही है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम नहीं रखेंगे लेकिन यह भ्रष्ट महाशय अभी भी कार्यरत हैं। इनकी जो अनियमितताएं हैं, यह 10 बिंदु हैं, मैं अनियमितताएं बता दूं। मात्र दो मिनट और लूंगा।

इन्होंने टैंकर से सीधी चोरी कर ली, अखबारों में छपा है। डेयरी की इमेज खराब हो रही है और सरकार की भी इमेज खराब हो रही है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों लगा रखा है। इन्होंने 18 लाख रुपये का अभी घपला किया 01.06.19...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें, बात हो गयी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट में।

दुग्ध संघ में भेजा जाने वाला मिक्स मिल्क मिलीभगत करके एक ही पार्टी को कम दरों पर देने से दुग्ध संघ को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने का काम किया। संघ में आवश्यकता नहीं होने के बाद भी अपने चहेतों को ठेका दिया जा रहा है और संघ में गाड़ियां हैं फिर भी ठेके पर रखती जा रही है। सुरक्षाकर्मियों की मिलीभगत द्वारा हमेशा इस प्रकार का दूध चोरी का काम हो रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनट, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: काम की बात हो गयी, भ्रष्टाचार हो गया ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि यह अखबारों की कटिंग है, आप कहेंगे मैं अखबारों की कटिंग को नहीं मानता, कोई बात नहीं लेकिन डेयरी में एक फैसला हुआ था, मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कहा गया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कतई फील्ड पोस्टिंग पर नहीं रखा जाए और इनको तुरन्त प्रभाव से वहां से हटा करके ए.पी.ओ. किया जाए लेकिन अब तक सरकार के अधिकारी क्यों सो रहे हैं। मंत्री महोदय, इस पर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा हाथ जोड़कर यह निवेदन है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि तुरन्त प्रभाव से मंत्री जी से जवाब दिलाएं कि ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाना चाहते हैं कि नहीं हटाना चाहते? मेरा इतना ही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा जवाब मिल जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): थोड़ा सा जवाब मिल जाए कि क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रखेंगे कि हटाएंगे?

श्री अध्यक्ष: आप बैठेंगे जब जवाब मिलेगा न, खड़े-खड़े जवाब नहीं मिलेगा।

मंत्री जी, कुछ बोलना है? चलिये अगला। श्री कालीचरण सराफ।

अनारक्षित वर्ग के आरक्षण में अव्यावहारिक शर्तें

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवर्ण जाति को आर्थिक आधार पर जो 10 परसेंट आरक्षण दिया है उसमें राज्य सरकार ने जो अव्यावहारिक शर्तें लगाई हैं, उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवर्ण जाति के लोगों को जो 10 परसेंट आरक्षण दिया है उसमें यह शर्त लगायी गयी है कि प्रार्थी की परिवार की सम्पूर्ण वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम जिसकी होगी उसको ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। दूसरी शर्त लगायी है कि 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होगी और तीसरी शर्त लगायी है एक हजार वर्ग फुट से कम का रेजिडेंशियल फ्लैट हो या मकान हो। इसके अलावा चौथी शर्त लगायी है कि शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज क्षेत्रफल से कम का प्लाट और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 200 वर्ग गज क्षेत्रफल से कम का आवासीय प्लाट। यदि इन अव्यावहारिक शर्तों को हमारे प्रदेश में लागू किया गया तो अधिकांश जो वंचित लोग हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पायेगा। राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है और देश के अन्य उपजाऊ राज्यों की तरह ही कृषि जोत की सीमा रखना हमारे प्रदेश में अव्यावहारिक है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र द्वारा भी यह निर्देश जारी किया गया है कि जिन राज्य सरकारों को अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप इन पात्रता शर्तों में बदलाव करना आवश्यक हो तो वह बदलाव कर सकते हैं। गुजरात और उत्तराखण्ड जैसे राज्यों में केवल जो 8 लाख रुपये वार्षिक आय की शर्त है उसको रखा है, बाकी सभी शर्तों को उन्होंने हटा दिया है।

मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात राज्य ने 23.01.2019 को जो सर्कुलर निकाला है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है- “The eligibility criteria for identification of the ‘Economically Weaker Sections’ of the citizens, persons shall be as under:-

A person whose family has a gross annual income below Rs 8 lakh (Rupees eight lakh only) will be identified as EWS family for this purpose will include the person who seeks the benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age

(श्री कालीचरण सराफ)

of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years".

Also, income shall include from all sources such as salary, agriculture, business, profession, etc and it will be income for the financial year prior to the year of application."

केवल यह शर्त लगायी है। बाकी 5 एकड़ जमीन वाली शर्त और आवासीय फ्लैट वाली शर्त, इन सबको उन्होंने हटा दिया है।

दूसरा, आप लोगों ने प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जो निर्देश जारी किये हैं, उसमें यह शर्त डाल दी कि गलत प्रमाण-पत्र जारी होने की सूरत में जारीकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में कोई भी अधिकारी इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अपनी नौकरी दाव पर नहीं लगाएगा। जिसके चलते प्रदेश के अधिकारी इस प्रमाण-पत्र को जारी करने से परहेज कर रहे हैं। किसी भी जाति वर्ग का कोई प्रमाण-पत्र जारी होता है तो आवेदक शपथ-पत्र देता है कि यदि कोई जानकारी गलत पायी गयी तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। लेकिन इसमें आपने यह शर्त लगा दी। जबकि गुजरात में यह शर्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिले और जो वास्तव में गरीब लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिले। इसके लिए मंत्री जी यहां बैठे हैं, यह कहें ...(व्यवधान) यह बताएं कि सरकार की इसमें क्या मंशा है?

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, इसमें यह बताएं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, बैठें। मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा। प्लीज, बैठ जाएं ...(व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, आप नीचे बैठ जाएं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या इन शर्तों को आप हटा रहे हैं? कृपया इस बारे में जानकारी दें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी को लाभ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): जो गरीब लोग हैं, जो बकरी चराते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनकी आजीविका का साधन ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई दिला दो। अध्यक्ष महोदय, आप तो रिप्लाई दिला दो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें ...(व्यवधान)

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। प्लीज, खुशवीर जी बैठें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सदस्य ने गुजरात के बारे में जो शर्त बताई कि 8 लाख रुपये से जिसकी इनकम कम है, उसको वहां पर सुविधा मिलेगी। यह सुविधा हमारे यहां भी है। 8 लाख से जिनकी कम इनकम है, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जमीन और आवासीय फ्लैट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अब बंद कर दूंगा। यह कोई तरीका नहीं है। प्लीज, माननीय सदस्य। आप मंत्री को नहीं सुन रहे हैं। यह क्या तरीका है। मंत्री जी बोलें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको ही आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। उसमें इन्होंने एक प्रश्न और उठाया कि एसडीएम वगैरह जिनको सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वह सारी चीजें हटा दी गई हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट मांगने आए और जो क्राइटेरिया फुलफिल करे, उनको आप दें। आप लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। आपको जानकारी नहीं है।

मैं सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि किसी एसडीएम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। सर्टिफिकेट हजारों की संख्या में अलग-अलग जिलों में दे दिए गये हैं। इसके अलावा जो इन्होंने यह बताया, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यह है कि जो सवर्ण लोग हैं और आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उन्हीं लोगों को आरक्षण दिया जाए। आज जिनके फ्लैट्स हैं, जमीनें हैं और आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं, उन लोगों को यदि आरक्षण देंगे तो बड़े लोग ले लेंगे। फिर गरीब आदमी कहां जाएगा? उसको कैसे आरक्षण मिलेगा? इसलिए 5 एकड़ जमीन, 1000 वर्ग फुट और अधिक

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

का आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिकाओं के 100 वर्ग गज और अधिक आवासीय भूखंड, अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और अधिक का आवासीय भूखंड, यह शर्तें इसलिए लगायी गयी हैं कि वास्तविक रूप से जो आर्थिक रूप से विपन्न और गरीब व्यक्ति हैं, उसको इसका लाभ मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इसको हटाओ न। 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन तो ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): राजस्थान में जो यह सीमा है, इसका क्राइटेरिया चेंज करें ...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): वन क्रोप एरिया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। बैठें आप ...(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा, बैठें आप। (व्यवधान)

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री अध्यक्ष: आपको अलाउ नहीं करूंगा ...(व्यवधान) आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपको जो अधिकार हैं, उनसे भी मैं वंचित करूंगा ...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, बैठें। सब माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यह प्रश्न, गम्भीर प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पर्ची पर चर्चा नहीं होगी। आप और ढंग से इस प्रश्न को उठाएं। इस पर फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बोलना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: मैंने बंद कर दिया। मैंने अगला ले लिया। मैंने अगला पुकार लिया है। प्लीज, आप बैठें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपने देखा नहीं मेरी तरफ। मैं बोलना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: अब मैंने जब अगली बार लेने के लिए बोल दिया है तो आपको पूरा मौका मिलेगा। अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी। मैं अपनी बात को कहूं, उससे पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब भी हमारा स्थगन लगता है तो कम से कम मंत्री यहां पर रिप्लाई तो करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर मैं आपको कह दूं कि नहीं बोलना है तो फिर आप बंद करें।

जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास द्वारा स्वीकृत कार्यों पर रोक

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम बोलना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएं की हैं इसीलिए आपको कह रहे हैं कि ऐसी भी व्यवस्था हो। पूर्व में होती थी।

खैर, जो मेरा स्थगन है, वह डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट के संदर्भ में है। यह डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट शुरू हुआ 2017 के अंदर। जहां-जहां भी माइनिंग होती हैं, जो मिनरल हैं, जहां माइनिंग हो रही है उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह एक फंड बनाया गया। एक ट्रस्ट उस रायल्टी के आधार पर, वहां से कलेक्ट होने वाली, डवलपमेंट के लिए किया गया। डवलपमेंट के लिए प्रस्ताव वहां के जन प्रतिनिधि इक्ट्ठा करते थे, बनाते थे। अधिकारियों के साथ चर्चा होती थी। उस पर इम्प्लीमेंट होता था। उस ट्रस्ट का जो अध्यक्ष होता था, वह जिला प्रमुख होता था। कुछ समय पहले, सरकार बदलने के बाद में, अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ट्रस्ट के अंदर जो अध्यक्ष है, उसका दायित्व जिला प्रमुख से हटाकर जिला कलेक्टर को दे दिया। खैर, ठीक है। जो भी इन्होंने सोचा।

लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि जो प्रस्ताव चुनाव से पूर्व मीटिंग्स के अंदर पास हो चुके, जिनके टेंडर्स हो चुके, जिनके वर्क आर्डर्स हो गए, जिनकी पहली किश्त इश्यु हो गई, वह किश्त इश्यु होने के बाद में चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, काम शुरू हो गए थे, काम शुरू होने के बाद में अब जो पेमेंट्स होने हैं, वह सारे रोक दिए गए। डीएमएफटी के अंदर एक भी पेमेंट आज की तारीख में, पिछले 8 महीने में, उन कामों के नहीं हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट जो पंचायती राज के लोग हैं, जिन लोगों ने काम करवा दिए, क्योंकि वर्क आर्डर हो गया था उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी जिन्होंने काम कर दिया, पेमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी क्या परिस्थिति आ गयी है सरकार की कि जो यह सारे डीएमएफटी के फंड मीटिंग्स के अंदर, समिति के अंदर पास हुए, टेंडर्स हुए, वर्क आर्डर हुए, लेकिन वह किश्त जारी नहीं हो रही है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कहीं वर्क आर्डर हो गए तो किश्त जारी नहीं हुई। अगर एक किश्त जारी हो गयी तो दूसरी नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या डवलपमेंट को लेकर पूरे जिले के अंदर आ गई। जहां पर डीएमएफटी फंड है, जहां मिनरल्स, माइनिंग हैं, माइनिंग हो रही है, माइनिंग के अंदर इतनी सारी चीजों की प्रोब्लम होती है! बिकाज आफ माइनिंग सड़कें टूटी हैं। बिकाज आफ माइनिंग पर्यावरण खराब हो रहा है। माइनिंग की वजह से वहां का पानी खराब हो रहा है। वहां की आबोहवा खराब हो रही है। वहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। उनके लिए स्कूलों में रूम्स का निर्माण हो। लेकिन यह सारा पिछले 9 महीने में, जब से यह सरकार आई है, कलेक्टर को पावर दे दिया है, तो कलेक्टर इसकी एक भी मीटिंग नहीं कर रहा है। किसी भी प्रकार का जो फंड रिलीज होना चाहिए, वह फंड रिलीज नहीं हो रहा है। इससे बहुत हर्डल हो गया है डवलपमेंट के अंदर। इस बात को सरकार सुने और इसके अंदर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

गम्भीर बीमारी से ग्रस्त पेंशनर्स की दवाइयों की सरकारी दुकान पर उपलब्धता

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। समय-समय पर सेवानिवृत्त होते हुए, पेंशनधारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है। इन्होंने राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल रिलीफ फंड में अपने अंशदान की राशि भी कटवाई है। आज इनमें से कई पेंशनधारी गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हैं, बुजुर्ग हैं। वह अपने इलाज के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। इलाज के लिए इनको 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें अपने इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयां लेने के लिए कानफैड अथवा सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकानों पर जाकर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वहां पर उन्हें आधी -अधूरी दवाइयां मिल पाती हैं। फिर वहां से एनओसी लेकर उन्हें दवाइयां निजी दुकानों से खरीदनी पड़ती हैं। इसके बाद इनके बिलों को भण्डार में जमा कराना पड़ता है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

जिसका भुगतान उन्हें महीनों से नहीं हो रहा है और इनमें से कई बुजुर्ग श्वांस रोग, डाइबिटीज, किडनी, हृदय, कैंसर जैसे गम्भीर रोगों से पीड़ित हैं। एक ओर सरकार कह रही है कि मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं, कल 106 और दवाइयों के नाम ले रहे थे लेकिन दुकानों से उन बुजुर्गों को किसी प्रकार की दवाइयां नहीं मिलती हैं, बहुत ही सीमित दवाइयां मिलती है, आठ दवाइयां लिखते हैं तो एक या दो दवाइयां मिल पाती हैं। फिर उनको एनओसी लेकर दुकानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर जब वहां से किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके दवाइयां ले भी लेते हैं, उसका बिल जाकर देते हैं तो बिल उनका पेमेंट नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर-जयपुर में 80 करोड़ रुपये के बिल बाकी हैं, बाकी जिलों में भी करोड़ों रुपयों के बिल बाकी हो रहे हैं और इसका मूल कारण यह है कि राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल रिलीफ फण्ड में राशि कम होती जा रही है क्योंकि 2004 में जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई उसके बाद से लगे हुए राज्य कर्मचारियों के वेतन से इस फण्ड की कटौती नहीं की जाती। 2004 से पूर्व नियोजित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से फण्ड में कमी होती जा रही है। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि बुजुर्ग पेंशनर्स की पीड़ा को समझें, इसे गंभीरता से लेते हुए कानफैड व सहकारी उपभोक्ता भण्डार की दुकानों पर ज्यादा से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध कराएं तथा बाहर से खरीदी जाने वाली दवाइयों का भुगतान समय पर कराने की व्यवस्था करें। इसके लिए सरकार राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल रिलीफ फण्ड में आवश्यक व अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराए तो ही हम इन बुजुर्गों को राहत दे पाएंगे, यही मेरी सरकार से अपील है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गोपी चन्द मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जहाजपुर नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत नगरपालिका जहाजपुर के अंतर्गत पार्षद को अविश्वास प्रस्ताव के उपरांत अनुचित तरीके से निलम्बित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे

(श्री गोपी चन्द मीणा)

में विशेष उल्लेख कर निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका जहाजपुर में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने के उपरान्त पार्षद कान्ता मीणा को निलम्बित किया गया है जो कि अनैतिक एवं अनुचित तरीके से राजनीतिक लाभ हेतु लिया गया फैसला था। गौरतलब है कि 19 जून, 2019 को अविश्वास प्रस्ताव जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया था तथा 25 जून, 2019 को नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने हेतु नोटिस जारी किया गया था। तदुपरान्त नगरपालिका बोर्ड बैठक कार्यवाही पर मतदान हेतु 10 जुलाई, 2019 नियत की गई। मतदान की दिनांक जारी होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा नियम विरुद्ध राजनीतिक लाभ हेतु पार्षद कान्ता मीणा का निलम्बन आदेश जारी कर इन्हें मतदान से वंचित रखने का अनुचित फैसला किया गया।

श्री अध्यक्ष: पब्बाराम।

नगरासर वितरिका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सफाई एवं जल वितरण

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कोलायत लिफ्ट की नगरासर वितरिका से सिल्ट निकालकर सिंचाई हेतु जल वितरण किए जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कोलायत लिफ्ट की नगरासर वितरिका का निर्माण कई वर्षों पूर्व किया गया था। नगरासर वितरिका के निर्माण के बाद उक्त वितरिका में से सिंचाई हेतु जल वितरण नहीं किए जाने के फलस्वरूप मरु क्षेत्र में निरन्तर आंधियों के चलते उसमें सिल्ट जमा हो गयी है, सिल्ट के जमा होने से वितरिका का उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र के किसानों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नगरासर वितरिका से सिल्ट को निकालकर सिंचाई हेतु जल प्रवाहित किया जाए ताकि वितरिका के क्षेत्र में आए किसानों को लाभ मिल सके तथा राज्य सरकार द्वारा व्यय की गयी राशि का आम जन के लिए समुचित उपयोग हो सके साथ ही सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि होने से राज्य समृद्ध बने। मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर

(श्री पब्बाराम)

परियोजना की नगरासर वितरिका से सिल्ट निकालकर सिंचाई हेतु जल वितरण किया जाए जिससे सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी हो और किसानों को लाभ मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविंद राम।

खाजूवाला तहसील के किसानों को शुद्ध पेयजल

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान खाजूवाला तहसील की ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि खाजूवाला से पाकिस्तान की सीमा लगती है। खाजूवाला तहसील में पाताल में मीठा पानी नहीं है ताकि ट्यूबवैल बना सके। पेयजल के लिए खाजूवाला तहसील के सभी किसान नहरों के पानी पर आधारित हैं तथा पंजाब में फैक्ट्रियों का कैमिकलयुक्त पानी सतलुज नदी में गिरता है, सतलुज नदी का पानी हरिके बांध पर आता है, हरिके बांध, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, सतलुज नदी का पानी अधिकतर कैमिकल, फ्लोराइडयुक्त गंदा पानी इन्दिरा गांधी नहर से प्रवाहित होता है तथा अनूपगढ़ शाखा से खाजूवाला की केवाईडी, केएलडी, बीडी में वही कैमिकलयुक्त गंदा पानी आ रहा है। इस गंदे पानी को पीने से किसानों को कैंसर, पीलिया, रीढ़ की हड्डी, फ्लोराइड ग्रस्त होना व गठिया जैसी गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं। इन गम्भीर बीमारियों से काफी किसान बीमार हो रहे हैं। इस कारण किसानों को बेमौत मरना पड़ता है जो कि चिंता का विषय है। पिछली सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने से खाजूवाला क्षेत्र में पेयजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है इसलिए मेरी मांग है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देकर क्षेत्र के प्रत्येक चक में फिल्टर प्लांट लगाकर किसानों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे। चूंकि 199 पेयजल डिग्गियां जो कि सेनेटरी डिग्गियां हैं, वे जलदाय विभाग के अधीन नहीं होने से पिछले कई वर्षों से भाजपा सरकार में एक भी डिग्गी की सफाई नहीं हुई।

(12.35 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय बी

(श्री गोविंद राम)

डी कल्लाजी को जिन्होंने अभी मनरेगा में उन डिग्गियों की सफाई के लिए घोषणा की। इस क्षेत्र में किसानों के कैमिकलयुक्त पानी पीने से हालात बहुत खराब हैं, वे नहर के कैमिकलयुक्त गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आग्रह है कि प्रत्येक चक और गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें तथा सेनेटरी डिग्गियों को पीएचईडी विभाग के अधीन लेने का कष्ट करें। प्रत्येक चक में फिल्टर प्लांट लगाएं ताकि किसानों को शुद्ध पेयजल मिल सके, खाजूवाला की जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा स्थित महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 22-25 साल पूर्व प्रारम्भ दो राजकीय महाविद्यालय हैं परन्तु कालेजों के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रिक्त पदों एवं संसाधनों के अभाव में शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा में स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत कर हिन्दी साहित्य एवं राजस्थानी साहित्य विषय खोला जाए। कला संकाय में इतिहास एवं विज्ञान में कृषि नया विषय सृजित किया जाए। लम्बे समय से प्रधानाचार्य सहित 20 में से 7 विषयाध्यापकों एवं 16 में से 13 गैर शैक्षणिक पद रिक्त हैं, उनको तत्काल भरा जाए। इससे भी खराब हालात राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोतरा में 6 विषयाध्यापकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं। सामान्य हिन्दी एवं पर्यावरण जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार संचालित हैं परन्तु पद स्वीकृत नहीं है इसलिए हिन्दी के 2 पद एवं पर्यावरण का 1 पद तत्काल स्वीकृत किया जाए। स्वीकृत सैक्शन अनुसार पदों की स्वीकृति नहीं है इसलिए सैक्शन के अनुसार नियमानुसार पदों की बढ़ोत्तरी की जाए। राजनीति विज्ञान के 13 पद सैंक्शंड हैं, 2 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। साथ ही विधि संकाय की आवश्यकता को देखते हुए नया संकाय खोला जाए। सम्पूर्ण राजस्थान की एकरूप पाठ्यक्रम किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यहां 1530 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और

(श्री मदन प्रजापत)

उनको पढ़ाने के लिए मात्र 9 का स्टाफ है यानी 153 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरें एवं भौतिक संसाधनों की पूर्ति कर समस्या का समाधान कराएं।

श्री सभापति: श्री खुशवीर सिंह।

पर्यावरण संरक्षण हेतु ओरण भूमि विकास बोर्ड का गठन

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): महोदय, निवेदन है कि बढ़ते प्रदूषण, घटते वन, विलुप्त होती वनस्पतियों एवं नष्ट होती पौष्टिक घास सेवण, धामण, फोग को संरक्षित करने के लिये पूर्वजों ने हमारी सनातन संस्कृति के मद्देनजर पारिस्थिति का संतुलन बनाये रखने हेतु कई नियमों का निर्धारण किया था, जिसमें वनों को बचाने के लिये वृक्षों को मानव कुलों के साथ जोड़ा व वृक्षों में देवी-देवताओं का निवास बताकर संरक्षण प्रदान किया।

इसी क्रम में हमारे पूर्वजों ने जंगल बचाने के लिय जगह-जगह ओरणों (रिलीजियस फॉरेस्ट) की स्थापना की और धार्मिक भावनाओं से जोड़कर स्थानीय लोग देवी-देवताओं, माताजी, देवनारायण जी का ओरण के नाम से संरक्षित किया, जिनके प्रति आज भी आस्था है। ओरण देश के लगभग सभी प्रदेशों में विद्यमान हैं। इन्हें हरियाणा में तीरथवन, असम में थान, सिक्किम में गुंपा, तमिलनाडु में कोकिलनाडू, महाराष्ट्र में देवराई के नाम से जाना जाता है। ओरण द्वारा वनस्पति व घास के बीज प्राकृतिक रूप से फैलते हैं, जिसे हम एक तरह से सीड बैंक भी कह सकते हैं।

अधिकांश ओरण भूमि व वनों में अंग्रेजी बबूलों के फैलने के कारण स्थानीय वनस्पति व घास विलुप्ति की कगार पर है। इन्हें जन आंदोलन के रूप में विकास करना होगा। ओरण हमारी संस्कृति व धार्मिक भावनाओं का अभिन्न अंग है, यह पारिस्थिति का संतुलन बनाये रखने में आधार स्तंभ साबित होंगे। अत: सरकार से निवेदन है कि ओरण भूमि विकास बोर्ड का गठन करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

भारतमाला परियोजना में किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, नियम

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव:- 'भारतमाला परियोजना' में किसानों को अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा किसानों को वाणिज्यिक दर से देने बाबत। महोदय, 'भारतमाला परियोजना' के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये कोटा जिले से 105 किलोमीटर लंबाई में व 100 मीटर चौड़ाई में एक्सप्रेस-वे गुजरेगा। इस एक्सप्रेस-वे का मार्ग राजस्थान के दौसा, सवाई माधोपुर एवं कोटा जिलों से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण हेतु किसानों की बड़ी मात्रा में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। यह पूरी परियोजना राष्ट्रहित में वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। समूचे मार्ग पर टोल के अलावा पैट्रोल पंप, ढाबा व अन्य वाणिज्यिक कार्य होंगे। सड़क टोल रोड होगी। पैसा खर्च कर पैसा ही कमाया जाएगा। किसानों, जिनकी भूमि अधिग्रहण की जाएगी, उन्हें क्या मिलेगा?

किसान को उसकी जमीन का भुगतान कृषि दर के स्थान पर वाणिज्यिक बाजार दर से किया जाए। सरकारी व चरागाह भूमि अधिग्रहण करने पर इसका भी भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत को किया जाए जो वर्तमान में नहीं होता है। जिला स्तर पर 'भारतमाला परियोजना' में भूमि अवाप्त करते समय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में उस प्रभावित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की राय भी ली जाए।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़।

श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज की स्थापना

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अंतर्गत मैंने आठ तारीख को यह प्रस्ताव रखा था। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रदेश के श्रीगंगानगर में वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा मेडिकल कालेज का शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज 6 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अभी तक दानदाता द्वारा मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के आस पास 240 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी मेडिकल कालेज नहीं है, जिससे यहां के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

श्रीगंगानगर में राजकीय जिला चिकित्सालय मात्र 350 बैड का है। इसके कारण से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के साथ-साथ पंजाब के अबोहर, फाजिल्का जिले के मरीजों को भी इलाज करवाने के लिये बीकानेर

(श्री राजकुमार गौड़)

जाना पड़ता है, जिससे आमजन व रोगियों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधान सभा आम चुनाव, 2018 के दौरान प्रचार के समय भी कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रीगंगानगर जिले की जनता से सत्ता में आने पर मेडिकल कालेज का शीघ्र निर्माण कराने का वादा किया था।

मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर के आस पास आर्मी की अनेक छावनियां हैं और कभी भी अनहोनी होने से लोगों को मेडिकल सुविधा भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दानदाता वर्ष 2013 से लगातार जनता को भ्रम में रख रहा है। अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार उक्त मेडिकल कालेज का शीघ्र निर्माण कराकर जनता को राहत देने की कृपा करे।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियां। श्री निर्मल कुमावत। श्रीमती निर्मला सहरिया।

केलवाड़ा एवं शाहबाद में महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मुझे बोलने का जो अवसर मिला है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के अंतर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद की उप-तहसील केलवाड़ा में छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिये अलग से कोई गर्ल्स कालेज नहीं है। केलवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के परिजन अपनी बेटियों को लड़कों के महाविद्यालय में संकोचवश भेजना पसंद नहीं करते हैं और परिणामस्वरूप बच्चियों को स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात पढ़ाई छोड़नी पड़ती है जो क्षेत्र की बेटियों के साथ अन्याय है।

साथ ही तहसील शाहबाद में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु राजकीय महाविद्यालय के अभाव में क्षेत्र के बेटे-बेटियों को पढ़ने हेतु या तो काफी दूर अन्य क्षेत्र के महाविद्यालय में जाना पड़ता है या फिर आगे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। ऐसे में क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। अत: मेरा निवेदन है कि केलवाड़ा में बच्चियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक गर्ल्स कालेज एवं शाहबाद में उच्च शिक्षा हेतु एक महाविद्यालय खोलने का कष्ट करें।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

डग में फसल बीमा का भुगतान

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। मान्यवर, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डग में विगत रबी फसल के खराबे में ओलावृष्टि व शीतलहर से लगभग 40 से 80 प्रतिशत तक फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं, चना, धनिया, सरसों, अफीम, मेथी, अलसी व अन्य फसलों में नुकसान हुआ है, जिसकी गिरदावरी भी की जा चुकी है। गिरदावरी के अनुसार भी जनवरी, फरवरी, 2019 में डग में ओलावृष्टि व शीतलहर से पूरे क्षेत्र में फसलें चौपट हो गयी थीं, मगर सरकार ने अभी तक किसानों को फसल का मुआवजा नहीं दिया है।

साथ ही प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत प्रीमियम राशि हर वर्ष काट ली जाती है, मगर किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। इसका तुरन्त प्रभाव से किसानों को फसल का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार में विधान सभा क्षेत्र डग में सन् 2016-17 में खरीफ फसल में नुकसान हुआ था, जिसका सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया, मगर बीमा कंपनी द्वारा किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया गया।

अब वर्तमान में सरकार उक्त समस्या का समाधान करने हेतु तत्पर है। क्या बीमा कंपनी द्वारा किसानों को क्लेम दिलाया जाएगा। अगर बीमा कंपनी ने बीमा क्लेम नहीं दिया तो क्या सरकार बीमा कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करेगी? इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियां।

सादुलपुर की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- सादुलपुर में चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सीएचसी, पीएचसी एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। नि:शुल्क दवा योजना के तहत वितरित की जाने वाली

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

दवाइयां भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं। यहां रेडियोलोजिस्ट नहीं होने से सोनोग्राफी मशीन भी बंद पड़ी हुई है, जिससे महिलाओं एवं गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को हिसार जाकर महंगा इलाज लेना पड़ रहा है तथा भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सादुलपुर में सर्जन, गाइनोकोलोजी, एनेस्थिसिया के जनरल स्पेशलिस्ट, 3 चिकित्सा अधिकारी एवं रेडियोलोजिस्ट नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवजात शिशु के लिये एनबीएसयू (न्यू बोर्न स्टेबिलाइज यूनिट) में चार प्रशिक्षित स्टाफ के नहीं होने से लोगों को नि:शुल्क इलाज को छोड़कर हिसार जाकर महंगा इलाज लेना पड़ रहा है। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहती हूं कि अभी हाल ही में एक महिला के चार जुड़वां बच्चे हुए, तब यहां उचित चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण उसे हिसार ले जाया गया तथा समय पर वहां नहीं ले जाने से केवल एक ही बच्चा बच पाया। इस प्रकार ग्रामीणों को उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से बच्चों की जान भी जा रही है।

साथ ही, एन.एच. 709 एवं 52 पर सड़क दुर्घटनाएं आये दिन होती रहती हैं तथा वहां पर कोई ट्रोमा सैंटर नहीं होने से लोगों को आर्थिक एवं जन हानि हो रही है। अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सादुलपुर के अस्पतालों में रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाए, नि:शुल्क दवाओं का वितरण पूरी तरह से किया जाए तथा ट्रोमा सेंटर खोला जाए ताकि ग्रामीणों को उचित चिकित्सा व्यवस्था मिल सके तथा इलाज के लिये अन्य स्थान पर जाकर आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े तथा समय पर उचित इलाज मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर जिले की पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को मानदेय का भुगतान

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार (गृह विभाग) के आदेश संख्या प.12(9)गृह-1/11 पार्ट दिनांक 22.11.2016 द्वारा जालौर जिले के लिए पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया था। दिनांक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

14.12.2016 को पुलिस अधीक्षक, जालौर ने इस समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों के साथ पहली बैठक की तत्पश्चात इस समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया।

राज्य सरकार के आदेश संख्या प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार इस पुलिस जवाबदेही समिति द्वारा सम्पन्न बैठकों के लिए समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों को मानदेय, यात्रा व्यय आदि का भुगतान किया जाना था। किन्तु समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के बाद भी आज दिनांक तक मानदेय एवं भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है जबकि राज्य सरकार ने इस हेतु पर्याप्त बजट आबंटन भी कर दिया था। वह बजट राशि लौटा दी गयी किन्तु इनको भुगतान नहीं किया गया।

मेरा निवेदन है इस बात की जांच की जाए कि बजट आबंटन की राशि क्यों वापस लौटाई गयी और इनके बिलों का भुगतान क्यों नहीं किया गया। साथ ही अब उन बिलों का भुगतान किये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश प्रदान कराएं।

इसी आशा एवं विश्वास के साथ यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: आज दिनांक 11 जुलाई, 2019 को शून्य काल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्लाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नानुसार हैं:-

श्री मदन दिलावर, श्री फूलसिंह मीणा, श्री अमीन खां, श्री अशोक लाहोटी।

श्री मदन दिलावर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बूंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर हमला

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, कल शाम को 6 बजे बूंदी शहर में भगवा ध्वज लगाकर कुछ बच्चे, कुछ युवक खेल रहे थे। उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने इकट्ठे होकर हमला किया जिसकी रिपोर्ट बूंदी थाने में 230/19 दर्ज है जो 9 बजकर 42 मिनट पर दर्ज हुई है। यह रिपोर्ट सुबोध गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज करायी है।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, नवल सागर पार्क, बालचन्द पाड़ा में रोज की भांति भगवा ध्वज लगाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा लगाई जा रही थी। उस शाखा में बहुत छोटे-छोटे स्वयंसेवक थे। उसमें सोनू कार्यवाह थे, शिखर पंचौली मुख्य शिक्षक थे, श्याम 12 वर्ष, बंकिम 10 वर्ष, धैर्य 12 वर्ष थे और इस शाखा को पास में बैठकर कुछ बच्चियां, जागृति 7 वर्ष और मानसी 10 वर्ष, देख रही थीं। जब ये रोज की भांति खेल रहे थे तो 2-3 छोटे-छोटे बच्चे आये, वे भी लगभग 15-15, 16-16 साल के थे। वे आकर उस पर घूमने लगे, मोबाइल करने लगे तो उन्होंने समझाया कि यह संघ की शाखा लग रही है, यहां डिस्टर्ब नहीं करते। उन बच्चों ने कुछ नहीं बोला, वे चले गये। वहां उसके पास में विवाह समारोह चल रहा था। उससे योजनाबद्ध तरीके से जैसे पूर्व योजना हो कि आप जाकर वहां ऐसा करना और 50-60 लोग जिनमें महिला और पुरुष थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आये और आकर उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों पर जबर्दस्त हमला किया, छोटे-छोटे बच्चों के साथ मारपीट की। बड़ी मुश्किल से पड़ौस में कुछ लोग होंगे जो दौड़कर आये और उन्होंने हाथाजोड़ी करके उनको बचाया। यह सारा दृश्य किसी ने वीडियो बनाया है उसमें है। उसमें सारे लोग दिखायी दे रहे हैं कि किस प्रकार से उन बच्चों के साथ मारपीट की गयी है। परन्तु अभी तक एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी की है और जो इनके नेतृत्वकर्ता थे इमरान और उनके 10-12 नौकर, जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से 50-60 लोगों को लाकर हमला किया है उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। यह केरल नहीं है, यह पश्चिम बंगाल नहीं है, यह राजस्थान है और राजस्थान में इस प्रकार की घटना होना हम सबके लिए चिन्ता का विषय है, कष्ट का विषय है। मैं चाहता हूं कि अविलम्ब इमरान, उनके नौकर और जो 50-60 लोग मारपीट करते हुए इस वीडियो में दिखायी दे रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह 6 बजे की घटना है, रिपोर्ट दर्ज कराने लगभग 7 बजे पहुंच गये लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने में ना-नुकर होती रही और 9 बजकर 42 मिनट पर जाकर रिपोर्ट दर्ज की है, यानी पुलिस तंत्र कितना संवेदनशील है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में क्या होता है? वे क्या कर रहे

(श्री मदन दिलावर)

होंगे छोटे-छोटे बच्चे? वहां केवल चरित्र निर्माण सिखाया जाता है, व्यक्ति निर्माण सिखाया जाता है, वहां अनुशासन सिखाया जाता है, देशभक्ति सिखायी जाती है, देशभक्ति जाग्रत की जाती है। इस प्रकार संस्कार देने वाले स्थान पर जाकर हमला करना मैं समझता हूं किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि अविलम्ब उन 50-60 लोगों को गिरफ्तार करें। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते परन्तु हमको मजबूर न करें नहीं तो हम किसी भी असामाजिक तत्व को खुला नहीं घूमने देंगे, उसको पकड़कर उसकी मुण्डी पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे फिर आप कहोगे कि साम्प्रदायिकता कर रहे हो, फिर आप कहेंगे कि मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हो। इन लोगों को प्रश्रय मत दीजिये, इन लोगों को संरक्षण मत दीजिये। कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार इस प्रकार की घटना हो रही है जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं, वैसे तो गृह मंत्री जी अभी शायद कोई नहीं है, पर धारीवाल जी, आप यह काम देख रहे हैं, आपको मैंने कल भी बता दिया था, मैंने डीजीपी साहब से भी रात को बात की थी, एसपी साहब से भी रात को बात की थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि रातोंरात हम उन सबको उठा लेंगे लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक एक को लगभग 10 बजे के आस-पास उठाया था और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुझे लगता है कि सरकार का प्रश्रय है, दबाव है, इस विभाग के एसपी भी दबाव में हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये। बोलने दीजिये आप इनको, आप विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब हो रही है। राजस्थान की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। इस प्रकार से इस राजस्थान को कैसे बचाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक समुदाय विशेष को इस तरह संरक्षण देंगे तो किस प्रकार से चलेगा। इस प्रकार से चलने वाला नहीं है। यह राजस्थान है, यह केरल नहीं है, इसको पश्चिम बंगाल नहीं बनाने देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, बोलने दीजिये इनको। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इस तरह संघ के छोटे-छोटे स्वयंसेवकों पर इस प्रकार से कातिलाना हमला करना यह दुर्भाग्य है, यह सरकार है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मुसलमानों ने जाकर, असामाजिक तत्वों ने जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर हमला किया है। क्यों नहीं जवाब देते हैं? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रही है? (व्यवधान) आप इस राजस्थान को केरल और पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बोलने दीजिये इन्हें। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, यह एक घटना नहीं है, अनेक घटनाएं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह एक घटना नहीं है, जोधपुर में हुई, जयपुर में हुई, चौमूं में हुई, कोटड़ी में हुई, प्रतापगढ़ में हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिये, बोलने दीजिये इन्हें। अपनी बात बोल रहे हैं तो फिर आप क्यों खड़े हो रहे हो बार-बार। आप विराजिये। विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये। माननीय सदस्य सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिए। माननीय सदस्य, श्री मदन दिलावर काफी सीनियर मैम्बर हैं, अपनी बात कहने में सक्षम हैं, इन्हें अपनी बात कहने दीजिये। विराजिये आप। माननीय मदन दिलावर। (व्यवधान) बैठिये, यह कवि सम्मेलन नहीं है। आप अपनी बात समाप्त करें।

(13.00 बजे)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार से जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: सरकार के संज्ञान में आ गया, आपने अपनी बात बता दी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 50-60 जो असामाजिक तत्व हैं। जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर हमला किया है। उनको कब

(श्री मदन दिलावर)

तक गिरफ्तार कर लेंगे। ये कहेंगे आइडंटिफाई नहीं हुए, तो मैं वीडियो देता हूं। हमला करते हुए छोटे-छोटे बच्चों को कैसे मार रहे हैं। वे सारे के सारे चेहरे उसमें दिखाई दे रहे हैं। उनको गिरफ्तार कीजिए। क्यों देरी कर रहे हैं, क्या कोशिश यह कर रहे हैं, हमको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सभापति: आपने सारी अपनी भावनाएं सरकार के संज्ञान में...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या सरकार इसका इंतजार कर रही है कि कोई दंगा भड़क जाए, कोई सांप्रदायिकता बढ़ जाए?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, जवाब तो दें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, विषय गम्भीर है। मैं सोचता हूं कि गृह मंत्री जी को इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक सैकण्ड..

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो पर्ची पर क्या आप भी बोल लेंगे, ये क्या बात हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप कोई जवाब...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये क्या हुआ, पर्ची पर वे बोलने के अधिकारी हैं, आप बोलने के अधिकारी नहीं हैं। आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते आप...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं है, इस तरह के व्यवहार, ये कुछ नहीं है, बजा-बजा के थक जाओगे। एक संवदेनशील विषय है, यह विषय को.... (व्यवधान) ऐसा नहीं चल सकता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। विराजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

(13.03 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। माननीय सदस्य उत्तेजित नहीं हों। माननीय सदस्य, आप मुझे देखकर बोलें। इन्हें क्यों देख रहे हैं, मुझे देखकर बोलें। मुझे देखकर बोलें, उधर देखकर न बोलें। माननीय सदस्य, एक सैकण्ड...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक सैकण्ड निवेदन कर दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला पर्ची के माध्यम से उठा, बड़ा ही गम्भीर मामला था। प्रतिपक्ष के नेता ने सिर्फ खड़े होकर यही कहा कि सदन के अंदर आप बैठे हैं, गृह मंत्री के रूप में उत्तर देते हैं तो इसका उत्तर दे दें। इस पर जिस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी की उन्होंने और कहा कि आप होते कौन हो, उन्होंने...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष जी, गलत बात, गलत बात, गलत बात। असत्य बोल रहे हो आप, आप असत्य बोल रहे हो।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सदन को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अशोभनीय टिप्पणी राठौड़ साहब ने की है, इन लोगों ने की है, उन्होंने नहीं की।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप। माननीय सदस्य, मेरा काम तो मुझे करने दें। मैं हाउस की प्रोसिडिंग को देख लूंगा। मेरा अधिकार है, जो चीजें असंसदीय हैं उनको ड्राप करना, ये मेरा अधिकार है। मैं सबसे अपील करूंगा, इस सदन की गरिमा इस बात में है कि हम तर्कपूर्ण डिबेट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमने कोई विशेष बात नहीं की, मैंने केवल इतना कहा...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात सुनिए। सभापति जी से पूछ लीजिए, उन्होंने अलाउ कर दिया था क्या इनको, कैसे बोल सकते हैं। साहब, इनको अलाउ ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, आप बैठें। मंत्री जी आप बैठें, प्लीज। ये गलत परम्परा हैं मंत्री जी, आप संसदीय मंत्री हैं। अध्यक्ष कुर्सी पर खड़ा है, फिर भी बोल रहे हैं। यह परम्परा ठीक नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं सबसे निवेदन करूंगा यह सदन तभी चलता है। जब अध्यक्ष खड़ा हो, तब सब चुप रहें। यदि सदन को नहीं चलाना है तो फिर हम परम्परा को तोड़ दें।

मैं अध्यक्ष खड़ा हूं चेयर पर, फिर भी हम परम्परा को तोड़ना चाहते हैं, सदन नहीं चलेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, यदि अध्यक्ष खड़ा है और उसके बाद भी यदि इस परम्परा को हम तोड़ते हैं तो फिर सदन की गरिमा नहीं है। मैं कोई पुलिस का थानेदार थोड़े ही हूं। सदन की परम्परा है कि जब अध्यक्ष पैरों पर हो तो सबसे आशा की जाती है कि वे अपने स्थान पर बैठेंगे।

मैं सबसे निवेदन करूंगा चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, मेहरबानी करके यदि सदन को ठीक ढंग से चलाना है तो अध्यक्ष जब खड़ा है तो मेहरबानी करके आप बैठें। आप अपनी बात को कहने के लिए आई-कैच करें, मना नहीं करता मैं, लेकिन अध्यक्ष खड़ा है फिर भी हम बोलते रहें, यह परम्परा ठीक नहीं है। मैंने उस दिन भी, जिस दिन मैंने कहा, उस दिन भी मैंने हर्ट फील किया और आज भी मैं हर्ट फील करूंगा। यदि सदन को गरिमा से चलाना है तो मेरी सानुरोध प्रार्थना है कि अध्यक्ष जब खड़ा हो, मेहरबानी करके कोई भी सदस्य हो उसको बैठना पड़ेगा, तब सदन की बात चलेगी। कोई भी बात असंसदीय होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसको सदन की टिप्प्णी से बाहर निकालें। तर्कपूर्ण अपनी बात करें, हरेक को अपनी बात कहने का अधिकार है। हो सकता है उनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन डिबेट में यह तरीका होता है कि उनकी बात को बोलें और अपना भी मौका आए तब उसका जवाब दें। मैं इस बात में करता हूं, इसलिए मेहरबानी करके सरकारी पक्ष को पूरा अधिकार है, अपनी बात कहने का। प्रतिपक्ष को भी अपनी बात कहने का अधिकार है पर संयम और मर्यादा में बात करें। और अध्यक्ष जब कुर्सी पर खड़ा हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके बैठें। यदि ये परम्परा नहीं होगी तो कम से कम मैं अध्यक्ष के रूप में कार्यवाही नहीं करूंगा, चाहे कोई नाराज हो, खुश हो।

जब से मेरे को सदन की जिम्मेदारी दी है। मैं बराबर लोगों को

(श्री अध्यक्ष)

नाराज करने का काम कर रहा हूं। चाहे मंत्री हो, चाहे पत्रकार हों, चाहे हमारे सब साथी हों, परम्परा को यदि हम ठीक ढंग से चलाएंगे तो इस सदन की गरिमा रहेगी। हमने पिछली बार भी देखा है कि हिन्दुस्तान में अलग-अलग विधान सभाओं में राजस्थान की विधान सभा की परम्परा और नियमों का उल्लेख किया जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। उस गौरव को हम खतम क्यों करना चाहते हैं।

इसलिए मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को पूरा अधिकार है, अपनी बात को कहने का मैं पूरा मौका दूंगा, लेकिन जब अध्यक्ष खड़ा हो, तब आप खड़े होंगे तो मैं बोलने का मौका नहीं दूंगा। ये मैं बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेहरबानी करके, मेहरबानी करके, मैं माननीय कटारिया साहब, से भी निवेदन करूंगा, मैं पर्ची का सिस्टम बंद कर दूंगा, बिलकुल समझ लें। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अलाउ करूंगा, जिससे डिबेट ठीक ढंग से हो। आप भी अपनी बात कह सकें, सरकार भी अपनी बात कह सके। पर्ची के माध्यम से यदि हम लैटीट्यूड लें और सरकार को डाक में डालें, तब भी ठीक परम्परा नहीं है। पर्ची का महत्व यह है कि कोई इमिजिएट घटना हो, उस इमिजिएट घटना पर ध्यान आकर्षित करें। पर्ची का मतलब यही था। बाकी तो हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं, तारांकित प्रश्न हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, आधे घंटे की चर्चा है। सभी चीजों को इसमें एनविसेज किया गया है। पर्ची के पीछे तो यही था कि कोई प्रश्न हम नहीं लगा पाए, स्थगन प्रस्ताव हम नहीं ला सके और इमिजिएट कोई घटना हो गयी। उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्ची का उपयोग किया गया, जो तात्कालिक घटना हो।

मैं मानता हूं कि तात्कालिक घटना है, इसलिए मैं पर्ची के माध्यम से सब चीजों को अलाउ भी कर रहा हूं। लेकिन आप ये अपेक्षा करें कि पर्ची के माध्यम का हम सरकार को डाक डालने का करें तो यह भी ठीक नहीं है।

आपका ध्यान आकर्षित करना, जनता की समस्या को उठाने का आपका उद्देश्य होना चाहिए और सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि पर्ची के माध्यम से कोई प्रश्न उठा रहे हैं, जो तात्कालिक महत्व के हों, उस पर सरकार रिएक्शन दे। निश्चित तौर पर तभी तो उसकी परम्परा होगी, यह मैं

(श्री अध्यक्ष)

आपसे अपेक्षा करूंगा और जब हम जवाब दें, मर्यादा में दें। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, इस पर्ची के संबंध में चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपकी बात से सौ परसेंट सहमत हूं और बिलकुल इसका पालन करने का आपको वादा करता हूं। मैंने कोई बात नहीं पूछी, मैंने पूछा यह विषय इतना गम्भीर है जिसके कारण से एक असंतोष बना हुआ है अगर इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है, अब तक कुछ की है तो वह बता दें। आगे कुछ करना चाहते हैं तो वह बता दें। इसमें कौनसी अजीब बात मैंने पूछ ली जिसके ऊपर आपने इस प्रकार का रिएक्शन कर दिया। मैंने इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहा, क्योंकि विषय इतना संवेदनशील है जो समाज में इस प्रकार की भ्रांति पैदा करके टेन्शन पैदा करेगा। अच्छा यह है कि जिसने अपराध किया है उसके विरुद्ध कार्यवाही करें। अब तक क्या कर दी और आगे क्या करना चाहते हैं या नहीं चाहते, इतना ही बता दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मदन दिलावर साहब ने अपनी बात कहते हुए ध्यान आकर्षित किया। ध्यान आकर्षित किया, मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा ही हुआ था तो प्रतिपक्ष के नेता खड़े हो गये तो मैंने इनसे यही कहा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मेरा काम है। प्लीज, यह मेरा काम है न। आज हर चीज का रिकार्ड है। हर चीज लाइव में हो रही है कोई भी बात हो रही है। माननीय मंत्री जी, जो गया उसको बंद करें। आप जवाब देना शुरू करें। इसमें कुछ बोलना है आपको?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह सवाल व्यवस्था का भी है, क्या पर्ची पर इस तरह की बहस हो सकती है?

श्री अध्यक्ष: फिर एक बात सुनें आप। आप अपनी बात कहें। मैं खड़ा हूं, मैं बैठ जाऊं फिर?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं बोलता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

शाम के वक्त में एक सार्वजनिक पार्क पर एक समुदाय की चार-पांच लड़कियां झूला झूल रही थीं और उसके सामने ही एक उसी समुदाय के व्यक्ति के यहां शादी भी हो रही थी। इसी बीच में कुछ लड़के आये जो आरएसएस से संबंधित थे और वे हमेशा से वहां पर शाखा लगाते थे। शाखा लगाते थे तो उन्होंने कहा कि यहां पर हम शाखा लगाएंगे, आप लोग यहां से हट जाओ। तो इस पर उन्होंने यह जवाब दे दिया कि सार्वजनिक पार्क है, इसमें आप भी लगाइये, हम भी लगाएंगे। इसमें उनके बीच में कुछ विवाद हो गया। सवाल यह है, मैं दिलावर साहब से यह कहना चाहता हूं आपने कहा कि पचास आदमी थे तो रिपोर्ट में फिर पांच ही आदमियों के नाम क्यों लिखाये? किसने मना किया था एफआईआर में पचास के लिखाने से? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात सुनिये। किसने मना किया था? दूसरी बात यह है आप बता दें कि कौन-कौनसी चोटें उनके आयीं। मामूली-सी बात है। पांच आदमियों के आपने नाम लिखाये। आपने कहा कि एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी दो आदमियों की हो चुकी और मैंने रात को ही आपको टेलीफोन करके बता दिया था कि बाकी की भी गिरफ्तारी होगी। आपने मुझे फोन किया। मैंने एसपी से बात की। एसपी ने कहा कि बिलकुल निश्चित तौर पर पुलिस लगा रखी है उन सबकी गिरफ्तारी होगी जिन्होंने भी मारपीट की है, और आपको वापस जवाब दिया। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो इस सरकार से? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। बैठें प्लीज। श्री फूल सिंह जी मीणा।

बड़ी से देवाली, बड़ी से दूधतलाई व रामपुरा से सिमारमा नया खेड़ा नान्देश्वर तक सड़क का जीर्णोद्धार

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है पीडब्ल्यूडी की रोड़ों के मामलों में। मंत्री महोदय भी यहीं बैठे हैं। वास्तव में हमारे बड़ी से उदयपुर शहर को पानी पिलाने के लिए पूर्व सरकार ने पैसे दिये, क्योंकि इस भयंकर गर्मी में फतहसागर और पिछोला का पानी पर्याप्त नहीं था इसलिए पहले से यह अंदेशा लग गया था कि

(श्री फूल सिंह मीणा)

वास्तव में गर्मी में पानी की भारी समस्या होगी और बड़ी तालाब में पानी पर्याप्त था उस पानी को उदयपुर ले जाने के लिए पाइप लाइन डाली। दो पाइप लाइन डाली। एक बड़ी से देवाली और दूसरी बड़ी से दूधतलाई। रामपुरा चौराहा होते हुए सीसारमा से आर्मी हैडक्वार्टर के पास में से वह पूरा का पूरा रोड खोद दिया। मार्च माह में यह एक पाइप लाइन डली थी और आज दिन तक लाइन डलने के बाद में वह रोड यों का यों खुदा हुआ पड़ा है। यूआईटी पैरीफेरी का एरिया है। न तो यूआईटी उसमें ध्यान दे रही है और न कोई पीडब्ल्यूडी ध्यान दे रही है। वहां पर बरसात के अन्दर दुर्घटना हुई। अनेक आदमी घायल हो गये और गांव वालों ने रोड जाम कर दिया उसको ठीक करवाने के लिए, मगर अभी तक पूरा गांव इकट्ठा होने के बावजूद भी उसको ठीक नहीं किया। एक रोड तो यह है। दूसरी उसी के साथ में आशापुरा धाम आश्रम पूर्बिया कालोनी से वैद्यनाथ...।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची के माध्यम से दिया है।

श्री अध्यक्ष: डिमाण्ड के समय डिटेल बता देना।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे क्या करते हो? गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: हां बहुत गम्भीर है, बैठो आप। बस हो गया।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): रोडें टूटी हुई हैं। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पर्ची में दिया वह तो बताऊं मैं।

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। डिमाण्ड पर बोलना आप। बहुत मौका मिलेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची खुली है मैं बोल रहा हूं। दो मिनट में बोल दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामपुरा चौराहा से सीसारमा नया खेड़ा नानेश्वर रोड यह आदिवासी एरिया है। उधर से मजदूरी करने के लिए उनके पास रोजगार नहीं है तो आये दिन मजदूरी करने के लिए गाड़ियों में ऊपर-नीचे भर कर आते हैं। रोड संकड़ी है और उसके अन्दर 6-6 इंच साइडें दबी हुई हैं। मोटरसाइकिल पर तीन-तीन आदमी आतें हैं उनके पास किराया नहीं होता तो एक-दूसरे से लिफ्ट लेकर आते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ी-सी गाड़ी लहराती है तो। उस रोड

(श्री फूल सिंह मीणा)

को चौड़ी करवा दें। मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। मुझे विश्वास है कि उस रोड को चौड़ी करके उसको दुरुस्त करवाने का आदेश फरमाएंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खान।

जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र निर्धारण में स्थानीय निवासियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र परिवर्तन करने के बाबत पर्ची के जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 1980 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसलमेर प्रवास पर आयी थीं तब उन्होंने सम के मखमली धोरे देखकर पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने हेतु मरु उद्यान बनाने का आदेश दिया। इस मरु उद्यान में मरु वनस्थली एवं वन्य जीवों का बहुतायत क्षेत्र नहरी इलाके से दूर तथा अन्तरराष्ट्रीय सीमा से अलग हो, जिसमें सुरक्षा विभाग का आवागमन न हो। वर्ष 1984 में राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र से बाड़मेर जिले के हरसानी क्षेत्र को जोड़कर एक बहुत-बड़े भू-भाग को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित कर दिया जिसमें कई राजस्व गांव एवं ढाणियां बसी हुई हैं और राजस्थान का बहुत-बड़ा पशुपालन क्षेत्र है। राजस्व रिकार्ड में उस क्षेत्र में आज भी खातेदारी का अधिकार मौजूद है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में सड़क, पेयजल, विद्युत आदि योजनाओं पर रोक लगा रखी है तथा काश्तकारों के भूमि संबंधी अधिकार पर रोक लगा दी है। इस क्षेत्र में वर्ष 1958 में राजस्थान नहर, वर्तमान इंदिरा गांधी नहर योजना बनी हुई है जिसके निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वर्तमान में केन्द्र सरकार तथा सुरक्षा की दृष्टि से जो भारतमाला सड़क योजना का निर्माण कराया जा रहा है उसमें भी मरु उद्यान के अधिकारी बाधा डाल रहे हैं। श्री रंजीत सिंह की अध्यक्षता में वाइल्ड लाइफ आफ इंडिया की एक कमेटी वर्ष 2010 में आयी। जिन्होंने माना कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्र कम करके परिवर्तन किया जाए। उस कमेटी के सभी सदस्यों का मानना था कि यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं हो सकता। रंजीत सिंह कमेटी राष्ट्रीय मरु उद्यान के साथ जैसलमेर जिले के साहागढ़ वन क्षेत्र में अफ्रीकन चीता बसाने की परियोजना बनाकर आयी थी। चार हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो तीन तरफ से पाकिस्तान की सीमा से तारबंदी से सुरक्षित है तथा खुली साइड में तारबंदी

(श्री अमीन खां)

करके एक आरक्षित क्षेत्र बनाने की परियोजना बनायी थी जिसमें नाम मात्र जन सुविधा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां (शिव): ...तथा इस क्षेत्र में मरु वनस्थली, मरु भूमि जीवों की बहुलता है। सही मायने में यह क्षेत्र ही थार मरुस्थल है। अफ्रीकन चीता बसाने का जैसलमेर के स्थानीय लोगों ने जोर-शोर से विरोध किया और आंदोलन की चेतावनी दी।

जिससे कमेटी के सदस्य राष्ट्रीय मरु उद्यान की सीमा का परिवर्तन करने की चर्चा नहीं कर पाये। राष्ट्रीय मरु उद्यान के समस्या समाधान हेतु राज्य सरकार को कई बार निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये। जैसलमेर जिले के सम सेंडयूज में साथ ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-आप करें।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि वहां तिलोर पक्षी का कोई नामोनिशान नहीं है। विभाग के अधिकारी और इनके दोस्त वगैरह बाहर से घूमने आते हैं और वहां मौज मस्ती करते हैं। तिलोर एक भी नहीं है और गोडावण की संख्या यह आज 10 भी साबित नहीं कर सकते। यहां बसे हुए इंसान जिनका मात्र पशुपालन पेशा है, उनकी खातेदारी जमीन का अधिकार आज भी खाते में मौजूद है और मरु उद्यान के खाते में एक बीघा जमीन भी नहीं है। यह लोगों को कैसे बेदखल कर रहे हैं और इन्सानों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं। मैं बीजेपी की सरकार वालों को भी याद दिलाना चाहता हूं यहां बसने वाले 80 प्रतिशत बीजेपी के वोट हैं। हम उन वोटों की चिंता नहीं करते ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री अमीन खां (शिव): इन्होंने भी कोशिश करके कार्यवाही को बंद कर दिया। मैं राज्य सरकार से चाहता हूं कि मरुस्थलीय क्षेत्र को जरूरत के मुताबिक परिवर्तित किया जाए और उसकी अलग से तारबंदी की जाए। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हो ...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, इतना लंबा नहीं। हो गया।

श्री अमीन खां (शिव): एक सीमा में जहां आर्मी हमेशा तैनात रहती है वहां मरुस्थल की पाबंदी का क्या मायना है। मैं अंत में सरकार से कहता हूं

(श्री अमीन खां)

कि यह मामला हजारों आदमियों की मूलभूत सुविधाओं को खतम करने का, रेवेन्यू में रिकार्ड आफ राइट्स के खातेदारी को खतम करना, इस तरह लोगों को सुविधाओं से वंचित न किया जाए, इस पर गम्भीर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अशोक लाहोटी।

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में क्षेत्रों का परिसीमन

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 10 जून को डाइरेक्टर, डीएलबी के यहां से राजस्थान में एक प्रशासनिक पत्र जारी होता है। उस प्रशासनिक पत्र में नगरपालिका अधिनियम धारा 2009 की धारा 6 और 9 का उल्लेख करते हुए एक आदेश, फर्मान जारी कर दिया जाता है कि आज से राजस्थान में वार्डों की संख्या लगभग 50 से 60 प्रतिशत प्रत्येक नगरपालिका में बढ़ाई जाएगी और उसका एक फ़ार्मूला दे दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस धारा 6 का इन्होंने उल्लेख किया है, यह नगरपालिका एक्ट की धारा 6 के 1 और 2 में बहुत क्लीयर लिखा हुआ है कि नगरपालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या नगरपालिका क्षेत्र की नवीनता जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर पुन: अवधारित करेगी। अध्यक्ष महोदय, न तो गजट नोटिफिकेशन हुआ, न इन्होंने इसकी कोई जानकारी ली। केवल एक प्रशासनिक पत्र से इन्होंने धारा को ओवर रूल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं रुकता, इसके बाद इन्होंने इसमें धारा 9 का उल्लेख किया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया, न गजट नोटिफिकेशन निकाला। उसके बाद इन्होंने एक प्रशासनिक पत्र और निकाला और इन्होंने लिखा कि जनसंख्या 2011 के आधार पर इसको किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या 2011 के बाद में जो नोटिफिकेशन है, उसमें इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि लैटर नंबर .... के माध्यम से 22.8.1994 को अतिक्रमित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 1994 के बाद तीन बार परिसीमन हो चुका है। इन्होंने 1994 को ही अतिक्रमित क्यों किया। इसके बाद इन्होंने धारा 9 का उल्लेख किया, उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है-

"the representation of each ward be in the same propor-

(श्री अशोक लाहोटी)

tionate as the total number of seats for the Municipality bear to its population."

अध्यक्ष जी, इसमें साफ-साफ है कि आपकी जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर आपको वार्डों को आनुपातिक रूप में घटाना था और उसको डिवाइड करना था। जब इन्होंने देखा कि फिर भी पार नहीं पड़ रही, सब कुछ ओवर रूल करने के बाद में इन्होंने फिर उस 1994 को ओवर राइट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि परिसीमन किसका होता है? परिसीमन या तो जनसंख्या के आधार पर होता है कि कितना है। परिसीमन का वोटर्स का होता है, जो इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं लिखा और तीसरा परिसीमन होता है, यदि यह समझ में आता कि नगरपालिका का कुछ एरिया बढ़ता, किसी पंचायत को नगरपालिका में जोड़ते, कुछ उसकी भौगोलिक स्थिति चेंज होती तो हमको समझ में आता कि परिसीमन आवश्यक था, वह भी नहीं किया। 2011 के बाद में एक आदेश निकाला कि उस जनसंख्या से होगा। अध्यक्ष जी, 2011 की जनसंख्या पर पिछला चुनाव 2014 का हो चुका। वह होने के बाद आप उसी जनसंख्या के आधार पर कर रहे हो, केवल इसलिए कि 1973 के एक्ट को आपने ओवर रूल कर दिया। आपने आर्टिकल 243 को ओवर रूल कर दिया। आपने आर्टिकल 243 (z)a को ओवर रूल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आपने न एरिया बढ़ाया, न और कुछ किया...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैटर सबजुडिश है। माननीय सदस्य, मैटर सबजुडिश है, अपनी लिमिट में बोलें। मैटर सबजुडिश है, कोर्ट में वैसे ही पैंडिंग है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो संविधान में गड़बड़ी की, केवल वह बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैटर सबजुडिश है, उसकी लिमिट होती है, इसको प्लीज वाइंड आप करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जी अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सिरोही के बाढ़ प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान के भुगतान का अभाव

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों 131 के तहत श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 131 के अंतर्गत मैं खरीफ फसल, 2017 में सिरोही जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान प्राप्त न होने के संबंध में माननीय आपदा राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल 2017 (सम्वत 2074) में प्रारंभिक आकलन के आधार पर बाढ़ प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु सिरोही जिले द्वारा 106.22 करोड़ रुपये की मांग की गयी जिसके आधार पर जिले को माह मार्च, 2018 में 106.22 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत में बजट आबंटन होने के कारण उसका उपयोग आनलाइन पे-मेनेजर साफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सम्भव नहीं होने एवं आबंटित बजट जिले के प्रभावित काश्तकारों को भुगतान करने की आवश्यकता होने से जिला कलेक्टर द्वारा आबंटित सम्पूर्ण राशि को एसी बिल द्वारा आहरित कर सीसीबी बैंक खाते में जमा की गयी।

उक्त बजट मांग के समय जिले में प्रभावित काश्तकारों की सूचियां तैयार नहीं थी। तहसील कार्यालयों से प्राप्त काश्तकारों की संख्या एवं राशि के आधार पर जिले द्वारा बजट की मांग की गयी थी। सिरोही जिले द्वारा समस्त तहसील कार्यालय स्तर पर प्रभावित काश्तकारों की कम्प्यूटराइज्ड सूचियां तैयार होने के उपरांत कृषि आदान अनुदान हेतु 87.04 करोड़ रुपये की आवश्यकता का आकलन किया गया।

सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमानुसार एसी बिलों से आहरित राशि का समायोजन डीसी बिल के माध्यम से करवाया जाना अनिवार्य होता है।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

भुगतान से शेष रहे काश्तकारों की बैंक खाता एवं आधार संख्या अंकित सूचियां तैयार करने में अधिक समय लगने के कारण तथा एसी बिलों के शीघ्र समायोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक जिले द्वारा 23.85 करोड़ रुपये की राशि कृषि आदान अनुदान के रूप में कृषकों को वितरण किया गया। शेष रही राशि 82.37 करोड़ रुपये राजकोष में जमा करवाकर राशि रुपये 106.22 करोड़ के डीसी बिल का समायोजन किया गया।

जिला कलेक्टर द्वारा लेखा नियमों की पालना हेतु राशि राजकोष में जमा करायी गयी, न कि किसानों को कृषि आदान अनुदान से वंचित रखने के उद्देश्य से। जिला कलेक्टर द्वारा कृषकों को भुगतान करने हेतु जब भी विभाग से बजट की मांग की गयी, तुरन्त बजट आबंटन किया गया। जिले की मांग अनुसार मार्च, 2019 में 12.60 करोड़ रुपये एवं अप्रैल 2019 में 1.06 करोड़ रुपये जिले को आबंटित किये गये। दिनांक 27.06.2019 तक 73249 प्रभावित पात्र किसानों को (पूर्व में वितरित 23.85 करोड़ सहित) कुल 37.52 करोड़ रुपये कृषि आदान अनुदान का वितरण कर दिया गया। विभाग के स्तर पर पात्र कृषकों हेतु जिले द्वारा बजट की मांग की जाने पर राशि का आबंटन कर दिया जाएगा।

काश्तकारों से आधार व बैंक खाता संख्या प्राप्त नहीं होने से पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान हेतु काश्तकारों की आधार व खाता संख्यायुक्त सूचियां तैयार करने में विलम्ब हेतु जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भुगतान से वंचित रहे काश्तकारों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्ति हेतु जिला एवं तहसील कार्यालयों द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। तहसील कार्यालयों द्वारा काश्तकारों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने हेतु निम्न प्रयास किये गये -

(1) दस्तावेज संग्रहण हेतु पंचायतवार/ग्रामवार कैम्प रखे गये।

(2) समाचार पत्रों के माध्यम से भुगतान से शेष रहे काश्तकारों को जानकारी दी गयी कि अनुदान राशि हेतु दस्तावेज संबंधी पटवारी/तहसीलदार को जमा कराएं।

(3) पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया गया।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

(4) महत्वपूर्ण स्थानों पर इस संबंध में सूचना चस्पा की गयी।

उपरोक्तानुसार लगातार प्रयास के बाद भी काश्तकारों की आधार व बैंक खाता संख्या अंकित सूचियां तैयार नहीं होने के संदर्भ में तहसीलदारों द्वारा निम्न कारण बताए गये जैसे-

(1) बैंक खाता संख्या त्रुटिपूर्ण होने से भुगतान नहीं हो पाना।

(2) जमाबंदी एवं बैंक पास बुक में अंकित काश्तकार के नामों में विरोधाभास होना।

(3) अधिकांश कृषक/खातेदार अनिवासी होने के कारण उनके दस्तावेज संग्रहण में कठिनाई आना (जो व्यवसाय/मजदूरी के लिए दूसरे जिलों/राज्यों में निवास कर रहे हैं)

(4) अनुदान सूची में अधिकांश महिलाओं के नाम अपने पैतृक कृषि भूमि में पिता का नाम दर्ज होने व बैंक खातों में पति का नाम दर्ज होने से भिन्नता की स्थिति में बैंक द्वारा भुगतान नहीं होना एवं शादी बाद महिला खातेदारों का अन्यत्र निवास करना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में यह पहला उदाहरण होगा कि जब जिला प्रशासन के पास धन उपलब्ध हो और किसानों को धन न बांटा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस खराबे को दो साल हो गये। 106 करोड़ रुपये आपको मिले, जो आपने सूची दी उसके आधार पर। जिला प्रशासन ने जो आपको रिवाइज सूची दी उसके आधार 87 करोड़ रुपये मिले। आप 9 महीने तक उस पैसे पर कुण्डली मारकर बैठे रहे। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान, और उसके बाद वह पैसा जमा करा दिया। क्या यह सही है कि 75 से 100 फीसदी खराबे वाले 3 लाख 21 हजार 485 किसान हैं और 50 से 75 परसेंट खराबे वाले 15 हजार 625 किसान हैं। 3 लाख 37 हजार 110 प्रभावित किसानों में से मात्र 71 हजार 564 किसानों को आदान अनुदान का पैसा दिया गया है।

आपने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने अख़बार में कहा है कि ऐसे निकम्मे अधिकारियों को मैं वालेन्ट्री रिटायरमेंट दे दूं। आप सदन को बताइये कि आपने किस-किस जिला कलेक्टर को नोटिस दिया और आगे आप किस

(श्री संयम लोढ़ा)

आधार पर 2 लाख 66 हजार 546 किसानों को पैसे कैसे उपलब्ध कराएंगे, आप सदन को यह जानकारी दें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब यह आपदा हुई तो जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा 106 करोड़ 22 लाख रुपये मांगे गये और इसका सर्वे नहीं किया गया। जब 31 मार्च, 2018 आया। चूंकि पैसा नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने पैसा राजकोष में जमा करा दिया। ज्यों ही कांग्रेस की सरकार बनी और मैं इस विभाग का मंत्री बना। जब माननीय सदस्य के प्रश्न के द्वारा मेरे संज्ञान में यह बात आयी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों की मार्फत पूरे जिले के अंदर पूरी तरह से सर्वे कराने का काम किया सर्वे कराने के बाद आज जो स्थिति है, उसको मैं बताना चाहूंगा। तहसील कार्यालयों की नवीनतम सूचना अनुसार वर्तमान स्थिति, आपने जो खाते बताए, जिनको पैसा दे दिया उनके अलावा।

तहसील शिवगंज - कुल मांग के काश्तकारों की संख्या 33954 है और जिन काश्तकारों को भुगतान कर दिया वे 15233 हैं, शेष 3416 हैं। शेष वालों के द्वारा आधार व बैंक खाता उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है और मौके पर निवास नहीं कर रहे हैं, ये 15305 हैं। ये अलग-अलग तहसीलों का योग है।

कुल योग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कुल मांग काश्तकारों की संख्या है 2,42,530, उसमें से काश्तकार जिनको भुगतान किया जा चुका है, वे 73250 हैं और उसके बाद सूची तैयार की गयी। वर्तमान में फिर सूची तैयार की गयी। काश्तकारों के भुगतान हेतु अब सूची तैयार करवा ली गयी है। उसमें 21892 काश्तकारों ने आधार कार्ड और बैंक के खाता नंबर हमें दे दिये। ये सूची तैयार हो गयी। शेष काश्तकार जिनके द्वारा न तो आधार, न बैंक का खाता उपलब्ध है और वे मौके पर निवास भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे काश्तकार 1,47,388 हैं।

अब जिनका नाम प्रविष्टि में डबल हो गया, वे 17015 हैं। उपरोक्त जिले के कुल प्रस्तावित 2,42,530 काश्तकारों में से 95,142 काश्तकारों का भुगतान आधार व आधार संख्या की सूची तैयार हो गयी। भुगतान से वंचित शेष काश्तकारों में से 17015 काश्तकारों की प्रविष्टियां डबल होने के कारण,

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

डुप्लीकेट होने के कारण उनको विलोपित किये जाने का काम हो गया। उनको विलोपित कर दिया गया। बाकी शेष काश्तकार भुगतान से वंचित हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है। मैं आपको बता दूं। मैं आपको रिकार्ड बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, I am sorry to intervene. सिम्पल प्रश्न यह है कि जब फसल का खराबा हुआ, उस समय काश्तकार आइडेंटिफाई हो गये। अब हम किसका आइडेंटिफाई कर रहे हैं? वह खराबा तो पहले ही हो गया। अब आइडेंटिफाई का कोई मतलब नहीं है। सीधा प्रश्न है कि जब अधिकारियों ने 186 करोड़ रुपये का आसेसमेंट किया। आप कह रहे हैं कि वह असेसमेंट उन्होंने रेण्डमली कर लिया है। मैं समझता हूं कि इस तरह का रेण्डम समझ नहीं आया। जब 186 करोड़ रुपये का पैसा आपके आया, वह जमा हो गया। वे काश्तकार जिनको पैसा मिलना था, वह पैसा अभी तक नहीं मिला है। ये पूछ रहे हैं कि जब पैसा भारत सरकार से आ गया, पैसा मिल गया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अब तो 2019 आ गया है। सीधा प्रश्न है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई कमी या खामी है। कोई कमी या खामी है तो किसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? बस, बल्कि आंकड़ों से तो कोई परपज सिद्ध नहीं होगा, मेरे खयाल से। मेरे एक्सक्यूज है, मुझे पता नहीं है। प्रश्नकर्ता का क्या मूल उद्देश्य है, मुझे समझ नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं, वह सही है या आपके प्रश्न का उत्तर मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि इस प्रशासनिक निकम्मेपन के कारण 2 लाख 66 हजार लोगों को उनका हक नहीं मिला। पहले तो इन्होंने नहीं दिया, अब आप नहीं दे रहे हैं और अब आप लीपापोती कर रहे हैं।

इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किसानों ने आधार कार्ड नहीं दिया। बैंक खाते की जानकारी नहीं दी। गांव-गांव से कई बार चक्कर लगाकर लोग थक चुके हैं। मेरे घर पर आते हैं। एसडीओ के यहां जाते हैं। कलेक्टर के यहां जाते हैं। गांवों में जहां जाता हूं, जिस सभा में जाता हूं, 2 लाख 66 हजार कोई कम फिगर होता है। 80 फीसदी किसानों को आपने पैसा नहीं दिया और अब सदन में लीपापोती कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विभाग से संबंधित रहा हूं। जैसे ही डिमांड कायम की, हमने कलेक्टर को पैसे उसके खाते में डाल दिए। लेकिन हमारा अनुभव यह था कि कई नाम नहीं होते हुए भी जुड़े रहते हैं। इसलिए हमने इसको आधार से और उनके बैंक अकाउंट से जोड़ा। जैसे ही हमने बैंक अकाउंट और आधार से जोड़ा, आदमी ही उपलब्ध नहीं हो रहा है। 1 लाख 42 हजार लोग, उनका न तो आधार है, एक बार नहीं हमने कई बार चस्पा कर दिया, सूचना दे दी, पटवारी को लगा दिया, अभियान गांव में शुरू कर दिया। इस डिपार्टमेंट को समझते हुए मेरा यह अनुभव आया कि लाखों लोग फर्जी पैसे उठा रहे हैं, लंबे समय तक। पहली बार हमने आधार और बैंक खाते में से पैसा ट्रांसफर करने का जब से शुरू किया तो आदमी ही उपलब्ध नहीं हो रहा है। पैसे की कमी नहीं है। आदमी की सच्चाई का पता ही नहीं लग पा रहा है और ये पैसे उसके खाते में बुक हो रहे हैं। यह समस्या है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जमीन की खातेदारी जिसके नाम पर है और आप कह रहे हैं कि आदमी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसमें आप इंटरवीन कर रहे हैं। जमीन वहां पर उपलब्ध है, खराबा उपलब्ध है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा उत्तर सुन लें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय सदस्य, आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है। मैं भी समझना चाहता हूं और सदन भी समझना चाहता है। जब भी आपदा होती है तो आपदा के लिए कलेक्टर को कहते हैं कि सूचना दें। सूचना देने की एक तो चीज सामने आई है कि आधार वैरिफिकेशन शायद नहीं है। मोटा-मोटा आधार के आकलन के ऊपर बेस्ड है। एक तो यह चीज समझ में आई। दूसरा, जो मोटा-मोटा आकलन करते हैं, उसको सही करने की प्रक्रिया जब तक नहीं करेंगे तब तक आकलन होने के बाद भी भुगतान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से सरकार क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेगी कि जिससे भविष्य में जिस आदमी का नुकसान हो रहा है, चाहे उसका खाता हो, चाहे उसका आधार नंबर हो, उस आधार पर ही उसकी पहचान हो जिससे जितना एस्टीमेट किया जा रहा है, वह पैसा उसके खाते में ट्रांसफर हो जाए। मेरा यह निवेदन है कि सरकार, एक उदाहरण जो दिया है,

(श्री अध्यक्ष)

उसको आधार मानकर इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी मेजर ले, वह मेजर लेना चाहिए जिससे पैसा भी सही ढंग से आ सके और सही आदमी को मिल सके। यह हमारा प्रयास होना चाहिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक मिनट अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं अलाउ करूंगा। संयम जी को अलाउ कर लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन का खातेदार मौजूद है और आप कह रहे हैं फर्जी भुगतान जा रहा है। फर्जी भुगतान कैसे जा सकता है? खातेदारी में है, वह खातेदार है आपका। उसका भुगतान फर्जी कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: संयम जी, एक मिनट बैठिए। I will not allow. 131 आपका अधिकार नहीं है। प्लीज, आपको अलाउ नहीं करूंगा। आपको समझना चाहिए। वह मंत्री रहे हैं और यह मंत्री का उत्तर ले रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि भविष्य में हम यदि किसी प्राकृतिक आपदा का आकलन करते हैं तो सरकार कलेक्टर को ही कहेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आधार पर। वह आकलन करते हैं। यह सम्भव नहीं है कि एक साथ सही चीजों की जांच करें। मोटा-मोटा आकलन करते हैं। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। उसी के आधार पर भारत सरकार को हम अपना प्रतिवेदन भेजते हैं और भारत सरकार उस पर पैसा भेज देती है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जब तक विभाग उस आकलन के और उसके बीच में कोई टाइम फ्रेम बना दे, दो महीने-तीन महीने में, हम खाते के नाम पर या आधार के नाम पर उन आदमियों की पहचान कर लें तो पैसे का समय पर भुगतान हो जाएगा। यह जो केस है, इसमें माननीय सदस्य का यह कहना है कि जो खाता था उनका, खाते के आधार पर वह हो गया और खाते के आधार पर पैसा भी आ गया। पैसा 186 करोड़ के बाद में रिव्यू हुआ। रिवाइज किया, रिवाइज पैसा कम किया। कम करने का मतलब है कि आपने आइडेंटिफाई किया है। जब खाते आइडेंटिफाइड हैं, आपने अमाउंट वैरिफिकेशन करके कम कर दिया है तो खातेदारों को पैसा मिलना चाहिए। परन्तु भविष्य में सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो, उसके बारे में प्रयास किये जाने चाहिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, प्लीज।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में ये बहुत छोटी जोत है। एक रुपये से सौ रुपये की राशि, 4347 काश्तकार हैं, लेने ही नहीं आए। खाता ही नहीं है। इनका मैंने सर्वे कराया है पिछले तीन-चार महीने के अंदर। घर-घर में जाकर सर्वे हुआ है। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा मेरे पास पूरी सूची है। मैं आपको सूची पूरी उपलब्ध करा दूंगा। करीब 500 पेज की सूची है, मैं उपलब्ध करा दूंगा। 101 रुपये से 500 रुपये, ये लोग गुजरात की तरफ चले जाते हैं। ऐसे काश्तकार 90680 हैं जो 1 रुपये से 100 रुपये, 100 रुपये से 500 रुपये, न तो लेने ही आते हैं, न खाता ही खुलाते हैं, न आधार कार्ड बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप एक महीने, दो महीने, चार महीने, हमने घर-घर सर्वे कर लिया, आपके साथ फिर मैं दोबारा सर्वे करा लेता हूं। आप रेण्डम रूप से किसी पटवार सर्कल में जाना, हमारे पटवारी के साथ, तहसीलदार के साथ, अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड मिलेंगे तो एक पैसा भी हम रोकेंगे नहीं, चाहे दो महीने लगे, चाहे छह महीने लगे। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले चार साल का पैसा 941 करोड़ रुपये जो काश्तकारों के बकाया थे, कलेक्टर्स ने वापस विभाग को पैसा भेज दिया। पिछले 6 महीने के पीरियड में 940 करोड़ रुपये वापस समस्त उन जिला कलेक्टर्स को भेजा है जिन्होंने चार साल में भुगतान नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई पैसा लैप्स नहीं होगा। आप जिस प्रकार कहेंगे, वैसा मैं सर्वे कराने के लिए तैयार हूं। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि अधिकारी मंत्री जी के माध्यम से सरासर असत्य कथन करवा रहे हैं। 187 में से 100 पटवारियों के पद सिरोही जिले में खाली पड़े हुए हैं। किसने सर्वे कर लिया घर-घर?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री महोदय, इसकी गंभीरता को समझें। मैं बार-बार कह रहा हूं कि इन्होंने एक उदाहरण दिया। उस उदाहरण को आधार मानकर यदि हम आपात के संबंध में जो हमारी प्रक्रिया है, उसको ढंग से इम्प्रूव नहीं करेंगे तो यह प्राब्लम रहेगी क्योंकि आपका असेसमेंट मोटा-मोटा होता है। कोई वैरिफिकेशन हर खातेदार का नहीं होता है। आपका खुद का उत्तर बता रहा हूं। पहला असेसमेंट किया 186 करोड़ का, 186 करोड़ के बाद आपका असेसमेंट हुआ 87 करोड़ का।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 106 करोड़।

श्री अध्यक्ष: 106 करोड़। 106 करोड़ का वास्तविक हुआ होगा। मेरी बात समझें कि पहले कलेक्टर कर गया 186, फिर जब वास्तविकता पर किया 106 करोड़ हुआ। ये 80 करोड़ कम हुए तो वास्तविकता के आधार पर हुए होंगे। कोई न कोई आधार होगा जिस पर वैरिफिकेशन किया। जब 106 करोड़ रुपये वैरिफिकेशन कर दिया, अब वैरिफिकेशन क्या करना है। इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई कमी-खामी है। उस कमी और खामी को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो पैसा भारत सरकार से मिल भी जाए तो भी वह पैसा किसान को नहीं मिल पायेगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है, उस प्रश्न के आधार पर जैसा ये कह रहे हैं कि पोस्टें खाली हैं, किसकी जांच कराएंगे? आप केस अलग ढंग से डिटेल करके उनको रिलीफ दें। पूरे राजस्थान में भविष्य में इस तरह नहीं हो, उसके संबंध में सरकार को कोई न कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए तब डिबेट का मतलब होता है। हम डिबेट करके चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इनकी सरकार थी, ये मंत्री थे, खुद मंत्री जी बता रहे हैं कि ये बात है। हम समझ रहे हैं और हमारे किसान को रिलीफ नहीं मिले, उस प्रक्रिया को हम सबको मिलकर ठीक करना चाहिए। मैं आशा करता हूं, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके इलाके के संबंध में सरकार समुचित व्यवस्था करके पैसा देगी। लेकिन सिस्टम इम्प्रूव हो, यह हम सबके लिए, राजस्थान के किसान के भले के लिए आवश्यक है। मेहरबानी करके अधिकारी स्तर पर चर्चा करें कि इस सिस्टम को फुलप्रूफ कैसे करें? खाते के आधार पर करें, आधार कार्ड के आधार पर करें, लेकिन पहले असेसमेंट जब आप भारत सरकार को भेजते हो और जब आप एक्जेक्ट असेसमेंट भेजते हो, उन दो-तीन महीने में ही वैरिफिकेशन पक्का हो जाना चाहिए चाहे खाते पर हो, चाहे आधार पर हो तो बाद में प्राब्लम नहीं आएगी। जितना ओपन रखेंगे, उतना पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। पैसा होने के बाद भी किसान को लाभ नहीं मिलता है। ऐसी स्थितियां भविष्य में नहीं बनें, उसके संबंध में हमें कुछ निर्णय करने चाहिए। मैं चर्चा को समाप्त करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैंने इनसे पूछा है कि जिला

(श्री संयम लोढ़ा)

कलेक्टर को सरकार ने कब नोटिस दिया है, वह बताइए? आज दो साल हो गये हैं, ढाई लाख किसानों के संबंध में....

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने सिरोही ......

श्री अध्यक्ष: संयम जी, बैठिए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमने सिरोही जिले के तात्कालिक तहसीलदारों, जिन्होंने बिना सर्वे के 106 करोड़ रुपया जिला कलेक्टर को कहकर मांग लिया, उन तहसीलदारों के खिलाफ नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद उनसे जवाब मांग रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर से इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा और जांच में अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं आपको यही आश्वासन देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, चर्चा समाप्त हुई। 131 श्री संदीप शर्मा, सदस्य विधान सभा कोटा।

कोटा डेयरी में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव कोटा डेयरी में चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने के कारण मैं डेयरी मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोटा डेयरी में कई घोटाले लगातार...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, खाली ध्यान आकर्षित करें, वह जवाब देंगे, समझें, फिर उसके बाद प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन को कोटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में एक फ़र्म को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों द्वारा लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने में किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. जयपुर द्वारा क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, कोटा खण्ड, कोटा को मामले की प्राथमिक जांच सौंपी गयी थी।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

प्राथमिक जांच रिपोर्ट में मैसर्स चित्रांशु पूर्व सैनिक बहूद्देशीय सहकारी समिति को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज लगाकर ठेका हथियाने का दोषी माना गया है एवं प्रबन्ध संचालक दुग्ध संघ कोटा, श्री श्यामबाबू वर्मा तथा लेखाधिकारी, दुग्ध संघ कोटा, श्री अखिलेश सक्सैना को भी उक्त कृत्य में संस्था के साथ धोखाधड़ी का दोषी माना गया है।

प्रबन्ध संचालक दुग्ध संघ कोटा द्वारा आर.के. पुरम, पुलिस थाना कोटा को मैसर्स चित्रांशु पूर्व सैनिक बहूद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए फर्जी दस्तावेजों के संबंध में कोटा दुग्ध संघ के पत्र क्रमांक 4276 दिनांक 06.07.2019 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है।

इसी क्रम में श्यामबाबू वर्मा, प्रबंध संचालक, दुग्ध संघ कोटा को आरसीडीएफ के पत्र क्रमांक 15289 दिनांक 05.07.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया है। श्री अखिलेश सक्सैना, लेखाधिकारी, दुग्ध संघ कोटा को प्रबन्ध संचालक, दुग्ध संघ कोटा के पत्रांक SP-1 दिनांक 04.07.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया है। आरसीडीएफ जिला दुग्ध संघ के द्वारा इस क्रम में अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिला उत्पादक सहकारी संघ कोटा डेयरी में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार के मामले और अनियमितताएं सामने आ रही हैं। अब तक एंटीकरप्शन ब्यूरो के द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा भी एम डी व अकाउण्टेंट को जांच में दोषी पाया गया। विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कार्यवाही की गयी, बड़े अफसोस का विषय है कि 7 दिवसीय कारण बताओ नोटिस जारी करके इतिश्री कर ली गयी, जबकि यह डेयरी कई करोड़ों रुपये लाभ में चल रही थी। परन्तु दो-तीन वर्षों में लगातार इस डेयरी में घाटे होने लगे। आज स्थिति यह है कि यह दुग्ध डेयरी बंद होने के कगार पर खड़ी है। हाड़ौती का दुग्ध उत्पादक, पशु पालक जिसका रोजगार इस डेयरी पर निर्भर है, अगर यह स्थिति रहती है कि डेयरी बंद हो जाती है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान इस डेयरी के कारण होगा।

मेरा यह कहना है कि यदि सरकार इसमें गम्भीर होती तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होती जो विभाग और एसीबी की

(श्री संदीप शर्मा)

जांच में लिप्त पाये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कोटा डेयरी वर्तमान में घाटे में चल रही है, इसके क्या कारण हैं? कब से यह घाटे में चल रही है? सरकार ने डेयरी को घाटे से उबारने के लिए क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जो बिन्दु है, बिन्दु पर कहें, ज्यादा बैटर रहेगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य ने घाटे की और यह बात तो कही है लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह फर्म है मैसर्स चित्रांशु पूर्व सैनिक बहूद्देशीय सहकारी समिति इन्होंने काट-छांट करके, यह बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैंने यह पूरा प्रकरण देखा, देखने के बाद, अधिकारियों से चर्चा करने के बाद इसके खिलाफ आर के पुरम थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया, नम्बर वन। दूसरी बात, चूंकि ये अधिकारी हैं उनको नोटिस तो देना ही पड़ेगा, उनको सात दिन का नोटिस दिया है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो निश्चित तौर पर विभाग कार्यवाही करेगा। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें जितना ठेकेदार का दोष है उससे ज्यादा दोष उन अधिकारियों का है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस ठेकेदार को उसमें रजिस्टर किया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल, नगर विकास एवं आवासन मंत्री। आउटपुट बजट।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

आउटपुट वर्ष 2017-18 एवं आउटकम वर्ष 2018-19 बजट

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2017-18 एवं आउटकम बजट 2018-19 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्त विभाग की 23 अधिसूचनाएं।

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 23 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/2019-24 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/2019-25 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/2019-26 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा सौर ऊर्जा पर लगने वाले विद्युत शुल्क को दिनांक 1.4.2018 से 31.3.2020 तक की अवधि के लिये छूट प्रदान की गयी है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/2019-27 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-219 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-28 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के अन्य प्राधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति या प्राइवेट संस्था द्वारा शहीद के आश्रित पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता या पिता के पक्ष में आवासीय फ्लेट या मकान के संबंध में निष्पादित हस्तांतरण विलेख, पट्टा विलेख अथवा दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-29 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-13 दिनांक 31.5.2019 में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-30 दिनांक 10.7.2019

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-14 दिनांक 31.5.2019 में संशोधन किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-31 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या विद्यार्थी, जो राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी, 2015 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा स्टार्ट-अप की स्थापना के प्रयोजनों के लिये निष्पादित दस लाख रुपये तक के ऋण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-32 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-103 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-33 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-104 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-34 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-218 दिनांक 8.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए माता या पिता द्वारा पुत्र या पुत्री के पक्ष में पैतृक सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित व्यवस्थापन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-35 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-217 दिनांक 8.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए पैतृक सम्पत्ति के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-36 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का परिहार किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-37 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के अन्य प्राधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति या प्राइवेट संस्था द्वारा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

शहीद के आश्रित पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता या पिता के पक्ष में आवासीय फ्लेट या मकान के संबंध में निष्पादित हस्तांतरण विलेख, पट्टा विलेख अथवा दान विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/1 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 के साथ पठित धारा-4 के अन्तर्गत विभाग की 05 अधिसूचनाओं को विखण्डित किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा गैर-परिवहन यानों और परिवहन यानों पर संदेय एकबारीय कर की दर विनिर्दिष्ट की गयी है;

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राज्य में रजिस्ट्रीकृत या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत और गैर-अस्थायी परमिट या अस्थायी परमिट पर चलने वाले यात्री यानों पर संदेय मोटर यान कर की दर विनिर्दिष्ट की गयी है;

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/4 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राज्य में रजिस्ट्रीकृत माल यानों, अस्थायी परमिटों पर चल रहे अन्य राज्य के माल यानों, संनिर्माण उपस्कर यानों, अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत और राज्य में होकर जाने वाले मोटर यानों या मोटरयानों के चेसिस पर और पारस्परिक करार के अधीन जारी परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यानों पर संदेय मोटरयान कर की दर विनिर्दिष्ट की गयी है;

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/5 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./09/26क दिनांक 11.10.2017 को अतिष्ठित करते हुए कतिपय मोटरयानों हेतु संदेय कर पर अधिभार की दर विनिर्दिष्ट की गयी है;

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/6 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/7 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिष्ट कतिपय वर्गों के परिवहन यानों के संबंध में लगने वाले कर के स्थान पर एकबारीय कर निर्धारित किया गया है;

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/24एफ दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./95/24ई दिनांक 11.10.2017 में संशोधन किया गया है; एवं

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/8 दिनांक 10.7.2019 जिसके द्वारा एलपीजी, सीएनजी तथा सौर ऊर्जा से संचालित, विनिर्माताओं द्वारा मूल रूप से विनिर्मित यानों पर संदेय कर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, श्री शांति कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2018)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 (दिनांक 1.4.2018 से 31.12.2018 तक) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादीलाल जी, उद्योग मंत्री।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 49वां प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

(वर्ष 2017-18)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-18 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री।

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन

(वर्ष 2014-15 से 2017-18)

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा-14 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

व्यवस्था का प्रश्न

अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन रखे जाने में विलम्ब

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय मंत्री महोदय ने जो अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन रखे हैं वह 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, अध्यक्ष महोदय, अगर चार-चार साल पुराने प्रगति प्रतिवेदन आएंगे तो उसमें किस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्यों को रहेगी। मैं चाहूंगा कि आपके संज्ञान में बात आए, इनको नोटिस दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात से सहमत हूं और प्रतिवेदन प्रति वर्ष आने चाहिए, जैसा कि नियम है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह कब के हैं, आप यह भी देखें।

श्री अध्यक्ष: देख लिया, 2014-15.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह भी देखें कि 2014-2015.

श्री अध्यक्ष: हां, वह लिखा हुआ है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2015-16, 2016-17, 2017-18, इसमें रखने की जिम्मेदारी किसकी थी, आपकी सरकार की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अपनी देखो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरों पर ही बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन का उपस्थापन, डा. महेश जोशी।

(14.00 बजे)

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 7)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव भी करें।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2019 को मध्याह्न पश्चात 1:40 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई से सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2019 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2019	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 पर सामान्य वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 13 जुलाई, 2019 रविवार, दिनांक 14 जुलाई, 2019	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(डा. महेश जोशी)

शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2019 रविवार, दिनांक 21 जुलाई, 2019	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019 बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2019 गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2019 शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2019	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 26 जुलाई, 2019 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)

शनिवार, दिनांक 27 जुलाई, 2019 रविवार, दिनांक 28 जुलाई, 2019	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2019	1- राजस्थान वित्त विधेयक, 2019; एवं 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019 - पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

याचिका

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न तीन याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

सूरसागर के राधाकृष्णपुरम में पाइप लाइन

1. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के राधाकृष्णपुरम में पेयजल पाइप लाइन बिछाने बाबत।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

सूरसागर के जैसल नगर में सीवरेज एवं सड़क निर्माण

2. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के जैसल नगर में सीवरेज एवं सड़क निर्माण कार्य कराये जाने बाबत।

सूरसागर के रामराज नगर में मूलभूत सुविधाएं

3. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के रामराज नगर में पेयजल सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बस्सी के तूंगा में बाईपास निर्माण

1. जयपुर जिले में बस्सी से लालसोट स्टेट हाईवे पर तूंगा कस्बे में बाईपास रोड बनाये जाने बाबत।

बस्सी के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

2. जयपुर जिले की बस्सी तहसील के अस्पतालों को क्रमोन्नत कराये जाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह। (अनुपस्थित) श्री जोराराम कुमावत।

राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर ओवरब्रिज निर्माण व जवाई अण्डरब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सुमेरपुर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 पर जाखानगर जाखोड़ा रोड से प्रवेश करने वाले रास्ते पर ओवरब्रिज का निर्माण और पोमावा ओवरब्रिज व पुराड़ा जवाई नदी के अण्डरब्रिज पर लाइट लगवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

अजमेर की फायसागर झील का पुनरुद्धार

1. अजमेर स्थित फायसागर झील का पुनरुद्धार कराये जाने बाबत।

अजमेर में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना

2. अजमेर में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

सिवाना के पादरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

1. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पादरू कस्बे में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कराये जाने बाबत।

बाड़मेर-सिवाना-पाली-जयपुर बस सेवा का पुन: संचालन

2. राजस्थान पथ परिवहन निगम की बाड़मेर-सिवाना-पाली-जयपुर बस को पुन: प्रारम्भ कराये जाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

जयपुर के मानसरोवर रीको से डिग्गी मार्ग को चौड़ा करना

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के मानसरोवर रीको कांटा पुलिया से सांगानेर डिग्गी सड़क मार्ग को 200 फीट करने की स्वीकृति जारी करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

घोषणा

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्यय अनुमान वर्ष 2019-20 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का आबंटन।

(श्री अध्यक्ष)

मुझे सदन को सूचित करना है कि परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 08 घण्टे
भारतीय जनता पार्टी	- 05 घण्टे 50 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	- 30 मिनट
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	- 10 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी	- 10 मिनट
भारतीय ट्राइबल पार्टी	- 10 मिनट
राष्ट्रीय लोकदल पार्टी	- 05 मिनट
निर्दलीय	- 01 घण्टा 05 मिनट
कुल आबंटित समय	- 16 घण्टे।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 सामान्य वाद विवाद। श्री राजेन्द्र राठौड़।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आय व्ययक बजट, 2019-20 पर पहले वक्ता के रूप में आपने मुझे अवसर प्रदान किया। पूरे वर्ष के लेखा-जोखा के साथ और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने अपने बजट भाषण में अपने बजट प्रस्तावों को समाज का आईना बताया। सरकार प्रस्ताव लेकर आयी है।

(14.05 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

गम्भीरता से सभी माननीय सदस्य चर्चा करेंगे और सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार इस बजट की बहस में अगर गम्भीर होती तो आफिसर्स गैलेरी की हालत वह नहीं होती, जो मेरे सामने है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, 2019-20 का परिवर्तित आय-व्ययक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 13 फरवरी, 2019 को इसी सदन के अन्दर सदन के नेता ने अपनी सरकार की पारी का आगाज किया था एक बजट सम्बन्धी वक्तव्य देकर। आज जिस बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने उस वक्तव्य को भी बड़ी अच्छी तरह पढ़ा था। पच्चीस पृष्ठीय उस वक्तव्य में कई प्रकार की घोषणाएं सदन के नेता ने कीं और छह महीने पश्चात पचपन पृष्ठीय इन बजट प्रस्तावों को भी मैंने देखा। छह महीने समय के बीच में, तब और अब के बीच में, सभापति महोदय, पुल के नीचे से पानी बहुत बह गया। जो पुल के नीचे से पानी बहा, स्थिति-परिस्थिति बदली। स्थिति-परिस्थितियों की झलक आजकल हमें सदन के वातावरण में दिखाई दे रही है, और सदन के नेता के हाव-भाव में भी हमें दिखाई दे रही है।

सभापति महोदय, इस राजस्थान की जनता का मिज़ाज बड़ा निराला है। यह अवाम जब निर्णय करता है तो बड़े धमाकेदार करता है। राजस्थान में पहली बार सत्तारूढ़ दल लोक सभा के चुनाव में शून्य पर आउट हुआ। इसकी गूंज कई सदियों तक रहेगी। घटना सामान्य नहीं है।

सभापति महोदय, सत्ता चाहे राजतंत्र में बाहुबल के आधार पर प्राप्त की हो, लोकतंत्र में ई.वी.एम. की मशीन के माध्यम से प्राप्त की हो, यह जीत एक नैतिक बल देती है। मैं समझता हूं कि विधान सभा के चुनावों में सिर्फ 0.5 फीसदी मतों से एक आभासी जीत, सभापति महोदय, आभासी जीत, जिसका आनन्द अभी सत्तारूढ़ दल ने लिया भी नहीं था कि जनता ने इनको आईना दिखा दिया। इस आईने में झांकने के पश्चात भी सदन के नेता 27014 करोड़ के घाटे का बजट इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उनके इस साहस के लिये उनको दाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, यह सत्ता प्राप्ति जीत और हार का खेल है। कई बार जीतकर भी लोग हारते हैं, कई बार हारकर भी जीतते हैं। हम लोग इधर बैठे हैं। पर इस बार हमहार कर भी जीते हैं और आप जीतकर भी हारे हैं। आखिर गर्वित मुद्रा में हम ही बैठे हैं।

सभापति महोदय, इस लोकतंत्र में हर चुनाव रैफरेंडम होता है, हर चुनाव जनादेश होता है। इस रैफरेंडम की, इस जनादेश की अगर किसी ने पालना की, किसी ने स्वीकार किया तो मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राहुलजी गांधी को, उन्होंने जनादेश को स्वीकार किया और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।

सदन के नेता, शायद अब उनके आदर्श राहुलजी रहे नहीं, उस धारा की ओर आगे बढ़ेंगे नहीं। पर, सभापति महोदय, सदन के नेता की एक बात यहां उद्धृत करना उचित समझता हूं। उन्होंने एक बयान दिया। राहुलजी गांधी ने अपने त्याग पत्र में, चार पृष्ठ का जो पत्र लिखा वह कांग्रेस को मजबूत करने वाला है। वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नसीहत देने वाला है। उस पत्र की आत्मा क्या थी, मैं उस पत्र की आत्मा के तीन शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पत्र अंग्रेजी में है।

श्री सभापति: बजट का हिस्सा है क्या यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): Rebuilding the party.

श्री सभापति: यह पत्र बजट का हिस्सा है क्या?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका बार-बार नाम क्यों लिया जा रहा है? (व्यवधान) ज्यादा पढ़ने का शौक है क्या?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय सदस्य ...(व्यवधान) बजट पर बुलवाओ, कोई अनावश्यक बातें बोलने का कोई समय नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री अशोक (खण्डार): मनमर्जी से आप बजट के अलावा बोलेंगे। (व्यवधान) हम कैसे सुनेंगे।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस बजट का हिस्सा तो यह भी नहीं था, वे हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं, हम तूफानों से टकरा कर कारवां चलाते हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपके बजट में तो चार-चार शायरियां होती थीं, ये तो दो ही हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं अब तक की बात भी आपको कहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस पत्र की दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा-

"Rebuilding the party requires hard decisions and numerous people will have to be made accountable for the failure of 2019"

कई लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और मैं समझता हूं कि कल्लाजी, इस बांध में अब सूराख हो गये हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में हो, मिलिंद देवड़ा के रूप में हो, तरुण कुमार के रूप में हो और आप तो जानते हो कि बांध में जब सूराख होता है तो बांध को टूटना ही पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं यह यूं ही नहीं कह रहा, मुझे राजस्थान के अंदर भी एक परिवर्तन का एहसास हो रहा है और मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन के नेता ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसको लागू कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा?

श्री सभापति: परिवर्तन की अपेक्षा तो आप भी रखते हैं। माननीय उप नेता महोदय, परिवर्तन की अपेक्षा तो आप भी रखते ही हैं। ये अपेक्षाएं हैं। माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सदन के नेता ने 13 फरवरी को बजट वक्तव्य पढ़ा था तो उसमें 100 दिन की कार्यकारी योजना बनाई, घोषणाओं का अंबार लगा दिया और उन दिनों में एक ध्येय वाक्य उनका था, 13 फरवरी के उस बजट वक्तव्य में और उसके पश्चात लोक सभा के चुनाव की आहट है, कांग्रेस 25 की 25 सीटें जीतेगी, हो क्या गया? यह जो मैं रैफरेंडम की बात कर रहा हूं, छह महीने के अंतराल में 25 की 25 सीटों पर आप धराशायी हो गये और भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ 96 लाख 28 हजार 443 वोट लेकर उसके गठबंधन ने फर्स्ट डिवीजन से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है 60.36 परसेंट, कांग्रेस का वोट ग्राफ जो 5 परसेंट ज्यादा था वह गिरकर 20 परसेंट नीचे चला गया। अब यह गहलोत साहब की जादूगरी है या मोदीजी का मैजिक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि - 'मोदी है तो मुमकिन है।'

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर 19 लोक सभा क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ने 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट लिये और 17वीं लोक सभा का जो दृश्य हमारे सामने है दूसरी बार, 55 वर्ष तक शासन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करने वाली कांग्रेस प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पायी, 10 परसेंट सीट नहीं जीत पाए, 52 सीटों पर आपको संतोष करना पड़ा। अमेठी जैसा गढ़ आपका टूट गया। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में अकेले 50 फीसदी वोट लेकर गयी है 55 वर्ष तक राज्य करने वाली कांग्रेस को 18 राज्यों में शून्य, जीरो। कश्मीर से कन्याकुमारी की यह बात करते हैं 3999 किलोमीटर का सफर है, सड़क है, एक भी सांसद नहीं है और 48 साल बाद यह राजनीतिक दल पहला राजनीतिक दल है जिसने दिल्ली के अंदर दुबारा अपनी सत्ता बनाई।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि सदन के अंदर एक शेर और एक शेरनी जरूर है। एक तो रमेशजी मीणा और एक ममताजी, दो के अलावा सब धराशायी हो गये। 185 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ ने इनको रौंद डाला और अब ये अवसाद में हैं। अवसाद के इस वातावरण में जो बजट मुख्य मंत्रीजी लेकर आए हैं, इस बजट आकड़ों से मैं यह सिद्ध करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को पढ़ा नहीं। माननीय सभापति महोदय, कई बार हो जाता है, आप तो अनुभवी हैं इसलिए यह बजट हताशा-भरा हुआ बजट है। यह बजट सिर्फ औपचारिकता लेकर आया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मुख्य मंत्रीजी ने जो कल बजट पढ़ा उसके पृष्ठ-3 के पैरा-10 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पृष्ठ-3 का पैरा-10 यह कह रहा है- 'पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गयी थी। हमारे पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य, वर्ष 2010-11 में Revenue Surplus की स्थिति में पहुंच गया था तथा वर्ष 2012-13 तक लगातार Revenue Surplus में ही रहा। गत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण वर्ष 2018-19 में Revenue Deficit लगभग रुपये 29 हजार करोड़ तक पहुंच गया।'

यह पवित्र डाकूमेंट माना जाता है। आज मेरी बात सुनकर कोई उत्तर नहीं देंगे, पिछली बार भी यही हुआ था, इनकी बातों में कोई दम नहीं, यह कहकर मुख्य मंत्रीजी चले जाएंगे। मेरे पड़ौसी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह 29 हजार का आंकड़ा आया कहां से? माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सदन का ध्यान, एक किताब आपने कल ही और दी है, यह एफ.आर.बी.एम. एक्ट है, मध्यकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण, प्रकटीकरण विवरण 2019-2020 परिवर्तित, यह मुख्य सचेतक महोदय, मैं घर से नहीं लेकर आया, आपने दी और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आप तो साक्षी रहे हैं कि वर्ष 2005 में देश में एफ.आर.बी.एम. एक्ट आया। उसके पीछे मंशा एक ही थी कि सारी राज्य सरकारें जहां वित्तीय अनुशासन में बंधें, वहां आम-अवाम के पास एक ऐसा डाकूमेंट हो, जिसके द्वारा सारे जितने भी फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं, जो राज्य की खुशहाली के प्रतीक हैं, राज्य की आर्थिक रुग्णता के प्रतीक हैं, वह प्रामाणिक तौर पर जनता के बीच में चले जाएं और इसके पृष्ठ-1 पर 10 जुलाई को मुख्य मंत्रीजी ने हस्ताक्षर किये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो डाकूमेंट है, इसके पृष्ठ-9 के टेबल- राज्य वित्तीय संकेत, कॉलम-10 यह, इसमें लिखा है कि इस बार जो आपका राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, जिसको 29 हजार बताया, उसका आंकड़ा प्रतिपक्ष के नेता, इस डाकूमेंट में ऑथेंटिक है, 24824 करोड़ रुपये। यह आया कहां से डाकूमेंट, यह मेरे समझ में नहीं आया। पूर्ववर्ती सरकार पर सिर्फ एक ही, आप बार-बार कीचड़ उछालने के लिए कि हमने वित्तीय कुप्रबंधन कर डाला, आप जगलरी कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, मैं आपका ध्यान 13 फरवरी, 2019 को जो इन्होंने वक्तव्य दिया, वह मेरे पास है। उसके पृष्ठ-6 के पैरा-11 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं- 'वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा रुपये 24 हजार 824 करोड़ 91 लाख था।' मतलब, हम इस बजट पर बहस कर रहे हैं। मेरा सवाल इतना-सा है, चीफ-व्हिप साहब, मैं किस डाकूमेंट को सही मानूं? 13 फरवरी, 2019 को इसी सदन में सदन के नेता ने अपने बजट वक्तव्य में पृष्ठ-6 पर जो कहा, वह आंकड़ा सही मानूं या आपने एफ.आर.बी.एम. एक्ट की जो किताब मुझे दी, उसमें जो कॉलम-10 में लिखा वह सही मानूं या यह बात सही मानूं जो बजट के अंदर एक पवित्र डाकूमेंट में मुख्य मंत्रीजी कल बोलकर चले गये? मैं समझता हूं कि कम से कम हम बजट की सैंक्टिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करें।

मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्रीजी उत्तर दें तो निश्चित तौर पर इस बारे में बताएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक और पैरा की तरफ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिलाना चाहूंगा, यह पैरा भी कल मुख्य मंत्रीजी ने पढ़ा। पैरा है, बजट का पेज नम्बर-3, पैरा नम्बर-11, उसमें लिखा है कि- 'गत सरकार के पूर्ण कार्यकाल में Fiscal Deficit लगातार 3 प्रतिशत से अधिक रहा। यही नहीं, वर्ष 2015-16 में तो यह बढ़कर 9 प्रतिशत से भी अधिक रहा, जो कि गत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है।'

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 3 परसेंट किसका है? आप यह लिखना भूल गये कि गत सरकार के कार्यकाल में Fiscal Deficit 3 परसेंट तो रहा, पर किस चीज का 3 परसेंट रहा। टोटल टैक्स रेवेन्यू का रहा? टोटल नैट बोरोइंग का रहा? बजट को लिखते वक्त जैसा कि मैंने कहा न कि अवसाद बहुत बुरा होता है, माननीय सभापति महोदय, मैं भी एक बार कृष्ण जन्म भूमि में चला गया था, अवसाद बड़ा बुरा होता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें स्पष्टता का अभाव है और इसके पीछे जो कहना चाहते हैं मैं उस पर आ जाता हूं। आप कहना चाह रहे हैं कि यह जो आपका Fiscal Deficit और GSDP रेशो है, उसके बारे में कहना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट डाकूमेंट में मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि यह आर्थिक नीतियों का दर्पण है, आईना है। इस दर्पण में अक्स ही नहीं दिखा मेरे को तो। मैं निवेदन करूं कि यह जो इन्होंने Fiscal Deficit के बारे में लिखा कि Fiscal Deficit 9 परसेंट पहुंच गया और एफ.आर.बी.एम. एक्ट की जो लक्ष्मण रेखा है, उसको पार कर गया तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, एफ.आर.बी.एम. एक्ट के, यह 17-18, यह मेरे हाथ में है यह 17-18, यह 17-18 में जो डाकूमेंट आपने मुझे दिया, उस डाकूमेंट का पेज-17 है।

पेज 17 में प्रारूप प(1), उसमें प्रतिपक्ष के नेता, जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में इन्होंने फिस्कल डेफिसिट बताया 3.42, अब यह 9 प्रतिशत कहां से ले आये? 9 प्रतिशत की बात जो इन्होंने कही, वह इस बात को लेकर कही कि उस समय विद्युत कम्पनियां घाटे में डूब रही थीं। विद्युत कम्पनियों को बैंक उधार नहीं दे रहा था। विद्युत कम्पनियों पर जितना ऋण था, उसका 75 प्रतिशत टेक-ओवर करने के लिये 'उदय योजना' के माध्यम से इन दो वर्षों के अंदर 2014-15, 2015-16 के अंदर 30 हजार करोड़ रुपये दिये। जब यह पैसा दिया तो इस बात की चिंता थी कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंदर जो लक्ष्मण रेखा खींची गयी, उससे आगे जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहता हूं इसी डाकूमेंट के अंदर, जिसमें इन्होंने ऊपर लिखा 3.42 और नेता प्रतिपक्ष, इसके नीचे इन्होंने लिखा 'उदय योजना' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों के दिनांक 30.09.2015 तक बकाया ऋणों का 75 प्रतिशत टेक-ओवर किये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-2016, 2016-2017 में इस प्रकार का प्रभाव राज्य वित्तीय घाटे में सम्मिलित होने योग्य नहीं है। इस आधार पर 2015-16 में राज्य वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.37 प्रतिशत ही है। क्यों? क्या कारण है, मतलब आप इस तरह की बातें करके यह बाजीगरी क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज हो क्या रहा है?

सभापति महोदय, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, राजस्थान में आज आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है। ट्रैजरी के अंदर बिल अटे पड़े हैं। आज वही बिल पास होता है, जिसके लिये आपके यहां से जिला कलेक्टर को टेलीफोन आता है। जिला कलेक्टर टी.ओ. को कहते हैं। यह कमीशनबाजियां बढ़ गयीं बिलों के अंदर। बिल पास करने में कमीशनबाजी। आपने सारे के सारे कामों को रोकने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक और वक्तव्य की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बजट के डाकूमेंट में जो पहले आपने आपत्ति दर्ज करा दी, बजट किस हालात में प्रस्तुत किया गया, इस राजस्थान के राजनीतिक हालात क्या बन गये? किस कारण से, आज मेरे सामने वाले मेरे मित्र उचका करते थे, आज इधर से तो कुछ गायब ही हो गये, मतलब यह सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा क्यों बरपा है? इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो बजट दिया, मुख्य मंत्रीजी ने वह कल पढ़ा। उस बजट के पृष्ठ-3 के पैरा-12...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह आ गये, सन्नाटा तोड़ने के लिये आपके मित्र। आपका सन्नाटा तोड़ने के लिये आपके मित्र आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं इंतजार कर रहा था। मतलब सदन के अंदर, मैं मेरी बात रखूं और मेरे दो मित्र नहीं हों, उसका आनन्द नहीं आता।

श्री सभापति: आपको संबल देने आ गये यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पैरा 12 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पैरा-12 में क्या लिखा, जो मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, गत पिछली सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति के लिये अत्यधिक ऋण लिया, जिससे राज्य कर्जे के तले दब गया। जहां मार्च, 2014 के अंत में जब हमने शासन छोड़ा, तब कर्जा तथा अन्य लायबिलिटीज का कुल भार 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ था, जो कि राज्य की जी.डी.पी. का 23.58 प्रतिशत था। इस प्रकार हमारी सरकार एफ.आर.बी.एम. एक्ट 2005 द्वारा निर्धारित वित्तीय मानक 25 प्रतिशत के भीतर रखने में सफल रही, जबकि गत सरकार के समय में, वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों में यह बढ़कर 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ हो गया, जो कि राज्य की जी.डी.पी. का 33.47 था, बिलकुल सही है।

मतलब कहा तो यह था कि अब बस नया युग प्रारम्भ हो गया, यह कर्जा लेने की विदाई। यह कर्जा लेकर तो गुनाह किया। यह गुनाह हम नहीं करेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको बजट-एट-ग्लांस, यह किताब भी कल ही दी है। इस बजट-एट-ग्लांस के कॉलम 2.1 में, सभापति महोदय, शुद्ध लोक ऋण को बताया गया है। एक टेबल है, आपकी इजाजत हो तो मैं टेबल ही बोल दूं। 2017-18 में एक्चुअल्स के जो आंकड़े आये हैं, लोक ऋण के, वह आये हैं 25 हजार 348, आ गये, हमने लिया। 2018-2019 के जो हमने बजट एस्टीमेट प्रस्तुत किये, उसमें आंकड़े थे 28 हजार 61 करोड़, और उसके बाद जिसका आरोप लगा रहे हैं न 9 हजार करोड़ की इन्होंने फिजूलखर्ची कर दी। जाते-जाते बड़ा कर्जा लेकर इन्होंने बहुत-से ऐसे कामों में पैसा, जिसमें पैसा नहीं था, वह स्वीकृत करके चले गये। यह उसकी पोल खोल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): देखिये रोहित जी, अगर मैं असत्य बोलूं तो आपके पास अधिकार है, प्रिविलेज लेकर आ जाना। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह मैं नहीं कह रहा, यह आपकी किताब कह रही है। यह जो आर.ई. थी 2018-19 की, जिसके लिये आप उछल-उछलकर कह रहे थे, आर.ई. बताओ, वह है 31 हजार 448 करोड़, निश्चित तौर पर यह बढ़ गया। पर अब आपने क्या किया? आपने इतना बड़ा पैरा मुख्य मंत्रीजी से कहलवा डाला। बड़ा गुनाह कर दिया हमने कर्जा लेकर। आपकी जो बी.ई. है, वह है 32 हजार 740, यानी हमने जो एस्टीमेट किया था न उस वक्त में,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आर.ई. में बढ़ गया 3 हजार करोड़, वह तो 28 हजार 61 और आप ले रहे हो, अब 32 हजार, तो यह अंतर देख लो आप। मतलब आप 'बाबाजी बैंगन खाये और दूसरों को दें उपदेश'। अब इसमें लिखा रहे हो। यह मेरी समझ में नहीं आया, उनकी फिजूलखर्ची, शायराना अंदाज में मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं-

उनके बेवजह, बे-बजट
फिजूलखर्ची के बहुत किस्से हैं,
लगता है, इस बेपटरी गाड़ी को
ठीक करना, मेरे ही हिस्से है।।

काहे का हिस्सा, जिस कर्जे की बात को लेकर पानी पी-पीकर, तीन बार पानी पिया इन्होंने।

अनेक माननीय सदस्य: आठ बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): और उसके बाद उसी में यह डाकूमेंट यह कह रहा है कि 32 हजार 740 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। अब आपने बजट के पृष्ठ-4 के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने जाते-जाते 9 हजार करोड़ के विभिन्न कार्य चुनावी लाभ के लिये बिना बजट प्रावधान के ही स्वीकृत कर दिये। सभापति महोदय, मामला दूसरा था। इनको राजस्थान के अंदर सारे कामों को रद्द करना था। यह रोज जो सवाल लग रहे हैं, हमारी स्वीकृत सड़क बीच के अंदर, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में 9 सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. पर आ गयीं। फर्मान जारी कर दिया कि यह सड़क आगे नहीं बनेगी। यह पहली बार देखा है मैंने। यह छह महीने की समीक्षा के नाम पर जो झुनझुना कोटा से आने वाले माननीय सदस्य को पकड़ा दिया। मैं समझता हूं इस लोकशाही में, राजशाही का अंश अब अगर किसी में मौजूद रहा है तो कोटा से आने वाले माननीय मंत्री में रहा है। उन्होंने भी इस प्रकार के फर्मान जारी कर दिये, सारे काम रुकवा दिये। आज त्राहिमाम्-त्राहिमाम् हो रहा है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब यह जो आंकड़ा 32 हजार 740 है, इस आंकड़े को आपको हमारा जो सकल कर्जा है, उसमें जोड़ना ही पड़ेगा तो मुझे यह बता दो कि यह आंकड़ा एफ.आर.बी.एम. एक्ट में जो आपने लक्ष्मण रेखा 25 प्रतिशत खींची, उससे पार जाएगा कि नहीं जाएगा।

सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा कि इन्होंने भाषण में कह दिया, मैं बिना आथेटिंक बात के कुछ नहीं कह रहा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हूं, इन्होंने पैरा-13 में मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया- 'गत सरकार द्वारा बिना सोचे-समझे अत्यधिक ऋण लिये जाने से अब राज्य पर ब्याज भुगतान का भार अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है।' सभापति महोदय, मेरा दावा है हमने कर्जा लिया, राजस्थान के विकास के लिये लिया। राजस्थान में पहली बार पिछली सरकार का जो कर्जा है, उसमें डवलपमेंट एक्सपेंडिचर का कंटेंट आता है, मैं किताबों से बता दूंगा 82 प्रतिशत है। कर्जा लेकर तनख्वाह नहीं दी। हमने कर्जा लेकर विकास का काम किया है। गरीब किसान का कर्जा माफ करने का काम किया है। राजस्थान को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। अब कर्जा ले लिया, ब्याज भार बढ़ गया तो आपने हमें कोस दिया। पर अब आप क्या कर रहे हो? आपके पूत के पांव तो पालने में दिख रहे हैं। आपका तो पहला बजट है, आपके पहले बजट में हमारा जो कर्जा था, कर्जे पर ब्याज था ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह तो बता दो कर्जा कितना माफ किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं बता दूंगा, आगे बोल दूंगा, निश्चित तौर पर बोलूंगा। आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा काम है। सभापति महोदय, अब यह कर्जा ले रहे हैं, वह कर्जा ले रहे हैं 23 हजार 132 करोड़। यह मैं नहीं कह रहा, यह बजट-एट-ग्लांस कह रहा है। बजट-एट-ग्लांस 2019-20 पृष्ठ-2 कॉलम-4, दोषारोपण करना ठीक है। कांच के महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले खुद देख लेना चाहिये, या नीचे झांककर देखना चाहिये, एक अंगुली सामने करते हो तो चार अंगुली इधर आती हैं।

सभापति महोदय, आज सबसे बड़ा अगर विकास का पैमाना है, खुशहाली का पैमाना है, तो हमारा जी.एस.डी.पी. है, राज्य की जी.एस.डी.पी. जितना बढ़ेगी, उतना ही उस राज्य को खुशहाली के तौर पर आगे बढ़ा हुआ माना जाएगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह मैं नहीं कह रहा सभापति महोदय, यह आपने एक पुस्तक दी है। परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 2019-20, पृष्ठ संख्या-9 कॉलम संख्या-1, भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिये कह रहे हो, हमने तो राजस्थान के साथ बड़ा अन्याय कर दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2017-2018 और 2018-2019, अगर इन दोनों की तुलना करोगे तो लगभग एक लाख करोड़ की जी.एस.डी.पी. राजस्थान की बढ़ी, निश्चित तौर पर बढ़ी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा जब हम आर.ई. में आये तो हमारी जी.एस.डी.पी. थी 9 लाख 29 हजार 124 और अब हमें कह दिया हमने तो विकास किया ही नहीं। अब आप एस्टीमेट लेकर आये हैं जी.एस.डी.पी. का और एस्टीमेट लेकर आये हैं 10 लाख 2 हजार 430, यानी 95 हजार 180 करोड़ की जी.एस.डी.पी. की यह सरकार जिस सरकार के सामने सारे काम बंद हैं, उसको बढ़ा देगी।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान बजट भाषण के पृष्ठ पांच के पैरा 15 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि - 'राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है। आजादी के सात दशकों बाद भी खेती फायदे का सौदा नहीं माना जाता है।' बिलकुल ठीक है और खुद ही इस बार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में हमें जो आंकड़े दिये हैं वह आंकड़ा यह कहता है कि हमारी वार्षिक कृषि वृद्धि दर सिर्फ 2.48 परसेंट है और जी.एस.डी.पी. के अन्दर इस कृषि का योगदान लगातार गिर रहा है, 24.82 परसेंट है।

अब जहां उद्योग धंधे बंद हों, जहां रीयल एस्टेट औंधी पड़ी हो, जहां बजरी के कारण से माफिया पनप रहे हों और निर्माण कार्य बंद पड़े हों, जहां अभी तक मानसून हमें धोखा दिये हुए हो, मेरे को यह बताओ कौनसे सैक्टर में जी.एस.डी.पी. बढ़ाएंगे? किस सर्विस सैक्टर में बढ़े, इनको नौकरी देनी पड़ेगी, दूसरी सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जवाब दें, हालांकि अफसोस इस बात का है कि कोई बोलो चाहे बोलो, सभापति जी, अलमस्त हैं सब। यह जवाब कौन देगा, मैं पूछना चाहता हूं। यह राजस्थान जानना चाहता है, राजस्थान की खुशहाली के बारे में आपने राजस्थान की अवाम को जो सपना दिखाया वह सपना कैसे पूरा होगा, रोडमैप बताओ। इनके पास कोई रोड मैप नहीं।

एक माननीय सदस्य: रोड मैप्स तो उसमें हैं न, साहब, पेपर्स में। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और वे आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। (व्यवधान) आप विराजिये, विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): हमारे नेता को बोलने नहीं देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे, ध्यान रखना आप।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये आप। हर बात में आपको खड़ा होना जरूरी नहीं है, आसन पैरों पर है, विराजिये आप। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): हम तो बैठ जाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये, विराजिये। आपका हर बार खड़ा होना जरूरी है? विराजिये आप, विराजिये। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): काहे को डिस्टर्ब कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: राजेन्द्र राठौड़ साहब सक्षम आदमी हैं, वे अपना बचाव कर लेंगे, आप काहे को परेशान हो रहे हो? आपके नेता ने तो उनको जिम्मेदारी दी है आपकी सबकी और आप परेशान हो रहे हो इनके लिए, इनका काम कैसे चलेगा? (व्यवधान) विराजिये आप। यह आपकी गलत परम्परा है, हर बात पर खड़े मत होइये आप, सीखिये कुछ। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं। (व्यवधान) विराजिये, अब आप चुप रहिये। कोई गम्भीरता नहीं है। इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप बेवजह इन्टरवीन कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य मेरे वक्तव्य पर मजे और ना मजे की बात कह रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब, पहले तो आप यह करें कि आप अपना बचाव आप कर लेंगे कि आपके पीछे लगाऊं उनको? हर बात, आपका बचाव करने के लिए खड़े हो जाते हैं, आप उनको कहो कि बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी आज्ञा की पालना करनी है। माननीय सदस्य, मैं विरासत की राजनीति से यहां नहीं आया हूं, मैं एक्सीडेंटल राजनीति की पैदाइश भी नहीं हूं। 'चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हों,' इस पीठ पर आन्दोलन करते हुए पुलिस की लाठियां झेलते हुए और अभी तो हमारा दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): एक मिनट। यह बता दें कि लाठियां कब खायी हैं? अभी तो खायी ही नहीं आपने। कमाल कर रहे हो, लाठी चली ही नहीं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, भूल गये आप और हम, पुरानी विधान सभा और आपका अग्नि बाण छोड़ता हुआ भाषण और पुलिस की कैनन से चलता हुआ पानी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): वह बात तो पुरानी हो गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो फिर।

श्री सभापति: आप इधर देखिये। इधर देखिये आप, आसन की आई कैच करिये, उधर नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मैं आपका ध्यान बजट के पैरा नम्बर 25 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल बड़ी गर्वित मुद्रा में कह दिया, राज्य सरकार ने 30 नवम्बर, 2018 तक के किसानों के बकाया रहे 9 हजार 513 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण को माफ किया। यह भी दावा कर दिया कि 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि को रहन मुक्त करा दिया। अब कह रहे हैं, 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कहने वाली सरकार आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कृषि मंत्री जी कि वाणिज्यिक बैंकों के और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाखों के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र मंत्रालय से संवाद करेंगे। उद्योगों की तरह किसानों को भी वन टाइम का सैटलमेंट दें। कितने किसान हैं, आपके पास आंकड़ा नहीं है तो मैं बता दूं। सभापति महोदय, राजस्थान में जब इन्होंने यह घोषणा की थी 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ करने की, 59 लाख किसान 9 हजार 996 करोड़ उन पर अलग-अलग बैंकों का, उन्होंने सोचा हमारा कर्जा माफ होगा। उस समय इनको ध्यान नहीं था। एक, दो, तीन करके दस गिन रहे थे, कि यह जो कामर्शियल बैंक हैं, यह जो नोटिफाइड बैंक हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इनका कर्जा आप माफ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, सभापति महोदय, मन में इच्छा हो तो, बैंकों से बुलाकर बात करें, पर इनकी इच्छा नहीं।

इन्होंने बजट के पैरा 25 में यह भी कह दिया कि 20 लाख 46 हजार किसानों का ऋण माफ कर दिया। आज हालत क्या है?

श्री सभापति: यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, निर्मला सीतारमण जी से कह करके और पैसे दिलवा ही दो। आपके लिए वाहवाही लूटने का बड़ा अच्छा मौका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं सदन में जब अपनी बात कह रहा हूं तो आसन पर स्टेट्समैन बैठा है, एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है मैंने देखा है दलीय परिधि से ऊपर उठकर बेबाक बात कहने के धनी जैसा व्यक्तित्व बैठा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये 20 लाख किसानों को ऋण माफ करने की बात कर दी, ऋण राहत प्रमाण पत्र दे दिये। मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की आवाज बनकर पूछना चाहता हूं कि कितने किसानों के खाते में ऋण की राशि का अपलेखन करने का काम हुआ? हालात क्या हैं? खरीफ का ऋण जो एक अप्रैल से मिलता है, आज आनलाइन ऋण की बात कर रहे हैं, यह लाइन कब चलेगी, मेरे को मालूम नहीं है। रबी चली गयी, खरीफ का ऋण का एक रुपया राजस्थान के किसानों को इस बार फसल ऋण का मिला नहीं। उनको पैसों की जरूरत अब है। आप तो कभी खाचरियावास जाते नहीं हो, वहां खेती का समय अब है, उनको बीज की जरूरत है, खाद की जरूरत है। उनको अब ऋण मिले कैसे, उनकी साख सीमा नहीं बनी। साख सीमा बने कैसे, उनके खाते में अभी ऋण लिखा हुआ है, अपलेखन नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मुख्य मंत्री जी इस बात का भी जवाब दें कि यह धोखा क्यों किया?

हालांकि, सभापति महोदय, मैंने कहा न जनता बड़ा धमाकेदार फैसला करती है, यह सब हमारे साथी बड़े-बड़े धराशायी, धराशायी पीरों को मैं सलाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं।

सभापति महोदय, अभी बजट में मुख्य मंत्री जी ने 16 हजार करोड़ के सहकारी ऋण की घोषणा कर दी। मैंने सारे डाकूमेंट देख लिये, मेरे को नहीं, 16 हजार करोड़ का यह बजटीय प्रावधान कहां है, मुझे नहीं मिला। इन्होंने एक बात और कह दी जीरो इंट्रेस्ट पर 2012-13 में किसान की बहबूदी के लिए ऋण देने का काम हमने चालू किया था, वह बंद हो गया। मैं तारीख पूछना चाहता हूं, किस तारीख को बंद हुआ? मेरा दावा है दिसम्बर में जब आचार संहिता लगी उससे पहले तक राजस्थान के इन पांच सालों में, रिकार्ड पर बात जा रही है, 59 हजार करोड़ रुपये का ऋण राजस्थान के किसानों को मिला, जो आज तक नहीं मिला है। यह बिना कोई आधार पर 59 हजार करोड़ का ऋण मिला। यह जीरो इंट्रेस्ट पर ऋण देने की बात, ऋण राहत दी, यह योजना बंद कब हुई, मेरे को समझ में नहीं आया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब, सभापति महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो सच्चाई है। सरकार ने अपनी योजना बनाई। योजना भी यह बजट एट ए ग्लांस के पृष्ठ एक में है, 1 लाख 16 हजार 735. योजना बनी, राजस्थान के विकास की बात कही, बड़ी घोषणाएं कीं, पर यह पैसा आएगा कहां से? क्योंकि ऋण तो लेंगे नहीं, ऋण तो लेना उन्होंने कह दिया पाप है। मैं आपको ओथैंटिंक आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, मेरा सोर्स है सी.ए.जी. की रिपोर्ट, यह रही 2017-18, नई तो मुझे मिली नहीं। उसके अन्दर जो कुल वेतन पर भार आता है 37 हजार 54 करोड़ रुपये और ब्याज की अदायगी पर जो भार आता है वह है 19 हजार 719 करोड़ रुपये।

पेंशन पर जो भार है वह 13925 करोड़ रुपये है। यह डाकूमेंट कह रहे हैं। आपका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, वह 50605 करोड़ रुपये। प्रताप सिंह जी, आपने भी टैक्स ले लिया। आरटीओ ने ले लिया। कुछ टैक्स तो सरकार में आया और कुछ टैक्स ऊपर ही जाता है। उसकी बात मैं नहीं करता। सरकार के खाते में जो टैक्स आया है, टोटल टैक्स रेवेन्यू का, वह 50605 करोड़ रुपये है। यह बताता है कि राजस्थान में कैसे काम होगा? पैसा कैसे और कहां से आएगा। 139 परसेंट तो अबव टोटल टैक्स रेवेन्यू का पैसा इन वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी में जा रहा है।

सभापति महोदय, अभी 2018-19 का जो आपने एफआरबीएम एक्ट में दिया, उसमें मुझे इसका और अपडेट मिल गया। एफआरबीएम एक्ट का पृष्ठ (9), इसमें लिखा है कि वेतन पर जो भार आया, 2019-20 के अंदर, उन्होंने आरई और बीई दोनों को करके किया 55785, ब्याज अदायगी के ऊपर आ रहा है 23137, पेंशन पर आ रहा है 22579, कुल जो इन पर भार है वह 111486 करोड़ का। जो टोटल टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट है वह 77742 का है। इसको अगर देखें तो 151 प्रतिशत है। पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने।

सभापति महोदय, बात इन्होंने कितनी लंबी-लंबी कर दी। रिफाइनरी हमारे टाइम में, मेमू कोच, रेलवे ट्रैक बांसवाड़ा से टोंक, करौली, कौन मना करता है, करो न आप। लेकिन बताओ तो सही कि किस प्रकार करोगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह कृषक कल्याण कोष का जो पेज 17 में इन्होंने जिक्र किया, कहां है बजट में, हमें तो दिखा नहीं, कहां है उसमें?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, एक बहुत प्यारा सब्जैक्ट है माननीय मुख्य मंत्री जी का। किसी भी मौके पर रिफाइनरी की बात नहीं करें, जमे नहीं। 2008 के अंदर इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में बात प्रारम्भ की थी। उसके बाद इनके पूरे काल खंड में जितने भी बजट इन्होंने प्रस्तुत किए, रिफाइनरी का राग बड़े प्यार से अलापा। वक्त था 22 सितम्बर, 2013 का, यहां बैठे बहुत से लोग उसके साक्षी रहे हैं। बिना किसी स्वीकृति के पहुंच गए थे। बिना किसी लीज के, बिना किसी पर्यावरण स्वीकृति के, शिलान्यास करवा डाला उस समय तत्कालीन सबसे बड़ी नेता यूपीए की चेयर पर्सन से। 7 करोड़ रुपये के विज्ञापन दे डाले कि रिफाइनरी लग रही है। काला सोना उगलेगी। विकास के नए आयाम स्थापित करेगी।

सभापति महोदय, उसके बाद विदाई हो गई। इन्होंने जो एमओयू किया था, मैं चाहता हूं कि रिकार्ड पर बात चली जाए। रिफाइनरी की बात को लेकर सदन के नेता कल सदन के बाहर भी बहुत बजा रहे थे। 14 मार्च, 2013 को जो एमओयू किया एचपीसीएल के साथ, उसमें हमारी इक्विटी 26 परसेंट थी। तय कर दिया कि 15 साल के लिए 3736 करोड़ का इंट्रेस्ट फ्री लोन देंगे। कुल 56040 करोड़ का भार राजस्थान पर डाल दिया।

अब उसके बाद हम आ गए। बड़े-बड़े बैनर लगा दिए कि रिफाइनरी के काम को बंद कर दिया। री-नेगोशिएट किया है वसुन्धरा जी ने, धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी अनुपस्थिति में। उसमें विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् उसी कंपनी के साथ, उसी 26 परसेंट इक्विटी के अंदर, जो हमने री-नेगोशिएट किया, कहां तो आप दे रहे थे 3736 करोड़ रुपये इंट्रेस्ट फ्री लोन 15 साल के लिए और अब 1123 पर आ गया।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अब आप यह भी बता दो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए ...(व्यवधान) विराजिए माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कहां 1123 और कहां 3736 करोड़।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे नेता के कहते ही बैठ जाऊंगा। 40 हजार करोड़ का फायदा राजस्थान के अवाम का वसुन्धरा जी ने किया। उसके बाद 16 जनवरी को हमने प्रधान मंत्री जी से इसका शिलान्यास कराया। मैं असली

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात पर अब आ रहा हूं। देखिए रघु जी, एक जोइंट वैंचर एग्रीमेंट हुआ था एचपीसीएल के साथ 17 अगस्त, 2017 को। जो एग्रीमेंट हुआ उसमें एक बात यह भी थी कि 4 वर्ष में रिफाइनरी प्रोडक्शन प्रारम्भ करेगी। रिफाइनरी की जीरो डेट 18 अक्टूबर, 2018 रहेगी, यानी 2022 तक रिफाइनरी अपना काम चालू करेगी। 1123 करोड़ का इंट्रेस्ट फ्री लोन मिलेगा। जो फाइनेंशियल एनक्लोजर एसबीआई कंसोर्टियम के साथ हुआ, उसमें यह बात तय हुई थी कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट की कुल इक्विटी जो 14376 करोड़ है, उसमें राजस्थान का हिस्सा 26 परसेंट में 3738 करोड़ है, वह 4 किश्तों में देंगे। अब यह डाकूमेंट क्या कहते हैं जो मैंने बात उठाई।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप तो यह बता दो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बैठो आप। बहुत विद्वान हो ...(व्यवधान) विराजिए आप। फ्लोर मेरे पजेशन में है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, उधर। बैठ जाओ। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: राठौड़ साहब के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं 2 मिनट में खतम करता हूं। सामान्य सा प्रिंसिपल है कि इक्विटी की राशि किसी भी उद्योग में पहले खर्च होती है। यह तो जो कंसोर्टियम के साथ में इनका एग्रीमेंट हुआ 17 अगस्त को, उसमें तय हुआ। अब 2017-18 में जो बीई हमने की रिफाइनरी के लिए, वह 1120 करोड़ की। यह डाकूमेंट हैं मेरे पास।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कर दूंगा। टेबल कर दूंगा। आप कौन होते हो टेबल करवाने वाले?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, उसके बाद आरई 374 करोड़ की, प्रावधान किया बजट का। यानी जिस दिन प्रधान मंत्री जी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शिलान्यास करने आए, पाली से आने वाले माननीय सदस्य, उस दिन 1494 करोड़ की इक्विटी का प्रावधान किया।

सभापति महोदय, अब आप पधार आए। आपको रिफाइनरी लगानी है। आपने आते ही 2018-19 में 8 जनवरी को बीई का जो 374 करोड़ था, उसको काटकर 146 करोड़ किया। अभी जो 2019-20 का बजट रखा आपने, उसमें रिफाइनरी के लिए 254 करोड़ का प्रावधान किया। यानी अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो 4 साल में इक्विटी का पैसा देना है, वह 15 साल में नहीं देंगे। बात को कहना बड़ा आसान है लेकिन उसको यथार्थ में उतारना बड़ा मुश्किल है।

सभापति महोदय, आप मुझे टोक रहे हैं, मैं कुछ बातें छोड़ते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल पैरा 227 में यह घोषणा कर दी कि नया कर नहीं लगाऊंगा। बड़ा अच्छा किया। 300 करोड़ की राहत भी दे दी। लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दर्दनाक है। इस विधान सभा की जो हमारी परम्पराएं हैं, जिसमें कई अध्यक्षीय निर्णय किये गये हैं, मैंने आपकी अनुमति से उसमें बात भी कही थी। विधान सभा के चलते बाहर नीतिगत फैसले नहीं किये जा सकते। इन्होंने 6 जुलाई की रात को वैट 4 परसेंट बढ़ाया, सिर्फ इसलिए कि अगर इस बजट में बढ़ाते तो फिर यह पैरा जो इन्होंने लिखा है कि कोई कर नहीं लगाया, यह नहीं लिख सकते थे। यह जो बढ़ाया है इससे 1800 करोड़ का भार उपभोक्ता पर पड़ा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा में राजस्थान से इस बार बढ़ी हुई राशि से 7 रुपये 75 पैसे सस्ता डीजल मिल रहा है। पंजाब में 9 रुपये 1 पैसे सस्ता डीजल मिल रहा है। इसी प्रकार जो पैट्रोल है, वह हरियाणा में 5 रुपये 50 पैसे, पंजाब में 6 रुपये 34 पैसे सस्ता मिल रहा है। अब यह जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, वहां स्मगलिंग चालू होगी।

सभापति महोदय, आपने जो वादा किया था, जिस बारे में आपने कहा कि यह जन घोषणा पत्र, इसी बजट में कह दिया कि हमारे शासन का आधार है। उसमें तो आपने कहा कि हम डीजल और पैट्रोल को और सस्ता करने के लिए, जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कौंसिल में जाएंगे। नैचुरल गैस में आपने पैसा बढ़ा डाला। अन्याय करने की पराकाष्ठा आपने कर डाली।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप कर क्या रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं? नाम बदलने की एक परम्परा चला दी। आपने नि:शुल्क जांच और दवा योजना बनाई। हम शासन में आए तो हमने उस योजना को चालू रखा। मंत्री महोदय, अब आपके पास सारा विभाग है। जिस दिन आपने योजना छोड़ी, उस समय 247 करोड़ का बजट था। जिस दिन हम सत्ता से बाहर हुए, उस दिन यह बजट 370 करोड़ और 424 करोड़ के बीच का था। जिस दिन आपकी डिमांड आए उस दिन बता देना।

सभापति महोदय, अब गौरव पथ, जिसने राजस्थान का गौरव बढ़ाया, हिन्दुस्तान में जिसकी चर्चा रही, आपने उसका नाम बदलकर विकास पथ कर दिया। सभापति महोदय, मुझे एक एतराज है, यह इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में, माननीय शिक्षा मंत्री जी के हो सकता है कि कोई तकलीफ हो, भामाशाह के इतिहास को मिटाने की क्या जरूरत है। भामाशाह प्लेटफार्म पर राजस्थान में 4 करोड़ 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वह भामाशाह, जिसने जंग-ए-आजादी की लड़ाई में राणा प्रताप को जाकर कहा था, राणा, मेरा वैभव ले लो, मेरी सम्पदा ले लो, पर धरती के मान और सम्मान की लड़ाई को रोको मत। उस भामाशाह के इतिहास को मिटाने की कोशिश सरकार कर रही है। अब नाम बदलकर कह दिया राजस्थान जन आधार कार्ड। हो सकता है आप वसुन्धरा जी के विरोधी हो, लेकिन सारी महिलाएं थोड़े ही विरोधी हैं।

महिला मुखिया है उसमें। यह राजस्थान की महिलाओं के पास संदेश जाएगा, इस बार उन्होंने मतदान भी बराबर का किया है। मैं निवेदन करूं कि जो मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना थी, आपने देखा होगा यहां सार्क प्रतिनिधि आए, सार्क प्रतिनिधियों ने उस योजना को जाकर देखा और भूरि-भूरि प्रशंसा की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे उन्होंने कहा कि मैं जाते ही मेरे यहां इसको लागू करूंगा और उन्होंने लागू भी कर दिया।

एनजीटी में हमारी किसी की दखलंदाजी नहीं, एनजीटी ने इस योजना के बारे में कहा कि इस योजना की आज आवश्यकता है। किसान राहत आयोग हमने बनाया, उसका नाम बदलकर आप कर रहे हैं, कृषक कल्याण आयोग। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना का नाम बदलकर कर रहे हैं, राजीव गांधी जल संचय योजना। ईपीआरसी की बात कर रहे हैं पर टोकन अमाउंट भी नहीं रखा। आपने पैरा 124 में विद्यालयों की आधारभूत संचरना की बात की, 14 हजार अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए, कहने में क्या दिक्कत थी, एसएसए का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है, सरकार अपनी है, फैडरल सिस्टम है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको यह कहने की क्या बात थी कि राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू कर रहे हैं। एसएसए योजना है, आपने नाम बदल दिया कोई बात नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी में यह जो मानदेय बढ़ाया है वह अक्टूबर में केन्द्र सरकार ने बढ़ा दिया। आप यह कहो कि केन्द्र सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया था, आचार संहिता के कारण उसको लागू नहीं कर सके, इसलिए बीच का जो पैसा रह गया वह सारा पैसा हम देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब क्या कहूं, मेरे मित्र बैठे हैं।

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बस दो मिनट में, तीसरी मिनट ही नहीं। झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनकी एक लाख से ज्यादा वोटों से जनता ने पिटाई की। इन्होंने सोशल मीडिया पर यह कह दिया कि मैंने त्यागपत्र दे दिया है। कहां है त्यागपत्र? किसको त्यागपत्र? किस तारीख को त्यागपत्र? (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बजट की चर्चा है, कहीं तो रैस्ट्रिक्ट करो इनको। यह खुद कुछ भी लगा रहे हैं चौके-छक्के। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय रघुजी, मैं इसलिए कह रहा हूं। (व्यवधान) अब मैं बजट पर आता हूं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसका बजट से क्या ताल्लुक है?

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अन्तर्द्वन्द्व जब घर में चालू हो जाता है तब घर का बजट अपने आप ही बिगड़ जाता है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह बजट में है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं खाद्य मंत्रीजी की बात करूं जो कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह बजट का पार्ट है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अब कोई मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। (व्यवधान) मेरे पास कुछ ही रह गया है।

माननीय सभापति महोदय, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे की बात हुई। मैं कहने वाला था।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप भारतीय जनता पार्टी में आजकल काफी कुण्ठाग्रस्त हैं आज की तारीख में, इनकी कुण्ठा को मैं बताऊं यहां पर तो कैसा लगेगा बजट के ऊपर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, विराजें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह चीज ठीक नहीं है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मेरी भावना को कुछ शब्दों में पिरोकर आसन के सामने रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, एक छोटा-सा शेर है।

गुमराह करने की भी हद हो गयी,
फरेब करने की जैसे तुम्हारी जिद हो गयी,
कब तक बनाओगे ताश के महल,
बस करो अब तो हद भी बेहद हो गयी।
बड़े जालसाज हैं आपके ये इरादे,
ये हैं महज गुमराह करने के इरादे।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट आंकड़ों का मायाजाल है, यह बजट दिशाहीन है, यह बजट अवसाद में भरे हुए नेता का रखा हुआ बजट है, मुझे पूरी सहानुभूति है, यह बजट अंतदर्वंद्व से घिरी हुई सरकार का बजट है, यह बजट झूठ और फरेब के आधार पर, जिनका झूठ और फरेब खुल गया, लोक सभा की 25 में से 25 सीटों पर जिनको जनता ने धराशायी कर दिया, यह धराशायी लोगों का बजट है, इसका मैं विरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, इन्होंने जो लास्ट में कहा, यह जो सदन की मर्यादा के खिलाफ है, इस तरह से बोलना, पूरा बजट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, वह बोल चुके, मैं अपनी बात तो कह दूं। यह कह रहे हैं कि यह बजट झूठ है, झूठे आंकड़े, झूठा मायाजाल है। यह इसलिए कह रहे हैं कि इनके मन में इस बात का डर पैदा हो गया कि मोदीजी ने धोखा किया है। पैट्रोल-डीजल की रेट तो मोदीजी ने बढ़ाई, चार परसेंट वैट तो अपने आप ही बढ़ेगा जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी। माननीय सभापति महोदय, रेट तो अपने आप बढ़ेगा। पैट्रोल-डीजल केन्द्र सरकार ने बढ़ाया है, हमने नहीं बढ़ाया है। पैट्रोल-डीजल की रेट केन्द्र सरकार ने बढ़ाई और केन्द्र सरकार का बजट पिट गया, लोग हाय-हाय लगा रहे हैं, सपने चकनाचूर हो गए हिन्दुस्तान की जनता के। अब इनको लग रहा है, ठगा हुआ अपने आपको महसूस कर रहे हैं, हमारा बजट तो खराब हो गया ...(व्यवधान) हमारा बजट तो खराब हो गया इसलिए अब किसी भी तरह से अपनी कुण्ठा मिटाने के लिए जिस तरह से विरोध कर रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि आप खुद कुण्ठाग्रस्त हैं।

श्री सभापति। विराजिए। श्री संयम लोढ़ा।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। मैंने संयम लोढ़ा का नाम पुकार लिया, बाद में उठाना। (व्यवधान) विराजिए। माननीय सदस्य, संयम लोढ़ा।

आप लोग बार-बार इस तरह से करके, लास्ट में माननीय सदस्य जो यहां पर शाम तक बैठे रहते हैं उनके बोलने के लिए समय नहीं छोड़ते। अच्छा हो कि जो भी वक्ता बोल रहे हैं, अपनी बात कहें, बीच-बीच में इंटरवीन नहीं करें ताकि लास्ट के जो वक्ता हैं, रात 9 बजे तक बैठे रहते हैं, उनका कितना दिल दु:खता होगा इन बातों से? बोले और बाहर निकल गये, बोले और सदन से चले गये। वह शाम तक इंतजार करते हैं कि उनका नम्बर आएगा, वे अपनी बात कहेंगे, उनको मैं समय देता हूं तीन मिनट, चार मिनट, पांच मिनट। मेहरबानी करके पूरे अनुशासन में आप रहें, अपनी बात गम्भीरता से कहें, उसमें कोई इंटरवीन न करें ताकि अंत में जो वक्ता बोले उसे कुछ टाइम तो मिले अपनी बात कहने का।

माननीय सदस्य, श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, बजट की इस

(श्री संयम लोढ़ा)

चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राजस्थान के इस पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत ने मानवता से ओतप्रोत जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं हृदय के अंत:करण से राजस्थान की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, महान् स्वाधीनता सेनानी, पूज्य महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के उन महान आदर्शों को आत्मसात करते हुए, उनका उल्लेख करते हुए राजस्थान के इस पवित्र सदन में जो बजट रखा गया है, वह हमें उन स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों से जोड़ता है जब पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि समाज के सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे ध्यान में होना चाहिए और हमारी सारी योजनाएं, हमारे सारे निर्णय उसको लक्ष्य रखते हुए होने चाहिए। इस बजट के जरिये जो निर्णय, जो सोच माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदर्शित किया है, उसने राजस्थान की जनता की इस भावना को प्रमाणित किया है कि वह सही मायने में राजस्थान के गांधी हैं और राजस्थान के जनमानस के रूप में राजस्थान की जनता जो उनको देखती है, वह इस बजट में परिलक्षित होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पूरे राजस्थान के अंदर शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, श्री गुरुशरण छाबड़ा ने अपनी जान बाजी पर लगाकर जो संघर्ष किया और वह इस शराबबंदी के मिशन को लेकर वीरगति को प्राप्त हो गये, जो आज इस सदन में महाराणा प्रताप और भामाशाह की बात कर रहे हैं, वह सत्ता में होते हुए भी अपनी ही पार्टी के उस व्यक्ति के संघर्ष का सम्मान नहीं कर सके, अपनी ही पार्टी के उस व्यक्ति की जिंदगी को नहीं बचा सके, आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्य मंत्रीजी और उनकी सरकार ने उनके नाम पर कालेज का नामकरण किया है, उससे यह पता चलता है कि महात्मा गांधी के उन सिद्धांतों और आदर्शों को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री संयम लोढ़ाजी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, बजट पर एक नजर डाल ली जाए। किन-किन लोगों को स्पर्श करने की कोशिश की गयी है, मानसिक रोगी, आप बताइए, हंस रहे हैं पीछे, हंस रहे हैं, उनकी पीड़ा राजस्थान का मुख्य मंत्री अपने बजट में समझ रहा है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। घर के लोग उन्हें असहाय छोड़कर चले जाते हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता है, हास्पिटल के अंदर परिवार का सदस्य साथ नहीं जाए तो हास्पिटल में उनको भर्ती नहीं किया जाता है, ऐसे सबसे पीड़ित व्यक्ति के बारे में राजस्थान के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति सोच रहा है, इससे ज्यादा गौरव की बात इस पवित्र सदन के लिए क्या हो सकती है? उनके लिए हाफ-वे-होम, पूरे राजस्थान की नई पीढ़ी को एक संदेश दिया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि जो परमात्मा के अन्याय का शिकार हुआ है उसकी भी तकलीफ में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं। इसका संदेश उन्होंने हमारी नई पीढ़ी को दिया है।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, भिखारियों से मुक्त जयपुर। मैं जोधपुर में कानून का विद्यार्थी था। मुझे वह समय याद है, जब अशोक गहलोत की प्रेरणा से गांवों में चारा बांटने जाते थे, गरीब परिवारों का चयन करते थे, गांव की चौखट पर जाकर उन्हें गेहूं बांटते थे। एक समय वह भी था जब पूज्य महात्मा गांधी को लेकर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था-

तुम तो प्राण दे चुके बापू स्वयं उन्हें साधारण जान,
कृपया कभी न करना अब फिर अपने दिये हुए का दान,
उन्हें न्यास सा रखना आगे,
अब उन पर अधिकार उन्हीं का,
उनमें हैं जिनके भगवान और भाग्य जिनके हैं जागे।।

लेकिन आज राजस्थान की सरकार का प्रस्तुत किया हुआ बजट हमें उन महान मूल्यों से जोड़ता है। माननीय सभापति महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू का जब निधन हुआ, उनकी टेबल पर क्या लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वह कविता-

"The woods are lovely, dark and deep,
but I have promises to keep,

(श्री संयम लोढ़ा)

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep”

-Robert Frost

माननीय सभापति महोदय, आज उन्हीं महान आदर्शों, उन्हीं बताये हुए रास्तों का अनुकरण राजस्थान सरकार का यह बजट कर रहा है। किसान कल्याण कोष, एक वह सरकार भी थी जिसे किसानों के कर्जे की बात करके उसका निर्णय करने में 48 महीने लग गये। 48 महीने तक राज में आने के बाद उन किसानों का खयाल नहीं आया और एक यह सरकार है, जिसने 48 घंटे में निर्णय किया।

वादा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। लागत पर 50 परसेंट जोड़कर उन्हें मुनाफा देने का क्या हुआ? सारे वादे हवा हो गये। आज इस सदन में मैंने देखा था, किसान सम्मान निधि को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार यह कर रही है, दूसरे यह कर रहे हैं। क्या देना चाहते हैं किसानों को, दिन के साढ़े सोलह रुपये? दिन के साढ़े सोलह रुपये देना चाहते हैं? आपकी नजर में, देश के प्रधान मंत्री की नजर में हिन्दुस्तान के किसान की यह कीमत है, साढ़े सोलह रुपये? माननीय सभापति महोदय, लज्जा आती है मुझे यह देखकर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई अंकित नहीं होगा। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिए, नहीं तो आपका नाम लेना पड़ेगा, विराजिए आप। (व्यवधान) बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा किसी का। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिए। आप बैठिए, कोई सलाह नहीं मांग रहा है आपसे। माननीय संयम लोढ़ा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गांधी-नेहरू परिवार ने इस लायक बनाया आपको कि इस सदन में खड़े हैं आप। गांधी-नेहरू परिवार के पैरों की धूल से भी तुलना नहीं कर सकते हैं आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: बैठिए, विराजिए, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको राजस्थान की इस विधान सभा में पहुंचने लायक बनाने के लिये पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी जिंदगी के दस साल जेल में बिताये थे। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह विदेश में नहीं पढ़ सकते थे। वे विदेश में पढ़े थे, उस वक्त उनकी कोई हैसियत थी, इसके बाद भी देश के लिये, लोगों के लिये वे जेल में गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, आसन यदि नाम पुकारता है तो गम्भीर बात होती है, मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए आप, बिल्कुल अलाउ नहीं करता मैं आपको। बैठिए आप, विराजिए आप। अपनी बात कहने दीजिए उन्हें। यह क्या तरीका हुआ? आसन पैरों पर है, तब भी आपको संकोच नहीं। बीच-बीच में बोलना आपकी फितरत हो गयी है। गम्भीर चर्चा हो रही है, वाद-विवाद में वे अपना वक्तव्य दे रहे हैं, जरूरी है आपका हर बात में बीच में बोलना-टोकना? वे अपनी बात कह रहे हैं, आपका जब नंबर आये, तब आप अपनी बात कहियेगा। बीच में मत इंटरवीन करिए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मूक बधिर, हमारा भी ध्यान नहीं जाता। कैसे उन्हें समझाया जाए, कैसे उन्हें बताया जाए, कैसे उन्हें पढ़ाया जाए, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा उन्होंने एक निर्णय किया कि 200 कार्मिकों को हम सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण देंगे, जिसके जरिये वे मूक बधिरों की सेवा कर सकें। विशेष योग्यजन, कहां सुनवाई है? क्या हम ध्यान रखते हैं कि जिस भवन से हम गुजर रहे हैं, उसमें चढ़ने के लिये स्लोप वाला कोई रास्ता बनाया हुआ है कि नहीं? हमारे सचिवालय में बनाया हुआ है कि नहीं, कलेक्ट्रेट में बनाया हुआ है कि नहीं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन विशेष योग्यजन के लिये हैल्प लाइन केयर का इस बजट में अनाउंसमेंट किया है। ये सारे निर्णय बताते

(श्री संयम लोढ़ा)

हैं कि जो व्यक्ति कुदरती तकलीफ में है, उनके मन में उसकी तकलीफ में भागीदार बनने का कैसा संकल्प और जुनून है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में देश का नौजवान छला गया। एक करोड़ सरकारी नौकरियां, एक लाख सरकारी नौकरियां। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के चार साल गुजर गये, मृतक आश्रित नियुक्ति के अलावा कोई नियुक्ति नहीं कर पाये और जब चुनाव का समय आया तो 1 लाख 40 हजार भर्तियां निकालीं, जिसमें से 56 हजार हाई कोर्ट के स्टे में चली गयीं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्य मंत्री अशोक गहलोत उन लोगों में नहीं हैं। पहले ही साल में उन्होंने घोषणा की है 75 हजार सरकारी नौकरियां देंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस पवित्र सदन में बहुत से ऐसे नौजवान नेता मौजूद हैं, जो अपने विद्यार्थी जीवन से राजनीति करते आये हैं। कोई एक दर्जन यूनिवर्सिटी के एक्स-प्रेसीडेंट्स इस हाउस में मौजूद हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्स-प्रेसीडेंट्स हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सोचा, 'एक उद्यमी, एक खेल', ताकि प्रदेश के नौजवानों को खेलों से जोड़ा जा सके, हमारे खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। माननीय सभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे हिन्दुस्तान में 44 फीसदी बच्चे एक भी खेल नहीं खेलते।

आज कोई भी बच्चा फेल हो जाता है इंटरव्यू या एग्जाम में तो आत्महत्या कर लेता है। क्यों कर लेता है? सिर्फ इसलिए कर लेता है कि जिंदगी में उसने हारना नहीं सीखा। अगर बच्चा खेलेगा तो रोजाना हारेगा और रोजाना जीतेगा, इससे वह एक मजबूत व्यक्तित्व बन जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनती करना चाहता हूं कि वह स्कूल में खेल को एक सब्जैक्ट के रूप में शामिल करे, जिससे हमारे राजस्थान की इस नयी पीढ़ी को खेल से जुड़ने का अवसर मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि किसकी क्या हैसियत है। कैंसर का पेशेंट, किडनी का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट। कैंसर की दवाइयां कितने लोग एफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इस कारण से मर जाते हैं कि उन्हें दवाइयां नहीं मिल पातीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आम जनता की तकलीफ को आम जनता के बीच से उन्होंने उठाया और

(श्री संयम लोढ़ा)

ये सारी दवाएं नि:शुल्क दवा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया। हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, मेडिकल कालेज में जाएं तो सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई. का पैसा देना पड़ता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सबको इसमें शामिल करने का निर्णय किया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की एक बहुत ही लोकप्रिय योजना पिछले टर्म की थी- धार्मिक तीर्थ यात्रा। उस धार्मिक तीर्थ यात्रा में उन्होंने पशुपतिनाथ के दर्शन भी शामिल करने का निर्णय किया। मन में रह जाता था, बच्चे ले जा नहीं पाते थे, पर राजस्थान के उन सारे नागरिकों के लिये अशोक गहलोत श्रवण कुमार बनकर सामने आये हैं और पशुपतिनाथ की यात्रा का इंतजाम उन्होंने किया है। यह होती है एक प्रदेश के मुखिया की सोच।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के दोस्त एक नारा लगाने में हमेशा अग्रणी जरूर रहते हैं, गौमाता की जय, अब बताओ जरा गौमाता के लिए क्या किया पांच साल में? अशोक गहलोत थे जिन्होंने 2013-14 में बिना सैस लगाये राजस्थान की समस्त गौशालाओं को अनुदान दिया था और आप? 9 महीने का झांसा देकर सत्ता में आये, चार साल कुछ नहीं दिया उसके बाद भी सैस लगाकर दिया और मेरी चुनौती है कि पांच साल में आपने राजस्थान की किसी एक भी गौशाला को छह महीने अनुदान दिया हो तो सदन की मेज पर आप कागज रख दीजिये। जब पांचवां साल आया तो लोगों को गुमराह करने के लिए घोषणा कर दी कि हम छह महीने देंगे। क्यों? क्योंकि तीन पहले तो पहले दे दें और तीन महीने लास्ट के आएंगे तो देंगे और नहीं आएंगे तो गये, पर मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शुरूआत के तीन महीनों का पैसा भी जो पिछले साल ये गौशाला का छोड़कर गये थे, वह दिया। आप गौमाता की जय बोलते हैं, आपमें अगर सच्चाई और हिम्मत है तो इस सदन की मेज पर रखिये कि आपने राजस्थान के हर जिले में एक नन्दी गौशाला बनाई? हर जिले में बनाने का काम किया? नहीं किया। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस बजट में घोषणा की है गौ माता की सेवा के लिए कि हर पंचायत समिति के स्तर पर हम नन्दी गौशाला खोलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, क्या हालात बना दिये राजस्थान के, क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

हालात बना दिये पांच साल में, हमारे बहुत से मित्र बैठे हुए हैं, हमारा मण्डार गुजरात की सीमा पर लगता है, वहां के माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं, उधर जाओ तो 5 टन की रॉयल्टी थी 150 रुपये, इधर आओ तो 5 टन की रॉयल्टी थी 800 रुपये। पूरे साढ़े तीन साल तक बजरी में उन ठेकेदारों के साथ मिलकर राजस्थान की जनता को लूटने का काम इस सरकार ने किया था। उसके बाद में वह रुक गई तो बाहर निकालने का कोई काम नहीं, कोई प्रयास नहीं। आज राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने नई नीति लाने की घोषणा की है।

पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के अन्दर क्या सपने राजस्थान की जनता को दिखाये कि पूरे हिन्दुस्तान में हम नम्बर वन होंगे, कहां रह गये हम नम्बर वन? पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमेशा से एक पारदर्शिता से काम करने की इन्होंने कोशिश की। अभी भी उन्होंने सदन में घोषणा की है कि वे नई पवन ऊर्जा नीति लेकर आएंगे, नई सौर ऊर्जा नीति लेकर आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी मायड़ भाषा राजस्थानी है और अपने घरों में हममें से बहुत लोग मारवाड़ी बोलते हैं लेकिन उस राजस्थानी भाषा के संरक्षण के लिए हम क्या करें, कैसे राजस्थानी साहित्य के लोगों को एक मंच दें तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह भी ध्यान रखा क्योंकि उनकी भी मातृभाषा मारवाड़ी है। राजस्थानी साहित्य सम्मेलन करवाने के लिए और उसमें बजट प्रावधान इस बजट में उन्होंने करने की कोशिश की है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने जो बातें रखीं वही बातें अपने आप में जाहिर करती हैं कि बजट पर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। चारों तरफ, राजस्थान के हर क्षेत्र में वाहवाही का माहौल है, प्रसन्नता का माहौल है। शिक्षा का बजट देखिये आप, 2018-19 को प्रोविजन था 36 हजार 236 करोड़ और अब 40 हजार 14 करोड़, इनसे 10 परसेंट ज्यादा। ऊर्जा का बजट, इनके पिछले साल में था 25 हजार 185 करोड़, अब है 28 हजार 498 करोड़, इनसे 13 परसेंट ज्यादा। पेयजल आपूर्ति, आवासन एवं नगरीय विकास, इनका बजट था 13 हजार 883 करोड़, अब है 15 हजार 34 करोड़, इनसे 8 परसेंट ज्यादा। ग्रामीण विकास का बजट था 13 हजार 703 करोड़, अब है 14 हजार 400 करोड़, इनसे 5 परसेंट ज्यादा। सामाजिक सुरक्षा कल्याण, इनका बजट था 10 हजार 688 करोड़, अब है 13 हजार 205 करोड़ इनसे 24 परसेंट ज्यादा। स्वास्थ्य का बजट 12 हजार 163 करोड़ था,

(श्री संयम लोढ़ा)

अब है 13 हजार 39 करोड़, इनसे 7 परसेंट ज्यादा। कृषि का बजट था 9 हजार 532 करोड़, अब है 10 हजार 86 करोड़, इनसे 6 परसेंट ज्यादा। क्या बोलेंगे? क्या है इनके पास बोलने के लिए? एक साल का फर्क और जिसमें आबंटन की राशि यह बताती है कि राजस्थान के किस-किस क्षेत्र को राजस्थान की मौजूदा सरकार नई ऊंचाइयां देना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, अभी आज सुबह अख़बार में मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा एक पूर्व मुख्य मंत्री का, नाम नहीं लूंगा। राजस्थान के लोगों को ठगा गया, सदन में आकर बताइये कि कैसे ठगा गया तब मालूम पड़ेगा कि कैसे ठगा गया। माननीय सभापति महोदय, 2013-14 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर्जा छोड़कर गई थी 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ रुपये का और ये 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ रुपये का। किसने ठगने का काम किया राजस्थान की जनता को?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जो एफआरबीएम एक्ट के नार्म्स हैं, जब कांग्रेस की सरकार ने यह कर्जा लिया हुआ था तो वह वित्तीय मानक के भीतर था और आज 25 परसेंट के वित्तीय मानक को क्रोस करते हुए 33.47 परसेंट पर जाकर हम खड़े हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में जो शेर लिखे हैं कि पटरी पर लाना मेरे हिस्से में है तो गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है, ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता।

फिजूलखर्ची, सरकारी खर्चे पर गौरव यात्रा पूरे राजस्थान के कोने-कोने में निकालने के लिए निकले थे, पर राजस्थान हाई कोर्ट ने फटकार लगाकर निरस्त कर दिया। अपनी जेब से पैसे दो आपको यात्रा करनी हो तो। इससे ज्यादा इससे बड़ा फिजूलखर्ची रोकने का क्या उदाहरण हो सकता है माननीय सभापति महोदय?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्व घाटा, आपका क्या अनुमान था राजस्व घाटे का जब आपने बजट प्रस्तुत किया था? आपका अनुमान था 17 हजार 455 करोड़, 1.88 परसेंट और हुआ कितना? 29 हजार करोड़। अब आप दोनों किताबों की तुलना करके सदन को गुमराह करने की कोशिश मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपको टोकना नहीं चाहता, पर यह जो मैंने बात रखी, मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाओ अगर मेरा एक भी आंकड़ा गलत हो तो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। बिलकुल दूंगा। सरकार भी देगी, मैं भी दूंगा।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। उप नेता महोदय, विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनकी तरफ से तो कोई है नहीं और आपके ही कंधों पर बैसाखियां टिकी हैं इनकी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे कंधों पर तो राजस्थान की जनता का आशीर्वाद है वही पूरा कर रहा हूं मैं। हुकुम की पालना, मेरे जैसा छोटा आदमी सदन में आ गया, यह उस जनता की मेहरबानी है, उसी के हुकुम की पालना कर रहा हूं। आप जो यह आंकड़ों में इस किताब और उस किताब में फर्क बताकर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वह किताब एक महीने पहले छप गयी इसलिए आपका एक्चुअल आंकड़ा उसमें नहीं आ सका। यह बजट कल पढ़ा गया है, इसमें आपकी एक्चुअल जन्मपत्री आई हुई है माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रिकार्ड पर गलत चीज जा रही है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह गलत बात है, सुनने का माद्दा भी रखो आप।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजकोषीय घाटा, 28 हजार 11 करोड़ का आपका अनुमान 2.98 परसेंट और कहां लेकर खड़ा कर दिया? 31 हजार 473 करोड़ पर 3.39 परसेंट पर खड़ा कर दिया। आप एफआरबीएम एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। कहां लाकर आपने राजस्थान को खड़ा कर दिया है? माननीय मुख्य मंत्री जी जब आपको सौंपकर गये तब विदिन थ्री परसेंट थे आप। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर बड़ा दु:ख होगा कि हम किन राज्यों की तुलना में पिछड़ गये। बिहार 4.1 परसेंट रेवेन्यू सरप्लस का बजट दे रहा है, जम्मू कश्मीर 8.7 परसेंट, झारखण्ड 2.1 परसेंट, मिजोरम 7.5 परसेंट। पांच साल में राजस्थान का भट्टा बिठा दिया आपने और अब आप बात कर रहे हैं कि हम महाराणा प्रताप की विरासत के वारिस हैं।

श्री सभापति: भायल साहब, अपने स्थान पर जाइये आप। दूसरी जगह पर बैठकर बोलें नहीं आप। शान्त रहिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 2011-12 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त राजस्थान के सकल मूल्य वर्धन में कृषि का क्या योगदान था। 28.56 परसेंट और आपने 2018-19 में 24.82 परसेंट पर छोड़ा है। उद्योग में....

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, इतना समय इनके लिए क्यों? ये मालिश कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस दे रही है।

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पेट में इनका नमक है, 10 साल इस पार्टी का एमएलए रहा हूं। ये खतम नहीं हो सकता।

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए, कोई अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए आप, विराजिए, विराजिए। ये मुझे तय करना है, समय किसका पूरा हुआ है, या नहीं हुआ है। विराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, उद्योग का योगदान सकल मूल्य वर्धन में राजस्थान के 2011-12 में 32.69 परसेंट था, जिसको उन्होंने 2018-19 में 30.19 पर लाकर खड़ा किया। आठ साल की तुलना करिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को कहां पर लाकर खड़ा किया है। अगर मैं आल इंडिया के अनुमान से तुलना करूं तो सेवा क्षेत्र में भी हमारा कंट्रीब्यूशन नेशनल कंट्रीब्यूशन जो 54.30 है, हम 44 पर खड़े हैं। आने वाले वक्त में मैं इस सरकार से भी विनती करूंगा कि सेवा क्षेत्र के अन्दर योगदान बढ़ाने की चेष्टा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था 2013-14 में, जब कांग्रेस की सरकार रवाना हुई, 75 हजार 509 करोड़ रुपये और 2017-18 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़कर पहुंच गया 1 लाख 45 हजार 841 करोड़ और इस 2018-19 का अनुमान है 1 लाख 73 हजार 8 करोड़ रुपये, जब आप इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे तो लोगों का कल्याण क्या करेंगे, लोगों का भला क्या करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 18.63 परसेंट बढ़ा और जब जाकर 1 लाख 91 हजार 19 करोड़ पर पहुंच जाएगा,

(श्री संयम लोढ़ा)

हम राजस्थान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये राजस्थान की जनता को बताइये और इससे भी ज्यादा अफसोस का विषय है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो 2018-19 का भी एस्टीमेट था कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपके बजट में 25 हजार 740.30 करोड़ रुपये.....

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): दो दिन से हम भी देख रहे हैं, +++ हो रहा है। आप हमको दो मिनट में बिठा देते हो, इनको आधा घंटा हो गया। यह गलत बात है, सभापति जी। यह +++ नहीं चलेगा, सभापति जी...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय जी, हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन यह +++ है। आप हमको दो-दो मिनट में बिठा देते हो। आप इधर के लोगों को दो मिनट में बिठा देते हो...

श्री सभापति: आसन पैरों पर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ये गलत बात है, सभापति जी, इनको आधा घंटा दे रखा है आपने। इनका समय कितना हुआ आप ही चैक करें, हम आसन का सम्मान करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप हमको दो-दो मिनट में बिठा देते हैं, ये कौनसा तरीका है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, आसन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। आसन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, विराजिए, विराजिए। आप विराजिए, श्री लाहोटी विराजिए आप। आसन पैरों पर है। माननीय संयम लोढ़ा। आप विराजिए, विराजिए। मुझे बाध्य होकर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं आसन पैरों पर है। आप कोई नियम कायदा नहीं मानेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का हाल है क्या ये? बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, आसन पैरों पर है। इसकी कोई मर्यादा रखिए, आप बैठ जाइए।

ये मेरा अधिकार है कि मुझे किसको बुलाना है। अब आप बिलकुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे, आप चुपचाप बैठेंगे। माननीय राजेन्द्र राठौड़ एक घंटे

(श्री सभापति)

से ज्यादा बोले मैंने किसी को टोका आपको। क्यों बार-बार इंटरवीन कर रहे हैं, विराजिए। क्या मजाक बना रखा है आपने। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बैठिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पांच साल में राजस्थान की कैसी तस्वीर बनाई है। आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 2018-19, इन्होंने अनुमानित किया 25 हजार 740.30 करोड़ और संभावित क्या है 21 हजार 61.59 करोड़ और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की वह आर्थिक दुर्दशा की है कि इस सरकार को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 2019-20 के लिए 19 हजार 472 करोड़ रुपये करना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, पांच साल से जिनके कुशासन से राजस्थान की यह हालत हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने टैक्स रेवेन्यू रिसीट बढ़ाया किसमें। आप फिगर देखिए, कौनसे कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई 2013-14 में, दारू और ये सब बेचकर 4 हजार 981 करोड़ रुपये का टैक्स राजस्थान को मिलता था। उस टैक्स को इन्होंने पहुंचा दिया 2017-18 में 7 हजार 275 करोड़, ये दारू बेचने के एक्सपर्ट हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो तो हो, जंगल में हो दुकान खोलो, आवासीय क्षेत्र में हो दुकान खोलो, कोई नहीं हो तो लोहे का कैबिन लगा दो, हाइवे पर दुकान खोलो, सुप्रीम कोर्ट को मत मानो, हाई कोर्ट को मत मानो, म्युनिसिपल एक्ट को मत मानो, पंचायती राज एक्ट को मत मानो, पैसा आने दो...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। शांत रहिए, चुप रहिए। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दूसरा माननीय सभापति महोदय, मुझे संरक्षण प्रदान करो।

श्री सभापति: समाप्त करें, आप क्यों इनवाइट करते हो, आप अपनी बात करिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, और दूसरा टैक्स रेवेन्यू किसमें बढ़ाया विद्युत कर तथा शुल्क में, 2013-14 में 948 करोड़ रुपये का विद्युत कर और शुल्क की वसूली थी 2017-18 में, इन्होंने बढ़ाकर पहुंचा दिया 3 हजार 3 सौ 76 करोड़। पूर्व ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, पिछले दरवाजे से लोगों की जेब से कैसे पैसे निकालना, ये इसका सबूत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे..

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें, प्लीज दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मुझे टाइम मिला हुआ है पूरा, आप उसमें से काट लेना, इनके टाइम में से।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। आप अपनी बात, मुझे पता है किसको कितना मिला।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे कि हमने 80 परसेंट पैसा विकास पर खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, 2015-16 में विकास पर खर्चा था 1 लाख 33 हजार 369.89 करोड़ रुपये और घटकर 2017 में हो गया 1 लाख 23 हजार 821 करोड़ रुपये, कौनसे विकास पर खर्चा किया। गैर विकास पर आपका एक्सपेंडिचर क्या है। 2013-14 में 23 हजार 922 करोड़ रुपये और 2017-18 में 43 हजार 977 करोड़ रुपये गैर विकास पर आपका खर्चा है। माननीय सभापति महोदय, कुल व्यय पर टोटल एक्सपेंडिचर में डवलपमेंट का शेयर है, जो 2015-16 में 80.92 था, 2017-18 में घटकर 73.89 हो गया। आप तो गाड़ी को पीछे ले आए। इसीलिए आपको रवाना कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मैने पहले ही बोल दिया भाई कभी-कभी शादी के घोड़े रेस के मैदान में उतार दिये जाते हैं तो टिकट विकट की परवाह मत करो आप।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से एससी, एसटी पर प्रति व्यक्ति जो खर्च है। उसमें सारे राज्यों का औसत है प्रति व्यक्ति 770 रुपये, बहुत अफसोस की बात है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति 2011 से 2019 तक की हम तुलना करें, निकालें तो प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 247 रुपये है जो बहुत कम है। स्वास्थ्य पर हम सिर्फ चार रुपये ज्यादा हैं जो राज्यों का औसत है उससे। 785 रुपये राज्यों का औसत है और हम 789 रुपये प्रति व्यक्ति कर रहे हैं। देश में ऐसे भी स्टेट हैं जो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर 12

(श्री संयम लोढ़ा)

हजार रुपये खर्च कर रहे हैं, पांच हजार रुपये खर्च कर रहे हैं, चार हजार रुपये खर्च कर रहे हैं और शिक्षा पर माननीय सभापति महोदय, हम पिछड़े हुए हैं। पूरे देश के राज्यों का औसत है प्रति व्यक्ति 6,471 रुपये खर्च करने का। राजस्थान में हम मात्र 6,018 रुपये शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसको बढ़ाएं।

माननीय सभापति सभापति महोदय, कुल बजट का एससी/एसटी पर जो एक्सपेंडिचर है, राज्यों का औसत जो 2011-15 में चार साल में वेतन आयोग आने से पहले 2.8 परसेंट था वह 2015-19 के बीच में हो गया 2.9 परसेंट, लेकिन राजस्थान में 2011 से 2015 के बीच में जो एससी/एसटी के वैलफेयर पर खर्चा 1.3 परसेंट था कुल बजट का वह घटकर 1 परसेंट रह गया। यह तमाम मानवीय सद्भावना से किये हुए प्रयासों के बावजूद समाज का जो सबसे वंचित तबका है जिसने सदियों से शोषण भुगता है, अपमान सहन किया है उन सबको बाहर लाने के लिए माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सरकार से विनती करूंगा कि इस शेयर को वह बजट में बढ़ाए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने राज संभालते ही पानी का बिल माफ, कर्जे माफ, पेन्शन बढ़ायी, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया, बिजली का बिल पांच साल में नहीं बढ़ेगा, लड़कियों की शिक्षा फ्री, ऐसे सारे निर्णय किये और कन्यादान, महिला सशक्तीकरण, वह सब तो है ही। अभी मैंने जब यह सैशन शुरू हुआ तो उस दिन इनको चेतावनी दी थी कि लोक सभा चुनाव का ज्यादा घमंड मत करो आगे तुम्हारी हवा निकल जाएगी पंचायती राज और नगरपालिका के चुनाव में। अभी उप चुनाव हुए तो हवा निकल गयी इनकी। पंचायती राज के जो जिला परिषद के उप चुनाव हुए, पंचायत समिति के उप चुनाव हुए, नगरपालिका के उप चुनाव हुए अभी जून में उनमें कांग्रेस ने इनको पीट दिया। ये ठिकाने आ गये वापस। इसलिए ये नरेन्द्र मोदी की सरकार आने का ज्यादा घमंड मत करो और इस सरकार के सही काम में साथ दो। विरोध के लिए विरोध मत करो। यह पूरे राजस्थान की जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं और माननीय सभापति महोदय, वैट को लेकर एतराज कर रहे थे प्रतिपक्ष के उप नेता। हम आपको कहते हैं कि लाइये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। बैठिये आप। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी ये बात कर रहे थे कि वैट बढ़ा दिया। मैं कहता हूं कि आप पैट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते हो? किसने रोका है आपकी भारत सरकार को? अगर हिन्दुस्तान की जनता को आप राहत देना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनको वाजिब दाम पर पैट्रोल, डीजल मिले तो अपने प्रधान मंत्री से जाकर कहिये कि वे जीएसटी के दायरे में पैट्रोल, डीजल को लेकर आएं और आपकी सरकार ने क्या किया? तीन सौ से ज्यादा सीटों का बहुमत मिला। क्या दिया लोगों को? पैट्रोल, डीजल पर प्रति लीटर एक रुपया सड़क सैस बढ़ा दिया। प्रति लीटर एक रुपया। उत्पाद शुल्क, एक्साइज शुल्क प्रति लीटर एक रुपया बढ़ा दिया वर्तमान में इस सरकार ने और आप इनका 2014 से 2019 का गवर्नमेंट आफ इंडिया का स्टेट्स उठाकर देखें तो किसी बिन्दु पर इन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की। सिर्फ एक बिन्दु पर इनका हण्ड्रेड परसेंट एचीवमेंट है, वह है सरकारी कंपनियों को प्राइवेट में बेचने का। उसमें हण्ड्रेड परसेंट लक्ष्य इन्होंने एचीव किया है।

माननीय सभापति महोदय, लोगों ने क्या सोचकर देश में बीजेपी की सरकार बनायी। मनरेगा के अन्दर 2018-19 की तुलना में इस नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश को 1084 करोड़ रुपये कम आबंटित किये। शेर है हमारा, शेर है हमारा और माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान को ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया। आप ही थे न पंचायती राज मंत्री प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, सारी पंचायत समितियां ओडीएफ, जिला परिषद ओडीएफ, ग्राम पंचायत ओडीएफ, नगर के 93 प्रतिशत ओडीएफ। लाखों लोगों के शौचालय नहीं बने। शहर में हो चाहे गांवों में हो, आपने फर्जीवाड़े में ओडीएफ डिक्लेयर किये। फर्जीवाड़े में भुगतान उठा दिये और तो और आप बात करते हैं वित्तीय अनुशासन की। भारत सरकार का वित्तीय अनुशासन क्या रहा? भारत सरकार का खुद का राजकोषीय घाटा 3.41 परसेंट पर आकर खड़ा हुआ है। इसलिए यह जो आप यहां वक्तव्य दे रहे हैं और प्रधान मंत्री जी इस बजट में एक जोरदार योजना लेकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और इसमें क्या होगा 29 वर्ष की आयु से 30 वर्षों तक सौ रुपये प्रति माह अंशदान करेगा आदमी और साठ साल की आयु के बाद हर महीने उसको तीन हजार पेन्शन मिलेगी। असंगठित क्षेत्र के इसमें जो लोग पात्र हैं वे दस करोड़ लोग हैं और बजट प्रोविजन क्या किया है पांच सौ करोड़ रुपये। मतलब हर आदमी के लिए पचास रुपये। कब तक गुमराह करोगे?

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने सारे वे कालेज जिनको इन्होंने बंद कर दिया। सारी वे संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज, हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी बंद कर दी जर्नलिज्म की, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बंद कर दी। सांचोर के माननीय सदस्य चुनाव जीतकर आ गये तो कालेज बंद कर दिया। कैसी मुख्य मंत्री हैं, क्या सांचोर की जनता उनकी जनता नहीं है? एक शीर्ष पद पर आने के बाद में जो अपने व्यक्तित्व का परिचय देना चाहिए मुझे कहते हुए दु:ख है कि भारतीय जनता पार्टी उसके अन्दर पूरी तरह से विफल रही और माननीय सभापति महोदय, यह सदन कुंठा का अखाड़ा बन गया है। निराशा का अखाड़ा बन गया है, क्यों? क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता, उप नेता सोचते हैं कि मैं जिन्दगी भर उप नेता ही रहूंगा क्या। प्रतिपक्ष के नेता सोचते हैं कि जब भी राज आता है मुझे तो बैठाते नहीं हैं, राज आता है तब तो वह +++ आ जाती है और राज चला जाता है तो मुझे पकड़ा देते हैं। पांच साल लड़ने के लिए तो मैं और जब राज आ जाए तो वह। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। आपको पता नहीं है दोस्ती है आपस की। विराज जाइये। सीख लो कुछ, सीखने की है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, और तो और प्रतिपक्ष के नेता की पत्नी खुद इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि मैं भी चाहती हूं कि वे मुख्य मंत्री बनें, वे शपथ लें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खतम कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं तो आपके माध्यम से यही विनती करूंगा और हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने इन विपरीत परिस्थितियों में जो बजट प्रस्तुत किया है राजस्थान के हर वर्ग के लोगों में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। बैठिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) ये तो पूछ लो इनसे, सचिन पायलट के नाम से वोट लिया है। गुर्जरों ने वोट दिया है और उनको मुख्य मंत्री नहीं बनाया और वही आपस का झगड़ा चल रहा है। +++ जोड़ी कब तक चलेगी।

श्री सभापति: मुझे आपके उप नेता को कह करके आपको डाक्टर को दिखाना पड़ेगा। आपको डाक्टर की सलाह दिलवानी पड़ेगी। उप नेता महोदय, दिखाइये इनको डाक्टर को। कोई प्रोब्लम है। हर एक मिनट बाद खड़े होते हैं। कोई इनको प्रोब्लम है, दिखाइये आप इनको। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं आपसे। माननीय उप नेता महोदय, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आपसे। इनको आप किसी डाक्टर को दिखाइये, हर दो मिनट बाद में खड़े होते हैं, इनको दिखाइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर इसका आकलन करना पड़ा तो मुझे कइयों को साथ ले जाना पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इसी सदन में शेर पढ़ा था। क्या पढ़ा था?

'आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे,
हम परों से नहीं हौंसलों से उड़ा करते हैं।'

कहां गये हौंसले? अंत में आप सभी को मकदून मोइनुद्दीन का एक शेर समर्पित करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि

'हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो।
चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।'

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत। विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जब भी आप इस कुर्सी पर विराजमान होते हैं न जाने हमारे चेहरे क्यों प्रफुल्लित हो जाते हैं। अभी जो आपने बात फर्माई कि इनको अस्पताल ले जाओ, वह आपने किससे कही, उप नेता से, जो खुद इस बात के मरीज हैं। आप किसी दूसरे को अपाइंट करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे रोग की जानकारी आपको कब से हुई? यह आपकी और मेरी बातें हैं। इनके और मेरे कई रोग समान हैं, वह सारे बता दूं।

श्री सभापति: आप दोनों एक दूसरे के रोगों के जानकार हैं, आप विराजिए। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया, राजस्थान का बजट बहुत ही गौरवान्वित करने वाला सारगर्भित बजट है और हर वर्ग, हर जन का ध्यान रखने वाला बजट है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसको कि बजट में शामिल नहीं किया गया। पहली बार ऐसा आम बजट प्रस्तुत हुआ है जिसमें हर तबक़े का, चाहे सैनिक हो, खेल हो, वेतनमान हो, कृषक के लिये हो, ऋण माफ करने का हो, जल संकट का हो, चाहे पाक से पानी रोकने का हो, बांधों का जीर्णोद्धार हो, नि:शुल्क दवाई हो, आम आदमी को चिकित्सा मिले, गांधी के सपनों को साकार करें, शिक्षा के नये आयाम, बाल विकास, ऊर्जा और गांधीवादी तरीके से राजस्थान के विकास की बात कही गयी है। इस बजट से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने बापू राष्ट्रपिता के नाम से हमारे बजट का प्रारम्भ किया और हर वर्ग से चर्चा करने के बाद सभी के सुझावों को बजट में शामिल किया। अभी जैसी चर्चाएं चल रही थीं, पिछले पांच वर्ष में महंगाई की अगर बात करें तो आसमान को छू रही थी। गैस सलेण्डर हो, चाहे डीजल पैट्रोल हो, यह सरकार के कुप्रबंधन का असर राजस्थान पर रहा। किया तो पिछले पांच वर्षों में क्या काम किया, हमारी कांग्रेस की पिछली सरकार की जो योजनाएं थीं, उन्हें बंद करने का काम किया। चाहे किसी योजना का नाम लेकर किया हो, या किसी योजना में शामिल करके किया हो। हमारी पिछली सरकार के जो बड़े-बड़े नीतिगत फैसले थे, उनको बंद करने का काम किया। ऐसे फ़ैसले पहली बार होंगे कि राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। हमारी मैट्रो योजना थी, चाहे रिफाइनरी थी, राजस्थान के विकास की जितनी योजनाएं थीं, उनको ठंडे बस्ते में बांधकर रख दिया। जब जनता की आवाज़ें आने लगीं तो उनको आनन-फानन में करने की कोशिश करने लगे। वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने जो जिले रेलवे लाइन से टच नहीं थे, किसी विकास की नीति से टच नहीं थे, उन्हें टच किया। जो हमारी योजना थी फ्री दवा योजना, उसमें वर्तमान में बजट में दिया गया है कि एमआरआई हो चाहे सीटी स्कैन हो, सारी जांचें फ्री होंगी। महिलाओं, वृद्धजन, मजदूर आदि के उत्थान के लिये यह योजना लायी गयी है। यह योजनाएं जन-जन तक पहुंचें, यह काम हमारी सरकार ने किया।

लेकिन पिछली सरकार ने एक नया काम किया कि बीपीएल दवा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

योजना की जगह भामाशाह योजना लाये। अभी भामाशाह का बड़ा जिक्र हो रहा था लेकिन अगर कोई दुर्घटना घट गयी और उसको अस्पताल में तुरन्त भर्ती कराया जाए तो भामाशाह कार्ड मांगते हैं। वह अधिक दिन भर्ती रह गया और उसका खर्चा अधिक लग गया तो अस्पताल में जवाब दिया जाएगा कि इसकी कैपेसिटी इतनी ही थी। उस गरीब की मदद नहीं हो पाई, यह सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनसमैनों को फायदा देने के लिये ऐसी योजना चलाई गयी, जबकि हमारी सरकार की जो योजना थी, उसमें जब तक उसका बीपीएल में ट्रीटमेंट होगा, वह पूरा उसका फ्री होता था। इस योजना के नाम पर आचार संहिता लग गयी तो उसमें नाम नहीं जुड़ पायेगा, दो दिन लग गये तो नाम नहीं जुड़ पायेगा और व्यक्ति उस भामाशाह को लेकर दर-दर अस्पताल के अधिकारी के पास, डाक्टर के पास घूमता रहता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिल पाता है। हमारी सरकार ने इन्सानों की ही नहीं पशुओं की भी फ्री दवा की जिससे कि जो मूक पशु हैं, पहले बीमारी फैलती थी, गांव-गांव पंचायत में कैम्प लगाये जिससे कि पशुओं को टीके लगाये जा सकें, यह सारी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की थी। पालनहार योजना हो, पालनहार के तहत विधवा के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चल सके, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी।

किसान के लिये जो अभी बड़े-बड़े भाषण दिये जा रहे थे लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था किसान पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनते ही सबसे पहला जो निर्णय लिया, वह यह लिया कि पांच साल तक बिजली का एक भी रुपया नहीं बढ़ाया जाएगा, वह किसान को राहत देने वाला था। किसान के लिये नई योजनाएं चालू कर रहे हैं क्योंकि उसका जीवन तो प्रकृति पर आधारित है, संघर्षपूर्ण है, उसका सारा खर्चा खेती से निकलता है, यह समझ सकते हैं तो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी समझ सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा किसान का बंटवारे पर स्टांप ड्यूटी समाप्त करना, सैनिक और शहीदों के परिवारों की स्टांप ड्यूटी समाप्त करना, यह एक बहुत बड़ी बात है कि जब बजट बनाया गया उस गांव और ढाणी में बैठे हुए किसान की भावना को ध्यान में रखा गया। नहीं तो वह सोचता कि मुझे बंटवारा करना है तो मुझे कितनी ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। लेकिन धन्यवाद है सरकार का कि इतना बड़ा एक कदम उठाया जिससे कि किसान को, गांव के आदमी को फायदा मिलेगा। अभी जो पिछली बार सरकार थी और पूरे देश में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जो सरकार है, उसने किसान के लिये एक मृदा कार्ड बनवाया था। मिट्टी की जांच करेंगे। उस मृदा कार्ड से क्या उसको पेंशन मिल रही थी, खाते में पैसा आ रहा था क्या? या उसकी फसल समर्थन मूल्य दोगुना मिल रहा था क्या? क्या उसके बैंक के खाते में पैसे आ रहे थे?

पन्द्रह लाख तो दूर की बात है, एक रुपया नहीं आया ...(व्यवधान) आप तो मृदा कार्ड से ही खेती करते होंगे। सभापति महोदय, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मृदा कार्ड कोई हल हो, जो फसल को उगाता होगा। वह एक दिखावा है, किसान को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हमें मृदा कार्ड दे रहे हैं, लेकिन हमने किया तो काम किया, किसान का भला किया। आपने अखबारों के माध्यम से वाहवाही लूटने की कोशिश की।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, बेवकूफ शब्द असंसदीय है।

श्री सभापति: आसन को पता है, आप विराजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अखबारों में छपने के लिये, वाहवाही लूटने के लिये किया। आपने और कौनसे काम किये हैं। नीम का खाद भी आपके गांव में मिल रहा होगा, आपकी ढाणी में मिल रहा होगा। शायद केन्द्र से आ रहा होगा। अगर हमारे माननीय सदस्य खेती करते हैं तो इन्हें स्पेशल मिल रहा होगा। जब कार्ड से ही खेती हो रही है तो। सिर्फ झूठे वादे किये। झूठे वादे करके एक भी वादे को पूरा नहीं करना।

'सावन आया, बारिश, यूं हरियाली आवे,
टाबर न रोया मायण दूध पिलावे,
राजस्थान में कांग्रेस न आया, जनता जश्न मनावे,
नारी न बिन मांगे अधिकार मिल जावे,
छोरा-छोरियां बिन मांगे रोजगार मिल जाए,
कांग्रेस न आया जनता जश्न मनाये।

आपने तो सारा ही कर दिया होगा। सभापति महोदय, चाहे कृषि मण्डी के लिए हो, कृषक कल्याण कोष बनाया जाएगा, ऐसा पहली बार राजस्थान में हो रहा है। जिसके लिए कांग्रेस की सरकार व माननीय मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। कृषि ज्ञान धारक कार्यक्रम के द्वारा गोष्ठियां की जाएंगी। प्रदर्शनियां लगाएंगे। चाहे कर्जा माफ कराना हो, ऋण ब्याज मुक्त

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

देना हो, किसान पोर्टल के माध्यम से जुड़ेंगे और नये जीएसएस और गोदामों के निर्माण करवाये जाएंगे। पिछली बार की तरह नहीं कि कितने हजारों, लाखों टन गेहूं बर्बाद हो गया था।

गोशालाओं के लिये प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदी शालाएं बनायी जाएंगी। आपकी पिछली सरकार ने गोशालाओं के लिए ढिंढोरे तो बहुत पीटे थे, गाय माता के लिए। लेकिन एक भी गोशाला में कोई अनुदान दिया हो तो बताएं। कितनी नंदी गोशालाएं खोलीं और कहां पर खोलीं? मेरे बानसूर में तो नहीं खोली। शायद पक्ष-विपक्ष के कारण नहीं खोली। आज के अख़बार में पूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमारी योजनाओं को आगे लागू किया है। इसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी से सीख ले लो। आपकी तरह नहीं कि जन उपयोग, जन नीति, जन कल्याण की योजनाओं को बंद करने का काम आपने किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जन कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या। दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो मिनट। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बहुत कहा कि हमने इतनी सड़कें बनायीं। सभापति महोदय, पूरे पांच वर्ष में एक भी रेवेन्यू विलेज में पीएमजेएसवाई के तहत एक किलोमीटर रोड भी नहीं बनायी। एक भी बनायी हो तो बता दें कि हमने वहां बानसूर विधान सभा क्षेत्र में यह रोड बनाया। हमारी पिछली सरकार ने बनाये। चाहे हमीरपुर से बानसूर, चाहे आलनपुर से, बानसूर से नारायणपुर। सभापति महोदय, अभी इन्होंने एक रोड बनाया था। जो दस दिन तक नहीं चला। नाम कागजों में पूरा कर दिया। अवगत भी करा दिया। जो गाड़ी चल रही थी उसी के साथ डामर उखड़ गया। पांच वर्ष तक सिर्फ आंकड़े गिनवाते रहे कि हमने इतने हजार किलोमीटर बना दिये। कहीं पेच तक नहीं लगाया। दो-तीन फिट गहरे गड्ढ़े हो गये हैं। कहीं काम किया हो तो ये बताएं। पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय ने अभी जो करोड़ों की स्वीकृति निकाली, वहां काम भी चालू हो गये, इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

चाहे हमारी बिजली की योजना हो। सौर ऊर्जा जब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचेगी, फिर आपको प्रकाश नजर आएगा। किसान को राहत मिलेगी। जिससे किसान को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, स्मार्ट मीटर लगेंगे। जल संसाधनों

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

के लिए पूर्ण रूप से बजट दिया गया है। यह सराहनीय कदम है और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना एक बहुत बड़ा कदम है। उद्योग के लिये मुख्य मंत्री महोदय ने चाहे शिल्पकार हों, मूर्तिकार हों, चित्रकार हों, सभी के लिये सब्सिडी प्रोत्साहन राशि व प्रशिक्षण देकर एक नया कदम उठाया है। सभापति महोदय, पिछली बार एसएमएस हास्पिटल में एक अंडरग्राउंड बनाया था, उसमें आज तक आवागमन चालू नहीं हुआ है। यह पिछली सरकार की देन है।

सभापति महोदय, पंचायती राज के लिये जो काम किया। इन्होंने क्या काम किया, राजीव गांधी भवन का नाम बदलकर दूसरा नाम रख दिया। लेकिन कांग्रेस सरकार गांव-गांव में शिक्षा के लिये, पंचायती राज के लिये जो सबसे बड़ा फैसला हुआ कि जो शिक्षा की पाबंदी थी, उसको हटाया गया। सीधा फर्मान जारी कर दिया कि इतनी पढ़ाई तक पास होंगे तो ही चुनाव लड़ सकेंगे, अन्यथा नहीं और उससे बड़ा एक यह भ्रष्टाचार था, जिससे गांव-गांव तक हर पंचायत पर भ्रष्टाचार हुआ। सभापति महोदय, एक उदाहरण देती हूं। रामपुर की बीए पास लड़की सरपंच बनी। उसने पढ़ाई में एक साल का गैप दे दिया तो उसे हटा दिया गया। कितना भ्रष्टाचार था, ऐसे एक नहीं अनेकों, हजारों उदाहरण हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर में। मनरेगा योजना कांग्रेस पार्टी की देन है, जिससे गांव का हर आदमी अपना जीवन यापन करता है। पेंशन योजना में वृद्धि की और सबसे बड़ी बात आंगनबाड़ी के लिये महिलाओं की तनख्वाह में वृद्धि की, वेतन वृद्धि की, यह मुख्य मंत्री महोदय का सराहनीय कदम है। पिछली बार पूरे पांच साल तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर धरना और प्रदर्शन करती रहीं। एक महिला मर भी चुकी थी, लेकिन सभापति महोदय, इनका कलेजा नहीं पिघला था। एक ऐसे हमारे मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि जिसने बिना मांगे ही वृद्धि कर दी है। यह कांग्रेस पार्टी की देन है।

श्री सभापति: समाप्त करें, जल्दी करें आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इन्होंने एक सबसे बड़ा नाटक गुर्जर आंदोलन का किया था। 5 परसेंट एमबीसी देने की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

यहां पर घोषणा कर दी। वाहवाही के लिये लोगों को बुला लिया। सभापति महोदय, आज भी और पहले भी पिछली बीजेपी की सरकार ने तीन किश्तों में आपस में संघर्ष करवाया, वर्गों को मरवाया। लेकिन हमारी सरकार ने एक भी व्यक्ति को नहीं मारा और 5 परसेंट आरक्षण दे दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें। ऐसे नहीं, बार-बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। समाप्त करें। जल्दी करिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बस अब समाप्त कर रही हूं। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने संस्कृति, कला के बड़े-बड़े ढिंढोरे पीटे थे, लेकिन हमारा एक जो नारा था, पधारो म्हारे देश। उसको ही बदल दिया। न जाने क्या दिख जाए? क्या भूत दिखेगा क्या?

श्री सभापति: अब एक मिनट में समाप्त करें। उधर घड़ी की तरफ देखें। ऐसे नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, थोड़ी देर में समाप्त कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने शहीदों के लिये जमीन और पैसे देने की घोषणा की। सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था, यह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जो देश की सरकार है। पुलवामा में शहीद हुए लोगों को शहीदों का नाम तो दिया गया, लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा मिल जाए। इकतरफा सरकार है, कम-से-कम उनका भला हो जाएगा।

(16.00 बजे)

नाम तो बड़े-बड़े लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। यह पिछली सरकार ने किया। सभी के लिए हमारी सरकार ने यह सराहनीय बजट प्रस्तुत किया जिसमें पत्रकार हों, साहित्यकार हों, स्टांप ड्यूटी हो, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बजट है जिससे हमारे राजस्थान में एक मैसेज जाएगा। हर वर्ग महिला, युवा, लड़कियां, कभी लाठी पड़ती थी, कभी पुलिस बंद करती थी लेकिन अब सबको सुविधा मिलेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री ज्ञानचंद पारख।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, मैं दो लाइन कह कर समाप्त कर रही हूं।

राजस्थान विकास के लिए चल पड़ा है,
आंधियां हट जाएंगी, बिजलियां मौन हो वहीं डट जाएंगी,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

तूफानों की औकात क्या रोक सकें
हमारे हौंसले से तो चट्टानें भी बंट जाएंगी।

श्री सभापति: आपके पास मैटर है तो आप पहले ही गंभीरता से बोलें। बाद में आपको दो-दो मिनट करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट करिए आप। श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। कांच का टुकड़ा भी चमककर कभी किसी को भ्रमित करता है। जिन्हें हीरे और कांच की पहचान नहीं होती, उनको ज्यादा कहना, सार्थक नहीं होता। माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण, सबको पता है कि मुख्य मंत्री जी युवाकाल से ही जादू की कला जानते हैं। जादू से सम्मोहन करना उनको आता है। यह भी हमको पता है। इसमें कोई शक नहीं है। जादू देखने में अच्छा लगता है, यह सही है। परन्तु उसमें सच्चाई नहीं होती, हकीकत नहीं होती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर देखिए। इधर बात करिए। उधर नहीं बोलना है। मेरी तरफ देखकर बात कीजिए आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जब सच्चाई से वास्ता होता है तब लगता है कि मुझे छला गया है। मैं मुख्य मंत्री जी का प्रशंसक हूं। वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कोई कमी नहीं है। अच्छे इंसान हैं, उसमें भी शक नहीं है। मेरा कहना भी यही है कि आपका जादू चल गया ओ जादूगर परन्तु बजट में आपने जो घोषणाएं की हैं, वह मेहरबानी करके धरातल पर आ जाएं, ये चमत्कार भी करके दिखाना। एक बात स्पष्ट है कि यह जो बजट डाकूमेंट बना है, इसमें कहीं न कहीं जीएसटी का भी योगदान है। अगर केन्द्र सरकार जीएसटी लागू नहीं करती, केन्द्रीय करों में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती और उसका हिस्सा हमें बढ़ा हुआ नहीं मिलता तो शायद कई घोषणाएं नहीं कर पाते। इसलिए इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहिए था।

श्री सभापति: अब आप दे दीजिए धन्यवाद। जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अगर केन्द्र सरकार ने जीएसटी का साहसिक कदम नहीं उठाया होता तो शायद राजस्थान को विकास से काफी हद तक महरूम रहना पड़ता। आपकी पार्टी के मुखिया ने तो लोक सभा चुनाव के

(श्री ज्ञानचंद पारख)

दौरान जब लगा कि व्यापारियों के मन में जीएसटी को लेकर नाराजगी है तो सभाओं में घोषणा कर दी कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी को वापस ले लेंगे। यह घोषणा उन्होंने की थी जबकि वह पहले साथ में थे। कई मीटिंग्स में है।

माननीय सभापति महोदय, जब जीएसटी लागू नहीं थी तो हमारी रेवेन्यू क्या थी? यह आंकड़े भी मेरे पास हैं। 2016-17 में राजस्थान की सैल्स टैक्स रेट से आय थी 28 हजार 558 करोड़ रुपया। 1 जुलाई, 2017 को जब केन्द्र सरकार ने जीएसटी को लागू किया, तीन महीने पहले के निकाल दें, नौ महीने में सैल्स टैक्स रेट से हमारी आय हुई 19 हजार 8 करोड़ रुपया, स्टेट जीएसटी से हमारी आय हुई 12 हजार 137 करोड़ रुपया। सेन्ट्रल जीएसटी से हमें मिला 3736 करोड़ रुपया और जीएसटी की अदर रेवेन्यू से हमको 20 करोड़ की प्राप्ति हुई। कुल हमको 35 हजार 402 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 28 हजार 558 और उससे बढ़कर 2017-18 में 35 हजार 402 करोड़ लगभग 24 परसेंट की बढ़ोतरी इस जीएसटी की बदौलत हुई। उसके पहले अगर चार साल के आंकड़े आप देखें राजस्व वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा तो चार सालों तक मात्र 10.85 परसेंट बढ़ोतरी हमारे राजस्व में हुई थी। परन्तु जीएसटी लागू करने के बाद में हमने सीधे 24 परसेंट बढ़ोतरी के साथ आगे जंप लगाया। पिछले 6 महीने से जो केन्द्र सरकार के आंकड़े आ रहे हैं-प्रति माह एक लाख करोड़ के लगभग की आमदनी इस जीएसटी के माध्यम से हमारी केन्द्र सरकार को मिल रही है जिसका हिस्सा हमको भी मिलेगा। यह और बढ़ेगा। हमारी जीएसटी बढ़ जाए, हमारी टैक्स चोरी घट जाए तो उसके लिए भी केन्द्र सरकार ने जो कठोर कदम उठाए, हिन्दुस्तान के इतिहास में एक्साइज के 24 कमिश्नरों को जबरन रिटायरमेंट देने का जो साहसिक कार्य हुआ, वह हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है ताकि देश की आमदनी में कोई व्यक्ति बीच में बेईमानी न कर सके। इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के और भी कई ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हमको राहत मिली है। अगर भारत सरकार वह घोषणाएं नहीं करती तो शायद राज्य मद में हमको कुछ न कुछ प्रावधान करना पड़ता। पूर्व ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से राज्य के दूर-दराज के गांवों में विद्युतीकरण हो गया। अगर केन्द्र ने यह योजना लागू

(श्री ज्ञानचंद पारख)

नहीं की होती तो हमको कुछ न कुछ प्रावधान इसमें करना पड़ता। इससे विकास के दूसरे काम में हमारी कटौती होती। प्रधान मंत्री आवास योजना में भी बम्पर काम पिछले पांच सालों में केन्द्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। अगर केन्द्र सरकार इतने प्रधान मंत्री आवास की स्वीकृति जारी नहीं करती तो पूर्व की तरह हमको मुख्य मंत्री आवास के माध्यम से राज्य मद से कोई न कोई प्रावधान करना पड़ता। वह पैसा भी हमारा बचा है। एक जो नई घोषणा हमारे प्रधान मंत्री जी ने की है कि वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक घर में हम पेयजल पहुंचा देंगे। इससे पेयजल के लिए भी जो राशि हमको भारत सरकार से मिलेगी, काम हमारे राज्य में होगा, लाभ हमारे यहां की जनता को होगा। पैसा उनका और राज्य सरकार का पैसा बच जाएगा। शहरों के विकास में भी पिछले पांच सालों में केन्द्र सरकार से पैसा मिला है, वर्ना हमको पैसा देना पड़ता, राज्य सरकार को देना पड़ता। पहले इतना पैसा कभी नहीं मिला जितना पैसा इन पांच सालों में राजस्थान के शहरों को केन्द्र सरकार की ओर से विकास के लिए मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी भारत सरकार ने राजस्थान को पैसा दिया है, वह भी हमारे विकास में कहीं न कहीं सहायक है। प्रधान मंत्री जी को यदि मुख्य मंत्री जी धन्यवाद देते तो एक अच्छी परम्परा चालू होती। हम भी मुख्य मंत्री जी को निश्चित रूप से धन्यवाद देते कि उन्होंने अच्छी परम्परा चालू की है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणाओं पर सीधा-सीधा आऊंगा। किसान जो हमारा अन्नदाता है और किसान के प्रति हमारे मन में कितना सम्मान कि हमने नारा भी दिया 'जय जवान-जय किसान'। सरकार ने घोषणा की है वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से 16 हजार करोड़ के ऋण वितरित करने का लक्ष्य, वह भी बिना ब्याज का ऋण, यह हमारी बजट घोषणा में है। ब्याज की भरपाई के लिए आपने बैंकों को अनुदान के लिए मात्र 150 करोड़ का प्रावधान किया है।

इतने बड़े ऋण और वह भी ब्याज मुक्त ऋण, 150 करोड़ के ब्याज से कुछ नहीं होगा। जहां तक ऋण की बात है, आप अपने बैंकों को पूछ लीजिए कि ऋण देने के लिए तैयार हैं क्या। अब तक सब्सिडी बढ़ जानी चाहिए थी आज से एक महीने पहले बढ़ जानी चाहिए थी, परन्तु अभी तक इसकी शुरूआत भी नहीं हुई, हमारे किसान जीएसएस के रोज चक्कर लगाते हैं लेकिन निराश लौटते हैं। बैंक यह कह रही है कि हमारे पास सब्सिडी देने के

(श्री ज्ञानचंद पारख)

लिए कोई राशि नहीं है। सरकार का दबाव है कि आपकी एफ डी जमा है उस एफ डी से भी किसान को फ़सली ऋण दे दो, जबकि रिजर्व बैंक का यह साफ आदेश है कि एफ डी को वह छेड़ नहीं सकते। इस चक्कर में न तो सरकार पैसा दे रही है, न बैंक पैसा दे रही है और हमारा किसान ऋण के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमने भी ऋण माफ किये वह भी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से, ऋण आपकी सरकार ने भी माफ किये हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल में 325 करोड़ रुपये की ऋण माफी पाली ज़िले में हुई थी। यह 325 करोड़ हमको राज्य सरकार से देने थे पर हमने इसके विरुद्ध मात्र 57 करोड़ रुपये दिए, पूरा हम भी नहीं दे पाए। आपकी सरकार के कार्यकाल में 600 करोड़ की ऋण माफी की, 600 करोड़ रुपये आपको राज्य मद से सहकारी बैंको को देने है, पर इसके विरुद्ध आपने मात्र 30 करोड़ रुपये बैंक को दिए हैं। अभी 800 करोड़ रुपया ऐसा है जो पहले से सरकार को बैंको को देना बाकी है। जब तक यह पैसा आप नहीं देंगे, आप बैंको को चाहे कितने भी आदेश दे दो, डांट पिला दो, पैसे का काम पैसों से होगा। यह मिलेगा नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैंने तो अभी चालू किया है। अभी पांच मिनट भी नहीं हुए।

श्री सभापति: दो मिनट में आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, आपने पहले वाले वक्ताओं को पूरा टाइम दिया है, आप मेहरबानी करो, मैं पार्टी का सैकिण्ड वक्ता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजिए। अध्यक्ष जी ने पूरे सदन के, हर पार्टी के हिसाब से, टाइम निश्चित कर दिए, आपके चार घंटे हैं, चार दिन चलेगा यह। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं पार्टी का दूसरा वक्ता हूं, मुझे पार्टी ने कहा है कि आपको आधा घंटा मिलेगा। मुझे पार्टी ने कहा है।

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारी भी हमारे प्रांत की सबसे बड़ी समस्या है। कृषि क्षेत्र में यहां पर कोई ज्यादा गुजांइश नहीं है कि वह और रोजगार दे सके। रोजगार को लेकर बजट में हमने कोई ठोस प्रावधान नहीं किया है। विधान सभा चुनाव में हमने जन घोषणा पत्र में युवाओं से यह वादा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

किया था कि हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। सात महीने हो गये एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ते की एक भी किश्त अभी सरकार की ओर से नहीं मिली है। इसके बारे में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जन घोषणा है उसको भी बजट घोषणा में शामिल कर दें ताकि हमारे बेरोजगार जिन्होंने आवेदन कर दिए हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता मिल सके।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह धोखा है युवाओं के साथ। प्रदेश के युवाओं के साथ जबर्दस्त धोखा है।

श्री सभापति: विराजिए, आप विराजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, बजट में एक कमी सबने देखी होगी कि तकनीकी शिक्षा के ऊपर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज आवश्यकता है कौशल सीख कर अपने पैरो पर खड़े होने की। पूरे प्रदेश में कोई आईटीआई खोलनी है, कोई नया पोलीटैक्निक कालेज खोलना है, कहीं सीटें बढ़ानी हैं, कहीं कौशल कला केन्द्र खोलने हैं, पूरे बजट में किसी बात का कोई प्रावधान नहीं है। यदि हमारे नये युवा कौशल में ट्रेंड नहीं होंगे तो नौकरी के लिए हमेशा सरकार पर मोहताज रहेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि आप बजट में कोई न कोई कौशल का भी प्रावधान करें। माननीय सभापति महोदय, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यदि सबसे बड़ा कोई क्षेत्र है तो वह है लघु उद्योग। पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से, सरकारी तंत्र के असहयोग पूर्ण रवैये की वजह से हम लघु उद्योग को यहां जितना स्थापित कर सकते थे उतना स्थापित नहीं कर सके। हमारे प्रदेश के हज़ारों उद्यमी मजबूरी में अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बाहर प्रांतों में जाकर अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उद्योग हमारे, पूंजी हमारी, मेहनत उद्यमी की।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं पांच मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: ऐसे नहीं चलेगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पांच मिनट।

श्री सभापति: रामलाल जी यह आपका समय ले रहे हैं। मुझे आपका समय काटना पड़ेगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं अपना समय नहीं काटने दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिलकुल काटना पड़ेगा आपका समय। ...(व्यवधान) इनके बाद रामलाल जी ही हैं। माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि हमारा उद्योग बाहर क्यों जा रहा है। जब तक हम लघु उद्योगों को कोई बड़ा सहयोग नहीं देंगे तब तक हम इसको यहां स्थापित नहीं कर पाएंगे।

श्री सभापति: यह दिव्य ज्ञान पहले ही दे देते। यह दिव्य ज्ञान जो आप अब दे रहे हो पहले ही दे देते ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पहले भी दिया ...(व्यवधान) आप माननीय अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर हैं, आप थोड़ा-सा। माननीय सभापति महोदय, उद्योग मंत्री जी एक बिल भी लेकर आए थे, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने कुछ तो उद्यमी के लिए सोचा कि उनको परेशानी नहीं हो, पर मात्र उससे काम नहीं चलने वाला। मात्र ऐसा नहीं है कि हमको नये लघु उद्योग स्थापित करने हैं, हालात यह हैं कि पहले से उद्योग चल रहे हैं उन पर भी बहुत बड़ा संकट है। हमारे उद्योग बंद हो रहे हैं उस पर भी हमें सोचना होगा। पाली उसका बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। हमारे यहां पहले टैक्सटाइल की 700 इंडस्ट्रीज थीं। परन्तु प्रदूषण की समस्या के चलते वहां हमारी 500 इंडस्ट्री बंद हो गयीं। लगभग 15 हजार परिवार जो वहां मजदूरी करते थे, इंडस्ट्री बंद होने के कारण उनको मजबूरन कहीं ओर जाना पड़ा, वह वहां पर बिलकुल बेरोजगार हो गए। पाली में अब एक उम्मीद की किरण जगी है।

श्री सभापति: अब आप सहयोग करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पांच मिनट। पाली में उम्मीद की किरण जगी है। प्रदूषण की समस्या के समाधान....

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पांच मिनट।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कर दीजिए अब।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पांच मिनट, आप टोकना मत। एक उम्मीद की किरण बनी है पाली में। एक एमवीआर तकनीक आई है जिसका जिक्र मैंने पहले भी पेयजल की बात हुई थी उसमें किया था। प्रदूषित पानी को बिलकुल साफ करके शुद्ध वसा का पानी बना देती है। हमारे पाली के उद्यमियों ने साहस करके अपनी तरफ से आगे बढ़कर, लंबी राशि खर्च करके इस तकनीक की इकाई पाली में लगाई है। उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है, ऐसे में अगर सरकार उनको कोई सब्सिडी दे दे, क्योंकि पहले प्रावधान था एमएसएमई स्कीम के तहत कोई भी इंडस्ट्री यदि ईटीपी लगाती है तो 50 परसेंट अनुदान सरकार की ओर से मिलता था। अगर यह स्कीम वापिस चालू कर दें तो मुझे विश्वास है कि पाली के उद्यमी इस समस्या के समाधान के लिए आधी राशि अपनी तरफ से और आधी राशि सरकार से लेकर पाली के प्रदूषण की समस्या का निवारण कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, उससे एक फायदा और होगा, प्रदूषण तो समाप्त होगा ही साथ ही पेयजल की समस्या से भी राहत मिल जाएगी क्योंकि इंडस्ट्री में जितना पानी जाता है उतना पानी पाली में पेयजल में नहीं जाता। इसके साथ ही पाली में जो रोजगार का संकट खड़ा हुआ है, रोजगार के कई नये अवसर भी पाली में हमारे उद्यमी पैदा कर देंगे। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से बजट में मेरा आग्रह रहेगा कि जब आप रिप्लाई करें तो इस एमवीआर तकनीक में सब्सिडी का प्रावधान कर दें, ताकि हमारे उद्यमी उसको आसानी से लगाकर इन तीन चीजों से पाली को राहत दिला सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपने चूंकि मुझे पांच मिनट में खतम करने की बात कही है, मैं जिक्र करना चाहूंगा शिक्षा के मामले में भी छोड़ो, बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक के बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं के लिये मुख्य मंत्री कन्यादान योजना में 21 हजार की राशि हथलेवा के रूप में देने की घोषणा की है। मेरा आग्रह रहेगा उनसे, जो बी.पी.एल. में हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, गरीब है तभी बी.पी.एल. में है, कृपया करके बेटियों के साथ वह कोई भेदभाव नहीं करें। प्रत्येक गरीब परिवार की जो भी बेटी है उसकी शादी में 21 हजार की राशि हथलेवा के रूप में दें तो वह बेटियां भी आपको दुआएं देंगी, यह मेरा उनसे आग्रह रहेगा। पेंशन राशि बढ़ाने की बात आपने की। मैं जानकारी दूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आप सहयोग करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पांच मिनट की बात कही, पांच मिनट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पेंशन राशि बढ़ाने का जिक्र किया। आठ महीने में रोहट तहसील के एक भी आवेदक, लगभग जो 800 की संख्या में हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन। श्री मेवाराम जैन का अंकित होगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठाओ तो सही।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: विराजिये। सहयोग करें। अंकित नहीं हो रहा है। आप सहयोग करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: विराजिये, अब आप विराजिये। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 आय व्ययक अनुमान बजट परिचर्चा पर मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि आज प्रदेश में महात्मा गांधीजी के आदर्शों को आत्मसात करने वाली सरकार काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि गांधीजी के सर्वोदय विचारों को केन्द्र बिन्दु रखते हुए सदन के नेता ने जो बजट प्रस्तुत किया, वाकई आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का यह आत्मीय प्रयास है।

करीबन 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ लाख का यह बजट प्रदेश का ऐतिहासिक बजट है। हम सब जानते हैं कि पिछली सरकार ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में चुनाव जीतने के लिये बिना बजटीय प्रावधान के जो खर्च किया, जिसके कारण प्रदेश भारी बोझ के तले दब गया, उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट प्रदेश की लाइफ लाइन, किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा सभी वर्गों के लिये प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय बजट पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बजट पर चर्चा नहीं करके उन बिंदुओं पर, उन बातों पर

(श्री मेवाराम जैन)

चर्चा की, जिनका बजट से कोई ताल्लुक नहीं। इन लोक सभा चुनावों की बात कही, मुख्य मंत्री पर टिप्पणियां करने की बात कही और इस बजट को किस तरह से घुमा-फिराकर, क्योंकि यह इतना शानदार बजट है, इस बजट में आप देखेंगे कि हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने कोई एक ऐसा सब्जैक्ट या विषय नहीं छोड़ा, जिससे आम आदमी को उस बजट के अन्दर लाभ नहीं हो।

चाहे किसानों की बात करें, किसानों के लिये जिस तरह से किसान कोष बनाया, किस तरह से उनको यूरिया और खाद देने की व्यवस्था, किसानों का कर्जा माफ करने की बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो बातें ही कीं, चुनावों से पहले पचास हजार की घोषणा की, आठ हजार करोड़ के बदले बजट में प्रावधान सिर्फ दो हजार करोड़ का ही रखा। छह हजार हमारी सरकार के खाते डालना पड़ा। वह हमारी सरकार को भरना पड़ा और हमारी सरकार ने कर्जा माफ करने की घोषणा की। वह कर्जा माफ करके बताया। इनको कहने के लिये कुछ नहीं है। सिर्फ असत्य बातें, किस तरह से बहलाना और किस तरह से जनता को गुमराह करना।

जनता को गुमराह करके तो इस चुनाव के अन्दर आपने देखा होगा कि किस तरह से इन लोक सभा चुनावों में, आपने देखा, अभी बात कर रहे थे। (व्यवधान) हां, हारे हम।

पर आप यह भी कहना, कटारियाजी ने, आपने मीटिंग में सुना होगा कि ये वोट आपको नहीं दिये। ये मोदीजी को दिये और मोदीजी को क्यों दिये कि उन्होंने देश को, जनता को गुमराह किया। वहां सैनिकों के नाम से, शहीदों के नाम से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उन्होंने जो वोट बटोरे हैं, जिस तरह से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। उससे वे आये हैं, आप इसमें घमण्ड मत करिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आप अभी घमण्ड कर रहे हो, जिस तरह से आप अभी इतने ज्यादा आत्म विश्वास में हो, अभी नगरपालिका और पंचायती राज चुनाव आ जाएंगे न, इसमें आपको दिख जाएगा कि आपकी हालत कैसी होगी।

(श्री मेवाराम जैन)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि जिस तरह का यह बजट है, चाहे किसानों की बात हो, किसानों के ऋण माफ करने की बात हो, चाहे जिस तरह से गायों की, पशुपालन की बात करें, अपने आपको गौ-भक्त की बात करें। गौ-भक्त आप, केन्द्र सरकार ने गायों के लिये जो अकाल में और जिस तरह से गायों की हालत हुई है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गाय नहीं, गौ-माता।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): गौ-माता के लिये उन्होंने क्या किया कि अकाल के अन्दर चारा उसी गाय को देंगे जो कृषक लघु और सीमांत हो। क्योंकि आपने गायें तो रखी नहीं, आपको यह पता नहीं कि लघु और सीमांत कृषक के पास गायें हैं नहीं। जिनके पास गायें हैं, उनको हम चारा देंगे नहीं। आवारा पशुओं को हम चारा देंगे नहीं। आपकी केन्द्र सरकार ने यह सर्कूलर भेजा है, आप पता कर लो पहले। इसमें अभी, अभी की बात कर रहा हूं, जब हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में भयंकर सूखा था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): और इस सूखे के अन्दर मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह गौ-माता का अपमान है। गौ-माता कभी आवारा नहीं होती। गौ-माता का मालिक आवारा हो सकता है।

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप पहले पढ़िये उस सर्कूलर को। तब, अभी मैंने, अभी हमारे बाड़मेर-जैसलमेर में भयंकर सूखा था, गायें मर रही थीं। तो मैंने अशोकजी को कहा, हमारे मुख्य मंत्रीजी को कि इसके लिये स्पेशल पैकेज दो, यह केन्द्र सरकार की जो गाइड लाइन है, इसमें गायें खतम हो जाएंगी। तो उन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर के लिये 30 करोड़ का पैकेज दिया। आज गायें उन शिविरों में चारा चर रही हैं और बच रही हैं। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। आप देख लो, गौ-भक्त की बात तो आप कर रहे हो।

मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आप सड़कों की बात करो, आप कह रहे थे कि आपने खूब सड़कें बनाई हैं। आपने टोल में सड़कें बनाई हैं। जगह-जगह जाओ, कहीं भी निकलोगे तो टोल देकर निकलना पड़ेगा। यूं ही आपने सड़कें

(श्री मेवाराम जैन)

नहीं बनाई, आपको यह भी पता नहीं है। इसलिये जनता यह जान चुकी है कि आपके ये असत्य आश्वासन में आने वाले नहीं हैं।

आज किसानों को, जो अभी हमारी सरकार ने डेढ़ लाख तक का बगैर ब्याज ऋण देने की बात कही थी, पर आपने उसको क्या किया, वह आपको ही पता है। अब हमारी सरकार, वही जो नीति पहले हमारी थी कि किसान, कैसे इनको पैसे मिलें और बगैर ब्याज पैसे उनको मिलें ताकि वह आसानी से अपनी खेती-बाड़ी कर सकें। बिजली की बात करें, पानी की बात करें। बिजली के अन्दर कई बातें हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के अन्दर जिस तरह से भेदभाव हुआ, यह आपके पंडित दीनदयाल योजना, चाहे आपकी सौभाग्य योजना, मैं तो कहना चाहूंगा इस तरह से कार्य किया गया कि बाड़मेर जिले में जो दीनदयाल में और इसमें जो आ रहे थे, 45 प्रतिशत आज भी वंचित हैं, जिन्होंने 2012-13 में फाइलें जमा कराई और डिमाण्ड राशि भरी, उनको भी लाइट नहीं मिली। इतना भेदभाव और किस तरह से आम गरीब उसमें बाकी रहे। एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी और जो सक्षम नहीं था, और इस तरह का जो भ्रष्टाचार था, उसकी वजह से गरीब रह गये।

इस बजट में यह सरकार आते ही अब जो गरीब लाइट से वंचित हैं, उनको हम लाइट देने का काम करेंगे।

चाहे आप उद्योग की बात करें, नई नीति लाए। मुझे खुशी इस बात की है इसमें जो उद्योग लगाएगा उसको तीन साल तक किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होगी। आने वाले दिनों में कई उद्योग लगेंगे और कितने ही लोगों को रोजगार मिलेगा।

आप यहां पर रिफाइनरी की जोर-शोर से बात कर रहे थे। हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने भी कहा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर रिफाइनरी का काम तब ही शुरू हो जाता, आप कह रहे हो कि हमने एम.ओ.यू. में इतनी राशि कम करवा दी। आप यह तो कहें कि केन्द्र और राजस्थान सरकार, यह जो एच.पी.सी.एल. कम्पनी है यह कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं था। यह भारत सरकार की कम्पनी थी और इधर राजस्थान सरकार थी, बीच में कोई पैसे खा नहीं रहा था या कोई रिश्वत नहीं ले रहा था। आज कितनी दरें बढ़ गयीं? आज कितनी महंगी हुई? अगर आप उस समय ही रिफाइनरी शुरू करवा देते तो आज वह रिफाइनरी शुरू हो जाती और उसके

(श्री मेवाराम जैन)

पास रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वहां पर प्रमुख इंडस्ट्रीज लगनी थीं, कितने लोग बेरोजगार हुए जिनको आज रोजगार मिल जाता इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के उन नौजवान लोगों के साथ खिलवाड़ किया, अगर रिफाइनरी लग जाती तो आज यह काम पूरा हो जाता।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल की योजनाएं हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अशोकजी के नेतृत्व में सैंक्शन की, टेंडर हो गये, काम शुरू हो गया। छह-छह साल, सात-सात साल हो गये, वह काम आज तक इन्होंने बंद कर रखा, ठंडे बस्ते में पड़ा है, अब जाकर वापस शुरू हुए हैं, इस तरह का भेदभाव हुआ। अब पानी के साथ भेदभाव, बिजली के साथ भेदभाव और जिस तरह से बदले की भावना से काम किया है, मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं, आज मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि जिस तरह से आपने बदले की भावना से काम किया, बाड़मेर के अंदर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने यह कहा था कि पानी की समस्या का समाधान मोदीजी करेंगे। आपने यह कहा था न? आपके पास पानी की समस्या के लिए लोग आए थे तो आपने क्या कहा था? मोदीजी करेंगे। आप यह बताओ न, यहां पर अंगुली रखकर कहो।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आप विराजिए, बोलने दीजिए उनको।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं उसका भी जवाब दे दूंगा।

श्री सभापति: उनको बोलने दीजिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): राठौड़ साहब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बदले की भावना की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात इधर कहिए। माननीय सदस्य, आप अपनी बात इधर कहिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दो साल में मेरे पर प्रेशर बनाया गया कि राज्य सभा के जो चुनाव आए थे उसके अंदर आपको वोट बी.जे.पी. को देना पड़ेगा। मैं आपको हकीकत बताऊं, मेरे पास जोधपुर कमिश्नर से, मैं बता रहा हूं, जोधपुर कमिश्नर, मेरी बात सुनें साहब। जोधपुर कमिश्नर ने मेरे पास एडिशनल एस.पी. को भेजा बाड़मेर कि आपको जोधपुर बुलाया है और वह बात करना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: आप बजट पर अपनी बात कहिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मेरे पर तीन-चार एफ.आई.आर. दर्ज करवाईं। मुझे यह कहा, राठौड़ साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर आपने यह नहीं किया तो आपको वोट देने लायक ही नहीं रखेंगे। मेरे विरुद्ध चार एफ.आई.आर. दर्ज हुई और उसमें एफ.आर. लगी इसलिए यह बदले की भावना की मैं बात कर रहा हूं, राठौड़ साहब, आप पता कर लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अगर सदन में इस तरह की ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): भाजपा के पास तो पहले ही बहुत बहुमत था, आपके वोट की आवश्यकता ही नहीं थी। यह मिथ्या बातें कह रहे हैं, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बजट पर अपनी बात कहिए। आप बैठिए, आप विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): इनको बैठाइए आप। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार): इनकी सरकार ने कई अन्याय के काम किये हैं और आज बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): पाप किया है तो पाप का हिसाब तो देना पड़ेगा।

श्री सभापति: आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए। माननीय सदस्य श्री मेवाराम जैन।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): नहीं, आसन तो पैरों पर है। उनके पैर तोड़ने की तैयारी हो गयी थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें। आप बजट पर अपनी बात रखें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं गलत नहीं बोलूंगा, एक सौ एक टका सही कहूंगा। इस तरह से मुझे टोर्चर किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था बजरी की बात करें तो बजरी के क्या हालात आपने किये? किस तरह से भू-माफिया, बजरी माफिया जो पनपे और उसके पीछे कौन था? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो गया आप लोगों को?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): किस तरह से बजरी की आज पूरे राजस्थान के अंदर त्राहि-त्राहि मच गयी है। आज जहां भी है, जिस तरह से बजरी में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी पैरवी नहीं हुई और उसकी वजह से आज राजस्थान की जनता भुगत रही है। अगर आप माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करते तो यह हालात नहीं होते।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मदनजी, विराजिये। विराजिये, आप बैठिए। अंकित नहीं हो रहा आपका कुछ भी। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी ने जो बजट प्रस्तुत किया, गरीब को गणेश मानकर जिस तरह से हमारी नि:शुल्क दवा योजना थी, उस दवा योजना का इन्होंने किस तरह से पैंदा बैठाने का काम किया? लोगों को किसी भी तरह से दवा नहीं मिले, बाजार में महंगे इलाज प्राइवेट अस्पतालों को दिया ताकि वह लुटें और किस तरह से जनता को जो फायदा मिलना था वह नहीं मिल रहा था।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए 104 प्रकार की जितनी महंगी दवाइयां थीं वह आज इन्होंने फ्री कर दी। आज एम.आर.आई. है, चाहे सीटी-स्कैन है, फ्री करने की घोषणा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की, यह आप नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से यह बजट है, चाहे आप चिकित्सा की बात करें या शिक्षा की बात करें, जिस तरह से नए स्वास्थ्य उप केन्द्र, चाहे पी.एच.सी., सी.एच.सी., स्कूलों की बात करें, नए स्कूलों की बात करें, आपने बगैर सोचे-समझे कितनी स्कूलें बंद कर दीं? आपने क्या कभी यह सोचा कि एक स्कूल के पीछे पचास-पचास लाख रुपये खर्च किये और उसके अंदर अब क्या है, दरवाजे उखाड़कर ले जा रहे हैं और उसके अंदर गधे घूम रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आप सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं हकीकत कह रहा हूं और मुझे सही बात कहने के लिए समय दें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वह स्कूलें बंद नहीं करते। गरीब लड़के पैदल चलकर उनमें पढ़ते थे, वह आज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्कूलें बंद की हैं उनको पुन: चालू किया जाए ताकि वहां के बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहें और सरकारी प्रोपर्टी है, वह काम आ जाए और स्कूल के लिए काम आए।

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारों के लिए 75 हजार एक साथ नौकरियां निकालना, यह क्या मुख्य मंत्री की सोच युवाओं को किस तरह से जो बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी देने की पहली घोषणा इस तरह की अगर यह करते तो यह यहां पर नहीं बैठते। इन्होंने खाली झूठे आश्वासन, झूठी घोषणाएं और झूठे जुमले, गौरव यात्रा, लोगों को यहां पर ला-लाकर जिस तरह से सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया, किस तरह से वहां के लोगों को सरकारी जितनी भी योजनाओं में लाभान्वित हुए थे, उन लाभान्वितों को गाड़ी में भरकर, सभी अधिकारी यह कह रहे थे कि पहली बार ऐसी सरकार देखी कि सरकारी अफसर को पाबंद किया कि आपको यहां पर लाना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो आप सस्पैंड होंगे। ऐसी सरकार ने जिस तरह से किया, उसी का नतीजा है कि आज आपकी हालत क्या है? लोक सभा चुनाव में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको क्या हो रहा है? विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप तो कभी नहीं आने वाले इसके बाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। अब आप विराजिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपके मंत्री, आपके प्रतिपक्ष के नेता कटारियाजी ने क्या कहा था, वह आप सुन लो। आपको वोट नहीं दिये हैं। वह वोट कैसे मिले हैं, किस तरह से जनता को गुमराह करके मिले हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें। उनको निमंत्रण दे रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि चाहे मैट्रो हो, चाहे

(श्री मेवाराम जैन)

पत्रकारों के लिए पेंशन और आवास योजना हो, चाहे शहीदों के आश्रितों के लिए भूखंड आबंटन करने की बात हो, चार हजार की आबादी जिनकी है, उनको पाइप लाइनों से जोड़कर उनके लिए पानी की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे गली-मौहल्ले में छोटी डिस्पेंसरी लगाकर उन गरीबों की मदद करनी हो और जिस तरह से वरिष्ठ नागरिकों को आज काठमांडू ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बहुत जल्दी। आज जिसको बाहर नेपाल में पशुपतिनाथ, चाहे जिस तरह से जो यात्रा फ्री करवा रहे हैं, कोई पूछेंगे, आपके दिमाग में कभी यह बात आई और हवाई-जहाज में आपने यात्रा करवाई होती तो आप यहां नहीं बैठते, इधर बैठते।

श्री सभापति: सहयोग करें, समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जिस तरह से यह बजट है, मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार का बजट है दिमाग में, अब यह आया कि यह बजट हुआ कैसे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): इतने पैसे लाएंगे कहां से? मैं, सभापति महोदय, आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि यह जो घोषणाएं की हैं, यह पूरी घोषणाएं अमल होंगी, जनता के काम होंगे और यह बातें करते ही रह जाओगे। आपको सिर्फ खिलाफत ही करनी है, काम के लिये आपका धर्म होना चाहिये कि आप अच्छे काम के लिये साथ दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बस खतम ही कर रहा हूं मैं। सभापति महोदय, बहुत जल्द ही खतम कर रहा हूं। मैं तो प्रतिपक्ष से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास के लिये हम राजनीति नहीं करें। हम सब मिलकर राजस्थान का विकास कैसे हो, उसमें हम भागीदार बनें, न कि एक-दूसरे की टांग खिंचाई में। अब की बार बहुत अच्छी परम्परा हुई और बिजली पर चर्चा हुई, पानी पर चर्चा हुई, किसानों पर चर्चा हुई। पहली बार यह चर्चा हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): इससे अच्छे रिजल्ट निकलेंगे और आपसे

(श्री मेवाराम जैन)

भी निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, आप इसको आम जनता तक पहुंचाएं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा। माननीय सदस्य, आठ-दस मिनट में समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, माननीय सदस्य, 23 मिनट बोले हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कितने मिनट बोलेंगे, यह मुझे तय करना है। एक मिनट सुनिये आप, विराजिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके नेता महोदय और उप-नेता महोदय, दोनों ने यह तय किया है कि दस मिनट का समय देंगे। दो मिनट पहले आप उनको कह दीजिये। यह मैंने तय नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय निर्धारित किया है। आठ घंटे कांग्रेस के हैं, चार घंटे आपके हैं। इस हिसाब से यदि वह ज्यादा बोलते हैं तो आप बार-बार यह मत कहिये कि कितना बोलना है। यह मुझे तय करना है कि किसको कितना बोलना है। (व्यवधान) विराजिए। जरूरी नहीं है, आपका बीच में बोलना।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं मेरे निर्धारित समय के अंदर ही अपनी बात पूरी कर लूंगा। यदि मुझे यदि टोकने की कोशिश की तो मैं आपकी शिकायत बुआजी से करूंगा।

श्री सभापति: अच्छा रहेगा। आप विद्वान आदमी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बुआजी बीच में कहां से आ गयी?

श्री सभापति: सौभाग्य से मेरा ससुराल चौमूं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आज परिवर्तित बजट 2019-20 की चर्चा शुरू हुई है और कल प्रदेश के मुखिया ने...(व्यवधान).

श्री सभापति: यह बातों-बातों में बुआजी-बुआजी कह रहे हैं, चूनड़ी तो कभी ओढ़ाई नहीं, बातों में बुआजी-बुआजी कर ही रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हुकुम, समय आने पर वह भी ओढ़ा देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: पूफाजी होने से समय में छूट नहीं दूंगा मैं। इतना ध्यान रखें आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मेरे पूर्व वक्ता, कांग्रेस के माननीय सदस्य बोले हैं, वह इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी सरकार, चाहे 1998 से लेकर 2003 तक रही हो, या इनकी सरकार 2008 से लेकर 2013 तक रही हो, उन सरकारों ने बेहतरीन काम किये थे। बेहतरीन काम करने से ही 156 की जगह 56 पर आकर टिके और पिछली बार तो माननीय सभापति महोदय, 21 के ऊपर ही आकर टिक गये थे। अगर यही अच्छा काम करते, बेहतरीन काम करते तो मेरे खयाल से जनता इनको नकारती नहीं। लेकिन, सभापति महोदय, इतना जरूर कहूंगा कि आज भी वह उसी ट्रैक पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो वर्षों से वह चलते आये हैं। आज भी उसी एक ही परिवार की परिक्रमा लगाने का काम कर रहे हैं। आज भी उसी वोट बैंक को अपना वोट बैंक समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब इनके हाथ से निकल चुका है।

सभापति महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी सरकार सामाजिक समरसता, कमजोर वर्ग का कल्याण, सुशासन तथा शांति व अहिंसा, यह हमारे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। सभापति महोदय, अगर इनकी सरकार के अंदर सुशासन है, शांति है, अहिंसा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आखिरकार कौनसी घटनाएं थीं, जो इस जयपुर की सड़कों के ऊपर एक कोई घटना घटती है और उस घटना की प्रतिक्रिया के अंदर 500 लोगों का एक हुजूम इकट्ठा होकर निर्दोष लोगों के मकानों के ऊपर पत्थर फेंकने का काम करते हैं। मकानों के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने का वह काम करते हैं।

सभापति महोदय, चौमूं के अंदर भी इसी प्रकार का तनाव हुआ था, प्रतापगढ़ के अंदर भी इसी प्रकार का तनाव हुआ था, जोधपुर के अंदर भी इसी तरीके का तनाव हुआ। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि यदि यह राजस्थान की सरकार प्रदेश के अंदर शांति कायम करना चाहती है तो सबसे पहले पुलिस महकमे को मजबूत करने की आवश्यकता है और

(श्री रामलाल शर्मा)

मुझे खुशी होती, यदि मुख्य मंत्री महोदय यह कहते कि मैं पुलिस को इतने करोड़ रुपये का बजट देने का काम करता हूं। मैं पुलिस तंत्र को सुधारने के लिये इतने करोड़ का बजट देता हूं, मैं पुलिस के अंदर आधुनिक शस्त्र खरीदने के लिये, गाड़ियां खरीदने के लिये, साइबर क्राइम की रोकथाम करने के लिये इतने बजट का प्रावधान करता हूं, तो सभापति महोदय, मैं भी उनको धन्यवाद देता। लेकिन, एक भी जगह पूरी पुस्तक में कहीं पर पुलिस को मजबूत करने की बात कहीं नहीं कही गयी।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, चिकित्सा मंत्रीजी अभी यहां से चले गये, चिकित्सा महकमे की बात, यह कह रहे हैं कि 608 दवाइयां हम पहले नि:शुल्क दे रहे थे, 104 दवाइयां हमने और शुरू कर दीं, कुल मिलाकर 712 हो गयीं। सभापति महोदय, 712 क्या, आप 812 कर दो, हकीकत है कि नि:शुल्क दवाइयां या तो मिलती नहीं हैं और मिलती हैं तो वह गुणवत्ता से युक्त नहीं होतीं। ऐसी-ऐसी दवाइयां आ रही हैं जिनको दो साल तक लेते रहे पर मरीज ठीक ही नहीं होता और सभापति महोदय, आज वास्तविकता यह है कि जो पेंशनधारी व्यक्ति है, जिन्होंने 60 साल तक इस सरकार के अंदर सेवा करके अब अपने परिवार के साथ वह समय बिता रहे हैं, वह भी आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको भी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। अगर काश, इस बजट के अंदर कहते कि हम उन पेंशनधारियों को भी जीवन जीने के लिये, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये अच्छी दवाइयां, बेहतरीन दवाइयां समय के ऊपर उनको उपलब्ध करवाएंगे तो मेरे खयाल से वह बेहतरीन होता।

सभापति महोदय, इतना ही मैं कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो वह एस.डी.एम. और कलेक्टर के आफिस के अंदर चक्कर लगाने का काम करता है। सभापति महोदय, आज मेरा प्रश्न था, उस प्रश्न के अंदर मैंने पूछा कि राजस्थान के अंदर कितने लोगों की अपील पैंडिंग हैं? बताया जी हां, राजस्थान के उपखण्ड अधिकारियों के पास उनकी अपीलें पैंडिंग पड़ी हुई हैं। सभापति महोदय, डेढ़ लाख से अधिक अपीलें, अभी भी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़ाने के लिये पूरे राजस्थान में पैंडिंग हैं और सभापति महोदय, मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र की रोचक स्थिति है। मैंने सरकार से पूछा कि दिसम्बर, 2018 से लेकर जून, 2019 तक आपके यहां कितनी एप्लीकेशन आई, जो खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़ाने की हैं? सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा 2,915 एप्लीकेशन पिछले छह महीने

(श्री रामलाल शर्मा)

के अंदर उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के पास आयी हैं। मैंने पूछा था उनमें से कितने नाम जोड़े गये? आपको भी, सभापति महोदय, जानकर आश्चर्य होगा, 2915 में से सिर्फ 10 नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गये और हकीकत यह है। सभापति महोदय, मैं इस सदन के अंदर स्वीकार करता हूं कि आज भी मेरी नहीं, पूरे राजस्थान के विधान सभा क्षेत्र, कोई भी उठाकर देख लो, ऐसे-ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो कहीं भी, किसी भी वरीयता के आधार पर पात्र नहीं हैं, फिर भी खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े हुए हैं। जिनके दो मंजिला मकान बने हुए हैं, वह भी खाद्य सुरक्षा सूची में हैं। जिनके घर ट्रैक्टर खड़ा है, जिनके पास एक नहीं, दो-तीन गाड़ियां हैं, वह भी खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कहते कि राजस्थान के अंदर एक अभियान चलाकर जो भी पात्र व्यक्ति हैं, उसको खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा जाएगा और जो अपात्र व्यक्ति जुड़ा है, उसको हटाने का हम काम करेंगे। लेकिन सदन के मुखिया यह कर नहीं सकते, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति उनको यह सब करने से रोकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जब वह बजट की रिप्लाई दें तो कम से कम यह घोषणा जरूर करें कि उस पात्र व्यक्ति को उस खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करें और अपात्र व्यक्ति को निकालने का काम करें।

सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपसे और करूंगा। यदि प्रदेश के मुखिया यह कहते कि आज राजस्थान के अंदर किसके लिये बजट पेश कर रहे हैं। राजस्थान में बजट हम व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये पेश कर रहे हैं और जब व्यक्तियों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो इस बजट का हम क्या करेंगे? सभापति महोदय, आज भी आपको पता है, आप किसी भी शहर में चले जाओ, कई ठेले वाले, पतासी बेचने वाले, पकौड़ी बेचने वाले, कचोरी बेचने वाले, ऐसे गंदे तेल के अंदर सामग्री तैयार कर रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज भी मिलावट का दूध, मिलावट का मावा, मिलावट का पनीर इस प्रदेश के अंदर बेखौफ होकर लोग बेचने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, अच्छा तो यह होता कि राजस्थान सरकार के मुखिया कहते कि मैं आने वाले समय के अंदर इस मिलावट के खिलाफ एक अभियान चलाकर ऐसे मिलावट करने वालों के खिलाफ मैं सख्त कानून बनाकर पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर के ऊपर लैबोरेट्री स्थापित करने का

(श्री रामलाल शर्मा)

काम करूंगा तो मुझे लगता कि वास्तव में प्रदेश के मुखिया लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, बिजली के क्षेत्र में बात जरूर करूंगा। राजस्थान में जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, उस सरकार ने एक नहीं, अनेकों क्षेत्रों के अंदर अवार्ड जीतने का काम किया, राजस्थान को प्रथम स्थान पर लाने का काम किया। चाहे वह भामाशाह योजना हो, डिजिटल इंडिया हो, सौर ऊर्जा हो, सड़क बनाने का काम हो, कर्षक कर्मण का पुरस्कार हो, स्किल डवलपमेंट हो और चाहे पंचायती राज हो, सभापति महोदय, इन सबमें राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला था। यह सरकार भी प्रथम पुरस्कार लेकर आएगी, लेकिन प्रथम पुरस्कार किसमें मिलेगा? सभापति महोदय, प्रथम पुरस्कार मिलेगा राजस्थान में सबसे अधिक वी.सी.आर. भरने में, राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में, राजस्थान में सबसे अधिक दुष्कर्म के मामले में, राजस्थान में सबसे अधिक साम्प्रदायिक हिंसा में, राजस्थान में सबसे अधिक बेरोजगारी में, राजस्थान में बैड गवर्नेंस देने के अंदर सबसे प्रथम पुरस्कार इस राजस्थान की सरकार को मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह आपके कार्यकाल का बता रहे हो क्या?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं आपका भी बता रहा हूं। आप यहां से चिल्लाते थे प्रदेश के अन्दर अन्याय हो रहा है, स्कूलें बंद कर दीं, गरीब के बच्चे कहां पढ़ेंगे? खोल दी क्या एक भी स्कूल?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अपनी बात।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): छह महीने में एक स्कूल नहीं खोली, आपके ऊपर भी आ रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, यह हकीकत बयां कर रहा हूं।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आपके जे.ईएन., ए.ईएन., एक्स.ईएन. ने कोई वीसीआर भर दी उस वीसीआर की सुनवाई के लिए आपने सिर्फ एस.ई. को अधिकृत कर रखा है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि कम से कम राजस्थान के आपके एक्स.ईएन. इतने ईमानदार तो हैं कि वे गलत काम तो नहीं करेंगे, जब आपने एस.ई. को अधिकार दे रखा है तो आप कम से कम उपखण्ड स्तर पर एक्स.ईएन. को 25 हजार रुपये की जो भी ग्रिवेंसेज आती हैं उसको सुनवाई का अधिकार जरूर दें ताकि आम गरीब आदमी को राहत मिल सके। आपका एस.ई. का कोई भी आफिस 70-80 किलोमीटर दूर है, कम से कम गरीब किसान के पैसे तो बचें।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ कहूंगा कि अभी बाड़मेर से आने वाले सदस्य गौशाला की चर्चा कर रहे थे, मैंने इसी सत्र में अभी एक प्रश्न लगाया था कि राजस्थान की सरकार ने छह महीने में गौशालाओं को कितना अनुदान दिया? सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा जीरो। सरकार आने के बाद में अभी तक हमने एक रुपया भी गौशालाओं को अनुदान नहीं दिया लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि आने वाले समय में हम इतना पैसा देने का विचार रखते हैं। यह जवाब मुझे प्रश्न के माध्यम से दिया है।

सभापति महोदय, आपने मुख्य मंत्री जी से घोषणा तो करा दी कि हम पंचायत स्तर पर..

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अभी कहां, सभापति महोदय।

आपने घोषणा तो करा दी कि हम हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलेंगे, आप गोचर जमीन का कन्वर्जन नहीं कर सकते, आप गौशालाएं खोलने के लिए, नंदी शालाएं खोलने के लिए जमीन कहां से लाओगे? सभापति महोदय, इसके बजट का अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया। आखिरकार बजट का प्रावधान नहीं है, जमीन आपके पास नहीं है तो नंदी शालाएं खोलोगे कहां से?

सभापति महोदय, इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, अभी आप कह रहे थे न, आप पिछली सरकार के समय कहते थे 20 हजार स्कूलें बंद कर दीं, गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे, छह महीने में आपने तो खोल दी क्या? क्या घोषणा कराई, हम 50 प्राथमिक स्कूल खोलेंगे। राजस्थान में 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, आप 50 प्राथमिक स्कूल खोल रहे हो, चार विधान सभा क्षेत्र में एक स्कूल खोलोगे, यही है क्या आपका शिक्षा का दर्पण?

(श्री रामलाल शर्मा)

इसी के साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा संविदा कर्मचारी का...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपने पांच साल में कितने खोले?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मुख्य मंत्री जी सक्षम हैं, वे रिप्लाई दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप विराजें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, विराजें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, संविदाकर्मी चाहे चिकित्सा के हों, ग्राम सहायक हों, प्रेरक हों, आंगनबाड़ी हों, हमारी जब सरकार थी तब यही माननीय सदस्य सबको जाकर कहते थे कि हमारी सरकार आ गयी तो एक महीने में सबको नियमित कर देंगे, सभापति महोदय, एक को नौकरी देने का काम नहीं किया।

श्री सभापति: विराजिये विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मुझे सिर्फ पांच मिनट और दें।

श्री सभापति: अब आप एक मिनट में अपने बात समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, पांच मिनट में।

इसी के साथ, सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय गये, यातायात मंत्री जी बहुत योग्य मंत्री जी हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, अब समाप्त करें अपनी बात।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, इनके जीवन के अन्दर तीन टी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आसन के प्रति कोई गलत भावना नहीं है लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे सदस्य बोल नहीं पाये, वे सौ की स्पीड से इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास मैटर है, उसको उस समय में खतम करना है और उसके कारण से वे अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं रख पाये। अगर समय का डिस्ट्रीब्यूशन करना है न तो सबके लिए समान करना पड़ेगा।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि निर्दलीय सदस्यों को 12 मिनट दिये

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हुए थे। आपकी जो 16 घंटे की घोषणा की थी उसमें एक घंटा और समथिंग दिया था, एक घंटे में एक अकेला निर्दलीय सदस्य आपका समय ले ले उस समय आपको समय और घंटी का ध्यान नहीं रहता और हमारे समय पर रहता है क्या? यह कैसे हो सकता है? अगर आप हमारा सहयोग चाहते हो तो फिर बराबरी की बात होनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

समय का निर्धारण हुआ है और बिजनस एडवाइजरी कमेटी में आप विराजमान थे, आपने माननीय अध्यक्ष महोदय से यह कहा कि आठ बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए और उसमें आपने यह भी फर्माया कि 10 मिनट का समय दें, दो मिनट पहले आप कह दें, माननीय सदस्य विराज जाएंगे। समय का जो निर्धारण हुआ उसमें आठ घंटे कांग्रेस को मिले हैं, आपको 4 घंटे मिले हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बराबर करो, हमें यह एतराज नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। माननीय उप नेता महोदय एक घंटे से ज्यादा बोले, मैंने कोई इन्टरवीन नहीं किया। पहले सदस्य के रूप में माननीय उप नेता महोदय बोले, पहले सदस्य के रूप में वे बोले, उनको भी एक घंटा अलाट हुआ है, वे बोले 40 मिनट। माननीय शकुन्तला जी जो कांग्रेस की हैं, वे बोलीं 20 मिनट। इसलिए आप यह इस तरह से मत कहिये कि मैं किसको समय क्या दे रहा हूं, किसको समय नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, चुप करिये आप। मैं नेता महोदय से बात कर रहा हूं आप बीच में इन्टरवीन कर रहे हैं।

आसन की कोई मंशा नहीं है कि किसी को समय कम दे किसी को समय ज्यादा दे। समय आपका है, यदि आपको यह लगता है कि आपको तीन बजे तक बैठना है, मुझे कोई असुविधा नहीं है, फ्री फोर आल। लेकिन माननीय नेता महोदय, समय निर्धारण आपने किया है, आपने स्वयं ने यह कहा है कि दस मिनट का समय दें, आठ मिनट में आप माननीय सदस्य को सूचना कर दें। मैं तो आपके कहे के अनुसार ही चल रहा हूं। आप फर्मा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठे हैं, इधर आप बैठे हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि समय बढ़ाना है, मुझे असुविधा नहीं है लेकिन आप लोगों ने तय

(श्री सभापति)

किया है कि आठ बजे हाउस एडजोर्न करना है तो इसलिए पाबंदी करनी पड़ रही है। मुझे क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि समय और आगे बढ़ना चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपकी बात को ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक मिनट, सर।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटा बढ़ाया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा आसन के प्रति किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। मेरे मन में केवल इस बात की पीड़ा है, अगर आपने यह तय किया कि दस मिनट बोलना है और उसको दो मिनट और समय देकर बारह मिनट में समाप्त करना है, सबके लिए लागू करें, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्पीकर था हमारी पार्टी की तरफ से, उसे हमारा जो टाइम दिया हुआ है उसके अन्दर आता है। अगर कांग्रेस का कोई प्रथम बोलने वाला एक घंटा बोलता तो हमें कोई एतराज नहीं लेकिन जिस निर्दलीय को आपने यहां जो आसन से व्यवस्था दी, या तो वापस रिपीट कर लें, उसको देख लें कि आसन ने उसकी व्यवस्था देने के बाद इतने घंटे का, इतना समय देने का आपका जो निर्णय था, वाजिब था क्या? मुझे एतराज इस बात पर है। व्यक्ति-व्यक्ति में फर्क नहीं और अगर आसन ने व्यवस्था की तो उसकी पालना होनी चाहिए।

श्री सभापति: निर्दलीय को जितना समय था उसके अनुरूप उनको समय दिया गया। आपके माननीय उप नेता महोदय ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, वे जितनी +++ दे सकें हमें, उनको +++ देने के लिए समय दिया है। हमको जितनी +++ दी जा सकती हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: चुप करिये आप। जरूरी है आपका बीच में बोलना? जब मैं नेता महोदय से बात कर रहा हूं तो कोई जरूरी है आपका बीच में बोलना या आप नेता महोदय को समर्थन दे रहे हैं। थोड़ी-बहुत है ही नहीं बिलकुल आपमें। नेता महोदय, मुझे कोई असुविधा नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बजट में नेता प्रतिपक्ष को +++ देने का भी प्रावधान है?

श्री सभापति: मैं एक मिनट आपसे आग्रह कर रहा हूं। आपने यह फर्माया कि दस मिनट का समय देना है। आपने ही फर्माया? आठ बजे समाप्त करना है, आपने फर्माया? मुझे कोई असुविधा नहीं है। लेकिन समय का निर्धारण जो आपके और कांग्रेस के बीच में चार घंटे का और आठ घंटे का हुआ है, मैं उसका क्या करूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसकी पालना करो।

श्री सभापति: उसकी पालना करूंगा, आप दस मिनट बोलेंगे तो वे बीस मिनट बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो, नो, नो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों बोलेंगे अगर आपने दस मिनट का दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: तो मैं यही तो कह रहा हूं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने 5 घंटे 55 मिनट दिये हैं।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, मैं यही कह रहा हूं। आपको भी दस मिनट बुलवा रहा हूं, उनको भी दस मिनट बुलवा रहा हूं। अभी 19 माननीय सदस्य बोलने बाकी हैं, पांच बजे हैं, यदि मैं दस-दस मिनट सबको दूंगा तो आठ बजे हाउस एडजोर्न होगा। यदि आपको यह मंजूर है तो मुझे दिक्कत नहीं। आप यह चाहते हैं कि हाउस दस बजे तक चले, तो मुझे वह भी दिक्कत नहीं लेकिन तय आपको करना पड़ेगा। 19 माननीय सदस्य बोलने हैं, दस-दस मिनट में आवश्यक रूप से आप भी विराजेंगे और वे भी विराजेंगे तब हाउस आठ बजे एडजोर्न हो जाएगा। इसलिए मेरी तरफ से रैस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन, नेता महोदय, मैं आपसे दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि बार-बार बीच में इन्टरवीन करना, कोई आदमी अपनी बात कह रहा है, वह क्या कह रहा है, कोई असंसदीय नहीं बोल रहा, जो अपनी बात कह रहा है उसको बोलने दें।

(श्री सभापति)

बीच-बीच में उसको इन्टरवीन करने से ही तो समय खराब होता है, वह भी तो उन्हीं का होता है।

इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि 19 माननीय सदस्यों को बोलना है, आवश्यक रूप से दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें, घड़ी की तरफ देख लें। मैं आपको दो मिनट पहले सूचित करूंगा आप विराजें, मैं दूसरा नाम पुकारूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जो निर्दलीयों पर एतराज किया है, आपने हमारा जितना टाइम तय किया है वह टाइम पूरा नहीं हुआ और इसके अलावा भी इनके सदस्यों ने बार-बार जो व्यवधान उपस्थित किया उस वजह से समय लगा। हमारा जो निर्दलीयों का समय है उसके बारे में विपक्ष के नेता महोदय कौन होते हैं बोलने वाले?

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप निर्दलीयों के नेता नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारा जो टाइम तय किया ...(व्यवधान) हमें अधिकार है उसका उपयोग करने का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): निर्दलीय और हैं। आप नेता हो क्या निर्दलीयों के? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप इस तरीके से बोलने से रोकेंगे क्या हमको?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह निर्दलीयों की तरफ से आपने अधिकृत कर दिया क्या, नेता घोषित कर दिया क्या इनको? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर।

एक माननीय सदस्य: बारह और हैं, यह अकेले थोड़े ही हैं।

श्री सभापति: आसन पैरों पर, आसन पैरों पर, विराजिये, विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या विषय था जिसके बारे में उनको यह बात कहने की आवश्यकता पड़ी?

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे लिए समय है उसमें से बोले हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य, आपकी धमकाने की आवाज से ज्यादा दमदार आवाज आज भी मेरी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे धमकाकर? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी, माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोई गलत काम नहीं करा ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या कर लोगे धमकाकर?

एक माननीय सदस्य: चिल्लाने से क्या होगा। (व्यवधान) आप धमकायेंगे क्या?

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यूं-यूं क्या होता है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ज्यादा आवाज करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार): निर्दलीय विधायक को इस तरह से डराया नहीं जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

(17.00 बजे)

माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कटारिया साहब, कटारिया साहब, ...(व्यवधान) विराजिए आप ...(व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार): 000

श्री सभापति: विराजिए, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। बैठिए आप ...(व्यवधान) आप विराजें। मुझे कुछ कहने तो दीजिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: यदि कुछ असंसदीय कहा है तो मैं उसे निकाल दूंगा ...(व्यवधान) विराजिए। यह क्या हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अशोक (खण्डार): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री अशोक (खण्डार): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप। विराजें ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री सभापति: माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं कुछ कहूं आपसे ...(व्यवधान) मैं कुछ कहूं अपनी तरफ से। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है आप विराजिए ...(व्यवधान) मेरा आपसे पुन: आग्रह है कि आप विराजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं कुछ कहूं, आप विराजिए ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। आप बैठें ...(व्यवधान) आप जाइए। मैं आपको कह रहा हूं आप जाइए ...(व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं कुछ कहूं। (व्यवधान) आसन पैरों पर है। एक मिनट आप

(श्री सभापति)

विराजिए ...(व्यवधान) आसन पैरों पर है, एक मिनट आप विराज जाएं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कृपया आप एक बार विराज जाएं।

श्री सभापति: बैठो आप ...(व्यवधान) चलने दो सदन आराम से ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिए आप लोग। विराजिए ...(व्यवधान) फर्माएं आप ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोई और शब्द नहीं कहा। लेकिन मैं आसन से इतना जरूर चाहता हूं कि मैं भी इस विधान सभा में आठवीं बार आया हूं। मेरे एक भी आचरण से आज दिन तक इस विधान सभा के अंदर, कोई गलत बात, कोई गलत चीज मैंने की हो तो यह सदन साक्षी है। मेरे यहां शब्द नोट होंगे। लेकिन मेरे जैसे सीनियर व्यक्ति के बारे में भी इस प्रकार के ओछे शब्दों का प्रयोग करना ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या तरीका है?

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। विराजिए आप। आसन पैरों पर है। विराजें। एक मिनट, विराजिए। मेरा पुन: आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि विराजिए आप लोग। यह सदन तब चलेगा, जब आप सब लोग सहयोग करेंगे। सदन का हर माननीय सदस्य मेरे लिए माननीय है। मैंने जिंदगी में न किसी के साथ पक्षपात किया और न ही मैं कभी पक्षपात करने की सोच सकता हूं। आप सब जब इस सदन में पधारे तो गरिमापूर्ण रहने का आपके मन में भी विचार है। मैं पुन: आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग एक-दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखेंगे, एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखेंगे, तब चलेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कोई भी ऐसी असंसदीय बात यदि कही है तो मैं उसे एक्सपंज करने के निर्देश देता हूं। बार-बार आपको अध्यक्ष महोदय भी कह रहे हैं और मैं भी आपसे कह रहा हूं। मैं भी जब खड़ा होता हूं तो सभी माननीय सदस्य एक बार कम से कम आसन का निर्देश मानें। सदन चलेगा कैसे? सदन रैगुलेट करने का मेरा काम है। लेकिन मैं अकेला रैगुलेट नहीं कर सकता। रैगुलेट मैं तब करूंगा जब आप सब लोग मुझे सहयोग करेंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि शांतिपूर्वक आप आगे की कार्यवाही चलाएं। श्री गोविन्द राम।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): इनका एक्सपंज करें न।

श्री सभापति: वह मैंने कर दिया उनका एक्सपंज। आप 2 मिनट में कन्क्लूड करें। 2 मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं दंडित की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए आप। विराजिए। डिस्टर्ब मत करें बीच में। आप इतने सीनियर हैं। माननीय सदस्य, विराजिए। श्री रामलाल शर्मा। विराजिए ...(व्यवधान) आसन पैरों पर। ऐसे ही चलाना है आपको। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं बिना व्यवधान के कह रहा हूं। मैं किसी को उत्तेजित करने का काम भी नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि यदि प्रदेश के मुखिया जिन समस्याओं को लेकर ...

श्री सभापति: उस चर्चा को लेकर कोई बात नहीं होगी। उस पर निर्देश दे दिए। यदि असंसदीय है तो हटा दिया जाएगा। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं तो मेरी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: हां, बात कहो।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सदन के नेता इस बजट के अंदर यह कहते कि नई सरकार आने से पहले जो वादे मैं करके आया था, जिन संविदा कर्मियों से वादे करके आया था, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के मंचों के ऊपर भाषण देकर जो नेता आए थे, वे इस सदन में आकर जिम्मेदारी लेने के बाद, उन जिम्मेदारियों को पूरा करते तो मुझे लगता कि सरकार कहीं न कहीं संवेदनशील है।

सभापति महोदय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के जीवन में तीन 'टी' बहुत महत्वपूर्ण हैं। काबिल आदमी हैं। छात्र राजनीति से संघर्ष किया। पहला टैम्पो यूनियन के माध्यम से उन मजदूरों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। उनको न्याय दिलाने का काम किया। दूसरा, टैक्सी यूनियन के साथ इन्होंने संघर्ष किया। तीसरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब इनको मिला। यह तीन 'टी' इनके जीवन में शुभ हैं। चौथी 'टी' जो महत्वपूर्ण है, वह है इनका टेलेंट। जब इनमें टेलेंट है तो यह तीन 'टी' आई।

सभापति महोदय, मैं इनसे कहूंगा कि यातायात मंत्री महोदय, मेरे पिताजी भी राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी रहे हैं। उनकी वेदना, उनके सहयोगियों की वेदना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के धरने पर जाकर जो वादा करके आए थे, उनको पूरा करने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से मैं जो कहूंगा वह सत्य कहूंगा, कटु कहूंगा। आज भी राजस्थान के अंदर जो इनके डिपार्टमेंट ने टार्गेट दे रखे हैं, उनके चक्कर में तेज गति से चलने वाले वाहनों के आगे इनके डिपार्टमेंट की गाड़ियां लगती हैं। दुर्घटनाएं होती हैं। वह मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इन टार्गेटों को पूरा करने के लिए आम किसान को परेशान करना बंद करें।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, बस 2 मिनट।

श्री सभापति: कैसे चलेगा फिर यह? 2 मिनट, 2 मिनट करके, 10 मिनट की बजाय आप 20 मिनट बोलेंगे तो कैसे चलेगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बस 2 मिनट। 2 मिनट में ही कर रहा हूं। आज गरीब किसान अगर अपने ट्रैक्टर के पीछे धोरे डालने की मशीन लगाकर ले जाता है तो उसका भी यह चालान करने का काम करते हैं। किसान अपने खेत के अंदर अगर कोई बोरिंग ठीक करने की मशीन लगा देता है तो उसका भी यह चालान करने का काम करते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मंत्री महोदय इसको आप ठीक करने का काम करें। सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन करूंगा। इसी सदन के अंदर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, आप चाहे रिकार्ड निकलवा लो, उन्होंने कहा था कि वसुन्धरा जी, आपकी मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना की मैं भी तारीफ करता हूं। आपने एक बेहतरीन योजना शुरू की है।

सभापति महोदय, राजस्थान आज भी पानी के लिए तरस रहा है।

श्री सभापति: सहयोग करें माननीय सदस्य। सहयोग करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): राजस्थान की उस मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना में सरकार बजट का प्रावधान करे। उस योजना को बेहतरीन चलाने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन और करना चाहता हूं। कृषि मंत्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं, आज मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर बूंद-बूंद सिंचाई पद्वति जो शुरू की गयी है, उसका दायरा और बढ़ाएं, बजट का प्रावधान करें। पोंड जो बन रहे हैं उनका बजट और अलोट करें। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कम पानी में अधिक पैदावार कैसे हो सकती है उसके लिए भी बजट का प्रावधान करें। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। आपने काफी ज्ञान बढ़ा दिया। श्री गोविंद राम।

एक बार सभी माननीय सदस्यों को कहूंगा कि आठ मिनट में मैं आपको सूचित कर दूंगा, दस मिनट में आप विराजेंगे, हाउस का 8 बजे तक का समय आपने निर्धारित किया है, हाउस का समय और आगे नहीं बढ़ेगा। मेहरबानी करके आप सभी सहयोग करें।

श्री गोविंद राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मैं आज

(श्री गोविंद राम)

आदरणीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश 1947 से पहले गुलाम था। हमारा देश छोटी-छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, इस देश में भयंकर जातिवाद था, ऊंच-नीच थी, छूआछूत थी, इस देश का बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, जिसको बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था और बाहर रहते थे। जब संविधान बना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया और उसी के अनुरूप हम लोग इस बजट को लेकर आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि इस बजट की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की। उन्होंने शुरूआत में एक शब्द यूज किया है कि पिछले कुछ सालों से इस देश में हिंसा का वातावरण है, अशांति है, जाति और धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, मोब लिंचिंग के माध्यम से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसके ऊपर कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि जब से सत्ता में आए हैं, उसके बाद में मोब लिंचिंग की घटनाएं कम हुई हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): केरल में और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मेरे को जब-जब भी डिस्टर्ब करें वह टाइम नोट कर लें।

पिछले पांच साल में अगर आप पूरे राजस्थान का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की घटनाएं ज्यादा हो रही थीं जो शादी करने जा रहा है और पता नहीं इन्होंने ऐसी टीमें तैयार कर रखी हैं, ऐसे गैर राजनीतिक संगठन बना रखे हैं, धर्म के नाम पर कि वह दलितों की कहीं भी जो बारात जाती है, उनके दूल्हों को घोड़ी से उतारने में अपना स्वाभिमान मानते हैं। वह भगवा झण्डा लगाकर पगड़ी बांधकर, उन गरीब लोगों को पीटते हैं, नंगा करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। कई बार हम देखते हैं विडियो, मुसलमान जाति के लड़कों को भी पेड़ से बांध कर पीटते हैं और जब कोई आदमी व्हाट्सएप शेयर करता है तो उसको देशद्रोही, पता नहीं क्या-क्या

(श्री गोविंद राम)

गालियां देकर पुकारते हैं। (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना है, इस देश के संविधान को मजबूत करना है, हमें उन लोगों की भी पहचान करनी पड़ेगी कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले कौन लोग हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए थे, काला धन लाएंगे, दो लाख को यहां रोजगार देंगे, दो करोड़ को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि नोटबंदी के माध्यम से सौ आदमी लाइन में खड़े-खड़े मर गये, किसी भी परिवार को एक रुपया मुआवजा तक नहीं दिया। अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे, जीएसटी की प्रशंसा करनी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो एक गरीब तबके का व्यक्ति हूं, गुजरात में बीस-बीस हजार व्यापारी सड़कों पर क्यों उतरे जीएसटी के खिलाफ? क्यों उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया? आज भी हम कह रहे हैं, हम जीएसटी खिलाफ हैं जीएसटी के के सम्बन्ध में ठीक कहा था राहुल गांधीजी ने कि अगर केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनती तो जीएसटी को कम किया जाता, पब्लिक से राय जानकर जीएसटी लागू की जाती। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अभी देश का वातावरण ऐसा बन गया, यह सामने बैठे लोग बहुत मैच्योर हैं, गुलाबजी कटारिया जैसे लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन नागपुर से एक ऐसा झण्डा है जहां जाकर यह सब बंद हो जाते हैं, सब बौने हो जाते हैं। हमारे माननीय सदस्य एक दलित को मारा जाता है, पीटा जाता है, हत्या की जाती है उसके ऊपर नहीं बोलते। पूरे समाज को नीच कहकर बतलाते हैं उस पर नहीं बोलते लेकिन मोदीजी को कोई व्यक्ति गुजरात में कह देता है +++ शब्द, उसके ऊपर यह चुनाव का पासा पलट देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज में व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारे सम्मान के लिए सभी सदस्य आवाज उठायें। हमारे देश में आज भी ऊंच-नीच की भावना है, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि दलित समाज का व्यक्ति अगर कचौरी की दुकान लगा ले तो उसके कचौरी नहीं बिकेगी। अगर वह कपड़े की दुकान लगा ले तो उसका

(श्री गोविंद राम)

कपड़ा नहीं बिकेगा, अगर वह मिठाई की दुकान लगा ले तो मिठाई नहीं बिकेगी। पूरे हिन्दुस्तान में चले जाओ, आपको कहीं भी ठेकेदारी की लाइन में, बिजनस के अंदर आपको कोई दलित ठेकेदार नहीं मिलेगा, आपको कोई बड़ा दुकानदार नहीं मिलेगा, बड़ा कोई बिजनसमैन नहीं मिलेगा, इसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यह कहता हूं हर्ष की बात है कि आज अशोकजी गहलोत साहब ने नन्दीशालाओं की घोषणा की है जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, पांच साल पहले यहां सरकार रही, आज इस देश के अंदर अभी हमारे भाई यहां कह रहे थे कि गाय पर बात हो, मैं कहता हूं कि बिलकुल कहिए। मैं तो कहता हूं कि पशु क्या, हम तो वह लोग हैं जिनको तालाब में पानी नहीं भरने दिया गया, हमें आज भी उम्र भर जाति के नाम पर नीच कहकर बतलाते हैं, आज भी गांव में छूआछूत है। हम तो चाहते हैं कि इस देश में समानता हो। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि इस देश में योग्यता की पूछ हो। आज विदेश में जाइए, दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी का संसद भवन में फोटो मिलेगा। डाक्टर अम्बेडकर के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि पिछले तीन सौ सालों में सबसे कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में इन्टेलीजेंट स्टूडेंट कौन था, नाम निकल आया कि भारत का डाक्टर अम्बेडकर था तो वहां कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के आगे सबसे बड़ी उनकी मूर्ति लगाई और कहा कि सिम्बल आफ द नालेज। ज्ञान का प्रतीक उसका नाम है डाक्टर अम्बेडकर। लेकिन यहां हिन्दुस्तान में संविधान निर्माता डाक्टर अम्बेडकर, जो संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे, बाकी सदस्य कोई बीमार हो गया, कोई विदेश चला गया, फिर भी देश का संविधान बना लेकिन डाक्टर अम्बेडकर जयंती होती है तो वहां दलितों के अलावा कोई नहीं मिलेगा या फिर पॉलिटिकल लोग मिल जाएंगे क्योंकि उनको वोट लेना होता है। इस समय मेरी भावना किसी का विरोध करने की नहीं है, किसी धर्म को नीचा दिखाने की नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हमारा सम्मान हो हमें समानता का अधिकार मिले और डाक्टर अम्बेडकर ने कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो डाक्टर अम्बेडकर को आज कोई नहीं पूछता, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वह गरजता है।

माननीय सभापति महोदय, डाक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी हमारे देश में अंधविश्वास के नाम पर लोगों को भरमाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, कभी

(श्री गोविंद राम)

गणेशजी की मूर्ति को दूध पिला देंगे, कभी हमारे ऊपर देवता विरोधी होने का आरोप लगा देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य, आज अम्बेडकर दिवस है क्या?

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): ...(व्यवधान) यहां विधान सभा में हमारे धर्म के बारे में, गणेशजी की मूर्ति का अपमान करते हैं।

श्री सभापति: विराजिए। सहयोग करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): इस देश के अंदर दुर्भाग्य है जाति के आधार पर पूछ होती है जबकि विदेश में योग्यता के आधार पर पूछ होती हैं। विश्व में अम्बेडकर जी की भूरि-भूरि प्रशंसा होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कुछ लाइनें इस बजट पर भी बोल दो।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): बोल रहा हूं, बजट पर ही आ रहा हूं। मैं आ रहा था। (व्यवधान) डाक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी ने 22 हजार स्कूल बंद कर दिए थे और आज ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये 22 हजार स्कूल बंद होने से गांव का वह स्टूडेंट शिक्षा से वंचित रह गया जिसकी हिम्मत नहीं है कि वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, जिसकी हिम्मत नहीं है कि वह शहर में जाकर पढ़ ले, इन्होंने कभी इस बारे में चिंता की? आज यह गोविन्द सिंहजी डोटासरा से पूछ रहे हैं कि 50 स्कूलें खोली हैं, वह भी खोली हैं, आपने जो बंद की हैं वह भी भार इनको उठाना पड़ेगा तथा स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी मुल्क को पीछे करना है, किसी समाज को पीछे करना है तो आप शिक्षा से वंचित कर दो उसको, आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मुल्क को शिक्षा में आगे बढ़ाना है तो आपको इस संविधान के अनुरूप जो बजट बना है। आज हमारे नई स्कूलें देने की बात हुई है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि जिन्होंने 500 उच्च माध्यमिक स्कूलें देने का काम किया है। बहुत पहले एक नारा लगा था, चाहे हो चपरासी की औलाद, चाहे हो राष्ट्रपति की संतान, ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): बीजेपी की सरकार में काम किया और 60 साल की बात कह रहे हो, ...(व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, आप मेरा टाइम नोट करते रहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): जो आपने 60 साल तक शोषण किया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो 60 साल में कांग्रेस की नीति रही कि स्कूल नहीं खोलेंगे, कालेज नहीं खोलेंगे, उसकी बात कर रहे हैं आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): आपको तकलीफ क्यों हो रही है इतनी?

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): 60 साल तक आपने शोषण के अलावा कुछ नहीं किया, न सड़क दी, न पानी दिया, न स्कूल दिया। तकलीफ आपको होनी चाहिए, 60 साल तक शोषण करके बैठे हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि गाय के नाम पर वोट ये लेना चाहते हैं, लेकिन नंदीशाला आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने खोली है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, दुर्भाग्य इसी बात का है कि आज अनुज जाति के एमएलए से सदन में बुलवाया जाता है, बकरे कट रहे हैं ईद के दिन। मैं पूछना चाहता हूं, आज आवारा पशु के नाम पर आप चिढ़ रहे हैं, लेकिन आप पूरे राजस्थान में जाइए, गाय और गौधन जितने हैं, उनकी हालत खराब है। किसान को खेत बीजने नहीं दे रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे बीकानेर के चारों तरफ बीस किलोमीटर में खेती नहीं कर सकते, क्योंकि आवारा पशु इतने हो गये हैं कि हम हमारी खेती अब संभाल नहीं सकते।

श्री सभापति: पशु तो बेसहारा हैं।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं पूरे विश्व में चर्चा है कि विदेशों में तो गाय दूध देती है, लेकिन यहां वोट देती है, इसलिए इन्हें गुस्सा आ रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, कभी आप मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी कहते हैं गाय हमारी माता है और देश-धर्म का नाता है।

श्री सभापति: मैंने सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने को कहा था। समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, इनकी और हमारी विचारधारा का झगड़ा रहेगा। आज हमारे बजट में सभी वर्गों को समाहित किया गया है, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनुज जाति के कर्मचारियों का जो प्रमोशन था, में रिजर्वेशन जारी रखकर दिया उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): हमने राष्ट्रपति बनाया है अनुज जाति के व्यक्ति को।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि भगवान इनका भला करे, ईश्वर इनका भला करे। मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का जहर घोलकर वोट मत मांगिये। इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, आप उन्हें देशद्रोही बतलाते हैं, आपके सामने अगर गोविंद राम मेघवाल बोलता है, उसे देशद्रोही कहने की कोशिश करते हैं, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बजट के अंदर जो भी घोषणाएं हुई हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हुई हैं। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): वाह, वैल डन। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। हाउस में यदि आपको इसी तरह से करना है तो क्यों समय खराब कर रहे हैं अपना? माननीय नेता महोदय ने कहा, मैं भी आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं। मुझे लगता है आपका अगर मूड नहीं है तो हाउस एडजर्न करें। क्यों समय खराब कर रहे हैं अपना?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, यह कोई चौपाटी थोड़े ही है, सदन है।

श्री सभापति: विराजिए। जरूरत नहीं है आपकी सलाह की। विराजिए। नेता महोदय, क्या हमें हाउस चलाना है? (व्यवधान) इन्हें आप भी थोड़ा निर्देश दें, मैं भी थोड़ा निर्देशित करता हूं। (व्यवधान) विराजिए। विराजिए। माननीय सदस्य, श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आदरणीय माननीय सभापति महोदय, बजट के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद

(श्री अभिनेश महर्षि)

देता हूं और सामने बैठे हुए अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि आपका पुराना साथी रहा हूं, पहली बार जीतकर आया हूं, बोलने के लिये जितना समय मिलता है, गंभीरता से बजट के ऊपर बात करूंगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग डिस्टर्ब नहीं करें और सभापति महोदय, आपका छोटा भाई हूं, यदि आपको लगे कि विषय पर बोल रहा हूं तो कृपया करके थोड़ी समय की लिबर्टी करना।

सबसे पहले मेरे हाथ में बजट दस्तावेज है जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है, वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है। बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का ऐसा आईना है, जिसमें जनता अपनी उम्मीदों और सपनों का प्रतिबिंब देखती है, लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिशाहीन, निराशाजनक और भ्रमित करने वाला एक कपोल-कल्पित दस्तावेज हमारे हाथ में दे दिया इस सदन के नेता महोदय ने।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): टिकट काट दिया बेचारे का।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): रमेश मीना जी, आपकी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है, आप बैठिये, मैं जानता हूं आपको। आप बोलिये मत बीच में। मुझे सब लोगों का मालूम है और जब मैं बोलूंगा न, तब आप सारे के सारों का मालूम है मुझे। आप शांति रखिए। आप अपने मंत्रालय के ऊपर गंभीरता से बोलिये। आपका एसडीएम आपकी बात नहीं मानता है, आपका बीडीओ आपकी बात नहीं मानता है, आपका डीएसओ आपकी बात नहीं मानता है, मंत्री बनकर चौड़े होकर बैठ रहे हैं आप और बीच में बोलते हैं। शांति रखिए। एक-एक की काबिलियत जानता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, कोई बीच में बोलेगा तो निश्चित रूप से बोलूंगा।

श्री सभापति: आप बिल्कुल मत बोलिए उधर। यहां आसन की तरफ देखिए आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आसन की तरफ ही देखकर बोलूंगा। केन्द्र में कांग्रेस ने सिर्फ एक चीज करने का काम किया है, केन्द्र को कोसने के अलावा आपके पास में कोई काम है क्या? केन्द्रीय बजट में जनता को

(श्री अभिनेष महर्षि)

केवल यकीन करवाने का प्रयास किया गया, ये लिख रहे हैं इस बजट के अंदर, आपको मालूम नहीं है हमने सिर्फ यकीन ही नहीं दिलाया है, बल्कि लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का काम यदि देश में किसी ने किया है तो उसका नाम नरेन्द्र भाई मोदी है।

एक शायरी के माध्यम से उन्होंने शुरुआत की है-

यकीन करो हमें आगे भी बढ़ना है,
बहुत कुछ करके हमें ऊंचाइयों पर चढ़ना है,
बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है।

आप हवाओं की ओट में दीपक जलाते हो सामने वालों, हमारे मोदी जी तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं, इसलिए आप लोग बोलो मत ज्यादा।

मैं सबसे पहले बजट के अंदर सरकार को धन्यवाद देता, जिस इलाके से मैं चुनकर के आता हूं, उस इलाके की कम से कम मैंने 20-25 मांगें ऐसी जो कि जनता के हित की थीं, उनकी मैंने मांग की थी। एक पड़ियारा के अंदर हवाई पट्टी के नवीनीकरण के अलावा, उसमें भी बजट का प्रावधान नहीं किया है, उसमें भी यह नहीं बताया है कि हम उसका एयरपोर्ट बनायेंगे या उसका क्या करेंगे, कोई दिशा नहीं है उसके बारे में भी। इसके अलावा अभी-अभी काबिल दोस्त गायों की बात कर रहे थे। शायद आप लोग भूल गये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नंदीशालाएं खोली थीं, गौशालाओं के लिये जो अनुदान दिया जाता था, रामलाल जी बता रहे थे कि पिछले दिनों गौशालाओं के लिये जीरो अनुदान दिया गया है।

श्री सभापति: अमीन कागजी, अपने स्थान पर जाइए आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सदन को बताना चाहता हूं कि गायों के नाम पर जो सैस के रूप में शराब से, अभी कह रहे थे शराब बेचने में माहिर, आप तो शराब के ऊपर सैस लगा रहे हैं। वह सैस का पैसा, स्टांप ड्यूटी के ऊपर भी सैस लगता है, गायों के अनुदान का वह पैसा आपके खजाने में जमा हो गया और वही पैसा आपने तनख्वाह चुकाने के लिये काम में ले लिया। कितनी शर्मनाक बात है, तभी तो वह आंकड़ा जीरो आया है। क्या कोई दोस्त बता सकता है कि गायों के नाम पर आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं?

(श्री अभिनेश महर्षि)

दोस्तों, नंदीशालाओं की बात मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी देखी थी कि इन्हें अब गायें याद आने लग गयी हैं और इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में भी बहुत लंबी-चौड़ी बातें लिखीं। इन्होंने लिख दिया कि हम लघु और सीमांत किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा करते हुए गायों के लिये गौशालाओं के अनुदान को बढ़ा देंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी-अभी जो कहा है, उसके अंदर एक गोलमाल भाषा का प्रयोग करके इतिश्री कर ली है।

पिछली सरकार को कोसना आप लोगों को खूब अच्छी तरह से आता है लेकिन आप लोग भूल गये कि गत सरकार की जो नीतियां थीं उन नीतियों के कारण और भारत सरकार, मोदी जी की सरकार ने पिछले वर्षों में जो केन्द्रीय कर का हमारा हिस्सा था उस केन्द्रीय कर के हिस्से में 1152 करोड़ रुपये को अभी बढ़ाया है। हमारी हिस्सेदारी 5.49 परसेंट थी। 2018-19 में 43 हजार 309 करोड़, 2019-20 के अन्दर 44 हजार 461 करोड़ रुपये, रूरल वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपये, एनएचएम, स्किल डवलपमेंट, शिक्षा, इन सबके अन्दर भी हमारा हिस्सा बढ़ा है। तो मोदी जी, देश के प्रधान मंत्री हैं, उधर से भी जरा थपथपाहट करके धन्यवाद दे दो, अच्छा लगेगा देश के प्रधान मंत्री हैं।

आज यदि हम लोग किसान की बात करें तो बजट से पहले हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो सरकार ने अपना आईना पेश किया था कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बहुत बहस भी हो गयी। लेकिन, प्रैक्टिकली गांवों में जाकर, मेरी कांस्टीट्युएंसी के अन्दर मैंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पूछा है कि आपका कर्जा माफ हो गया क्या तो बोले कि यह सर्टिफिकेट तो दिया है लेकिन बैंक वाले मान नहीं रहे हैं, एन.ओ.सी. नहीं दे रहे हैं। फिर झूठ बोलकर सदन को भी क्यों भ्रमित करने का काम कर रहे हो? मंत्री महोदय, विराज जाइये, मैंने पहले ही कहा कि यह क्वेश्चन आवर नहीं है। यह क्वेश्चन आवर नहीं है मंत्री जी।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्वेश्चन आवर नहीं है और जब सदन में मंत्री.....

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सदन में असत्य बोलते हैं माननीय सदस्य, झूठ नहीं बोलते।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप कार्यवाही कर लीजिये।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): झूठ बोल रहे हो, असत्य बोलते हैं। सदन में किस तरह बोलते हैं, आपको जानकारी है या नहीं है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, आप सदन में सत्य-असत्य की परिभाषा बाद में कर लीजिये।

श्री सभापति: झूठ शब्द असंसदीय है, भविष्य में आप असत्य बोलें। झूठ शब्द असंसदीय है इसलिए आप असत्य बोलें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): असत्य है। मेक इन इण्डिया के ऊपर मेरे काबिल दोस्तों को बहुत एतराज है लेकिन इस बजट की यह कापी मेरे सामने है, इसके अन्दर जो भाषा का प्रयोग किया है Ease of Doing Business की तर्ज पर Ease of Doing Farming, वाह साहब, यह शब्द भी आप मेक इन इण्डिया को उठाकर देख लो, ये सारे के सारे शब्द मोदी जी कई वर्षों पहले जो प्रयोग में ले आये उनको अब आप ढूंढ़-ढूंढ़कर ला रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप उनकी नीतियों को कुछ फालो कर रहे हो इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। लेकिन, दोस्तों, मुझे इस बात का एतराज भी है कि 'खेती में जान तो सशक्त किसान', यह टाइटल दिया है। 'खेती में जान तो सशक्त किसान' और उस किसान को सशक्त करने के लिए राजस्थान की सरकार ने बजट के अन्दर सिर्फ और सिर्फ दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आप देखिये कि कितना सशक्त करना चाहती है कांग्रेस की सरकार किसान को, आप अंदाजा लगाइये। हां, वह एक हजार करोड़ भी मुझे मालूम है, इसमें दस करोड़ लिख रखा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय वित्त मंत्री महोदय को मैं यह पूछना चाहता हूं कि गौवंश संरक्षण के लिए आपने एक और भाषा लिखी है। 'राजकीय सहायता के अलावा वित्तीय सम्बल प्रदान करने की आवश्यकता है। इस हेतु सरकार जनसहभागिता और CSR Funds के माध्यम से सहायता उपलब्ध', तो मुख्य मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, छह महीने हो गये,

(श्री अभिनेश महर्षि)

आपने जनसहभागिता से अब तक कितना इन गायों के लिए लोगों से इकट्ठा कर लिया, इस बात का तो आंकड़ा दे दो जिससे हमें उम्मीद हो कि आगे आने वाले समय में आपके कहने पर जनसहभागी लोग बढ़कर आएंगे और गांयों का बहुत बड़ा कल्याण कर देंगे। सभापति महोदय, बीच में बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें अब आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): दो मिनट में नहीं हो सकती सर। दो मिनट में नहीं हो सकती है। महोदय, मुझे एक बहुत रोचक तथ्य इस बजट की कापी में मिल गया। इसमें पेज नम्बर 39 पर 162 पाइंट में लिखा है कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों यथा-पोस्को कोर्ट, मुझे तो यह पोस्को कोर्ट समझ में नहीं आया। मैं लॉ पढ़ा-लिखा आदमी हूं, मैं वकील हूं। यह मुख्य मंत्री जी ने भी कल बोला पोस्को कोर्ट, इसमें लिखा हुआ है, पोस्को कोर्ट है यह मेरे समझ में नहीं आया। पोक्सो कोर्ट तो मुझे मालूम है। इसमें लिखा हुआ है - "The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO)" लेकिन आप लिख रहे हैं पोस्को, तो यह कोई नया न्यायालय खोल रही है क्या सरकार?

श्री सभापति: समाप्त करें अपनी बात।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): पूछ रहा हूं मैं तो। इसमें लिखा हुआ है वही मैंने पढ़ा है। मेरे काबिल दोस्त अभी उठकर चले गये, नहीं तो उनकी बात का भी मेरे पास में जवाब था। एक घी की बड़ी हांडी लेकर आये थे जिसको पूरा लगा दिया आज मुख्य मंत्री जी और सरकार को, मंत्री तो बना देना बेचारे को।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें अपनी बात।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय, एक बहुत गम्भीर बात है, शहीदों के लिए इसके अन्दर लिखा हुआ है लेकिन मेरे यहां राजियासर गांव के शहीद के परिजन उसका स्मारक बनाने के लिए आज भी भूमि के लिए तरस रहे हैं और सरकार को रो रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं दो

(श्री अभिनेश महर्षि)

मिनट में बात करूंगा लेकिन बात कहने के लिए मुझे कहने दीजिये। आप तो मेरे सभापति भी हैं।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई। विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): छोटे अख़बार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मीडिया फ्रैंडली हैं....

श्री सभापति: विराजिये, श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): छोटे अख़बार और स्थानीय टी.वी. चैनल्स के विज्ञापनों पर आपने बैन लगा दिया.....

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई का ही अंकित होगा, और किसी किसी का अंकित नहीं होगा। श्री किसनाराम विश्नोई। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) सहयोग करें, विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: अभी आप लोगों ने ही कहा है दस मिनट का और बारह मिनट बोल लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: किसनाराम जी। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, जो कर्मचारी संविदा पर थे उनको स्थायी करने के लिए क्या हुआ?

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट 2019-20 का....

श्री सभापति: एक मिनट, किसनाराम जी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): पंचायत समिति के और लोगों के स्थायीकरण के लिए क्या हुआ? वे रो रहे थे विधान सभा के बाहर, प्रताप जी आज भी धरने पर जाकर आये थे।

श्री सभापति: समाप्त करिये अब।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें जो इन्होंने इसके अन्दर असत्य बयान किया है उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं लेकिन समय का अभाव....

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं अपनी बात को समाप्त तो कर दूं, आपको धन्यवाद तो दे दूं।

श्री सभापति: समाप्त कहां कर रहे हैं आप। मैंने मान लिया धन्यवाद। आपने मुझे धन्यवाद दे दिया और मैंने स्वीकार कर लिया।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कम दिया, कोई बात नहीं लेकिन जो ठीक से बोलता है, सरकार पर प्रहार करता है उसका समय ऐसे ही कम होता है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2019-20 का स्वागत करता हूं। यह बजट जन-कल्याणकारी और विकासपरक बजट है जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। एक हजार करोड़ का किसान कल्याण कोष, जो किसानों के लिए रामबाण साबित होगा। पांच साल से तरस रहे बेरोजगार युवाओं के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 75 हजार नौकरियों की घोषणा की है। जनता क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक के रूप में गरीबों को, जिनको अपना इलाज नहीं मिल रहा है उनको भी इलाज मिलेगा और क्लिनिक की शुरूआत की है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने पहली बार पूरे देश के अन्दर सहकारी का डेढ़ लाख का बिना ब्याज ऋण देने की घोषणा की थी उसको वापस चालू करने की घोषणा की है।

मुख्य मंत्री जी ने हमारी सरकार बनते ही एक लाख कृषि कनेक्शन की घोषणा की थी। जिसमें से 80 हजार कनेक्शन प्रदेश में हो चुके हैं। सभापति महोदय, मैं इस बजट का बहुत ही स्वागत करता हूं। ये बजट पूरे प्रदेश के अंदर एक रोडमैप है विकास का और आगे जाकर प्रदेश बहुत ही तरक्की करेगा। बहुत समय से चर्चा हो रही है, जिस तरह से बजट में सभी विभागों में चाहे सड़क का मामला हो और दूसरा जो आपसी सम्पत्ति रजिस्ट्री स्टाम्प की नि:शुल्क घोषणा की गयी है। परिवार में आपसी आदान-प्रदान भूमि का होता है, उसकी भी स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है।

साथ ही साथ, जन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव के समय घोषणा की उसको राज पत्र घोषित किया गया और इस जन घोषणा पत्र में

(श्री किसनाराम विश्नोई)

सड़क के मामले में पूरे प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव के समय सड़कें तहस-नहस हुई पड़ी हैं और सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। जिस तरह से पिछली सरकार ने प्रदेश के अन्दर क्या विकास के काम किये, वे पूरे प्रदेश के अंदर जग जाहिर हैं। ये इनकी हालत हो गयी कि वसुन्धरा थ्हारी खैर नहीं। आम अवाम की आवाज निकली वसुन्धरा थ्हारी खैर नहीं, ये आवाज क्यों निकली, आम अवाम की आवाज थी, इनका परिणाम आपको भुगतना पड़ा।

इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर 28 हजार स्कूलों को बंद कर दिया, इनको मर्ज कर दिया, मर्ज करने की तो इनकी आदत है। क्योंकि, भाजपा का नाम भी मोदी के नाम मर्ज हो गया। 28 हजार स्कूल माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि वे स्कूल भी पुन: चालू हों और शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं। 6 हजार नई सड़कें बनाने की घोषणा की है, सड़कों की मरम्मत की घोषणा की है। प्रदेश के अंदर सड़कें तहस-नहस हुई हैं। इन्होंने पिछले शासन काल में जो किसानों के लिए साढ़े 6 घंटे बिजली दी जा रही थी, उसे 6 घंटे कर दी।

आज पूरे देश में गहलोत जी एक पारदर्शी, संवेदनशील सरकार के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं। गांधीवादी विचार के धनी, पूरे देश के अंदर सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर, दवाई के रूप में, गरीबों की पेंशन के रूप में एक माडल साबित हुए। दूसरी सरकारों ने भी इनके माडल को अपनाया था। उस महापुरुष ने इस बजट में घोषणा की है कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, चाहे सहयोगिनी हो, चाहे सहायिका हो, जो हमेशा अपने बच्चों को घर छोड़कर, दूसरे बच्चों की केयर करने के लिए जाती है। उसका भी उन्होंने वेतन बढ़ाया है। मुख्य मंत्री जी ने वेतन बढ़ाने की घोषणा की है, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

साथ ही साथ, जिस तरह से विकास पथ, हर पंचायत स्तर पर एक विकास पथ बनाने की भी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। यह गांव के लिए और ढाणी के लिए विकास पथ मील का पत्थर साबित होगा। मैं मुख्य मंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा कि हमारे जोधपुर जिले के अंदर मल्टीस्टोरी आईसीयू वार्ड मथुरादास माथुर हास्पिटल में बनाने की घोषणा की है। जिस तरह से पालनहार योजना हो, तीर्थ यात्रा की योजना हो, नेपाल के अंदर तिरूपति तक यात्रा करने की घोषणा की है। मुख्य मंत्री ने 40 साल के अपनी

(श्री किसनाराम विश्नोई)

राजनीतिक इतिहास में श्रवण की तरह गरीबों की सेवा की है। श्रवण साबित हुए हैं बुजुर्गों के, गरीबों के लिए, अंतिम पंक्ति के आदमी को संभालने के लिए, केयर करने के लिए इनका नाम हमेशा देश के अंदर रहा है।

मैं आपको सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि रोजगार में मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि युवाओं की ज्वलंत समस्या है, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। वह भी मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा की है। प्रत्येक बेरोजगार को एक लाख तक का नि:शुल्क ब्याज का ऋण दिये जाने का मैं स्वागत करता हूं। जोधपुर में कैंसर लिनियर एक्सीलरेटर मशीन की स्थापना दो करोड़ की योजना, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। आने वाले समय में निश्चित रूप में यह रोडमैप बजट कांग्रेस के महापुरुषों के नाम से इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जिसने देश को आजाद कराया, ऐसे महापुरुष हुए, जिनके नाम से कई योजनाएं हैं। देश की 72 साल की आजादी के बाद कांग्रेस के इतने महापुरुष, जिन्होंने देश को आजाद कराया। इन्होंने दीनदयाल का नाम, एक दीनदयाल के नाम के अलावा इनके पास नाम नहीं है।

जिस तरह से राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम था, इन्होंने वह भी नाम हटाने की कोशिश की। कांग्रेस के पास तो कई महापुरुष हैं, बहुत लम्बी चौड़ी सूची है, आपके पास तो केवल एक दीनदयाल है। इसलिए जिस तरह से हमारे जोधपुर के अंदर एक पार्क बना हुआ था, उसका नाम स्वत: ही अशोक उद्यान रख दिया गया था, इनके वह भी नहीं पचा। इनके दिमाग में आ गया कि यह अशोक गहलोत के नाम से होगा। जबकि वह अशोक गहलोत के नाम से नहीं था। उसके नाम के आगे भी इन्होंने सम्राट लगाया।

इस तरह से इनकी सोच, जो राजीव गांधी के नाम को हटाने की सोच, इतनी ओछी सोच की वजह से आज सामने बैठने की स्थिति हुई है। जिस तरीके से उप चुनाव में सभी तरह की बातें कर रहे थे। सभी तरह के दावे कर रहे थे। हमेशा इन्होंने भावना पैदा करने का काम किया। कभी गायों के नाम से, आज गायें जो देश के अंदर, प्रदेश के अन्दर सड़कों पर गायों की दुर्घटना होती है, गायें मर रही हैं, इस तरह से बेरहमी से दुर्घटनाओं से, ट्रकों के नीचे आकर मर रही हैं। इन्होंने, संरक्षण के लिए कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। केवल एक भावना पैदा करने के लिए गायों का नाम लेते थे।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

आज ऊंटों की पूरे प्रदेश के अंदर, इन्होंने ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया। आज पूरे प्रदेश के अंदर ऊंट सड़कों पर मर रहे हैं। ऊंट की बिक्री पर इन्होंने रोक लगा दी, वह भी मेरी मांग रहेगी कि ऊंटों को भी राज्य पशु से हटाया जाए, ताकि उनको लोग संभालें, उनकी केयर करें, उनका पालन पोषण करें। इन्होंने हमेशा भावना पैदा करके सत्ता हासिल करने का प्रयास किया। जबकि इन्होंने कोई संरक्षण नहीं दिया, कोई इन्होंने ढांचागत विकास के लिए कभी कदम नहीं उठाया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमेशा अपना नाम भामाशाह कार्ड पर वसुन्धरा जी ने अपनी फोटो छपवाने का काम किया, राशन की दुकान पर बिल आता था। उस पर अपना फोटो छपवाने का काम किया। इसके अलावा, इन्होंने कोई काम नहीं किया देश के अंदर।

सभापति महोदय, देश के अंदर हिमालय का पानी लाने की हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। पूरे मारवाड़ के अंदर हिमालय का पानी जहां फ्लोराइड है, जिस तरह से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल थर्ड फेज की घोषणा की, उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

साथ ही साथ, मैं यह चाहूंगा कि यह जो बजट है इस प्रदेश के बहुआयामी विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए रामबाण साबित होगा और आने वाले समय में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये सरकार निश्चित रूप से इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेगी। जिस तरीके से युवा हैं, महिला, सभी आशा लिये हुए बैठे हैं, वह आशा निश्चित रूप से यह सरकार पूरी करेगी। मैं यही बात कहते हुए इस बजट का पुन: एक बार स्वागत करते हुए बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल खराडी।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट 2019-20 पर बोलने के लिए इजाजत दी है। इसके लिए आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, काफी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं इस बजट पर, सत्ता पक्ष के लोग। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी की चर्चा की थी। महात्मा गांधी का सपना था कि अंतिम किनारे पर बैठे व्यक्ति को ऊपर उठाकर बराबर लाने की उनकी मंशा थी। हम सब लोगों की मंशा थी कि वास्तव में वर्षों से अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति वह वंचित दीन-

(श्री बाबुलाल)

हीन हालत में है, उसको ऊपर लाकर बराबर की श्रेणी में लाना हमारी प्राथमिकता थी और इसी मंशा से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता जनार्दन ने 55 साल तक एकछत्र राज दिया। वार्ड पंच से लगाकर प्रधान मंत्री तक दिया।

सभापति महोदय जी, आपके मार्फत मैं कहना चाहता हूं क्या किया, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने, सत्ता में आने के बाद में गांव और गरीब को भूल गये। कभी गरीब की चिंता नहीं की। आपने देखा होगा हमारे देश में भैरोंसिंह जी शेखावत आये, राजस्थान के मुख्य मंत्री बने और बनने के बाद में उन्होंने हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इच्छा थी, कल्पना थी। अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति है उस व्यक्ति को हमें आगे लाना है। भैरोंसिंह जी ने पहली बार अंत्योदय योजना लाकर गरीब को ऊपर उठाने का काम किया था।

सभापति महोदय, यहां तक ही नहीं कांग्रेस के राज में गांव और गरीब की क्या हालत थी। उस गांव के गरीब किसान से लेवी लिया करते थे। गरीब के खेत में अनाज पका या नहीं पका, उसके बावजूद भी पटवारी जाता और कहता कि लेवी दो और नहीं तो उस व्यक्ति को मुर्गा बना करके दण्डित करके भी उससे लेवी लिया करते थे। अगर उस लेवी को किसी ने माफ किया तो उसका नाम है भैरोंसिंह जी शेखावत।

सभापति महोदय, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। यह बजट भाषण है। एक से लगाकर 235 अंतरे हैं। मुख्य मंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं। जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। गांव का रहने वाला हूं। पहले कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। आज इसका अर्थ उलटा हो गया है क्योंकि आजादी के 72 साल के बाद आज किसान की दुर्दशा है। आपने किसान के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी को। उस व्यक्ति ने उस गांव के किसान की चिन्ता की है। अभी जिक्र किया था सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना का। उस व्यक्ति ने कहा कि किसानों को सम्मान मिलना चाहिए। किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो किसान गरीब हालत में हैं उनको हम सरकार के खजाने से एक साल का

(श्री बाबुलाल)

6 हजार रुपया उनके खाते में जमा करेंगे। किसलिए? ताकि किसान अपना खाद, बीज ले। इसके लिए तीन किश्तों में दो-दो हजार रुपये जमा करने का काम श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। पहले बजट में उन्होंने कहा कि दो एकड़ तक जमीन का हम देंगे, लेकिन अभी वाले बजट में हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जमीन की सीमा को हम खतम कर देंगे। यह होता है किसान की मदद करने का कार्य।

सभापति महोदय, यहां तक ही नहीं लघु सीमान्त किसान है उस व्यक्ति के लिए साठ साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये पेन्शन देने का काम किसी ने किया है तो उसका नाम है श्री नरेन्द्र मोदी। यह है किसान को मदद करने का कार्य। आज कृषि के लिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे हम कह सकें कि किसान की मदद करने की बात की है। आगे आपने ऋण माफी की बात कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऋण माफी के लिए आपने कहा कि किसानों के सम्पूर्ण कर्जे माफ करेंगे। अब इस बजट भाषण में हमने देखा सम्पूर्ण कर्जे की बात नहीं है। इसमें कहा है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके लिए केन्द्र सरकार से बात करेंगे। अब और क्या बताना चाहते हैं?

सभापति महोदय, श्रीमती वसुन्धरा जी ने पचास हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये थे और भूमि विकास बैंक के पचास के ही नहीं हुए थे दस-दस लाख रुपये किसानों के माफ हुए हैं, यह एक रिकार्ड है। उसका मैं उदाहरण दे सकता हूं। किसानों की मदद की है। आगे चल करके हमारे मुख्य मंत्री जी ने सड़कों के विषय में बहुत बड़ी बातें कही हैं। हम नवीन सड़कों को बनाएंगे। सड़कों का विस्तार करेंगे। नवीनीकरण करेंगे। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, गांवों में आज भी प्रधान मंत्री सड़क योजना के कारण ढाई सौ तक की आबादी के गांव जुड़ चुके हैं, ढाई सौ से कम की आबादी थी वे गांव नहीं जुड़े हैं और ये पांच सौ की आबादी के जोड़ेंगे। कौनसे जोड़ेंगे मुझे समझ में नहीं आता। अब कौन सी आबादी है जो जोड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांव और गरीब का विकास करना है तो अब जो आज भी ढाई सौ की आबादी से ज्यादा हैं उन गांवों को आप डामर से जोड़ने का काम करें।

सभापति महोदय, आज मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। आज भी वे गावं जो फोरेस्ट में हैं, उस कानून के कारण डामर से नहीं जुड़े। आज भी

(श्री बाबुलाल)

मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आप ऐसी व्यवस्था करें कि उन गांवों को सड़कों से कैसे जोड़ें। यह हमें चिन्ता करनी चाहिए। आगे चल करके हमारे मुख्य मंत्री जी ने विद्युत के विषय में बहुत कुछ कहा है। हम सोलर प्लांट लगाएंगे। पवन ऊर्जा का प्लांट लगाएंगे। हम जीएसएस की स्थापना करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां की हालत यह है कि कोटड़ा जिले से 125 किलोमीटर दूर है और वहां पर दो डिस्कॉम में बंटा हुआ है। कोटड़ा का क्षेत्रफल आता है अजमेर डिस्कॉम में। कोटड़ा में विद्युत आपूर्ति होती है स्वरूपगंज से होकर जोधपुर डिस्कॉम से। अब स्वरूपगंज से जोधपुर वाले मर्जी आये तब काट देते हैं और उदयपुर दूसरा जिला होने के कारण कोई दबाव नहीं बनता है तो वहां पर आये दिन हमारी समस्या बनी रहती है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे जवाब दें तो घोषणा करें कि कोटड़ा में 132 केवी जीएसएस स्थापित हो तो कम से कम लाइट की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। इसके आगे सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना केन्द्र सरकार की योजना से प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार को जोड़ने का एक अच्छा प्रयास रहेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी वहां पर एक तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों से कहते हैं कि आप सामान सारा लाओ फिर खड्डे खोदो और खड्डे खोदने के बाद में भी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी वहां पर ठेकेदार लोग उन लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। सरकार से मैं चाहूंगा कि कम से कम यह भ्रष्टाचार रुके। उस गरीब का भला हो। यह होना चाहिए। आगे चल करके सिंचाई के क्षेत्र में काफी चर्चाएं की हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि गांव और गरीब का भला करना चाहते हैं। किसान का भला करना चाहते हैं तो जितना पानी बह करके गुजरात जाता है उस पानी को रोकने के लिए हमको छोटे-छोटे एनिकट बनाने चाहिए, ताकि जमीन का भी ज्यादा नुकसान नहीं हो, हमारा सतही जल स्तर भी ठीक रहेगा और उस एनिकट से लेकर अपनी सिंचाई करके कम से कम वह अपनी माली हालत सुधार सकता है। आज वहां बांध बनाये हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह नहर जा रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बाबुलाल (झाडोल): मेन नहर से वह जा रही है उसके आस-पास का एरिया है उसको छोटी नहरें देकर सिंचित नहीं किया जा रहा है। सरकार को ऐसी जो नहरें हैं, मेन नहर को छोड़ करके बाकी एरिया बचता है उस नहर के नीचे आने वाला सारा एरिया सिंचित हो ऐसी योजना बना करके उनको भी पानी दिया जाए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि गांव से आता हूं इसलिए अनुशासन में रहता हूं। आपने समय दिया, इस बजट भाषण पर असहमति प्रकट करते हुए मैं मेरे विचारों को समाप्त करता हूं। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

(18.00 बजे)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। युवाओं को 75 हजार नौकरियां देने की घोषणा एवं किसानों के लिये कृषक कल्याण कोष के लिये 1000 करोड़ रुपये देने की जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की, इसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का दिल की गहराइयों से बार-बार आभार व्यक्त करता हूं।

दूसरा, प्रत्येक पंचायत पर नवीन पशु चिकित्सालय खोलने के लिये एवं सीटी स्कैन, एमआरआई सहित महंगी जांचों को फ्री करवाने के लिये कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लिये फ्री मेडिसिन देने के लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय का बार-बार आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे अलवर जिले को पेयजल के लिये चंबल का पानी उपलब्ध कराने की योजना लाने के लिये दिल की गहराइयों से पुन: बार-बार उनका आभार व्यक्त करता हूं।

इसके साथ ही मैं अपनी ओर से एक सुझाव भी आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं। मेरे अलवर जिले में नीमराना क्षेत्र, भिवाड़ी, टपूकड़ा में बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियों के कारखाने लगे हुए हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन कंपनियों में न सिर्फ बहरोड़, मुंडावर, तिजारा, किशनगढ़, पूरे अलवर जिले सहित राजस्थान के युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती है। उनसे उनकी डिग्री नहीं पूछी जाती, उनसे उनका

(श्री बलजीत यादव)

अनुभव नहीं पूछा जाता, उनसे सिर्फ यह पूछा जाता है कि आप रहने वाले कहां के हो। अगर उन्होंने कहा कि हम अलवर जिले के वासी हैं या हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाती है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं शायद सरकार के ध्यान में यह बात न हो लेकिन सरकार के सामने भविष्य में बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे अलवर जिले सहित अनेकों जगह के जवान कुंठा में जी रहे हैं। उन जवानों को लगता है अंग्रेज शासन में भी होता था कि हिन्दुस्तानियों के साथ सौतेला व्यवहार होता था, बड़ी-बड़ी नौकरियों में अंग्रेजों को प्राथमिकता दी जाती थी, उससे भी बुरा व्यवहार नीमराना, भिवाड़ी के उद्योगों में राजस्थान के जवानों के साथ हो रहा है। इसलिए समय रहते हुए सरकार इसके ऊपर कोई कानून लेकर आए। अभी मध्यप्रदेश में आपकी पार्टी कांग्रेस की सरकार है, वहां के मुख्य मंत्री जी ने एक कानून बनाया कि 70 परसेंट स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। जब मध्यप्रदेश में हो सकता है तो राजस्थान में यह कानून क्यों नहीं बन सकता कि यहां के 70 परसेंट युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। अनेक स्टेटों में यह कानून है। हमारे यहां पर दूसरे स्टेट के लोग आते हैं और चूंकि हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है, यहां गरीबों के बच्चे हैं, उतनी उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वे आकर उनके हक को खा जाते हैं। इसलिए राजस्थान का जवान सड़कों पर न उतरे, आंदोलनकारी बनकर न उतरे, कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिये सरकार समय रहते हुए कानून बनाए और अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार जवानों के होने वाले एक बहुत बड़े आंदोलन के लिये तैयार रहे।

दूसरा, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मेरा अलवर जिला डार्क जोन की चपेट में है। 600-700 फीट नीचे तक वाटर लेवल चला गया है और बहुत सी जगह बिलकुल पीने का पानी भी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेयजल के लिये चंबल से पानी लाने की व्यवस्था की, वह प्रशंसा योग्य है लेकिन हमारे वहां पर बहुत ही उपजाऊ जमीन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष बरसात के दिनों में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती है जिससे जन और धन की बड़ी हानि होती है। सरकार अगर ऐसी कोई योजना बनाये कि यमुना का जो पानी व्यर्थ जाता

(श्री बलजीत यादव)

है जिससे जन-धन की हानि होती है, उस पानी को लाया जाए और मेरे नीमराना तहसील के पास ही साबी नदी है, उसमें बांध बनाकर उस पानी को डाला जाए तो बहरोड़, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारा सहित पूरे अलवर जिले को सिंचाई का पानी मिलेगा। वाटर लेवल भी काफी ऊंचा होगा जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और बहुत ही ज्यादा रोजगार वहां पर किसान उपलब्ध करा पाएंगे। मैं अपेक्षा रखता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ऐसी कोई योजना बनाएंगे जिससे कि उपजाऊ जमीन राजस्थान की, मैं कहूं तो मेरे अलवर जिले की जमीन राजस्थान में सबसे उपजाऊ जमीनों में आती है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में सरसों की पैदावार होती थी, गेहूं की पैदावार होती थी। मेरे पास ही हरियाणा लगता है, वहां पर नहरों का पानी आता है। अगर मेरे अलवर जिले को भी यमुना का पानी नहर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए तो पूरा अलवर जिला आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय का आभारी रहेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, हमारे तो दो ही बोल रहे हैं। सभापति महोदय, आवारा पशुओं की समस्या भी गम्भीर समस्या है और यह केवल अलवर जिले की नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या है। मुख्य मंत्री महोदय ने गौशाला खोलने की व्यवस्था की, उसकी मैं तारीफ करता हूं।

श्री सभापति: यादव साहब, पशु आवारा नहीं है, यह तो बेसहारा हैं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, मैं केवल भावना भड़काने के लिये या वोट के लिये या यह सोचकर कि यह बात सही नहीं लगेगी, मैं औपचारिकताओं में कम विश्वास रखकर हकीकत में धरातल की बात करना चाहता हूं। अगर इनके प्रजनन पर रोक नहीं लगी, आपने गौशालाएं खोल दीं, कितनी भी खोलते रहना, कम पड़ जाएंगी, जितनी खोलेंगे, कम पड़ जाएंगी। आपने उनके प्रजनन पर रोक लगाने के लिये नसबंदी की व्यवस्था नहीं की तो मैं आज इस सदन के बीच में कह रहा हूं कि यह जनता पकड़कर हमारे कपड़े फाड़ेगी और बहुत बड़ा जन आंदोलन इन्हीं आवारा पशुओं के लिये, बेसहारा पशुओं के लिये राजस्थान में होने वाला है। शायद इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। किसान की पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। ठंड में पानी देकर फसल उगाता है, पूरी फसल चौपट हो जाती है। वह किसान रोता है, बिलखता है। इसलिए

(श्री बलजीत यादव)

हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने हमें इसलिए यहां भेजा है कि हम ऐसा कानून बनाएं, जिससे उन्हें राहत मिले।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इसलिए समय रहते हुए सरकार चेते और ऐसा कानून बनाए जिससे किसान को उन आवारा पशुओं से राहत मिले। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो नंदी होता है, उनकी अलग से गौशाला बने, गाय की अलग से बने और नंदी की नसबंदी की जाए। धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुझाव रखने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2008 से 2013 तक जो सरकार राजस्थान में थी, उस सरकार के मुखिया ने इस प्रदेश के तमाम वर्गों के लिये कुछ न कुछ किया था और सबके सामूहिक विकास की शुरूआत की थी। पांच वर्षों में जो योजनाएं थीं, किसान की योजना, नौजवान के रोजगार की योजना, गरीब के लिये योजना, आदिवासी क्षेत्र की योजना, पीडीएस की योजनाएं। इसके साथ-साथ नरेगा के संबंध में जो कार्यक्रम किये, स्वास्थ्य की योजनाएं, समाज के तमाम वर्गों के लिये हमारी सरकार ने कुछ न कुछ किया था। पिछले पांच वर्षों की सरकार, 2013 से 2018 के बीच की जो सरकार थी, उस सरकार ने समीक्षा के नाम पर सारी की सारी जन कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया। जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता आज तक भुगत रही है। पिछले पांच महीनों में उन कार्यक्रमों को, उन नीतियों को, दुबारा से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने शुरू करने की जो कोशिश की है, उसी के अनुरूप है यह पहला सामाजिक समानता का बजट। इस राजस्थान में बहुत लंबे समय के बाद किसी मुख्य मंत्री ने पेश किया है। इसलिए मैं सदन की तरफ से बधाई देना चाह रहा हूं। एक ऐसा बजट, राजस्थान के तमाम वर्गों का विकास करने वाला बजट राजस्थान की सरकार ने दिया है। चाहे खेती की बात करें, चाहे यातायात की बात करें, चाहे पंचायत की बात करें, चाहे दूसरे क्षेत्रों की बात

(श्री जगदीश चन्द्र)

करें, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि ऐसे मुख्य मंत्री के बजट के बारे में मुझे अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है।

जिसके लिए मैं दो-तीन बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। किसान कल्याण योजनाएं, हमारे घोषणा में मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही थी कि केन्द्र सरकार ने एमएसपी तो डिक्लेयर कर दिया। केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य की तो बात करती है। लेकिन समर्थन मूल्य पर न तो किसान की फसल खरीदी जाती। किसान फसल बेचने के लिये मारा-मारा घूमता रहता है। मैं मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने यह तय किया है कि हम किसान का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मुझे याद है चुनाव के बाद में, जब विधान सभा चुनाव खतम हुए थे तो तीन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बुआई का समय था, डीएपी की तंगी हो गयी थी, यूरिया की तंगी हो गयी थी, केन्द्र सरकार की बदले की भावना की वजह से तीनों स्टेटों में यूरिया की आपूर्ति रोक दी गयी थी, किसान सड़कों पर मारा-मारा घूम रहा था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जिन्होंने प्रधान मंत्री जी से दिल्ली में बात करके किसानों की यूरिया की आपूर्ति को पूरा कराया ताकि किसान समय पर बुआई कर पाए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहली बार इस बात का प्रावधान किया कि एक लाख मैट्रिक टन डीएपी का हम भण्डारण करेंगे, दो लाख मैट्रिक टन यूरिया का भण्डारण करेंगे ताकि किसानों को बुआई के समय खाद के लिये इधर-उधर नहीं घूमना पड़े, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूं।

इसके साथ-साथ हमारे मुख्य मंत्री जी ने कर्ज माफी के संबंध में चर्चा की है, पिछली जो सरकार थी, पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री जी ने 50 हजार तक की घोषणा की थी कि 50 हजार तक का कर्जा माफ करेंगे केन्द्रीय बैंकों और केन्द्रीय सोसाइटी के माध्यम से, जिसके लिये 8 हजार करोड़ की व्यवस्था की गयी थी। मात्र 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये और 6 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हमारी सरकार ने किया है। सरकार बनने के बाद यह पिछली सरकार का फैल्योर था। इसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की थी।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, 2011-12 में जब राजस्थान की सरकार थी। हमने किसान के लिये एक योजना शुरू की थी कि बगैर ब्याज के हम फसली ऋण देंगे। जिसकी योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया या कोई न कोई कानून या समीक्षा के नाम पर उसमें अड़चन डाल दी गयी। उस योजना को मुख्य मंत्री जी ने वापस शुरू करने की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। पशुपालन के बारे में एक बहुत बड़ी घोषणा की गयी है कि राजस्थान के अंदर 1478 ग्राम पंचायतों में आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि हर ग्राम पंचायत में पशुओं का ध्यान रखने के लिए पशु अस्पताल खोले जाएंगे, इसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह व्यवस्था भी हमारे बजट घोषणा में की गयी है। ग्राम पंचायतों में, जब केन्द्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने चार किलोमीटर का प्रावधान किया था प्रत्येक ग्राम पंचायत में। लेकिन पिछली सरकार ने उसको काटकर गौरव पथ के नाम से एक किलोमीटर कर दिया। किसी गांव में बना हुआ है, किसी गांव में नहीं बना हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने तय किया है कि विकास पथ के नाम पर 10 किलोमीटर की सड़क हम प्रत्येक गांव को देंगे। यह फैसला हमारी सरकार ने किया, इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं बिजली के बारे में आपसे एक-दो बातें निवेदन करना चाह रहा हूं। 1998 से लेकर 2003 तक जब सूरतगढ़ में सुपर थर्मल प्लांट की शुरूआत की थी। हमने 5 से 7 यूनिट का प्रावधान रखा था। पिछली सरकार ने 7 यूनिट शुरू कर दी थी। पिछली सरकार ने कोयले की कमी की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को बंद करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी और प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर दी थी। मैं इस बात के लिये भी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि अगर हमारे कांग्रेस के लोग विरोध नहीं करते तो इतना शानदार सुपर थर्मल प्लांट, जो सूरतगढ़ में, पूरे गंगानगर जिले, पूरे हनुमानगढ़, पूरे बीकानेर, पूरे डिवीजन को जो बिजली देता है, उसको प्राइवेट हाथों में आनन-फानन में बेच दिया जाता। यह जांच का विषय हो सकता है। मैं सदन से इस बात की मांग करता हूं, इस बात की जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने सूरतगढ़ के थर्मल प्लांट को बेचने की तैयारी की थी। मुख्य मंत्री जी उसमें 7वीं यूनिट की शुरूआत करने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छा

(श्री जगदीश चन्द्र)

कदम है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान हिन्दुस्तान का पहला प्रदेश है जहां 21770 मेगावाट सरप्लस बिजली की पैदावार हो रही है। बिजली के मामले में राजस्थान एक अग्रणी राज्य हो गया है।

जल संसाधन के संबंध में 1927 में गंगानगर में गंग कैनाल बनी थी। जिसकी मैंटिनेंस के लिये पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने 446 करोड़ रुपये उसकी मरम्मत के लिये दिये थे और उसके बाद आज तक उस नहर पर एक पैसा नहीं लगाया गया है। पहली बार सरहिंद फीडर के माध्यम से, आईजीएनपी के माध्यम से, पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार के माध्यम से जो एमओयू साइन किया है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाह रहा हूं ताकि सरहिंद फीडर की क्षमता बढ़े। सरकार को निवेदन करना चाह रहा हूं सरहिंद फीडर के साथ फिरोजपुर फीडर की भी रिपेयर करनी चाहिए। फिरोजपुर फीडर पर भी ध्यान देना चाहिए। गंगानगर, हनुमानगढ़ के लोग, जिनकी खेती नहरों पर निर्भर होती है, उनका पूरा खयाल रखें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाह रहा हूं 1872 क्यूसेक्स पानी, भांखड़ा का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, मोतीराम कमेटी ने जो फैसला दिया था 1872 क्यूसेक्स पानी का जो मसला है, वह पूरा किया जाए ताकि किसानों को दिक्कत नहीं हो।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने उस गरीब का भी खयाल रखा है, जिसके पास आशियाना नहीं था, रहने के लिये मकान की व्यवस्था नहीं, हाउसिंग बोर्ड के मकान में जो 50 परसेंट छूट की व्यवस्था की है, उसके लिए मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। ताकि गरीब अपना आशियाना बना सकें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

इसके साथ-साथ मैं राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब बैठे हुए हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए अलग से एक 132 केवी की लाइन गोलुवाला से सादुलशहर जोड़ने की व्यवस्था करनी है और इसके साथ-साथ तीन जीएसएस 132 केवी खाटलबाना,

(श्री जगदीश चन्द्र)

132 केवी कमीनपुरा, 132 केवी रीको, जो पिछली सरकार ने मंजूर किया था, पिछली सरकार ने तीन वर्षों से उसको रोक रखा है, बजट में शामिल करके इसको भी पास किया जाए। ताकि बिजली की समस्या बोर्डर के जिलों की खतम हो सके, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

आपका एक मिनट और लूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए ढेरों बधाई। हनुमानगढ़, गंगानगर दोनों जिलों की तरफ से बधाई कि लंबे समय से जो मेडिकल कालेज की मांग थी, मुख्य मंत्री जी ने नींव का पत्थर रखा था। उस मांग को रखते हुए जनता की भावनाओं के अनुरूप गंगानगर, हनुमानगढ़ की जनता का खयाल रखते हुए मेडिकल कालेज की घोषणा की है, उसके लिए मुख्य मंत्री जी को ढेरों बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक आखिरी निवेदन करना है, माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंदर सीएडी व खाळों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी। पिछली सरकार में सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र में एक खाळा नहीं बना था सीएडी का और सीएडी के दफ्तर को उड़ाकर हनुमानगढ़ से बीकानेर लेकर चले गये। इससे किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाह रहा हूं कि इस बजट में सीएडी के खाळों का दुबारा से सर्वे कराकर उनको बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, कितने मिनट बोलना है, आप फर्मा दें। दस मिनट।

श्री सभापति: आठ मिनट में, मैं आपको सूचना दे दूंगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। दस जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया। जनता ने सोचा था कि बजट हमारे लिए अच्छा आएगा और जनता को काफी आकांक्षाएं भी थीं क्योंकि विधान सभा चुनावों में काफी लोक-लुभावनी घोषणाएं भी कीं। जनता से काफी वादा किया। परन्तु मैं सोचता हूं कि इस वादे पर सरकार कोई काम कर ही नहीं पाई। सरकार सब तरह से पिछले 6 महीने से फेल रही है। उसका रिजल्ट लोक सभा

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

चुनाव में लोगों को देखने को मिला है। 25 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं और 200 विधान सभा क्षेत्रों में से 185 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और तो और जिन्होंने बजट की घोषणा की वह जोधपुर में अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। इससे बड़ी शर्मनाक हार क्या हो सकती है?

मैं बजट पर आता हूं। बजट से प्रतीत होता है कि आम आदमी इस बजट से पूरी तरह ठगा गया है। काफी लोक-लुभावनी घोषणाएं भी हुई हैं। महज योजनाओं के नाम इस सरकार ने चेंज किए हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकी। राजस्थान की हालत काफी खराब है। बजट में नाम बदला, भामाशाह योजना का नाम बदलकर राजस्थान जन आधार कार्ड, ग्रामीण गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ योजना, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी जल संचय योजना, किसान आयोग का नाम बदलकर कृषक कल्याण कोष। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रत्येक नगर निकाय क्षेत्र में अम्बेडकर भवन की योजना, जो यह घोषणा की है, वह तो भाजपा सरकार में भी घोषणा हो चुकी है और काफी अम्बेडकर भवन बन चुके हैं। यह भी एक असत्य घोषणा है। भाजपा सरकार की पंडित दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर कांग्रेस सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कर दी। इससे साबित होता है कि सरकार ने केवल योजनाओं के नाम चेंज करने की कोशिश की है। कोई नया काम करने की कोशिश नहीं की है। पिछले 6 महीने में जिस तरह बलात्कार हुए हैं, यौन शोषण हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, इन पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। आपने अलवर जिले की एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको नौकरी दी, यह बहुत अच्छा काम है। खुशी की बात है लेकिन राजस्थान में अन्य पीड़ित महिलाओं पर भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। मैं चाहता हूं कि बजट में इस तरह की घोषणा करें। उन महिलाओं के परिवार वालों को भी आप नौकरी दें। यह हम सब लोग चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, केवल पानी और सड़क पर पांच साल की योजना बनायी, ऐसा कोई काम बजट में नहीं किया है। चुनाव से पहले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि हम युवाओं को 3500 रुपये भत्ता देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी लोक लुभावन घोषणा की और उस घोषणा पत्र की राजकीय पत्र के रूप में घोषणा की थी। युवाओं को कहा था, लोगों को

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

भ्रमित किया और चुनाव के समय आपने फार्म भी भरवाए। पता नहीं वह फार्म कहां गये? कहां रद्दी में जमा कराए, कहां बेचे, यह मैं नहीं कहना चाहता। परन्तु 3500 रुपये की वह लोक लुभावन घोषणा की। युवा आज राजस्थान में सड़कों पर है, इधर-उधर भटक रहे हैं। उनके लिए 3500 रुपये का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं सरकार से चाहता हूं कि जब भी रिप्लाई दें, सरकार ने युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है, उन 3500 रुपये की घोषणा भी आप करें। इसके बारे में आप सोचें। हमारी वसुन्धरा जी की सरकार ने 50 हजार की ऋण माफी की घोषणा की और हाथों-हाथ 50 हजार रुपये भी दिए। बैंकों में खाते में वह पैसे गये। परन्तु आप लोगों ने एक, दो, तीन इस तरह काउंट करके, दस दिन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आप लोगों ने बहुत बड़ी घोषणा की थी कि दस दिन में कर्जा माफ करेंगे। आज किसान के खाते में एक रुपया पिछले 6-7 महीने हो गये, एक के भी खाते में रुपये नहीं गये। जो एक अप्रैल से किसानों को हर बार फसली ऋण देते हैं, वह भी आज जुलाई महीना चल रहा है और जुलाई की तारीख 11 है, आपने उसका भी एक पैसा नहीं दिया। वास्तव में किसान काफी दुःखी हैं। बारिश हो चुकी है। किसानों के खेतों में बुवाई के पैसे नहीं हैं। खाद के पैसे नहीं हैं। उस पैसे को भी आप दिलाने की घोषणा करें। मैं सोचता हूं कि आपका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपने केवल चुनावों के लिए थोथी घोषणा की। चुनाव का रिजल्ट भी आप लोगों को मिल गया कि यहां की जनता कितनी दुःखी है। मैं सोचता हूं कि आने वाले दिन में इसके बारे में भी आप सोचेंगे।

आपने भामाशाह योजना अघोषित रूप से बंद कर दी। जिस गरीब का तीन लाख रुपये में मुफ्त इलाज होता था, वास्तव में गांव में काफी लोग दुःखी हैं, उनका इलाज होना बंद हो गया। मैं सोचता हूं कि जो केन्द्र की आयुष्मान योजना है, उस योजना को भी आपने विधिवत यहां लागू नहीं किया। केन्द्र सरकार उसका पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र की, मोदी जी की सरकार की आयुष्मान योजना का जो प्रावधान है, उस योजना को आप रैगुलराइज करें और भामाशाह योजना को पुन: चालू करें।

सभापति महोदय, सरकार ने कहा कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स का एक परसेंट भी पैसा नहीं लगा रहे हैं परन्तु आपने पिछली 6 तारीख को

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

टैक्स के रूप में पैट्रोल-डीजल पर चार परसेंट सैस लगाया और गैस पर 5.5 परसेंट रेट की जगह 10 परसेंट कर दिया और जिलों में डीएलसी की दरें दस परसेंट से बढ़ाकर 45 परसेंट, 47 परसेंट, 48 परसेंट बढ़ा दी। इसके बारे में आप सोचें। आपने काफी मात्रा में डीजल-पैट्रोल का सैस बढ़ा दिया और 5.5 परसेंट से डायरेक्ट 10 परसेंट गैस पर बढ़ाया, इसके बारे में आप सोचें। डीएलसी रेट जो कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेकर बढ़ाई है, उन डीएलसी रेट्स को आपने काफी बढ़ा दी। इसको भी आप कम करें क्योंकि जनता के लिए यह काफी भार है। इसके बारे में आप सोचें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय के बारे में बात करता हूं। जुलाई, 2018 में जब प्रधान मंत्री मोदी जी ने घोषणा की और उनका पैसा बढ़ गया। आज यह वापस जुलाई महीना है, उन लोगों का पैसा आपने बढ़ाया नहीं है। आप यहां बजट में असत्य घोषणा कर रहे हैं कि हम पैसा बढ़ा देंगे। यह तो केन्द्र की योजना है। केन्द्र ने जो पैसा बढ़ाया है, उसको आप टाइम पर पहुंचा दें। अक्टूबर में जो घोषणा की उसको आप विधिवत रैगुलराइज करके मानदेय के रूप में देने की घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौडगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, भीलवाड़ा सब मेवाड़ में आते हैं। मेवाड़ के लिए मुख्य मंत्री जी ने एक परसेंट भी घोषणा नहीं की। उन्होंने जो घोषणाएं कीं, वह जोधपुर के लिए की हैं। मारवाड़ में की है और मारवाड़ में भी केवल जोधपुर के लिए की है। माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ के मुख्य मंत्री नहीं हैं, जोधपुर के मुख्य मंत्री नहीं हैं, वह पूरे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। यह भी उनको सोचने की जरूरत है। जोधपुर की जनता तो उनके हाथ से खिसक गयी है। उन्होंने कैसा झटका दिया कि वे अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। यह आप लोगों के सामने है।

माननीय सभापति महोदय, कालेज में स्टाफ नहीं है। चित्तौड़गढ़ में आपने बजट नहीं दिया है। चित्तौड़गढ़ में आपने 2013 में जो मेडिकल कालेज की घोषणा की है, वह मेडिकल कालेज अभी तक आपने नहीं दिया है। वह केवल घोषणा मात्र है। आपने गंगानगर को मेडिकल कालेज दिया तो चित्तौड़गढ़ को भी आने वाले रिप्लाई में मेडिकल कालेज देने की घोषणा करें। मेरे जो बांध लंबित हैं, उनको भी दें। भदेसर में नया उपखण्ड कार्यालय खोलें।

बस्सी बड़ी पंचायत है उसको पंचायत समिति बनाएं। बस्सी उप-तहसील को तहसील बनाएं। मार्बल व्यवसाय को नये इण्डस्ट्रियल एरिया के

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

रूप में बनाएं। गंभीरी नदी का रिवर फ्रंट करें। विश्व धरोहर में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विकास के लिए विशेष योजना बनाएं। चित्तौड़ में युवाओं को फैक्ट्रियों में रोजगार दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं। पहले मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत थे उन्होंने 5वीं से 8वीं तक स्कूल किया। वसुन्धरा जी का 2003-08 तक कार्यकाल था उसमें उन्होंने 8वीं से 10वीं तक स्कूल बनाए। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 2013-2018 तक का कार्यकाल था ...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): उसमें सभी पंचायत हैडक्वार्टर पर उन्होंने 12वीं तक स्कूल किए उसके लिए भी धन्यवाद। पंचायतों का पुनर्गठन किया, नये हास्पिटल बनाए। बिजली की खस्ता हालत है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, एक मिनट का समय और है, एक मिनट में मैं खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: हां करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): बिजली की बहुत भारी समस्या है, बिजली नहीं आ रही है। आप उस पर कपड़े भी सुखा दो पूरे दिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कंडीशन बिजली की है। आप बिजली को विधिवत चालू करवाएं। ग्रामीण गौरव पथ जो अधूरे पड़े हैं, जो बचे हैं, उनका आपने केवल नाम चेंज कर दिया, गौरव पथ भी बनाएं। हमारी रोड अधूरी पड़ी है, जो काम आप लोगों ने अघोषित रूप से बंद कर रखा है, हमारे शम्भूपुरा, सावा रोड है, उनको भी आप चालू करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि यह बजट कोई अच्छा बजट नहीं है। आप रिप्लाई में अच्छी घोषणा करें। मेवाड़, चित्तौड़गढ़ जिले को अच्छा दे। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आप सभी को, सदन को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

मौका दिया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बजट पर बहुत बहस की है। अभी कुछ ही दिनों में दो बजट पेश हुए, एक राजस्थान सरकार का और एक भारत सरकार का। भारत सरकार का बजट भी हम लोगों ने देखा और राजस्थान सरकार का बजट भी देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं वह केवल राजस्थान के बजट पर ही बोल रहे हैं। इनको केन्द्र का बजट याद नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि इनके वक्तव्य में जो बात सामने आ रही है, एक कहावत है कि एक पिता ने पूरी जिंदगी गुजार दी बेटे की जिंदगी संवारने में और वह बेटा जवान होने के बाद कहता है कि माई वाइफ इज माई लाइफ।

जब यह देश 1947 में आजाद हुआ था इस देश में सुई नहीं बनती थी। आज गांव-गांव में सड़क है, गांव-गांव में बिजली है, गांव-गांव में स्कूल है, चिकित्सा व्यवस्था है, यह कांग्रेस की देन है। जहां कहीं भी भाषण देते हैं चाहे विधान सभा की बात हो, लोक सभा की बात हो या चौपाल की बात हो, आप कहते हो कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस गाड़ी में आप बैठकर आते हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, जिस लाइट में आप सोते हैं, जिस माइक पर आप भाषण देते हैं, यह उत्पत्ति और विकास हुआ है यह कांग्रेस की देन है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि आपने पिछले पांच साल में, वित्तीय कुप्रबंधन के बाद जिस हालात में इस सत्ता को संभाला है, उसके बाद भी राजस्थान के सात करोड़ लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं उनको राहत पहुंचाने का काम किया है।

आप केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बात कर सकते हो, लेकिन विकास का कोई काम किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज इस बजट में आप लोगों ने देखा होगा, यह कोई चुनावी बजट नहीं है। यह पहला बजट है, इसमें हम कोई वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, कोई सरकार गिरने वाली नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने समस्त विभागों में 75 हजार भर्ती निकालकर नौजवानों को रोजगार दिलाने का विश्वास दिलाया है कि हम पहले बजट में आपको इतना रोजगार देने का प्रयास करेंगे।

गांव का मास्टर प्लान, उनकी सोच देखिए कि आने वाले समय में

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

गांवों में स्कूल के लिए जगह नहीं बचेगी, श्मशान, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं बचेगी, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए अभी से गांव का मास्टर प्लान तैयार करके उनके लिए जगह आरक्षित की जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। माननीय सभापति महोदय, बजट में चाहे रेल की बात करो, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा की बात करो, कहीं न कहीं मुख्य मंत्री जी ने हर व्यक्ति व क्षेत्र की भावना को ध्यान में रखने का प्रयास किया है।

आपने मुख्य मंत्री दवा योजना 2008 से 2013 में चालू की, हमें भी उस समय इस सदन में बैठने का मौका मिला था। आपने उस समय 600 दवाइयां चालू कीं लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आपने मुख्य मंत्री दवा योजना की क्या हालत की यह किसी से छिपा नहीं है। आपने भामाशाह नाम देकर, उसमें मुख्य मंत्री का फोटो चिपकाकर वाहवाही लूटने का काम किया लेकिन उसमें सुधार करने का काम नहीं किया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा, वर्तमान हालात में सबसे ज्यादा खर्चा होता है तो वह चिकित्सा पर होता है। परिवार में कोई बीमार हो जाता है, वर्तमान परिवेश में असाध्य बीमारी चाहे वह कैंसर हो, या और भी जो असाध्य बीमारियां हो रही हैं, वे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। कैंसर की बात हो, हार्ट की बात हो या अन्य बीमारियों की बात हो आपने बजट घोषणा में शामिल करके, नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराने का राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाया है। मैं सदन की तरफ से, राजस्थान की सात करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

हम किसान की बात करते हैं। सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, हम जहां कहीं भी भाषण देते हैं, किसान की बात करते हैं। समय परिवर्तनशील होता है, वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से किसान की दुर्दशा हो रही है, पिछले पांच साल में पूरे राजस्थान में चाहे फसल के मूल्य को लेकर हो, जिस प्रकार किसान ने आत्महत्या की है वह आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसान की भावना को ध्यान में रखते हुए हर तरह से उनको राहत देने का प्रयास किया है। मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

मेरे पूर्व वक्ता बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि नाम परिवर्तन करने

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

का काम किया है। आपने गौरव पथ दिया, हम आपके उस कार्य की सराहना करते हैं। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने विकास पथ के नाम से एक चीज और, ताकि गांवों में एक अच्छा वातावरण मिले, अच्छा रास्ता बने, गांव में पानी की निकासी के लिए नालियां बनें, यह नये काम करने का प्रयास किया इसलिए इसके लिए हम तो बधाई देंगे ही, आपको भी बधाई देनी चाहिए। राजस्थान में नई सोच के साथ उन्होंने काम करने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक व्यक्ति ऐसा जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, वह व्यक्ति शराबबंदी के लिए आंदोलन चला रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनकी मांग थी कि शराब से देश, प्रदेश बर्बाद हो रहा है, देश की जनता बर्बाद हो रही है, शराबबंदी की जाए। इसको लेकर वह धरने पर बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के नशे में इस प्रकार मदहोश थे कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया उसकी कुशलक्षेम पूछने भी नहीं गये। उन्होंने उस धरना स्थल पर अपनी जीवन लीला समाप्त की। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि विचारधारा से दूर हटकर एक ऐसे योद्धा, ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान देने का प्रयास किया जिसने समाज में फैली कुरीति को मिटाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया उसके नाम से राजकीय महाविद्यालय का नाम रोशन किया गया। इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य हमारे मुख्य मंत्री जी ने किये हैं। मैं सदन के माध्यम से उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

यह बात करते हैं सामाजिक समरसता की, आपने अभी हाल ही इस बजट में प्रस्तुति दी है महात्मा गांधी जी ने इस देश को, चाहे आजादी के पहले के संघर्ष की बात करो या इस देश को स्थापित करने की बात करो, जिस व्यक्ति ने इस देश की एकजुटता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने प्राणों की आहूति दी, उस व्यक्ति के नाम पर आने वाले एक साल तक 150वीं स्वर्ण जयंती के रूप में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करने का आपने इसमें आवाहन किया है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अभी केन्द्र में बजट पेश किया गया। देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने भी सांसदों को कहा है कि 150 किलोमीटर की पद यात्रा अपने सांसद क्षेत्र में कीजिए, उनका मैं

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

स्वागत करता हूं। लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप सदन में अलग बात करते हो और धरातल पर अलग बात करते हो। जो कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति हो या नहीं हो लेकिन जिन व्यक्तियों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उन लोगों के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करने वाले लोगों को आपने प्रोत्साहित करने का काम किया है। चाहे प्रज्ञा ठाकुर, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए इतने अवांछित शब्दों का प्रयोग किया लेकिन आपने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा महापुरुषों को गाली देने वाले लोगों का सम्मान कर सकती है लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारधारा को धरातल पर लाने का काम नहीं कर सकते।

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने एक दलित के बेटे को राजस्थान की विधान सभा में बोलने का मौका दिया, एक दलित के बेटे को आईएएस, आईपीएस बनने का मौका दिया, उन भीमराव अम्बेडकर पर आप सदन में भाषण दे सकते हो लेकिन उनकी विचारधारा को अपने अंतर्मन में उतारकर उसको धरातल पर लाने का प्रयास नहीं कर सकते। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि वह एक किसान के बेटे हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य, दो मिनट में।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): और किसान के विचार, इस धरती की माटी में पैदा होकर, यहां के लोगों की विचारधारा को जानते हुए ... (व्यवधान) बजट में जो दिया है, मैं उनके बजट की बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आने वाले पांच साल में राजस्थान एक प्रगतिशील प्रदेश होगा, राजस्थान एक विकसित प्रदेश होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, इस परिवर्तित बजट, 2019-20 पर बोलने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

इस बजट में सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं आपको बताना चाहता

(श्री फूल सिंह मीणा)

हूं कि अभी मेरे से पहले वक्ता जो बोल रहे थे, आक्याजी, कि मारवाड़ को दिया। मगर मैंने इस बजट का एक-एक पैरा देखा है। इसमें दस बार, केवल और केवल, जोधपुर का नाम आया है और मेवाड़ का एक बार भी नाम नहीं आया।

(18.43 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ में, जनजाति परिवार के साथ में इन्होंने जो धोखा दिया, उसके लिये मेवाड़ ने वास्तव में इनको लोक सभा में भी बताया और अब पंचायत चुनाव में और बताएगी। मैं तो यह कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जनजाति बहुल क्षेत्र मेवाड़ में, रिप्लाई दें, उसमें अगर जनजाति का सम्मान करेंगे तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में केवल और केवल एक उत्कर्ष कोचिंग सेन्टर खोलने का जनजाति समाज को देकर गुमराह किया गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैंने पूरा बजट पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोचिंग की जो घोषणा की है, यह कोचिंग तो पहले से ही हमारी सरकार ने लागू कर रखी थी, उसी की बदौलत मेरे विधान सभा क्षेत्र की गिर्वा पंचायत समिति के अन्दर 126 बालिकाओं ने स्कूटी प्राप्त की थी।

अध्यक्ष महोदय, 2008 में जब सार्वजनिक निर्माण विभाग का आफिस यहां उदयपुर में था। पूर्व सरकार, जब 2008 में आई तो इन्होंने खैरवाड़ा में ले जाकर उस आफिस को स्थापित कर दिया और हमारी दूरदराज की आदिवासी बैल्ट की जो पंचायतें थीं उनको ढाई सौ किलोमीटर की दौड़ लगवा दी।

उस टाइम कांग्रेस की ही विधायक थीं, मेरी बहन थीं, मगर उन्होंने यह नहीं बोला, वे भी आदिवासी परिवार से आती थीं। मगर जनजाति का उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकार है और मैं बोलूंगी तो मेरे साथ में, क्या पता, विकास में कहीं भेदभाव कर देंगे। तो हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को, जो उन्होंने उस आफिस को वापस उदयपुर में लाये और खैरवाड़ा में भी चालू रखा। यह काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि मेवाड़

(श्री फूल सिंह मीणा)

सम्भाग के जनजाति बहुल क्षेत्र को उन्होंने सम्मान दिया। आज दिन तक जनजाति परिवार को जो गोगुन्दा हो, धरियावद हो, सलूम्बर हो चाहे हमारा कोटड़ा हो, वहां पर वन उपज मण्डी खोली, कृषि मण्डी खोली और हमारे किसानों के लिये यह तोहफा देकर वास्तव में हमारे जनजाति भाइयों को बहुत बड़ा सम्मान दिया। मगर इस सरकार ने जनजाति के लिये कुछ भी नहीं दिया।

उदयपुर में बेरोजगार जनजाति छात्र जो वास्तव में इधर-उधर भटक रहे थे तो हमारी वसुन्धरा राजे मुख्य मंत्री थीं, तो पोलीटैक्निक कालेज, डिप्लोमा कालेज खोलकर उन बेरोजगार जनजाति भाइयों को इससे जोड़कर रोजगार का नया इतिहास रचा।

अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ट्राइबल एरिया, पहाड़ी एरिया है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि आप भी मेवाड़ से ही आते हैं। मेवाड़ के अन्दर पंचायत पुनर्गठन का काम किया, तो पहले भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने किया। उसके बाद में किसी भी सरकार ने, जो बीच में आई, कुछ नहीं किया। वापस पंचायत पुनर्गठन पूर्व सरकार में हमारे पंचायती राज के मंत्री गुलाबजी भाई साहब आये और उन्होंने पंचायत पुनर्गठन करके हमारे आदिवासियों की पंचायतें छोटी करके उनको विकास से जोड़ने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, 2003 में जब मुख्य मंत्री वसुन्धराजी आईं, पहले भैरोंसिंहजी ने पांचवीं से आठवीं की, फिर मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने आठवीं से दसवीं की। 2013 में वापस मौका मिला तो इन्होंने दसवीं से बारहवीं की। मगर दुर्भाग्य है, पूर्व में 2008 में जो सरकार आई, हमारे आदिवासी परिवार, सरकारी स्कूल के अलावा कहीं पढ़ने नहीं जा सकते थे। प्राइवेट के अन्दर फीस लेते हैं और टैम्पो किराया लगता है। उसके पास बस का किराया नहीं था तो वह सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। मगर इन्होंने क्या किया कि पहली से लेकर आठवीं तक बिना पढ़े ही पास कर दो। क्योंकि पढ़े लिखे, अगर आदिवासी परिवार के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे और हमारे को वोट नहीं देंगे। अगर वोट देंगे तो हमारे से पांच साल का हिसाब मांगेंगे। तो इन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति परिवारों के साथ में धोखा किया।

(श्री फूल सिंह मीणा)

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इन सरकारों ने आकर, अभी मैं बताना चाह रहा था कि वास्तव में इन्होंने हमारे जनजाति परिवार के साथ में धोखा किया तो इनको 2013 में जनता ने वही जवाब दिया और केवल ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, दस मिनट का समय है। मैं देख रहा था।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये। आप बोलें, ध्यान है मुझे। बोलें आप।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): हुकुम, घण्टी बजाते ही मेरी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ध्यान है, आपको बताने के लिये, बताने के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यह सरकार हमारे इस आदिवासी बैल्ट में कोई आई.टी.आई. खोलती और टीडी या जावर में खोलती तो हिन्दुस्तान जिंक ही, चाहे जावर माइन्स हो और चाहे झामरकोटड़ा माइन्स हो, वहां हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिलता। वे सरकार की वाहवाही करते।

अब, अध्यक्ष महोदय, घण्टी बजा दी तो मैं शोर्ट में मेरी बात कर देता हूं। क्योंकि विकास के अन्दर जो हमारी उदयपुर के अन्दर नगर निगम बनी हुई है और उसके आजू-बाजू में सटी हुई हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनको अगर नगर-निगम में नहीं जोड़ेंगे तो वहां पर एस.डी.ओ. कन्वर्ट की कालोनियां हैं, यू.आई.टी. की कन्वर्ट कालोनियां हैं, वहां पर पंचायत के पास में इतना बजट नहीं होता है जो वहां पर रोड लाइटें लगा दें, नालियां बनवा दें, रोड बनवा दें। हमारी साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पैरीफेरी एरिया है, जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पानी की व्यवस्था करवाने का काम करें।

यहां पर हमारे जनजाति परिवारों का हमारा एक सपूत था रतनलाल मीणा, जो कारगिल युद्ध के अन्दर शहीद हो गया था। उसके वहां पर लाइट तक नहीं लगी। मैं धन्यवाद देता हूं, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब को कि उन्होंने दीनदयाल ज्योति योजना से जोड़कर उस रतनलाल शहीद के घर पर लाइट लगाकर एक इतिहास रचा। यही नहीं वहां पर रोड भी नहीं है। मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं और निर्माण के हमारे मंत्री नहीं हैं, तो उनको कहना चाहता हूं कि उस शहीद के परिवार को जोड़ने के लिये छोटी ऊंदरी और

(श्री फूल सिंह मीणा)

खरपींणों को जोड़ देंगे तो हमारा यह रोड मिल जाएगा। यह एक बहुत ऐतिहासिक हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में अच्छी सुविधा होगी। डोड़ावली, बच्छार के गांवों को और झामरकोटड़ा, चासदा को जोड़ने के लिये कोई पेयजल की व्यवस्था बनाएं।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये, रोजड़ा और बेसहारा पशुओं से बचाने के लिये, सब्सिडी से तारबंदी की अगर कोई योजना लाकर इनको राहत देंगे तो ये खेती कर पाएंगे और हमारा किसान खुश होगा। एक यह योजना इसमें जोड़ें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): जनजाति योजना में गांवों के बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कोई लघु उद्योग खोलकर रोजगार से जोड़ने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे टीडी क्षेत्र हो, चाहे झामरकोटड़ा क्षेत्र हो, चाहे नाई क्षेत्र हो, इसमें अगर जी.एस.एस. लगाकर लाइट का इंतजाम करवाएंगे तो हमारे दूरदराज के गांवों में एक जरा सा फाल्ट हो जाता है तो वहां पर पूरे के पूरे बैल्ट की लाइट बंद करके उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से हमारे एक-एक गांव-ढाणी को तो जोड़ दिया। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन को चालू रखें। आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बारे में बताना चाहता हूं कि पूरे बजट के अंदर, मेडिकल को तो ले लिया मगर आयुर्वेदिक अस्पताल को इस बजट के अंदर बिलकुल भी कहीं नहीं लिया, इसको भी जोड़कर अगर लेंगे, क्योंकि पता नहीं मेडिकल में क्या स्वार्थ था, उसको ले लिया तो आयुर्वेदिक को भी लेना चाहिए था, इसको नहीं लिया तो इसको भी जोड़ें और हमारे रोजगार के लिए लघु उद्योग खुलवाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शांति से बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार मुझे बजट सत्र में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ ही में वित्तीय वर्ष 2019-20 बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी गांधीवादी विचारक हैं इसलिए इन्होंने 150वीं महात्मा गांधी जयंती मनाने का निर्णय किया है। गांधीजी के आदर्श पर चलते हुए देश को आजादी मिली और अंग्रेजी हुकूमत को देश से जाना पड़ा। आज देश-प्रदेश में जो विकास दिख रहा है वह देश की आजादी का ही परिणाम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हुए राजस्थान में तीसरी बार मुख्य मंत्री रहते हुए चहुंमुखी विकास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया है उसके पक्ष में मैं बात रख रहा हूं। मैं टी.एस.पी. क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र से चुनकर आया हूं। माही डैम वागड़ की जीवन रेखा है, माही डैम ने वागड़ का भूगोल एवं मानचित्र बदला है। जहां पर आज लाखों टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है। हमारे क्षेत्र से हरिदेवजी जोशी तीन बार मुख्य मंत्री रहे हैं तथा भीखाभाई लंबे समय तक कभी विधायक के रूप में, कभी मंत्री के रूप में और कभी सांसद के रूप में रहे। इन दो महान व्यक्तियों के नाम पर कैनाल के लिए जो बजट पेश किया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 25 करोड़ का जो बजट दिया, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर वेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, वहां तीन नदियां मिलती हैं और उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा लगती है, वहां पर टापू बन जाता है, श्रद्धालुओं को आने-जाने में वहां पर तकलीफ होती है, उसमें एक करोड़ की लागत से जो पुल बनाने की घोषणा की है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वागड़ में ऐसा सराहनीय बजट उन्होंने पेश किया है।

इसी के साथ डूंगरपुर जिले में जो जनजाति आदिवासी ट्राइबल एरिया है, इसमें जो कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदिवासी लड़के जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनको कालेज की फीस नहीं मिलती है, स्कूल की फीस

(श्री गणेश घोघरा)

नहीं मिलती है, वह कोचिंग करेंगे और उनका सपना पूरा होगा। वह आई.ए.एस. बनेंगे, आई.पी.एस. बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच है। उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आदिवासी और वागड़ के लिए ऐसा बजट पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश में, प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी देश के लिए चुनौती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नौजवानों के लिए 75 हजार नौकरियों के लिए विशेष घोषणा की है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे, इनके खाली झूठे वादे, झूठे भाषण, जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, यह इनका काम है और +++ जो वाहवाही कर रहे हैं, 15 लाख खाते में आएंगे, आज भी गरीब इंतजार कर रहा है कि मेरे खाते में 15 लाख रुपये कब आ रहे हैं? एक सिर के बदले पाकिस्तान से मैं 10 सिर लाऊंगा, आज तक एक सिर तो आया नहीं है और +++ यह काम करती है बी.जे.पी. सरकार, भाजपा सरकार के ऐसे काम हैं।

मैं एक किसान हूं, मैं एक आदिवासी हूं, मुझे कहते हुए गर्व है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसान आयोग का गठन किया, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर अपनी वेतन वृद्धि को लेकर धरने-प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्य मंत्रीजी ने वेतन वृद्धि एवं मानदेय में बढ़ोतरी करके ठीक से परिवार का पालन-पोषण करने का अवसर दिया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

हर पंचायत समिति पर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता के नाम पर राजस्थान की प्रत्येक पंचायत समिति पर अम्बेडकर भवन बनाने की घोषणा की है। भवन बन जाने से पंचायती राज के जन-प्रतिनिधियों को संबल मिलेगा और ताकत मिलेगी, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही जोरदार और जानदार बजट पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा वागड़ क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कहीं पहाड़ियों पर मकान हैं, जंगलों में मकान हैं जहां पर पगडंडी रास्ता है। वर्षों से लोग वहां पर जा नहीं सकते हैं। वहां पर मुख्य मंत्रीजी ने मिसिंग लिंक रोड की घोषणा की है। 500 की आबादी में जो गांव हैं, उन गांव-ढाणियों को जोड़ने की जो घोषणा की है, इससे वागड़ प्रदेश में खुशी की लहर है और

(श्री गणेश घोघरा)

वहां पर अब हर गांव में, हर मौहल्ले में रोड बनेगी, जनजाति आदिवासी एरिया उससे जुड़ेगा, आवागमन के साधन मिलेंगे और विकास होगा।

मेरे से पूर्व विपक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा। इन्होंने खाली एक ही काम किया है, पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में छात्रों की पोशाकें बदलने का काम किया, साइकिलों का कलर बदलने का काम किया, इन्होंने एक भी स्कूल नहीं खोली और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने जब वह पहले थे, गांव-गांव ढाणी-ढाणी राजीव गांधी स्कूल खोली थीं, खाली उन्होंने आपने तो नाम बदलने का काम किया है। राजीव गांधी स्कूल का नाम हटाकर आपने प्राथमिक स्कूल खोली, यह काम किया। जो अटल सेवा केन्द्र हर पंचायत में राजीव गांधी सेवा केन्द्र के नाम से खोले थे, आपने कलर पोतकर उसका नाम लिख दिया अटल सेवा केन्द्र, पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल में आपने यह काम किया है।

पांच साल में आपने ऐसा बजट पेश नहीं किया, ऐसी घोषणा नहीं की, प्रथम बजट में मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी घोषणा की तो आपको दर्द होने लग गया है कि यह धरातल पर काम कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? धरातल पर ही होगा, आसमान पर काम थोड़े ही होगा। आपने पांच साल में जो भी घोषणा की, एक भी काम नहीं किया। मेरे वागड़ में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच किलोमीटर का एक भी रोड डामर नहीं किया है। आप बता दो कि हमने यह काम किया, एक भी काम आपने नहीं किया है।

हमारे मुख्य मंत्रीजी गांधी विचारक हैं। सबको साथ में लेकर चलते हैं। सबका विकास चाहते हैं। आज आदिवासियों का जितना भी विकास हुआ है, आज हमारे विपक्ष में जो मेरे साथी एम.एल.ए. साहब बैठे हुए हैं, वह कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ने, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भी आदिवासियों के लिए स्कूलें खोलीं, रोड्स बनाईं, सड़क बनाए, आज आदिवासी यहां तक विधान सभा में पहुंचा है। आज आरक्षण मिला है वह कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज आदिवासी यहां विधान सभा में बोलता नहीं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, एक घंटा बढ़ाइए।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया गया।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो-जो घोषणा की थी, जो-जो इन्होंने बजट घोषणा की थी, एक भी काम हमारे वागड़ में नहीं हुआ है।

हमारा जो मेडिकल कालेज खोला है जनजाति एरिये में, रेल लाइन जो हमारी कांग्रेस सरकार ने दी थी, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया लेकिन यह आदिवासियों का विकास नहीं चाहते हैं। यह खाली वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है।

(19.00 बजे)

हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, झगड़ा करते हैं, दंगा-फसाद करते हैं, जोर से बोलते हैं और असत्य बोलते हैं। पांच साल में इन्होंने यही काम किया है। एक भी काम इन्होंने विकास का नहीं किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर वर्ग की सोची है, उन्होंने गरीब को देखा है, आदिवासी को देखा है, शिक्षा को देखा है, किसान को देखा है, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जो बजट पेश किया, उसका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से हमारे सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब ने 10 जुलाई को परिवर्तित बजट 2019-20 का सदन में पेश किया, इनको हमारे विपक्ष की तरफ और सत्ता पक्ष की तरफ से इस सदन के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आज

(श्री अमृतलाल मीणा)

जो भास्कर अख़बार में आया, हमारे सदन के नेता ने खाली खजाने को घोषणाओं से भर दिया। खाली खजाने को घोषणाओं से भर दिया, यह काम कैसे होगा, किस प्रकार होगा, मेरी समझ से बाहर है।

माननीय अध्यक्षजी, दूसरा किसानों के कर्जमाफी का जो बोझ है, वह केन्द्र सरकार के हवाले किया है। हम घोषणा यहां कर रहे हैं, आशा रखते हैं केन्द्र सरकार से और हमारे सहयोग की बात करते हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है। बेरोजगार युवकों को, हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं, उनके पीछे शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, उनको 3500 रुपये देकर, झांसा देकर, मेरा टाइम देख लेना साहब, दस मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, आराम से बोलो।

(19.02 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): 3500 रुपये देने का बजट में कहीं उल्लेख नहीं है, कोई बात नहीं है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाओं का नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। इसमें नेहरूजी, इंदिराजी और राजीव गांधीजी के नाम से, भामाशाह योजना का नाम बदलकर राजस्थान जन आधार कार्ड, ग्रामीण गौरव पथ के स्थान पर विकास पथ, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नाम बदलकर 'राजीव गांधी जल संचय योजना', किसान राहत कोष, राहत आयोग का नाम बदलकर 'कृषक कल्याण कोष', योजनाओं के नाम बदलने के अलावा और कुछ इसमें बड़ा विशेष नहीं है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, भली-भांति पूरे राजस्थान के यह मंत्री, पूर्व मंत्री सभी जानते हैं, उस एरिये में और एक सबसे बड़ी बात अख़बार में आज छपी है, जो बजट में विरोधी कहते हैं, अशोक गहलोत जी को मुख्य मंत्री नहीं बनना था, अपना नाम चला रहे थे, यह विषय भी और सदन में ही, हमारे सदन के नेता बजट भाषण में बोलते हैं कि कई अफसर पांच बजे का इंतजार करते हैं और मेरा बस चले तो इनको कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दूं। आपका अब बस नहीं चलेगा तो और किसका चलेगा? आपका ही चल रहा है न, बजट में चला, सब में चला। थोथी घोषणाएं हुईं, सब कुछ हुआ।

आज जो सबसे बड़ी बात है, पिछले छह महीने से हम सभी परेशान भी हैं, राजस्थान में खनिज माफिया, बजरी माफिया के जो मामले हैं, उसमें

(श्री अमृतलाल मीणा)

कई जगह घटनाएं हुईं, दुर्घटनाएं हुईं, मरे भी हैं, फायरिंग हुई और फाइटिंग हुई, लेकिन इस बात को भी इस बजट में कहीं विशेष नहीं बताया। एक कमेटी जरूर बना दी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं है।

उदयपुर ग्रामीण के माननीय विधायक ने भी कहा। आयुर्वेदिक विभाग इतना बड़ा है, इस सदन में बैठे हैं, अधिकतर आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं। उसमें एक हजार करोड़ का मामला हुआ, उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है और सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि यह पूर्ववर्ती सरकार, पूर्ववर्ती सरकार की भाषा को बदलना पड़ेगा। हमारे सदन के नेता कहते हैं कम पैसा छोड़ गये। बार-बार यह कहना ठीक नहीं है। कोई पैसा देने वाला होगा, वह भी नहीं देगा। जब बार-बार कहते हैं कि घर खाली है, खाली है तो कौन देगा? यह बजट में गरीब किसानों और युवाओं के साथ धोखा हुआ।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हमारे डूंगरपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने अभी बोला है, जनजाति मंत्री हमारे मेवाड़ से आते हैं। यह उस एरिये को अच्छी तरह से जानते हैं। कई बड़े तालाब हैं, माही डैम है, सोम-कागदर है, सोम-कमला अम्बा है, पिछोला है, जयसंमद झील है। इस क्षेत्र में जब पैसा आया तो उन नहरों का सुदृढ़ीकरण हुआ था। मैं भाजपा सरकार की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को धन्यवाद दूंगा। मेरे जयसंमद झील के सुदृढ़ीकरण, नहर निर्माण और पाल निर्माण, पुलियाओं का, रोड आदि के लिये करीब 153 करोड़ पूर्व में हमें दिये। आज जनजाति एरिये के लोग दूरदराज में रहते हैं। उनके आने-जाने के लिये सड़कें नहीं हैं। ढाणी-मजरे और मौहल्लों के लिये, मौहल्ला तो है ही नहीं उस एरिये में। सभापति महोदय, दूरदराज, एक बार यहां से पत्थर फैकेंगे तो दूसरे घर में नहीं पहुंचेगा, इतने दूरदराज पर मकान हैं।

मैं यह भी जरूर कहूंगा कि उस एरिये में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। आप यह घोषणा कर दें कि हम इतने इतने विधायकों को, 28 विधायक चुनकर आते हैं मेवाड़ से, अगर 100-100 हैण्डपम्प दे देते, तो भी हम मान जाते, लेकिन वह बात नहीं। उद्योग-धंधे तो कोई विषय ही नहीं, और सबसे ज्यादा हमारे जनजाति विभाग का जो डिपार्टमेंट है, उस विभाग को राजस्थान सरकार से कोई बजट नहीं मिला सिवाय 25 करोड़ की पुलिया और एक नहर का मामला है। पूरे संभाग की बात है, उसमें छह जिले आते हैं।

(श्री अमृतलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे भारत के प्रधान मंत्रीजी ने पिछले पांच साल में प्रधान मंत्री आवास देने का काम किया, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गैस देने का काम किया, स्वच्छ भारत के लिये शौचालय बनाने का काम किया और अभी जो 'आयुष्मान भारत', जिसमें एक परिवार को पांच लाख रुपये की दवाइयां और इलाज करने का अगर किया तो कोई गलत किया? सभापति महोदय, यह विषय आने चाहिए।

सभापति महोदय, आज बिजली के मामले में पूरे क्षेत्र में, जनजाति एरिये को लाइट मिल रही है तो भारत सरकार की योजना से मिल रही है।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय में 'अपना खेत, अपना काम' योजना आयी थी। किसानों को फसल खराबे का 33 प्रतिशत, इसी हाउस में, इसी विधान सभा में 50 प्रतिशत से 33 प्रतिशत, सभी माननीय सदस्य तीन दिन तक अपने-अपने क्षेत्र में गये और उसको 33 प्रतिशत करने का अगर श्रेय जाता है, पूर्व सरकार को जाता है। कैटेगरी फोर, जिसमें भूमि समतलीकरण, मेडबंदी, पशु शेड और इस प्रकार की योजना, 'सरकार आपके द्वार' भी काम हमारे द्वारा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार 'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा', 'आरोग्य राजस्थान' और 'मुख्य मंत्री जन आवास', हमारे बीच में हमारे खाद्य मंत्रीजी विराजमान हैं, वह उस एरिये में, बहुत दूरदराज दस-दस किलोमीटर, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर तक लोग खाद्य सामग्री, अनाज लेने जाते हैं, उसको भी आप पूरा गौर करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार ने भामाशाह योजना चलायी थी, लेकिन उसके लिये सबने कहा खराब है, खराब है, करते-करते अंत में जो काम आपने करना था, वह कर दिया। मैं पुन: इस सदन के माध्यम से आज भामाशाह कार्ड के नाम से जानते हैं, 'न्याय आपके द्वार' इस बजट में कहीं नहीं है।

आज ग्रामीण क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जहां पांच-पांच भाई हैं, पांचों भाई के जमीन खाते नहीं है, बड़ा बेटा है उसके नाम है जिसकी वजह से लोग आज परेशान हैं, भटकते फिरते हैं।

हमने 'अन्नपूर्णा भण्डार' जो 500 से अधिक काम किया, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन का काम किया, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल का किया, पूर्व में

(श्री अमृतलाल मीणा)

स्मार्ट सिटी बनाने का भी काम किया और सामाजिक सुरक्षा, प्रधान मंत्री फसल बीमा वाला ...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): साहब, बिलकुल करेंगे। आपके आदेश की पूरी पालना होगी। बस आप तो खुश रहो। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं भी आपका आभारी रहूंगा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, कलर देख करके मत भड़कना क्योंकि हमारा कलर ही ऐसा है, बिना चमकीला है तो थोड़ा ध्यान रखना। भामाशाह पशु बीमा योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है...

श्री सभापति: मैं तो ये ही कह सकता हूं कि बहुत अच्छा बोल रहे हो।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): तो मेरा यह निवेदन है कि इस बजट में जितना भी है, आप सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देते। दूरदराज एरिया में पशुपालन क्षेत्र में, अब इन्सान तो जा सकता है, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर कहां जाएगा, गाय-भैंस ले जाने में दूर रहा। जितने भी पशुपालन विभाग में जो अधिकारी हैं, पांच हमारे संभाग के एक ही जगह हैं जिनको ट्रांसफर करें तो वापस आकर वहीं जम जाते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जनजाति विभाग में जो बजट है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, जनजाति मंत्री जी, आपके एरिया में हो चाहे हमारे एरिया में हो, उसमें रोड बनाने की बहुत जरूरत है, नदियों पर पुल बनाने की जरूरत है, मिसिंग लिंक है, यह सारी आशा अब आपके ऊपर है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): आपका जो बजट है वह हैण्डपम्पों का भी दें। एक दिन हमारी सबकी मीटिंग कर लें और बजट दें।

इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, साहब, कहना बहुत था लेकिन न जाने आप क्यों नाराज हैं, यह मेरे समझ से बाहर है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): राज़ी हैं, राज़ी हैं। (व्यवधान)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): राज़ी हैं?

एक माननीय सदस्य: आज गुरुजी राज़ी हैं।

श्री सभापति: इस बात पर आप एक मिनट और बोलिये। आपको एक मिनट की और छूट है, बोलिये। (व्यवधान) प्रसन्न होकर मैं कह रहा हूं आप दो मिनट बोलिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मेरा निवेदन है हमारे उस एरिया में, उस क्षेत्र में नहरें बहुत हैं। चाहे जनजाति मंत्री जी के इलाके की बात हो, चाहे सागवाड़ा की बात हो, चाहे सलूम्बर की बात हो, चाहे झाड़ोल की बात हो, चाहे उदयपुर की बात हो, उनका बिलकुल सुदृढ़ीकरण के लिए बजट का आबंटन होना चाहिए।

जल संसाधन विभाग, हमारे सदन के माननीय नेता और हाउस के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस एरिया में आप बिलकुल अवश्य...

श्री सभापति: खुश होकर के दिया है टाइम।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): बजट दिया ही नहीं अभी, रिवाइज में हो सकता है कोई मन हो जाए तो दे दें तो वह बात अलग है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बजट एस्टीमेट 2019-20 पर बोलने का मौका दिया। अभी काफी लम्बे टाइम से बजट पर चर्चा चल रही है। बजट के एक-एक बिंदु पर आडिटिंग टाइप काफी चर्चा हुई, एक-दूसरे ने किसने क्या किया, उसके बारे में रहा।

मैं मोटे तौर पर यह कहना चाहूंगा कि 2019-20 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, अपन कहां से चले थे आज कहां खड़े हैं। आगे कहां तक जाना है, किस-किस सैक्टर में लैग करते हैं और कहां आगे जाना है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए इसकी सामूहिक रूप से चर्चा करनी चाहिए।

देश जब गुलाम था 1885 से लेकर 1990 तक करीब-करीब 105 वर्ष हुए, 105 वर्षों में देश को आजाद कराना, कानून बनाना और फिर लोकतंत्र को लागू करके आगे काम करना, इसमें आज जो कांग्रेस की बुराइयां करते हैं उनको शायद 1990 तक 105 वर्षों में राजस्थान में मात्र ढ़ाई साल मौका मिला 1977 से 1980 तक। तो इन चीजों से अपन राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहें, उसकी संभावनाएं कम रहती हैं।

(श्री रूपाराम)

जो बजट पेश किया गया उसमें विपक्षी माननीय सदस्यों ने किसी एक बिंदु पर भी नहीं कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह सही किया। क्या यह हो सकता है कि करोड़ों का बजट, जिसका जो रिजल्ट आएगा उसमें यहां यह कहा जाए कि पता नहीं पैसा कहां से लाएंगे, तो यह जो बजट एस्टीमेट है, पैसा आएगा नहीं आएगा, मार्च 2020 आ जाएगा तब अपन कह सकते हैं कि यह घोषणा थी यह सही नहीं थी, पैसा नहीं आया, यह काम नहीं हुआ।

आज विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि 2008 से 2013 तक जो कांग्रेसी अच्छे काम की बात करते हैं तो फिर इनके 21 एल.एम.ए. कैसे आये, राज में आना और काम करना यह अलग चीज है। गरीब जो सदियों से दबा हुआ है, गरीब की कोई एक जात नहीं होती है, यह बात सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और हम तक, मैं भी जैसलमेर से आता हूं, राजपूतों को जो ज्यादा कहा गया है कि वे सामंत हैं, उसमें 80 परसेंट गरीब हैं, अभी भेड़-बकरियां चराते हैं। तो गरीब किसी में भी हो सकता है और उस वास्तविक गरीब के कोई उत्थान की बात करता है तो उससे कई लोग जो मीडिएटर होते हैं वे नाराज होते हैं। उससे हार हो सकती है लेकिन वास्तविक जो रिजल्ट आये थे 2008 से 2013 तक, गांव में लोगों को पूछो। एक जमाने में गेहूं नहीं होते, अच्छी बरसात होती थी बाजरी नहीं होती थी, उस प्रकार की बोरियां, धरा में राशन पड़ा रहता था। लोगों ने कहा, मैं 2013 में जैसलमेर से खड़ा हुआ था, हार गया, अभी बीच में लोग कहने लगे जो शुद्ध बी.जे.पी. के हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 परसेंट वोट बी.जे.पी. के हैं और 40 परसेंट के आस पास कांग्रेस के हैं, वे बी.जे.पी. विचारधारा वाले लोग कहने लगे 2013 और 2018 के बीच में कि हमसे राज नहीं होता है, हम तो विपक्ष में भाषण देने के लिए पक्के हैं।

तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो पब्लिक स्वीकार करे, काम जो करते हैं ऊपर वाला देखता है, दूसरा जो बैनिफिशरी हैं उनके दिल में क्या है। काम नहीं हो वह भी अपना जस्टिफिकेशन दे सकता है। मैंने बहुत अच्छा किया लेकिन जिसको बैनिफिट मिल रहा है किसी भी डिपार्टमेंट के किसी वर्क से, उन बैनिफिशिरी से गांव और ढाणी में जाकर उनसे पूछें कि वास्तव में बैनिफिट हुआ कि नहीं हुआ।

(श्री रूपाराम)

1947 से पहले मारवाड़ में हर गांव में एक या दो डैथ हो जाती थी। पानी नहीं मिलता था, भेड़-बकरियां चराने जाता था, रास्ता भूल जाता था, कहीं पानी था नहीं। कई गांवों में लोग कुंवारे रह गये थे कि इस गांव के कुएं का पानी खारा है और कुएं का पानी, छाछ और बरसात का पानी इकट्ठा करके पीते थे तो वहां अपनी बच्ची की शादी नहीं करते थे कि दूर से पानी लेने जाएगी, इंडाली रखेगी और उसके बाल उड़ जाएंगे। उस स्थिति में जो इन्सान को जीना सिखाया, क्या हालत थी, उसको मात्र कांग्रेस ने किया है। उन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। आज कोई किधर भी बैठा हो, उधर वाला इधर भी आ सकता है, इधर वाला उधर भी जाता है, आते-जाते रहते हैं, आगे भी होता रहेगा लेकिन जो वास्तविकता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपने स्थान पर आइये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने तो यह कहा है कि तीन महीने बाद ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मदन जी इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग में वास्तु का जो प्लान करके काम करना चाहिए लेकिन किसी और विचारधारा में चले गये तो शायद उसको भूल गये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि मैंने खुद ने गरीबी देखी है। इंजीनियरिंग तक मैंने मजदूरी की है। जिसने दिया है उसको भूलना नहीं चाहिए। इधर बैठे हैं इन्होंने भी पाया है। उनके पूर्वजों ने भी पाया है। उनके जो अभी वोटर्स हैं वह भी पा रहे हैं। आज 1885 से लेकर 1990 तक जो हुआ, वह देश ने पाया। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने या भाजपा ने जड़-मूल से सुधार कर लिया। 1990 से 2018 तक, 30 वर्ष हुए हैं। राजस्थान में 16-17 वर्ष भाजपा रही और 13 वर्ष कांग्रेस रह गई। उसी में झगड़ रहे हैं कि मैंने यह किया, मैंने वह किया।

आज राजस्थान की 7 करोड़ आबादी है। 20 परसेंट लोग हर समुदाय के हरिजन से लेकर के रावले तक, करीब-करीब 1 करोड़ 20 लाख के आस पास लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है। आज हम रोटी खाते हैं तो शाम को क्या सब्जी बनाएंगे, मैन्यू में क्या होगा। यहां आते हैं

(श्री रूपाराम)

विधान सभा में तो, हर रोज, हर नेता नई ड्रेस पहनकर आता है। वह गरीब ऐसे हैं, जिनका जब जन्म होता है तब बच्चा नए कपड़े पहनता है, शादी में पहनता है या मरने पर कपड़ा आता है। गांवों में जाकर देखें तो ऐसी स्थिति है। अगर हम यहीं बहस करते रहेंगे तो उनका सुधार कौन करेगा?

आज यह हालत है कि अगर गांव में भी कम्युनिटी में गरीब के चिकनगुनिया हो गया तो उसके पास दवाई के पैसे नहीं है। अगर दवाई ले ली तो डाक्टर कहता है कि 6 महीने रैस्ट करिए। नहीं तो आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। अगर वह रैस्ट करे तो फिर उसके बच्चों को कमाकर कौन देगा? प्रेग्नेंट लेडी सातवें महीने तक मजदूरी करने जाती है। यहां ऐसे भी लोग हैं जो दूसरा महीने होते ही एयरकंडीशनर में सो जाते हैं कि अब हिलना नहीं है। वह मजदूरी पर जाती है गर्मी में। 48 डिग्री में वह मजदूरी करने जाती है।

आज अपने देश में किसी को ब्लड कैंसर हो गया, 2-3 करोड़ लगाकर खून बदलवा करके आ जाते हैं और गरीब लोगों के पास टी.बी. की बीमारी में इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। डाक्टर कहता है कि पौष्टिक आहार खाइए। वह कहां से लाए? उसके पास रोटी नहीं है।

चाहे पहले वाली गवर्नमेंट हो उन्होंने अच्छे काम किए। अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। कोई मजबूरी होगी। संसाधन या रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा। घाटे में चला गया। आज जितना पैसा हमारे पास है, जो अपने को करना है, वह करें।

आज खेलों की स्थिति के बारे में इस साइड से एक भी आदमी के मुंह से निकला? आज हिन्दुस्तान की जो सवा अरब आबादी है, जब इंटरनेशनल इवेंट होते हैं तो हिन्दुस्तान का नाम इवेंट्स खतम होने तक देखो तो नीचे-नीचे आएगा। छोटे-छोटे देश आगे बढ़ गये हैं। क्योंकि यहां हम खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं करते हैं। आज के बजट में 3 पाइंट आए हैं। अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को स्कालरशिप दी जाएगी। नेशनल खिलाड़ियों को स्कालरशिप दी जाएगी। एक-एक उद्यमी को सलैक्ट करके उनसे रिक्वैस्ट करके, एक खिलाड़ी गोद दिया जाएगा। जो एशियन और अन्य इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, राज्य में ऐसे किए जाएंगे। किसी एक ने इसके बारे में नहीं बोला। बोलना चाहिए, यह अच्छी चीज है।

सभापति महोदय, आज से करीब 10 वर्ष पहले स्वर्ण सिंह नाम का

(श्री रूपाराम)

एक लड़का, बास्केटबाल में इंडिया टीम का मैनेजर बनकर रशिया गया। वह किसी से 15 हजार उधार लेकर गया। इंडिया टीम का मैनेजर वापिस आता है, वह अपने काका के बेटे, भाई से पैसे ले गया। वह मेरे एरिये का था। उसने आकर मुझे कहा कि मेरी थोड़ी मदद करो। मैं मेरे भाई से पैसे ले गया था। मुझे पैसे देने हैं, उसके परिवार में शादी है। मेरे को उधार दो, मैं वापिस दे दूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी दूसरे देश की टीम का कैप्टन, अगर मैनेजर बनकर किसी देश में जाता है, तो वह उम्र भर चैन से जी सकता है। रोजी-रोटी खा सकता है। ऐसी स्कीम आई है और हम कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। करनी चाहिए। ऐसी कई स्कीमें आईं हैं।

सभापति महोदय, आज गरीबों के लिए, जो दवाइयां पहले फ्री थीं, उसमें 104 और एड कर दीं। किसी गरीब को, जिसे बगैर पैसे के दवाई मिलती है, उनसे पूछिए। हम फर्जी कह दें तो अलग बात है। लेकिन जो बैनिफिशरीज हैं, उनसे पूछो कि आपको इनका बैनिफिट मिला कि नहीं मिला। जांचें जो फ्री की गयी हैं, वह 90 तक हो गयीं।

पीने के पानी के आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आदमी कहता है कि जोधपुर के ज्यादा हो गए, उधर के नहीं हुए। अब यह सब एक साथ नहीं हो सकता। आज एक प्रोजेक्ट में राजस्थान को कवर करने के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये चाहिए। वाटर सैक्टर को डेढ़ लाख करोड़ तो दे नहीं सकते। जहां समस्याएं ज्यादा हैं, जहां पानी की गर्मियों के अंदर दिक्कत है, आज वैस्टर्न राजस्थान में टैंकर चल रहे हैं, पीने को पानी नहीं है। अधिक समस्या जहां है, उसका पहला नंबर आएगा। जो चीजें बजट में हाथ में ली गयी हैं, वह बहुत ही जरूरी हैं और अच्छा कदम हैं। हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। हां, यह हो कि साल पूरा हो गया तो हम रिव्यू में कह सकते हैं कि यह ठीक नहीं हुए, यह ठीक नहीं हुए, आगे हमको यह करना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा इस मौके पर निवेदन है कि हमारे वहां इंदिरा गांधी नहर चलती है, उसमें जो 5 वर्ष से पानी आ रहा था, मैं बढ़ा-चढ़ा करके नहीं कह रहा हूं, एकदम एग्जेक्ट सही कह रहा हूं, वहां 1 बीघा जमीन में डेढ़ से 2 क्विंटल चने होते थे। अब की बार कांग्रेस सरकार आने के बाद 1 फसल ली और वहां चना 1 बीघे में 5 से 6 क्विंटल हुआ। मैं खुद वहां जाकर आया हूं। इसका मैं बता देता हूं। आप जल्दी मत करो, बताता हूं। जो आपके

(श्री रूपाराम)

मिनिस्टर थे, वह ऐसे लग रहे थे कि वह हनुमानगढ़ के ही मिनिस्टर हैं। मैं मिला उनसे, मैं हनुमानगढ़ अफसर रहा हूं, गंगानगर रहा हुआ हूं। मैंने कहा मंत्री महोदय, आप गंगानगर के ही हैं क्या मिनिस्टर? कहा, नहीं-नहीं, मैं राजस्थान का हूं। मैंने कहा कि राजस्थान में मेरा जैसलमेर भी आता है। वह थोड़ा सकपकाए। मैंने कहा कि आप हमारे हिस्से का पानी दीजिए। नहीं दिया, विरोध कर नहीं सकते थे, रिक्वैस्ट ही कर सकते थे।

अभी जैसे ही आए तो पहला काम हमने यह किया, जितने भी एमएलए थे वहां के, गहलोत साहब के पास गए, कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसानों के लिए पानी चाहिए। वहां 22 जिलों के किसान हैं, केवल जैसलमेर के ही नहीं हैं।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मैं एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहूंगा। समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): वहां बैनिफिट हुआ। उसके अलावा 5 सालों से जो गायों की बात कर रहे थे, जैसलमेर में लगभग 4 लाख गौ वंश है। वहां एक दिन का शिविर नहीं खुला। अभी वहां शिविर खुल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 500 शिविर हैं। बाड़मेर में भी हैं। बाड़मेर के विधायक महोदय विराजे हुए हैं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि यह साल है, आगे वाले 4 साल हैं, हम सब मिलकर काम करें और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, आज सदन की जैसे ही बैठक प्रारम्भ हुई, मैं अपनी सीट पर बैठे-बैठे सारा दृश्य देख रहा था। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कोई भी एक-दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा था।

सभापति महोदय, हम बजट पर बहस कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया। कांग्रेस ने केन्द्र में 61 बजट पेश किए हैं और राजस्थान में 52 बजट पेश किए हैं। लेकिन कौनसे किसानों के हित की बात

(श्री धर्मनारायण जोशी)

की? आज भैरोंसिंह जी शेखावत का ही नाम है, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया। 10 हजार का कर्जा सबसे पहले भैरोंसिंह जी शेखावत ने माफ किया। किसानों की भूमि का लगान भैरोंसिंह जी ने माफ किया। 1972 में हम लोग लाल गेहूं खाते थे। मैं किसान का बेटा हूं। मैंने कृषि देखी है। मैंने बाल्यकाल में वह पीड़ा भोगी है।

सभापति महोदय, मैंने किसान की पीड़ा देखी है तो उसका वर्णन करना चाहता हूं। किसान को भरपेट रोटी नहीं मिलती है, अगर वह केवल खेती पर आधारित है तो। पटवारी आता था, लेवी में किसान लाल गेहूं खरीदकर देता था। भैरोंसिंह जी शेखावत जब पहली बार आए तो उन्होंने गरीब की स्थिति देखी। उन्होंने अंत्योदय योजना चालू की। हमारे गोदामों में गेहूं सड़ रहा था। भैरोंसिंह जी शेखावत ने काम के बदले अनाज योजना चालू की। यह दृष्टि की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सारे लोग मुख्य मंत्रीजी के घी लगा रहे हैं, सारे के सारे चम्पी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। मुझे क्षमा करें एक-एक योजना है, किसी ने भी देश के प्रधान मंत्री को धन्यवाद नहीं दिया, एक ने भी। जो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, एक-एक गैस की टंकी लिए घूमते फिरते थे, आज एक फोन करो, मैसेज करो, दूसरे ही दिन टंकी आ जाती है। देश में 3 करोड़ राशनकार्ड जो फर्जी थे, उनको हटाया, क्या यह काम नहीं है? उज्ज्वला योजना में देश के प्रधान मंत्री ने 6 करोड़ गैस की टंकियां गरीब बहनों को दीं जिनकी आंखें धुएं से खराब हो रही थीं। क्या यह काम नहीं है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में न बोलें। आप अपनी बात बोलिए। (व्यवधान) आप अपनी बात कहें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मैं भी जनजाति क्षेत्र से आता हूं। (व्यवधान) मुझे क्षमा करें। इनको कहें कि ये बीच में न बोलें।

श्री सभापति: आप उनकी तरफ नहीं, आसन की तरफ देखें और अपनी बात कहें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): एक-एक काम को आप देखें। मैं मुख्य मंत्रीजी की तारीफ करूंगा कि पिछली बार उन्होंने दवाइयां फ्री में दीं।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

कोई तो किसी की बड़ाई करे, यह अच्छी योजना चालू की उन्होंने पर मेरी आंख में कोई गर्मी के कारण चरमराहट हुई तो मैं डाक्टर के पास गया, डाक्टर ने कहा यह दवाई आप यहां से ले लो तो मैंने कहा कि ले लेता हूं तो वह बोला कि यह दवाई काम नहीं करेगी आप तो ऐसे करो, मैं स्लिप पर लिख देता हूं आप बाहर से ले लेना। ऐसी दवाई की हालत है। यह स्थिति है दवाइयों की। ये दवाएं फ्री में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे चिकित्सा मंत्री होंगे यहां, अभी है नहीं वह, मेरा निवेदन है कि उदयपुर में हमारे विधान सभा के पूर्व सदस्य, माननीय भानुकुमारजी शास्त्री भर्ती थे, मैंने किसी को स्लिप दी कि यह जांच करवाकर ले आ, यह फ्री में जांचें जो रही हैं, उनके पांच सौ रुपये की रसीद बना दी। मैं दस-ग्यारह बजे गया तो उन्होंने कहा कि हमने पांच सौ रुपये दिए हैं। मैंने कहा कि किस बात के दिए, जांच तो फ्री में हो रही है। 93 साल की उम्र, विधान सभा के सदस्य, सीनियर सिटीजन, फ्री में जांच होती है, मैं गया वहां, उनको पूछा उन्होंने कहा कि नहीं साहब, दस बजे से पहले जो पेशेंट आ जाता है उसकी हम फ्री करते हैं। मैंने कहा कि सात बजे जांच हुई है इनकी, आपको आश्चर्य होगा, माननीय सभापति महोदय, मैंने सब लोगों के खड़े, 50 हजार रुपये वापस दिलाए उनको। खड़े-खड़े 50 हजार रुपये दिलवाए, क्योंकि वहां पर जो रेटें लिखी हुई थीं, वह बिल्लौरी कांच से ही पढ़ सकते हैं, विज्ञान के लैब से लाते हैं, उस कांच से उसको फिर देख सकते हैं कि रेटें इतनी हैं। मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से जहां फ्री में जांचें होती हैं वहां पर जांचों के लिए आप कोशिश करें, वहां डिस्प्ले करवाएं कि सारी जांचें फ्री में होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने, मुझे लगता है कि मेवाड़ के साथ अन्याय किया है, उनको केवल मारवाड़ ही लगा है। हमारे यहां मारवाड़ की टैक्नोलोजी, टांके में पानी इकट्ठा करके कैसे कर सकते हैं, यह टैक्नोलोजी पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में डवलप करनी चाहिए थी। आप तो उसके साक्षी हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक भी पैसा हमारी माही नहर की रिपेयर के लिए उन्होंने नहीं दिया, 25 करोड़ केवल भीखा भाई नहर के लिए दिया। मेरी प्रार्थना है, इस सदन के नेता रहे हैं, माननीय मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने 1966 में मानसी-वाकल योजना बनाई थी और कहा था कि यह सन् 2000 तक उदयपुर की जलापूर्ति करेगी चारों फेज बनने के बाद। और यह भी

(श्री धर्मनारायण जोशी)

कहा था कि मावली, वल्लभनगर के 134 गांवों को भी पानी मिलेगा इससे। आज 2 फेज उसके लटक रहे हैं, 2 फेज बने हैं उसके, 2 फेज बाकी हैं उसके अभी तक भी।

माननीय सभापति महोदय, यह 2019 चल रहा है, पानी की हमारे यहां भीषण समस्या है, मेरे मावली क्षेत्र के पास से हमारे विधान सभा के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने बाघेरी का नाका बनाया नाथद्वारा में, आपको आश्चर्य होगा बाघेरी का पानी 80 किलोमीटर आमेट तक पानी जाता है पीने का, मेरी मावली वहां से 20 किलोमीटर है और उसके 2 किलोमीटर दूर तक पानी आता है, पर मावली में 11 पंचायतों में पानी नहीं आता है। यह स्थिति है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे यहां पर उदयसागर का पानी 1 लाख लीटर हिन्दुस्तान जिंक को जाता है और हमारे मावली क्षेत्र होकर जाता है, लेकिन हमारे मावली को पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है मावली को, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन बातों को ध्यान में करके पानी की व्यवस्था कराएं।

हमारे मावली में कालेज खुला, कालेज खोल दिया, जगह मिल गयी, बजट में प्रावधान नहीं है। आज मैंने देखा कि राजस्थान के 18 कालेजों को बजट दिया है, मावली को आबंटित किया या नहीं मुझे मालूम नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इस साल बजट में 58 बिन्दु पर, राज्य में कुल 211 बड़े बांध हैं, इनके जीर्णोद्धार, आधुनीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधों हेतु बांध 'पुनर्वास एवं सुधार परियोजना DRIP' के प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजे जाएंगे। (व्यवधान) इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल 965 करोड़ रुपये का व्यय होना संभावित है। जिसके लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। ...(व्यवधान) 211 बांधों के लिए आपके पास बजट नहीं है, प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजेंगे तो इसकी घोषणा क्यों हुई, आश्वासन क्यों दिया? यह झूठा बजट आपने क्यों प्रस्तुत किया?

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय परिवहन मंत्री विराजमान हैं। बहुत एग्रेसिव नेता हैं राजस्थान के, मेरी प्रार्थना है उनसे 31 मार्च को चुनाव प्रचार से आ रहा था मैं, हाइवे पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, रात को 11 बजे मैं रुका, मैंने कहा कि जाम क्यों लग रहा है, देखा कि आरटीओ वाले वसूली कर रहे हैं। मैंने आरटीओ को फोन किया, मैंने कहा कि आपका इन्सपैक्टर क्या कर रहा है यहां? उन्होंने कहा कि मैंने इसको यहां लगाया ही

(श्री धर्मनारायण जोशी)

नहीं। दिन के तीन बजे से उसकी उगाही चल रही थी। मैंने उनको धमकाया, वीडियो किया, दो फर्जी आदमी थे उसमें, जो दूर-दूर भाग गए वीडियो देखकर। आपको आश्चर्य होगा कि एक गरीब आदमी ड्राइवर रात को ग्यारह बजे, जिसकी बनियान फटी हुई, मैंने 500-500 रुपये उनको वापस दिलवाए। मैंने कर्मचारियों को इसलिए छोड़ा कि इनकी रोटी का सवाल है, मर जाएंगे, मैं इनका वीडियो दिखाऊंगा तो। मेरी आपसे प्रार्थना है इस पर भी आप लगाम लगाएं। आपने कहा था।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप तो मुझे वह वीडियो दे दो, मैं उनको सीधा सस्पैंड ही करूंगा।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सस्पैंड करवाना नहीं है मुझे। गरीब है मर जाएंगे।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सस्पैंड कर दूंगा, मैं हण्ड्रेड परसेंट कह रहा हूं।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): गरीब है मर जाएंगे। (व्यवधान) गरीब है मर जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिए। (व्यवधान)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में हमारी पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। आपने समिति बैठा दी वह वापस करेगी। क्यों, एक आदेश से खोल देते सारे स्कूल? 22 हजार स्कूल खोल देते।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह जो करप्शन की बात आई है, सदन में किसी भी सदस्य को यह लगे कि कहीं आरटीओ वाले इन्सपैक्टर आपको लगता है कि करप्शन कर रहे हैं, आपके पास कोई वीडियो है, मैंने आपसे भी मांगा है, आपको अकेले में मुझे वीडियो देना चाहिए, करप्शन रोकने की जितनी जिम्मेदारी आपकी है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी है। आप दोगे, मैं हण्ड्रेड परसेंट सस्पैंड करूंगा और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे लेकिन सबकी मदद चाहिए करप्शन के खिलाफ।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, एक समिति बैठाई है और समिति इसकी जांच करेगी कि स्कूल खोलने योग्य है या नहीं है, इसकी आवश्यकता कहां है? आपको लगता है तो उस प्रिंसीपल से

(श्री धर्मनारायण जोशी)

रिपोर्ट ले लीजिए वहां से। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो कार्य पद्धति है वह ऐसी है कि आदमी को बुखार हुआ, वह डाक्टर के पास गया, उसने कहा कि मुझे बुखार हो रहा है, डाक्टर ने कहा ऐसा करना कि घर जाकर ठण्डा पानी पीना। उसने कहा कि मैं ज्यादा बीमार हो जाऊंगा, फिर डाक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा करना कि बिलकुल खट्टा दही पीना सुबह-शाम, उसने कहा कि इससे तो मुझे निमोनिया हो जाएगा, तो डाक्टर ने कहा कि हां, मैं निमोनिया का डाक्टर हूं। बीमारी को इतनी बढ़ाओ उसके बाद उसका समाधान करो, यह कांग्रेस की नीति रही है। बीमारी को चरम पर ले जाओ। (व्यवधान) मेरी आपसे प्रार्थना है, माननीय मंत्री महोदय, ...(व्यवधान) बजट पर ही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर देखें। माननीय सदस्य, श्री धर्मनारायण जोशीजी, आप आसन को सीधे देखकर अपनी बात कहें, इधर-इधर।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): यहां नेहरूजी आए, अम्बेडकरजी आए। मुझे माफ करें अम्बेडकरजी।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आज कांग्रेस वालों को अम्बेडकरजी याद आ रहे हैं, मोदीजी ने पांच उनके स्थान बनाए देश में। अम्बेडकरजी को कांग्रेस ने लोक सभा में घुसने नहीं दिया। उनकी खिलाफत की जब वे चुनाव लड़े तो, यह कांग्रेस है। आज नेहरूजी का नाम लिया। नेहरूजी का नाम लिया।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर किसने बनाया था? यह कोई बात थोड़ी हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, विराजें। आसन पैरों पर है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): गांधी जी को गोली मारने वाले, गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे की आज तारीफ कर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपका गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर से कोई लेना-देना नहीं है। सभापति महोदय, इसको कार्यवाही से बाहर निकाला जाए। ये असत्य बोलने की फैक्ट्री है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन को अपना काम करने दीजिए, विराजिए आप। माननीय सदस्य विराजिए। कोई भी ऐसा असंसदीय शब्द होगा, जो नहीं आना चाहिए, एक्सपंज कर दिया जाएगा। समाप्त करें एक मिनट में अपनी बात।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अम्बेडकर के नाम पर केवल रोटियां सेकते हैं। अम्बेडकर का सम्मान कभी किया नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, ये जो सदस्य आगे होकर बोल रहे हैं, ये +++ कर रहे हैं। इन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और आज ये कांग्रेस की +++ कर रहे हैं। इनको नेहरू जी याद आ रहे हैं। इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं दूसरा नाम पुकारूंगा। मैं दूसरा नाम पुकारूं? (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी को बंद किया, यह आपको मालूम नहीं है। आपकी सरकार ने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को बंद किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मेरी अंतिम बात। आपने तीन विश्वविद्यालय खोले। हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जनजाति विश्वविद्यालय, कहीं अता-पता नहीं। दो साल तक उदयपुर में जनजाति विश्वविद्यालय का वीसी बैठा रहा, सौ विद्यार्थी पढ़ने वाले नहीं थे। हमारी सरकार आयी, आज बांसवाड़ा में एक लाख 70 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कालेज की बिल्डिंग बन गयी है। काम इसे कहते हैं। काम करना नहीं चाहते हैं, केवल योजना बनाना चाहते हैं, केवल कार्यक्रम रखना चाहते हैं। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने

(श्री हाकम अली खां)

गरीब, किसान आदिवासी, मजदूर एवं महिलाओं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। सभापति महोदय जी, मुख्य मंत्री ने किसान भाइयों के लिये कृषक कल्याण कोष का गठन करने की घोषणा की है, वह किसानों के लिये एक वरदान साबित होगा। इससे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल पायेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और किसान की आय में वृद्धि होगी तो किसान कर्ज में नहीं डूबेगा।

इस योजना के गठन से किसान परिवारों में खुशहाली आएगी। महोदय जी, मुख्य मंत्री जी ने आगामी वर्षों में 400 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जो पहल की है, वह बहुत ही सराहनीय है कि पशु बोल नहीं सकता और गांवों में बहुत सारे पशु इलाज के अभाव में मारे जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने यह जो पहल की है, मैं उनकी बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं। दूसरा, आवारा पशुओं की देख-रेख के लिये मुख्य मंत्री जी ने नंदीशाला हर पंचायत समिति में खोलने की घोषणा की है, यह एक बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि हाई-वे के ऊपर जयपुर से जब चलते हैं तो सीकर के आगे और आप डूंगरगढ़, बीकानेर तक जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं रोजाना चार-पांच गायें एक्सीडेंट में मरी हुई मिलती हैं।

इससे उन गायों का बचाव होगा और जिस वाहनों का एक्सीडेंट होता है, उनमें बैठने वाले इंसान भी बचेंगे। यह बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है। किसानों के लिये भी यह एक बहुत बड़ी पहल है। मैंने हमारे शेखावाटी इलाके में देखा है कि वहां किसानों ने खेती करनी बंद कर दी है। खेती अगर वे करते हैं तो जिसके खेत में तारबंदी है या चारदीवारी है, वह तो ठीक है, लेकिन जिसके चारदीवारी नहीं है, वह किसान नहीं कर सकता है। अगर खेती करता है तो पूरी रात उसे खेत में रहना पड़ता है अपनी फसल को संभालने के लिये कि कहीं आवारा पशु आकर उसकी फसल नहीं खा जाएं।

जब वह रात को खेत में रहता है तो वहां जहरीले जानवर सांप, गोयरा, मैं मेरे इलाके फतेहपुर का कहना चाहूंगा कि बहुत सारे किसान हर साल जब बारिश का मौसम आता है, फसल का मौसम आता है तो दो-तीन किसानों की सांप काटने से या रात को जहरीले जानवर के काटने से मौत होती है। मैं मुख्य मंत्री जी के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करता हूं।

विपक्ष में बैठे मेरे साथियों को भी यह बताना चाहूंगा हमारे मुख्य

(श्री हाकम अली खां)

मंत्री जी से सीखना चाहिए कि गौवंश की रक्षा कैसे की जा सकती है। मेरा खयाल है मैंने तो आज तक हमारे इलाके में कोई नंदीशाला खुली हुई नहीं देखी। सम्माननीय पूर्व मंत्री जी बैठे हुए हैं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राठौड साहब कि हमने अपने इलाके में तो अभी तक फतेहपुर, रामगढ़ या लक्ष्मणगढ़, चूरू में नंदीशाला कोई नहीं देखी होगी। अब यह जो मुख्य मंत्री जी ने पहल की है, यह बहुत ही सराहनीय है और इसकी आपको भी प्रशंसा करनी चाहिए कि किसान भी बचेगा और गायें भी बचेंगी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): राजलदेसर में है नंदीशाला।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): भाई साहब, गौशाला है, पर नंदीशाला नहीं है।

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए, विराजिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, राज्य में सड़कों के जाल को सुदृढ़ करने के लिये मुख्य मंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गयी है, इससे छोटे-छोटे गांवों में जो रेतीले इलाके हैं, उसमें जो गांव अभी सड़कों से वंचित रह गये हैं तो उन गांवों में अभी सड़क बनेगी तो शहर से जुड़ पायेंगे। उन गांव वालों को इतनी परेशानी होती है कि उस गांव में अपने मकान बनाने के लिये बजरी, भाटा आदि सामान लेकर जाते हैं तो उसको हाई-वे या रोड पर उतारना पड़ता है और फिर वहां से दूसरे छोटे वाहनों से लेकर जाना पड़ता है।

सभापति महोदय जी, मुख्य मंत्री जी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लेकर आये हैं, इससे उद्यमियों को कर्ज द्वारा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अगर इस योजना का व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ मिलता है तो राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे बेरोजगारी कम होगी। सभापति महोदय, राजस्थान में छह वर्ष पूर्व बाड़मेर क्षेत्र में रिफाइनरी सहित पैट्रो-कैमिकल काम्प्लेक्स परियोजना का शुभारंभ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कराया गया था। इससे राज्य के युवाओं में रोजगार के लिये आस जागी थी, लेकिन रिफाइनरी का कार्य पूरा नहीं होने पर यह महज एक सपना बनकर रह गया था, उसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2022 तक पूर्ण करने की जो घोषणा की है, वह एक सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय जी, चिकित्सा एवं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो

(श्री हाकम अली खां)

घोषणा की है कि जनता क्लिनिक खोले जाएंगे, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हर गरीब को अपने नजदीक के जनता क्लिनिक में बीमारी के इलाज की सुविधा मिलेगी। नि:शुल्क दवा योजना में पूर्ववर्ती सरकार ने जो दवाओं को बंद कर दिया था, उसे पुन: चालू किये जाने के साथ ही किडनी, हार्ट एवं कैंसर जैसे गम्भीर रोगों की अन्य 104 दवाएं पुन: नि:शुल्क शुरू की हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही गरीब परिवार के मरीज इलाज के लिये पैसों के अभाव में घर पर ही अपना दम तोड़ देते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और लाइलाज बीमारी है, उनके लिये मुख्य मंत्री जी ने जो फ्री दवाइयों की घोषणा की है, वह बहुत ही सराहनीय है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा में जागरुकता लाने के लिये मदरसों में कम्प्यूटर एजुकेशन, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिये 500 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का एक सराहनीय कदम है। इससे विद्यार्थियों को अपने गांवों एवं ढाणियों में ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। सभापति महोदय जी, वंचित उप-खण्ड स्तर पर महाविद्यालयों का निर्माण करवाना भी उचित कार्य है, क्योंकि लोगों को इन स्थानों पर जाकर दूर-दराज से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। इससे परिवार पर आर्थिक भार पड़ता है।

शहीद आश्रितों को भूमि आबंटित करने की समान व्यवस्था लागू करना एवं 25 लाख रुपये दिये जाने की घोषणा भी शहीद परिवारों के लिए एक सराहनीय कदम होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में लगभग 80 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनसे लगभग 6 हजार विद्यार्थी प्रति वर्ष निकलते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने अक्टूबर, 2013 में अपनी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान फतेहपुर में घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो फतेहपुर में सरकारी कालेज खोला जाएगा। सरकार तो उस समय भाजपा की बन गयी लेकिन महारानी साहिबा वादे को भूल गयीं। चार साल बाद चुनाव आये,

(श्री हाकम अली खां)

माननीय पूर्व मुख्य मंत्री अपनी जन-संवाद यात्रा पर पुन: फतेहपुर गयीं तो लोगों ने वादा याद दिलाया कि मुख्य मंत्री महोदया, आपने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो फतेहपुर को सरकारी कालेज दिया जाएगा तब मुख्य मंत्री जी का जवाब था कि पहले एमएलए भाजपा का बनाओ फिर कालेज लो। तो क्या जहां भाजपा का एमएलए है वहीं के बच्चे पढ़ेंगे क्या? दूसरी पार्टी का एमएलए बनेगा तो क्या वहां के बच्चे नहीं पढ़ेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, अब मैं हमारे लोकप्रिय जननायक मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में उपखण्ड मुख्यालय पर एक सरकारी कालेज खोलने की कृपा करें। दूसरा, फतेहपुर शहर बहुत नीचे स्तर पर बसा हुआ होने के कारण जल भराव की समस्या रहती है। वर्षा के मौसम में जगह-जगह पानी भरने से शहर दो भागों में बंट जाता है तथा जनता काफी परेशान होती है। चूरू से आने वाले माननीय पूर्व मंत्री बैठे हैं, ये भी बहुत बार मेरे शहर फतेहपुर से गुजरते हैं तो आपने भी देखा होगा, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि वहां बहुत भारी समस्या है तथा बहुत लम्बे टाइम से वह समस्या है.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अत: इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु बजट में उचित प्रावधान करने की कृपा करें।

महोदय, मेरे फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर शहर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है वह 50 बैड का है। शहर बहुत बड़ा है और उसमें गांव भी बहुत हैं तो मैं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में उसको 100 बैड का बनाने की मुख्य मंत्री जी घोषणा करें। साथ ही रामगढ़ शहर जो पूर्व मंत्री जी के लगता हुआ शहर है और उनका प्रिय शहर है रामगढ़ कस्बा, जिसमें एक 30 बैड का हास्पिटल है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको 30 बैड की जगह 50 बैड का हास्पिटल बनाने की घोषणा करें।

(श्री हाकम अली खां)

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक पाइंट और है कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय ने 2013 में पहली सरकार में फतेहपुर शहर में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए एक छात्रावास स्वीकृत किया था पर दुर्भाग्य से वहां छात्रावास आज तक नहीं बन सका। वहां पर जमीन का अभाव बता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि जमीन बहुत है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक मिनट साहब। सभापति महोदय, फतेहपुर शहर में सरकारी जमीन बहुत है पर दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि पिछले पांच सालों में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वक्फ बोर्ड की सारी जमीन से अतिक्रमण हटवाए ताकि वह जमीन अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने में काम आएगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय राजस्थान।

श्री सभापति: महेन्द्र चौधरी जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यवाही के अन्तिम माननीय सदस्य के बोलने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री पूराराम चौधरी।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2019-20 पर बोलने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत-बहुत

(श्री पूराराम चौधरी)

धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जालौर जिला ऐतिहासिक जिला भी है और जालौर के अन्दर भीनमाल और जालौर पूरे भारत देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है, उसको आपने सिर्फ जीरो बजट दिया है।

माननीय सभापति महोदय, जालौर का जो किला है उसमें चित्तौड़ और जालौर जिले का किला एक ही समय में गुजरा हुआ है। इसके ऊपर जब ओरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहां के तत्कालीन वीर वीरमदेव सोनगरा जी थे। उस किले में छह महीने तक ओरंगजेब की फौज पड़ी रही, अलाउद्दीन की फौज पड़ी रही लेकिन मजबूर होकर उस फौज को जाना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जालौर जिले का ही एक व्यक्ति था जिसने पूरी पोल दे दी और पोल के कारण फौज वापस आ गयी। अलाउद्दीन खिलजी की फौज वापस आ गयी। एक जगह पोल थी और जिस जगह किले में पोल थी, उन्होंने किया कि राई के हिसाब से पोल खुल जाएगी....(व्यवधान) वह फौज यह बैठी है न। माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले को जीरो दिया इसलिए मैं कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जब लोगों ने, व्यापारियों ने राई खरीदनी शुरू की कि जो भी राई का भाव हो वह पैसा ले लो लेकिन राई लाओ। राई बोले तो पहले राई होती थी, अब सरसो होती है। जब राई पूरी खरीदी और राई डाल दी तो राई का पौधा दूसरे दिन खड़ा हो जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कुछ तो अनुशासन सीख लो।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): दूसरे दिन सारे व्यापारी राई बेचने के लिए जालौर में पहुंचे तो कहावत है कि राई के भाव तो रात को ही बीत गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें, बोल दें। अपनी बात समाप्त करें आप।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): वीरमदेव सोनगरा जी को जब बन्दी बनाया गया तो उन्होंने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं बादशाह के हाथों से मरूंगा नहीं, मुझे यहीं कुछ न कुछ कर दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे जालौर जिले में भीनमाल सबसे बड़ा कस्बा है जहां महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त जैसे महान विद्वान हुए।

श्री सभापति: किसी दिन जालौर पर अलग से चर्चा करा लें। इतना ही बड़ा महत्वपूर्ण मामला है तो जालौर महल पर एक बार अलग से चर्चा करा लेते हैं। बजट पर बोलिये जो भी कुछ आपको बोलना है। सबको तो राजा-महाराजा साहब को तो बुला लिया आपने। (व्यवधान)

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, मैं दस मिनट ही बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, भीनमाल के अन्दर पानी के लिए बजट में कुछ भी नहीं दिया। जालौर जिले में भी और भीनमाल में भी कुछ नहीं दिया, जिस-जिस चीज की हमें जरूरत थी। जहां महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त, 16वीं सदी के अन्दर जब नालंदा विश्वविद्यालय का एक चायनीज भीनमाल आया ओर उसने कहा कि गणित कहां से शुरू हुई तो जो जीरो की गणित थी वह महाकवि माघ की थी वह भीनमाल से ही शुरू की थी। आज आप कहीं भी जाओ, आज मुख्य मंत्री चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे वसुन्धरा जी हो, उनका स्वागत करने के लिए दूसरे प्रदेश में मिलेंगे या विदेशों में मिलेंगे तो भीनमाल के लोग ही मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेगा। उस भीनमाल के लोगों को, जो पिछली सरकार थी, माननीय पीएचईडी मंत्री कल्ला साहब विराजे हुए हैं, 39 करोड़ की शहर के लिए एक योजना थी जिसकी स्वीकृति हो गयी थी लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं हुयी थी। मैं सत्य बात कह रहा हूं, असत्य का कोई फायदा नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई थी, आचार संहिता लग गयी थी। वह नर्मदा का ही पार्ट है जो ईआर प्रोजेक्ट है और जो ईआर प्रोजेक्ट है वह जालौर, भीनमाल, आहोर, रानीवाड़ा, सांचौर सब जगह का है। हमारे साथ में क्यों भेदभाव बरता गया क्योंकि या तो हम अपोजिट के सारे जीत जाते हैं और एक हमारे मंत्री सुखराम जी बैठे हैं वह भी गलती से बन गये, पर बन गये तो अच्छी बात है लेकिन लोग हक के लिए लडेंगे। हमारे जो किसान भाई हैं...... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य मोबाइल से क्या पूरी रिकार्डिंग कर रहे हैं?

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): रिकार्डिंग करें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी रिकार्डिंग हमेशा आती है। (व्यवधान)

(20.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, उसमें एक माही परियोजना का 1966 में तत्कालीन राजस्थान के मंत्री से एक समझौता हुआ था, माननीय स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा, उसका भी इस माही योजना में कहीं जिक्र नहीं है। आहोर और जालौर में जवाई भरमड़ का भी कहीं जिक्र है ही नहीं।

(श्री पूराराम चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, हमारे जालौर के किसान, वे किसान हैं, यदि रोड पर आंदोलन में उतर गये तो जिस प्रकार 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ साबरमती से अगस्त क्रांति मैदान, मैं जब मुम्बई में रहता हूं तो रोज दर्शन करता हूं। मेरे घर के सामने ही है। माननीय सभापति महोदय, जो यह आंदोलन हुआ था। मेरठ से लेकर बलिया तक कन्याकुमारी से लेकर कलकत्ता तक, मुझे गर्व है कि उस आजाद हिन्द फौज में मेरे गांव के भी 11 सिपाही थे और उसमें दो शहीद हो गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी के लिए और बिजली के लिए 132 केवीजीएसएस पूर्व में स्वीकृत हैं भीनमाल में सतझेरण, मेहरबानी करके किसानों के लिए चालू करवा दें। ताकि हम समझें कि कुछ न कुछ, हमको जालौर में मजबूर न होना पड़े। मेरठ जैसी 1857 में जिस तरह से अग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जनता और किसान हमारे हक के लिए फिर से हल उठाने के लिए तैयार है।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं, पीएचईडी माननीय मंत्री जी आप ही हैं, ऊर्जा मंत्री जी आप ही हैं। आप इस पर थोड़ा ध्यान देकर ये योजना स्वीकृत कराएं। आप इसके लिए बजट दें, बजट के बगैर कुछ होगा, वह स्वीकृत तो है। मगर आप मेहरबानी करके बजट दें और ईआर प्रोजेक्ट है 256 गांवों का, उसमें सब बोलेंगे, मैं और भी बोलूंगा। उससे लिए आप स्वीकृति दें, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीराराम।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, बजट की चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस व्यक्ति की नीयत और नीति साफ हो, वह व्यक्ति कहीं भी हो दुनिया में प्रोगेस करेगा। लोग कहते हैं सम्माननीय अशोक गहलोत साहब तीसरी बार मुख्य मंत्री कैसे बने। माननीय सभापति महोदय, जब वे पहली बार मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने काम के बदले अनाज योजना शुरू की। तब गांवों के अंदर अनाज के भण्डार भर दिये और प्रत्येक घर में लोगों के गेहूं की बोरियां भरी मिलने लगी। जब वह दूसरी बार मुख्य मंत्री बने

(श्री हीराराम)

तो उन्होंने जानवरों तक की दवाई और जांचें फ्री कर दीं। माननीय सभापति महोदय, अब तीसरी बार जब मुख्य मंत्री बने हैं।

श्री सभापति: आप सीधे खड़े होकर बोलें। ज्यादा अच्छा बोलेंगे।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): आप सबको मालूम ही है कि उन्होंने सभी वर्गों को राहत की सांस दी जिसमें चाहे वृद्ध हों, महिलाएं हों, युवा हों, पत्रकार हों, शहीदों के परिवार हों और स्वतंत्रता सेनानी हों। उन्होंने सबको इस बजट में दर्शाया, इसलिए मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, देश के सबसे बड़े राज्य की विशेषताओं को एक सूत्र में पिरोकर एक बार फिर खुशहाल राजस्थान के निर्माण की पहल राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने बजट पेश करके की है। 2019-20 के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट किसान, युवाओं और आम जनता को समर्पित किया।

माननीय सभापति महोदय, बजट में युवाओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में 75 हजार पदों पर भर्ती, स्किल्ड युवाओं के लिए मुख्य मंत्री युवा योजना के तहत एक लाख युवाओं को एक लाख तक का ऋण देकर रोजगार की सकारात्मक पहल की है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए हजार करोड़ रुपये का किसान कल्याण कोष उन्नत कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम के तहत दो करोड़ रुपये खर्च कर किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग माननीय सभापति महोदय, आसानी से व्यापार को बढ़ावा के तहत आसानी से कृषि करने के गुर भी बजट में पिराये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय के साथ वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्त पेंशन बढ़ाने की घोषणा की गयी है। पेंशन में वृद्धि से 62 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जल संसाधन के लिए बांध और सिंचाई सुविधाओं में बड़े प्रावधान रखे हैं। साइबर अपराध और सामाजिक सुरक्षा को लेकर माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने संवेदनशील कदम उठाकर पुलिस बल को मजबूत किया है। इसीलिए, मैं सम्माननीय गहलोत साहब का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली की तर्ज पर मौहल्ला व गली में जनता

(श्री हीराराम)

के लिए क्लिनिक खोले जाने, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवाओं जिसमें 608 के साथ किडनी, हार्ट व कैंसर की 104 नई दवाइयां सरकारी अस्पतालों में फ्री वितरित करने और नि:शुल्क जांच की संख्या 70 से बढ़ाकर 90, नवजात बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट दिये जाने का प्रावधान, समाज के निर्धन वर्ग के लिए राहत भरा निर्णय है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शिक्षा नीति और भवनविहीन महाविद्यलायों में भवन निर्माण का प्रावधान शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा में उठाया गया कदम है।

माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने एक संतुलित बजट पेश कर प्रदेश के हर वर्ग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और मूलभूत लाभ प्रदान किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गरीब, युवा, किसान एवं कमजोर वर्गों तथा महिलाओं और व्यापारिक वर्ग के हितों हेतु लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष में बैठे कई साथी कह रहे थे कि ये बजट तो जोधपुर का बजट है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में जब वसुन्धरा जी राजे मुख्य मंत्री थीं तो जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। पांच साल के अंदर जोधपुर में एक भी नया काम शुरू नहीं किया गया और जोधपुर के साथ में कोई काम करने की तमन्ना भी नहीं रखी तब। अब जब जोधपुर का पांच वर्षों में काम किया जाएगा तभी पूर्ति हो सकती है अन्यथा जोधपुर पीछे रहा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में हाई कोर्ट के लिए बजट, स्टेडियम के शेड बनाने के लिए बजट, जोधपुर में फलौदी फोर्ट के लिए, ओसियां शिव मंदिर के लिए बजट दिया और महामंदिर पावटा सोजती गेट होते हुए आकलिया चौराहा तक एलीवेटेड रोड बनाने की डीपीआर तैयार कराई उसके लिए मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जोधपुर में कैंसर रोगियों के लिए 31 करोड़ रुपये की लागत से लीनियर एक्सीलरेटर मशीन की स्थापना की जाएगी और मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में मल्टीस्टोरी आईसीयू वार्ड का निर्माण भी किया जाएगा उसके लिए भी मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत

(श्री हीराराम)

आभार प्रकट करता हूं क्योंकि मैं जोधपुर जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं। इसके लिए जो बजट सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान की जनता को दिया, आज राजस्थान की जनता में बहुत ही आनन्द की लहर है और खुशी की लहर है। उसके लिए मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने आम जनमानस विद्यार्थी हितों एवं प्रश्नों पर प्रसंज्ञान लेते हुए जहाजपुर उपखंड पर महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। इसके साथ-साथ ही भवन का बजट इसी सत्र में आबंटन करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कोटड़ी व जहाजपुर के किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए अफीम की खेती करने के लिए अफीम नीति के नये पट्टे आबंटन कराने का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जाए, ताकि उन्नत खेती से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मेरे अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली आएगी।

माननीय सभापति महोदय, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था बेरोजगार होमगार्डों को स्थायी रोजगार देने की घोषणा की थी। इस बजट में प्रावधान नहीं रखा गया। बजट में प्रावधान कर बारह मास स्थायी रोजगार दिया जाए। इनका मानदेय राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के बराबर किया जाए, ताकि ये अपने जीवन का आराम से निर्वहन कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत सहायक, प्रेरक, विद्यार्थी मित्रों व संविदा में लगे कर्मचारी कम्प्यूटर आपरेटर को अल्प मानदेय 6 हजार दिया जाता है। इन सभी कर्मचारियों का स्थायीकरण करके मानदेय राशि कम से कम 25 हजार की जाए, ताकि इनका जीवन निर्वहन अच्छी तरह हो सके।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में पटवारियों की भर्ती कर रिक्त पद भरे जाएं, ताकि आये दिन किसान परिवार पटवार भवन व तहसील के चक्कर काटते रहते हैं उससे निजात मिल सके। नरेगा योजना के तहत किसानों की कृषि भूमि की तारबंदी की जानी चाहिए, ताकि फसलों को रोजड़ों

(श्री गोपी चन्द मीणा)

से बचाया जा सके। ग्राम पंचायत सरसिया, धोड़, ईटून्दा में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं। मेरे उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-148 निकलने से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो यहां उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा सेन्टर खोला जाए। साथ ही साथ जांच हेतु सिटी स्कैन एवं एमआईआर मशीन उपलब्ध करायी जाए तथा सीएचसी जहाजपुर में लंबे समय से डाक्टर्स के रिक्त पद चल रहे हैं उन पर नियुक्ति की जाए। अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। खजूरी पण्डेर में पीएचसी से सीएचसी क्रमोन्नत किया जाए। लोहारीकलां में पीएचसी क्रमोन्नत किया जाए। नाथूण में सब सेन्टर खोला जाए। जिला मुख्यालय बूंदी को जोड़ने हेतु चतरगंज से वाया मेडिया-सरसिया-रावतखेड़ा-अमलदा से कोठास तक सड़क निर्माण एमडीआर-56 को जोड़ने हेतु किया जाए, जिससे जिला मुख्यालय भीलवाड़ा की दूरी कम हो जाएगी। रावतखेड़ा से गाटारानी तक क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कराया जाए। जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर खेल स्टेडियम एवं सार्वजनिक पार्क की स्वीकृति दिलायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इस्पात विभाग द्वारा इस्पात कारखाने का एमओयू भारत सरकार व राजस्थान सरकार के मध्य हुआ था। ग्राम धोड़ व बिलेटा में इसका सर्वे भी हो चुका है। इसकी क्रियान्विति की जाए, ताकि सम्पूर्ण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और राजकोष में बढ़ोतरी हो। गाटारानी माताजी, घाड़ोली महादेव, धोड़ महादेव, कोटड़ी चार भुजानाथ के स्थानों का विकास कराया जाए एवं इनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। जहाजपुर क्षेत्र में सैनिक और अर्द्धसैनिक बल के जवान रहते हैं और सेना से पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है तो मैं सरकार से आपके माध्यम से चाहता हूं कि उपखण्ड मुख्यालय पर सैनिकों व अर्द्धसैनिकों के लिए विश्रान्ति गृह भवन का निर्माण होना चाहिये। जहाजपुर पवित्र नागदी नदी का जीर्णोद्धार कर नदी पर एनीकट व नदी के किनारे पार्क डवलप कराकर घाट व कुण्ड तैयार कराये जाने चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर में लंबी लाइनें होने के कारण ट्रिपिंग होती रहती है इसलिए बिजली निगम को घाटा लगता है तो 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण ग्राम धोड़, ग्राम पंडेर में किया जाए ताकि 10-10 पंचायातों को लाभ मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र से बनास नदी साठ-सत्तर किलोमीटर गुजर रही है जिसका पूरा पानी बीसलपुर पेयजल परियोजना में

(श्री गोपी चन्द मीणा)

आता है। दोनों तरफ अगर काजवे एनीकट बना दिया जाए तो रीचेज से पानी बीसलपुर का भी बढ़ेगा और नदी के सत्तर किलोमीटर के एरिया में अवैध बजरी खनन का भी कारोबार चल रहा है। आये दिन घटनाएं हो रही हैं। पुलिस के लोगों द्वारा बजरी खनन किया जा रहा है अवैध एवं बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इसलिए मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नदी पर तीन जगह एनीकट काजवे बांध दिया जाए जिससे बजरी खनन पर भी रोक लगेगी और सत्तर किलोमीटर दोनों तरफ के किसानों के कुओं का जलस्तर बढ़ेगा। नदी की बजरी पर भी रोक होगी और बीसलपुर का पानी भी रिचार्ज होगा। इसलिए मैं बजट में आपसे मांग करता हूं कि इसमें दो काजवे एनीकट निर्माण कराये जाएं। ग्राम पंचायत शकरगढ़ में मेज नदी पर बांध एनीकट का निर्माण ग्राम भोपालपुरा में किया जाए जिससे अतिरिक्त पानी चम्बल नदी में जा रहा है वह रोका जाए। डीएमएफटी फंड योजनान्तर्गत पैंडिंग चल रही स्वीकृतियों को जारी किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सोप स्टोन रॉ मैटेरियल निकल रहा है यह रॉ मैटेरियल गुजरात या अन्य प्रदेशों में जा रहा है और वहां प्रचुर मात्रा में माल मिलने के साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षों से देश आजाद हुआ तभी से ही एक ही परिवार लीज होल्डर है। गोलछा ग्रुप के नाम से आबंटन है। हजारों बीघा जमीन उसके नाम आबंटन की गयी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि बड़ा लीज होल्डर छोटी मात्रा में काम कर रहा है, बाकी जमीन उसकी है पूरे क्षेत्र में तो छोटे-छोटे लीज धारकों को आबंटन करके यहां के लोगों के स्थायी रोजगार उद्योग-धंधे स्थापित किये जाएं और रॉ मैटेरियल को गुजरात नहीं भेजकर चूंकि ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है इसलिए राज्य में औद्योगिक इकाई स्थापित की जाए, ताकि वहां के क्षेत्र के हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के पूर्व में विद्यालय बंद कर दिये गये। यूपीएस देवपुरा, खंडेरिया घाटी का बाड़ा विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में जो शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए और प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के पदों को सब्जैक्ट

(श्री गोपी चन्द मीणा)

टीचर की भांति जोड़ा जाए ताकि गुणवत्तापूर्वक बच्चों को शिक्षा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में चंबल पेयजल परियोजना से राजस्व गांवों को छोड़ दिया गया। शेष रहे राजस्व गांवों को जोड़ा जाए ताकि सभी ग्रामीणों को पेयजल मिल सके। मेरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, 52 प्रतिशत लोग हमारे जनजाति के पहाड़ों में रहते हैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि माड़ा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत गुढ़ा में फतेहपुर, ग्राम पंचायत गुढ़ा में लाल का खेड़ा, लुहारीकलां में एकलव्य माडल स्कूलों का निर्माण कराया जाए हमारे टीएसपी क्षेत्र के बच्चे वहां एजुकेशन से जुड़ सकें।

श्री सभापति: बोलो, फिर कहोगे कि बीच में बैठा दिया, पूरे मन की निकाल लो।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मेरा जहाजपुर उप खण्ड मुख्यालय में पीएचईडी आफिस और आरएसईबी एक्सईएन आफिस नहीं है। 50-60 किलोमीटर दूर किसानों को शाहपुरा जाना पड़ता है। इसलिए निवेदन है कि जहाजपुर में एक्सईएन आफिस का भी बजट में प्रावधान किया जाए। सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.22 बजे शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बिजोलिया को नगरपालिका बनाने की कार्ययोजना

86. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजोलिया को नगरपालिका नहीं बनाया गया है। यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बिजोलिया को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। न ही किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव जिला कलेक्टर भीलवाड़ा व अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है।

(2) जी, नहीं। नगरपालिका बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बूंदी स्थित विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला में नि:शुल्क प्रवेश देने की योजना

87. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बून्दी स्थित विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला को आमजन हेतु नि:शुल्क खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बून्दी स्थित विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला में आने जाने पर यहां के प्रशासक द्वारा प्रवेश द्वार पर आमजन व देशी-विदेशी पर्यटकों से वसूले जा रहे शुल्क को बन्द करवाकर इसे नि:शुल्क करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बून्दी के महल में स्थित स्कूल के भित्ति चित्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं जिस पर आमजन/देशी-विदेशी पर्यटकों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

(पर्यटन मंत्री)

(2) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चित्रशाला में आमजन एवं देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है।

खाजूवाला में बारानी व कमाण्ड भूमि का आबंटन

88. श्री गोविन्द राम (खाजूवाला): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में बारानी व कमाण्ड भूमि का सामान्य आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लूणकरणसर लिफ्ट में किसानों की नहर की आरडी 300 से 358 तक आ रही जमीनों का मुआवजा या जमीन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूगल, खाजूवाला, छतरगढ़, दन्तौर में सरपंचों को आवासीय पट्टे का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) छतरगढ़ भू-दान बोर्ड में किसानों के कितनें प्रकरण विचाराधीन हैं? क्या सरकार उक्त प्रकरणों में किसानों को खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। खाजूवाला विधान सभा की तहसील खाजूवाला, छतरगढ़, बीकानेर एवं आंशिक तहसील पूगल का क्षेत्र इ.गा.न.प. के प्रथम चरण में आता है। प्रथम चरण में सामान्य आबंटन पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(28)राज/उप/85 जयपुर, दिनांक 15.01.1987 से रोक है। (प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।)

(2) लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) की आरडी 300 से 358 के मध्य भूमि मुआवजे का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) पूगल, खाजूवाला, छतरगढ़, दंतौर के मंण्डी क्षेत्र में मण्डी शर्तो के नियमों में संरपंचों को आवासीय पट्टे देने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(राजस्व मंत्री)

(4) छतरगढ़ में भू-दान बोर्ड के विचाराधीन सूची के कुल 251 प्रकरण शेष हैं जिनमें से 164 प्रकरण भू-दान बोर्ड स्तर पर निस्तारण से शेष हैं तथा भू-दान बोर्ड से निस्तारित होने के उपरान्त 87 प्रकरण तहसील स्तर पर खातेदारी दिये जाने से शेष हैं। इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में राशन की दुकानों का आबंटन

89. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें आबंटित करने हेतु क्या नियम एवं प्रावधान हैं? नियमों एवं प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में नई राशन की दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन लिये गये हैं? यदि हां, तो प्राप्त आवेदनों में से चयनित व्यक्तियों को राशन की दुकानें कब तक आबंटित कर दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा नवीन दुकान हेतु जनसंख्या, राशन यूनिट को आधार माना जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सिवाना में इस नियम से कितनी नवीन दुकानों का लक्ष्य रखा गया है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में बेरोजगारों से आवेदन लेकर उनका नियमानुसार चयन भी कर दिया गया है किन्तु सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) नहीं दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रावधान/दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राशन की दुकानें आबंटित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु विभागीय आदेश दिनांक 17() खा.वि./विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के द्वारा 500 राशन कार्ड एवं 2000

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

यूनिट के आधार पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने के प्रावधान हैं। (आदेश की प्रति संलग्न है।)

राशन कार्डों व यूनिटों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तित संख्या के आधार पर जिला कलेक्टर के स्तर पर नई उचित मूल्य दुकानों के सृजन की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। सिवाना तहसील के लिए नई दुकान सृजन करने का अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(4) बाड़मेर जिले में 76 रिक्त/अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों हेतु विज्ञप्ति क्रमांक एफ.15(24)(2)/रसद/एफपीएस/725 दिनांक 28.08.2018 जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं। परन्तु चुनावों की आदर्श आचार संहिता लगने के कारण कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी जो प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समानीकरण के आधार पर बंद किये गये विद्यालयों को पुन: खोलने की योजना

90. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने समानीकरण के आधार पर बंद किये गये 20 हजार विद्यालयों को पुन: खोले जाने की घोषणा की है? यदि हां, तो इस सत्र में कितनें विद्यालय खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने छात्रों के अनुपात में कक्षा व वर्ग का निर्धारण कर कमरों का निर्माण व शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो सत्र 2019-20 में उक्त के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में राज्य में ऐसी कितनी पंचायत समितियां हैं जिनमें बालिका छात्रावास नहीं है? क्या सरकार वंचित पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सत्र 2014-15 से 2017-18 तक आर.टी.ई. नार्म्स के विपरीत समन्वित किये गये विद्यालयों की समीक्षा हेतु पत्रांक पं.14(4)शिक्षा-1/एकी./

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

2014/पार्ट (2016) दिनांक 22.01.2019 द्वारा ब्लाक एवं जिला स्तर पर गठित कमेटी से समीक्षा करवाकर प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। इन प्रस्तावों की समीक्षा उपरान्त चिन्हित विद्यालयों को पर्याप्त नामांकन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुन: प्रारम्भ करने का नीतिगत निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) समग्र शिक्षा अभियान योजना में छात्रों के अनुपात में कमरों के निर्माण कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। सत्र 2019-20 में परिषद द्वारा राजकीय विद्यालयों में कमरों के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा अभियान में राशि रुपये 1099.00 करोड़ के तथा नाबार्ड RIDF-XXV अंतर्गत राशि रुपये 400.09 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं, जिनकी स्वीकृति अभी तक अप्राप्त है।

प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत पत्रांक पं. 5(8)प्राशि/2016 जयपुर दिनांक 28.05.2019 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में संचालित राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर.टी.ई. मानदण्डों के अनुसार छात्रों की संख्या के अनुपात में शैक्षणिक पदों के निर्धारिण तथा शैक्षणिक कार्मिकों के विद्यालयवार एवं समानीकरण/पदस्थापन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है इन दिशा-निर्देशों के क्रम में राप्रावि/उप्रावि में छात्र संख्या के अनुपात में शैक्षणिक कार्मिकों के पुन: निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रक्रिया में अधिशेष होने वाले शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।

(3) 295 पंचायत समितियों में से 204 पंचायत समितियों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं तथा 91 पंचायत समितियों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित नहीं हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

इन 91 पंचायत समितियों में से 24 पंचायत समितियों में अन्य विभागों के छात्रावास संचालित हैं शेष 67 वंचित पंचायत समितियों में छात्रावास खोले जाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर छात्रावास खोले जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

91. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड घाटोल-बांसवाड़ा, पीपलखूंट-प्रतापगढ़ पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो सरकार उक्त स्थानों पर कब तक नवीन महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त महाविद्यालय हेतु विगत वितीय वर्ष में घोषणा की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि की भवन एवं विद्यार्थियों का अनुपात रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड घाटोल-बांसवाड़ा, पीपलखूंट-प्रतापगढ़ पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड घाटोल-बांसवाड़ा, से लगभग 31 किमी की दूरी पर जिला मुख्यालय बांसवाड़ा पर स्थित सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय व महिला शिक्षा का राजकीय कन्या महाविालय संचालित है व घाटोल उपखण्ड पर निजी क्षेत्र में 7 महाविद्यालय संचालित हैं।

जिला प्रतापगढ़ के उपखण्ड पीपलखूंट से लगभग 38 किमी की दूरी पर सह शिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ संचालित है व पीपलूखट उपखण्ड पर निजी क्षेत्र में 1 निजी महाविद्यालय संचालित है। जी नहीं।

नागाणा पुलिस थाने को उप अधीक्षक कार्यालय बाड़मेर के अधीन करने की योजना

92. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुलिस थाना नागाणा (बाडमेर) के कार्यक्षेत्र में कौन-कौनसे गांव आते हैं एवं उक्त गांव कौन-कौनसे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस थाना नागाणा के अधिकांश गांव, तहसील, पंचायत समिति एवं विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में आते हैं तथा बाड़मेर के नजदीक ही पड़ते हैं? यदि हां, तो क्या कारण है कि पुलिस थाना नागाणा को पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बाड़मेर में नहीं रखकर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बायतू के अधीन रखा गया है? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(3) क्या सरकार जनहित में पुलिस थाना नागाणा को पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बायतू से निकालकर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बाड़मेर के अधीन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थाना नागाणा (बाड़मेर) के कार्यक्षेत्र में कुल 57 गांव आते हैं, जिनमें से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 27 गांव एवं विधान सभा क्षेत्र बायतू में 30 गांव आते हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पुलिस थाना नागाणा में वर्तमान में कुल 57 गांवों का क्षेत्राधिकार शामिल है जिसमें से कुल 27 गांवों का विधान सभा क्षेत्र/तहसील/पंचायत समिति एवं उपखण्ड मुख्यालय बाडमेर है तथा 30 गांवों का विधान सभा क्षेत्र/तहसील/पंचायत समिति एवं उपखण्ड मुख्यालय बायतू है।

नवीन वृत्त कार्यालय बायतू के सृजन होने के पश्चात वृत कार्यालय बाडमेर के 8 में से 3 निकटवर्ती पुलिस थाने नवसृजित वृत बायतू में स्थानान्तरित किये गये जिसमें पुलिस थाना नागाणा भी शामिल है।

(3) जी हां। इस संबंध में विचार किया जा रहा है एवं निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजगढ़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजनान्तर्गत ग्रामों का चयन

93. **श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कौन-कौनसे गांवों का चयन कौन-कौनसे वित्तीय वर्षों में किया गया था? उनमें से कितनी-कितनी राशि का आबंटन किस-किस गांवों में किया गया तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत प्रथम चरण, द्वितीय एवं तृतीय चरण में किन-किन गांवों में कौन-कौनसे कार्य किन-किन चरणों में किये गये। चरणवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने-कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों की चरणवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कुल 54 ग्रामों का चयन किया गया। वित्तीय वर्षों के अनुसार ग्रामवार राशि का आबंटन एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) ग्रामवार चरणवार किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-02 पर संलग्न हैं।

(3) कुल 3106 कार्यों में से 2760 कार्यों का आनलाइन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उच्च जलाशय निर्माण के मानदण्ड

94. श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में उच्च जलाशय के निर्माण के क्या मानदण्ड हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उच्च जलाशय निर्माण हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम 4000 की जनसंख्या होने की बाध्यता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रावधान में संशोधन कर वर्ष 2014 की जनगणना को आधार बनाने और न्यूनतम 3000 की जनसंख्या का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार किसी ग्राम की जनसंख्या 4000 अथवा उससे अधिक होने पर सामान्यत: पाइप्ड जल योजनाओं तथा इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं में ग्राम एवं ढाणियों के समूह में क्लस्टर वितरण प्रणाली अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए उच्च जलाशय निर्माण किये जाने का प्रावधान है।

उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर लिये गये निर्णयों के अंतर्गत उक्त प्रावधानों में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की गयी है:-

(अ) ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या 1500 से अधिक एवं 4000 तक है, में निम्न शर्तें लागू होंगी-

(अ-1) यदि प्रस्तावित योजना की लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा माननीय सांसद/विधायक कोष अथवा जन सहयोग द्वारा दिया जाए।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(अ-2) योजना का संचालन एवं संधारण तथा विद्युत बिल का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा जनता जल योजना पैटर्न पर किया जाए।

(अ-3) प्रस्तावित पाइप्ड जल योजना का स्रोत स्थानीय होना चाहिये।

(अ-4) ये प्रावधान सतही जल स्रोत आधारित योजनाओं/परियोजनाओं से लाभान्वित हो चुके/होने वाले ग्रामों के लिये लागू नहीं होंगे।

(ब) टी.एस.पी. (जनजाति उपयोजना) क्षेत्र के ग्राम जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है।

(स) आपणी योजना के ग्राम जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है, परन्तु योजना की वितरण तंत्र की लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा जन सहयोग द्वारा प्रस्तावित है।

(द) बी.ए.डी.पी. (सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम) क्षेत्र में ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है एवं जिनको बी.ए.डी.पी. योजना के अंतर्गत बी.ए.डी.पी. बजट के तहत पाइप जल योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

विभाग द्वारा समय-समय पर उक्त संबंध में लिये गये गये निर्णयों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान की गयी है। उच्च जलाशय निर्माण हेतु वर्ष 2014 को जनगणना का आधार लेकर एवं न्यूनतम 3000 की जनसंख्या का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या के आधार पर उच्च जलाशय निर्माण करने का निर्णय विभागीय नीति निर्धारण समिति की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 में लिया गया था अत: इसमें संशोधन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतारण नगरपालिका में नियम विरुद्ध सामानों की खरीद

95. श्री अविनाश (जैतारण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अविनाश)

(1) जैतारण नगरपालिका द्वारा वर्ष 2015 से 10 जून, 2019 तक स्टोर में किस-किस मद में कौन-कौनसी खरीददारी किस प्रक्रिया से की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में क्रय किये गये सामान को किस-किस फर्म से क्रय किया गया? फर्म का नाम, प्रोपराईटर व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या क्रय किये गये सामान के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई गई या सीधे ही क्रय कर लिए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्रय किये गये सामान के लिए नियम विरुद्ध भुगतान के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका जैतारण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन, पालिका से प्राप्त आय, 14वां वित्त, पंचम वित्त मद से खरीददारी की गई। नगरपालिका, जैतारण द्वारा की गयी खरीददारी एवं प्रत्येक खरीद की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगरपालिका जैतारण द्वारा क्रय किये गये सामान का फर्मवार एवं राशिवार विवरण परिशिष्ट "अ" मे अंकित है।

(3) ई-निविदा व अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाकर सामान क्रय किया गया है।

(4) नियम विरुद्ध भुगतान व क्रय किये गये सामान के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में देशी-विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय

96. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्ष में प्रदेश में कितने देशी व विदेशी पर्यटक आये और उनसे राज्य को कितनी आय प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) क्या सरकार घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन के साथ प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार शेखावाटी क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व की हवेलियों एवं स्थलों के संरक्षण के लिए कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले में घरेलू पर्यटन की दृष्टि से ग्रामीण पर्यटन हेतु अनेक स्थल विद्यमान हैं? क्या सरकार ऐसे स्थलों के विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के पर्यटन विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्ष में प्रदेश में भ्रमण पर आये देशी व विदेशी पर्यटकों की वर्षवार संख्या विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**देशी पर्यटक**	**विदेशी पर्यटक**
1.	2016	41495115	1513729
2.	2017	45916573	1609963
3.	2018	50235643	1754348

विभाग दवारा पर्यटकों से प्राप्त आय की सूचना संधारित नहीं की जाती है।

(2) वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र में नई पर्यटन नीति बनाना प्रावधित है, जिसमें ग्रामीण पर्यटन को भी सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है।

ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु वर्तमान योजना की प्रति अनुलग्नक-अ पर उपलब्ध है।

(3) शेखावाटी क्षेत्र में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के ऐतिहासिक महत्व के संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(पर्यटन मंत्री)

नवीन पर्यटन नीति बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके प्रावधान जारी होने उपरान्त शेखावटी क्षेत्र में भी प्रभावी होंगे।

(4) बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विभाग द्वारा पर्यटन विकास कार्यों हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में चालू वित्त वर्ष 2019-20 में लोहार्गल को पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु राशि रु. 150.00 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर कार्य कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम के पी.डी. खाते में राशि रु. 25.00 लाख हस्तान्तरित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 21.06.2019 को जारी की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के पुजारियों को डोली भूमि की खातेदारी देने की कार्ययोजना

97. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश के पुजारी (गोस्वामी, ब्राहम्ण, श्रीमली संत आदि) समाज जो मठों एवं डोली भूमि पर कृषि एवं उपयोग कर रहे हैं? क्या सरकार द्वारा डोली की भूमि उनकी खातेदारी के लिए कोई प्रयास किए गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि प्रदेश के पुजारी समाज डोली भूमि पर कानून के प्रावधानों के अनुसार मंदिर के व्यवस्थापक के रूप में काश्त एवं उपयोग कर रहे हैं।

जी नहीं। देवमूर्ति शाश्वत अवयस्क है तथा कानून के तहत देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के वृहद पीठ द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील 185/2001 तारा एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 में भी यही प्रतिपादित किया गया है।

खाद्‌य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

98. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्‌य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की कोई प्रक्रिया है? यदि हां, तो नाम जोड़ने की प्रक्रिया के मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के उपखण्ड अधिकारियों को दिसम्बर, 2018 से 10 जून, 2019 तक कितनी अपीलें प्राप्त हुईं? उनमें से कितनी अपीलों का निस्तारण किया गया और कितनी अपीलें शेष हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चौमूं उपखण्ड अधिकारी के पास खाद्‌य सुरक्षा की अपीलें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो दिसम्बर, 2018 से 10 जून, 2019 तक कितनी अपीलें प्राप्त हुईं? उनमें से कितनी अपीलों को स्वीकार किया गया तथा कितनी अपीलें अस्वीकार की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रक्रिया एवं मानदण्डों के निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) प्रदेश के उपखण्ड अधिकारियों के पास दिसम्बर 2018 से 10 जून, 2019 तक कुल 436508 अपीलें प्राप्त हुईं हैं जिनमें से 257600 अपीलों का निस्तारण किया गया और 191061 अपीलें शेष हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उपखण्ड अधिकारी चौमूं को दिसम्बर 2018 से 10 जून, 2019 तक कुल 2915 अपील प्राप्त हुई जिनमें से 10 अपील स्वीकृत की गई हैं तथा 291 अपीलें अस्वीकार की गई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी क्षेत्रों में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोलने के नियम

99. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्‌वारा निजी क्षेत्रों में शिक्षण एवं

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

प्रशिक्षण संस्थान खोलने के नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देकर शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो प्रदेश में अब तक कितने शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान विद्यार्थियों से नियमों के विपरीत जाकर अधिक फीस लेते हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कितने शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुयीं व जांच में कितने संस्थान दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अधिक अनुपस्थिति होने के बाद भी प्रबन्धन द्वारा परीक्षा ले ली जाती है। यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु राज्य में निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 28.11.2014 द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 के प्रावधानों के आधार पर राज्य में निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दिये जाने बाबत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता दी जाती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 28.11.2014 की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों का स्थानवार तथा कब से संचालित है, का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) राज्य में विगत 05 वर्षों में निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विरुद्ध विद्यार्थियों से अधिक फीस लेने, अनियमितता, अभद्र व्यवहार एवं

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

अन्य के संबंध में 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अधिक अनुपस्थिति होने के बाद भी प्रबन्धन द्वारा बैकडोर एन्ट्री लेकर परीक्षा नहीं ली जाती है एवं इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हाडारानी राजकीय पीजी महाविद्यालय सलूम्बर में अतिरिक्त संकाय खोलने की कार्ययोजना

100. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हाडारानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सलूम्बर में विज्ञान संकाय विगत 5 वर्षो से संचालित होने के उपरांत भी वर्तमान में विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार विज्ञान संकाय के प्रायोगिक लैब खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में लगभग 5000 नियमित व प्राइवेट विद्यार्थी अध्ययन करते हैं किन्तु कला संकाय में इतिहास व सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर नहीं होने व विज्ञान संकाय में जीवविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनविज्ञान, प्राणीविज्ञान में स्नातकोत्तर नहीं होने से विद्यार्थियों को अन्यत्र जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के सभी विषयों के लिए प्रयोगशाला उपकरण कक्षा कक्षों में रखे जाकर छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण/अध्यापन किया जा रहा है, परन्तु प्रयोगशाला के लिए भवन उपलब्ध नहीं है। विभाग द्वारा प्रयोगशाला के निर्माण हेतु टी.ए.डी. विभाग, MLALAD आदि से स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) वर्तमान में हाडारानी राजकीय P.G. महाविद्यालय, सलूम्बर में

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, वाणिज्य संकाय में ए.बी.एस.टी. एवं विज्ञान संकाय में गणित विषय संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर हाडारानी राजकीय P.G. महाविद्यालय, सलूम्बर में कला संकाय में इतिहास, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान संकाय में वनस्पतिशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व प्राणीशास्त्र में स्नातकोत्तर (P.G.) कक्षाएं खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला पाली में जवाई बांध के पुनर्भरण की कार्ययोजना

79. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला पाली के जवाई बांध को पुनर्भरण हेतु सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में उक्त जिले के किन-किन ग्रामों को शामिल किया गया है? विधान सभावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना में और गांवों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के कौन-कौन से गांव उक्त योजना में किस कारण से वंचित हैं तथा उन्हें कब तक शामिल कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले में स्थित जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु साबरमती बेसिन के अधिशेष जल को जवाई बांध में अपवर्तित किये जाने की योजना प्रस्तावित है। वर्तमान में योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जांच की प्रक्रिया में होने के कारण प्रति उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) प्रस्तावित योजना में अपवर्तित पानी का उपयोग केवल पेयजल हेतु किये जाने का प्रावधान होने से परियोजना की स्वीकृति उपरांत लाभान्वित गांवों का निर्धारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

वार्षिक योजनान्तर्गत राशि का आबंटन

80. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वार्षिक योजना के अन्तर्गत किस-किस विभाग को किस कार्य हेतु कितनी राशि का आबंटन किया गया?

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(2) उक्त राशि का व्यय प्रतिमाह कितना-कितना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या समय पर राशि व्यय नहीं होने पर शेष राशि को अन्य विभागों को भी स्थानान्तरित किया गया? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयोजना विभाग द्वारा बीएफसी बैठकों के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु विभागों को टैन्टेटिव सीलिंग जारी की जाती है जिसके आधार पर वित्त विभाग द्वारा बैठकों में बजट को अन्तिम रूप दिया जाकर विभागों को आईएफएमएस के माध्यम से राशि का आबंटन किया जाता है। गत पांच वर्षों में विभागवार एवं योजनावार/कार्यवार आय व्ययक अनुमान हेतु जारी की गई सीलिंग का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त राशि का प्रतिमाह किया गया व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विभागों के व्यय/मांग के आधार पर संशोधित अनुमान की सीलिंग जारी की जाती है। विभागों को जारी किये गये संशोधित अनुमान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय योजनान्तर्गत प्रदेश को स्वीकृत राशि

81. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2003 से 10 जून, 2019 तक केन्द्रीय योजना आयोग से प्रदेश को किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि में से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि प्रदेश को उपलब्ध हुई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उपलब्ध राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में व्यय की गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरेन्द्र नागर)

(4) उक्त में से ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनमें केन्द्रीय योजना आयोग से स्वीकृत राशि की तुलना में कम राशि सरकार को प्राप्त हुई? राशि कम प्राप्त होने के क्या-क्या कारण रहे? योजनावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वार्षिक योजना 2003-04 से 10 जून, 2019 तक योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि की वर्षवार एवं योजनावार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजना आयोग से स्वीकृत उक्त राशि में से वर्ष व योजनावार राज्य को उपलब्ध राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में शामिल है।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से राज्य सरकार द्वारा वर्षवार एवं योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(4) केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना में प्राप्त राशि तथा कम राशि प्राप्त होने के कारण का विवरण योजनावार एवं वर्षवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण के पुराने एनीकटों की मरम्मत

82. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में पुराने एनीकट बने हुए हैं? यदि हां, तो कितने? उक्त में से कितने टूट चुके हैं व कितने वर्तमान में सही हैं? विवरण पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त एनीकटों में ग्राम पंचायत बच्छार के सुराणा गांव में जावलीया एनीकट टूट गया है? क्या सरकार उक्त एनीकट को ठीक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए पुराने एनीकटों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। ग्राम पंचायत बछार के सुराणा गांव में जावलीया एनीकट की एप्रन वाल क्षतिग्रस्त हैं। इसकी मरम्मत हेतु जी.पी.डी.पी. में कार्य कोड WRK/2019-20/19187 द्वारा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मसूदा में स्टाम्प विक्रेता के लाइसेंस

83. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कितने उप कोषागार हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उप कोषागार कार्यालय ग्राम मसूदा में स्थापित है, किन्तु वहां स्टाम्प विक्रेता नहीं है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मसूदा ग्राम और आस-पास के गांवों के लोगों को स्टाम्प सुविधा उपलब्ध हो सके, इस हेतु सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मसूदा विधान सभा क्षेत्र में 2 उपकोषागार हैं।

1. उपकोषागार, मसूदा

2. उपकोषागार, भिनाय

(2) मसूदा में वर्तमान में 12 स्टाम्प विक्रेता कार्यरत हैं। जिनमें उपकोष कार्यालय से 500 मीटर की परिधि में पुराना बस स्टैण्ड पर 05 स्टाम्प वेण्डर एवं पावर हाउस के पास 01 स्टाम्प वेण्डर, तहसील परिसर मसूदा में 05 स्टाम्प वेण्डर तथा ग्राम खरवा में 01 स्टाम्प वेण्डर को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा लाइसेन्स जारी किये गए हैं।

(3) मसूदा ग्राम में स्टाम्प विक्रेता की सुविधा उपलब्ध है।

आदर्श गांव घोषित करने के मानदण्ड

84. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आदर्श गांव घोषित करने के क्या मानदंड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(2) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में सांसद एवं विधायकों ने आदर्श गांव के रूप में विकसित करने हेतु गांवों को गोद लिया है? यदि हां, तो किस-किस सांसद एवं विधायक ने कौन-कौन से गांव गोद लिए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गांवों में अब तक क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधायक द्वारा घोषित आदर्श गांव को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता प्रदान की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत आदर्श ग्राम चयन हेतु मापदण्ड योजना की दिशा-निर्देशिका के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार है, प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजनान्तर्गत आदर्श ग्राम पंचायत चयन हेतु मापदण्ड योजना की दिशा-निर्देशिका के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार है, प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विगत 5 वर्षों में माननीय सांसदगण एवं विधायकगण द्वारा चरणवार निम्नानुसार आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

चरण	सांसद आदर्श ग्राम योजना	मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना
I	34	196
II	31	97
III	15	0

विवरण क्रमशः परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत एवं मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) माननीय विधायकगण द्वारा चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं के आबंटित बजट प्रावधान से इस ग्राम पंचायतों के कार्यों

(ग्रामीण विकास मंत्री)

को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर सम्पादित करवाये जाने हेतु जिलों को निर्देश प्रदान किये गये हैं। मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अन्तर्गत पृथक से कोई बजट राशि का प्रावधान नहीं किया गया है तथापि योजना के प्रथम चरण में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण निधि से प्रति ग्राम पंचायत राशि रु. 20.00 लाख का प्रावधान मूलभूत अवसंरचनाएं जो अन्य विभागीय बजट से नहीं करवाई जा सकती, के लिये किया गया था।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के स्टेट हाईवे कोरिडोर में ग्रीन पट्टी पर प्लान्टेशन

85. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में स्टेट हाइवे कोरिडोर पर सडक के दोनों तरफ ग्रीन पट्टी (ग्रीन कोरिडोर) प्लान्टेशन संवेदक द्वारा करवाया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्टेट हाइवे के सडक किनारे के प्लान्टेशन रख-रखाव एवं देख-रेख का कार्य फर्म द्वारा किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो राज्य के कौन-कौन से स्टेट हाइवे पर प्लान्टेशन की जांच कब-कब की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्टेट हाइवे के परियोजनाओं के निर्धारित नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि हाइवे के निर्माण करने वाले संवेदक को ही ग्रीन पट्टी में प्लान्टेशन करना होगा? यदि हां, तो 2015 से मई 2019 तक किस-किस संवेदक का ग्रीन पट्टी में प्लान्टेशन नहीं किये जाने पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य राजमार्गों के विकास में विभिन्न अनुबन्धों में वर्णित शर्तों के अनुसार ही संवेदक/रियायतग्राही द्वारा वृक्षारोपण/क्षतिपूरक वृक्षरोपण किया जाता है। सम्बन्धित मैन्युअल की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) सड़क के किनारे प्लान्टेशन के रख-रखाव एवं मानिटरिंग का कार्य संवेदक/रियायतग्राही के साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों पर निर्भर करता है। स्टेट हाइवे पर प्लान्टेशन की जांच अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर नियमित रूप से की जाती है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। परियोजना के अनुबन्ध के आधार पर वृक्षारोपण/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के कार्य का ही प्रावधान है। 2015 से मई 2019 तक रियायतग्राही के विरुद्ध वृक्षारोपण का उचित संधारण नहीं करने के कारण की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मुख्य मंत्री बीपीएल आवास व इन्दिरा गांधी आवास योजना के वंचित आशार्थी

86. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में मुख्य मंत्री बीपीएल आवास/इन्दिरा आवास योजना बन्द होने से कई आशार्थियों की आवास स्वीकृति जारी होने से रह गयी है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में कितने आशार्थी उक्त योजना में लाभान्वित होने से वंचित रह गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे वंचित आशार्थियों के नाम प्रधान मंत्री आवास योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे आशार्थियों के आवास निर्माण हेतु नई योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे आशार्थी जिनके कच्चे आवास अतिवृष्टि/प्राकृतिक आपदा से गिर चुके हैं, उनको प्रधान मंत्री आवास योजना में प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक एवं इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015-16 तक लागू रही जिनके अन्तर्गत बीपीएल सैन्सय 2002 में शामिल बीपीएल परिवार जो आवासहीन व कच्चा आवास में निवास कर रहे थे, को स्थाई वरीयता सूची के आधार पर आवास स्वीकृत किये गये।

मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना बंद होने से राज्य में बीपीएल सैन्सस 2002 के अनुसार 128866 लाभार्थी शेष रहे, जिनमें से 80257 लाभार्थी प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत स्थाई वरीयता सूची में शामिल हैं एवं शेष बचे हुए 48609

(ग्रामीण विकास मंत्री)

लाभार्थियों में से माह अप्रैल, 2018 एवं फरवरी, 2019 में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अनुमोदन अनुसार 23259 वंचित पात्र परिवार चिन्हित कर अंतिम निर्णय हेतु सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी है। जिलेवार पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थाई पात्रता सूची में शामिल नहीं, परन्तु वंचित पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल करने हेतु माह अप्रैल, 2018 एवं फरवरी, 2019 में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर तदनुसार अनुमोदित चिन्हित वंचित पात्र परिवारों की सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम निर्णय/अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

वर्तमान में आवास निर्माण हेतु नई योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेम वर्क के अनुसार योजना के वार्षिक केन्द्रीय आबंटन का 5 प्रतिशत राशि केन्द्रीय स्तर पर आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है। इस निधि का उपयोग अतिवृष्टि/प्राकृतिक आपदा आदि कारणों से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत राज्यों से प्राप्त किये गये प्रस्तावों के लिए किया जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

साडासर ग्राम पंचायत (सरदारशहर) में जलग्रहण हेतु स्वीकृत राशि

87. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत साडासर, पंचायत समिति सरदारशहर (चूरू) में जलग्रहण (वाटरशेड) योजना की स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई थी व उक्त राशि से कौन-कौन से निर्माण कार्य कहां-कहां करवाये जाने थे? उनमें से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) उक्त कार्यों में से जोहड़ निर्माण पर कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितनी खर्च हुई और कितना भुगतान बकाया है? श्रम व सामग्री मद का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्यों में से व्यक्तिगत कुण्डों पर कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि खर्च हुई और कितना भुगतान बकाया है? लाभार्थियों के नाम व भुगतान की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में मजदूरी का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त कार्यों हेतु किस-किस फर्म द्वारा कब-कब एवं कितनी-कितनी सामग्री की सप्लाई की गई? संबंधित फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं फर्म को भुगतान की गई राशि का तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत साडासर पंचायत समिति सरदारशहर (चूरू) में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में भू संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पंत्राक के 11013/3/2011/आईडब्ल्यूएमपी (राजस्थान) दिनांक 30.06.2011 एवं निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ18(आई-51)(निजभूस)/आईडब्ल्यूएमपी/2011-12/4800-5081 दिनांक 05.08.2011 को जलग्रहण परियोजना चूरू-26 (साडासर) स्वीकृत हुई जिसका क्षेत्रफल 8454 हैक्टेयर राशि 1268.10 लाख स्वीकृत हुई हैं। परिशिष्ट-1

(2) उक्त परियोजना हेतु कुल 1268.10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है जिसमें से निर्माण कार्यों (एनआरएम मद) में 710.14 लाख के कार्य करवाये जाने थे। करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(पंचायती राज मंत्री)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि लाखों में
1	खेत कुण्ड निर्माण	साडासर	319	277.53
2	चरागाह विकास कार्य	साडासर	9 हैक्टेयर	14.04
3	जोहड़ निर्माण कार्य	साडासर	12	206.64
4	जोहड़ मरम्मत कार्य	साडासर	4	44.00
5	सार्वजनिक कुण्ड निर्माण	साडासर	15	34.95
6	सार्वजनिक कुण्ड मरम्मत	साडासर	15	22.50
7	भूजल पुनर्भरण कार्य	साडासर	12	84.60
8	वानिकी कार्य	साडासर	10 हैक्टेयर	15.60
9	कृषि भूमि पर वानस्पतिक कार्य	साडासर	44 हैक्टेयर	1.28
10	कुआं मरम्मत कार्य	साडासर	9	9.00

डीपीआर के प्रावधान के विरुद्व कृषि कुण्ड 319, पक्के जोहड़ निर्माण कार्य 8, सार्व कुण्ड निर्माण 3 कार्य एवं कुण्ड रिपेयर के 6 कार्य पूर्ण करवाये गये हैं।

(3) जोहड़ निर्माण के पेटे डीपीआर में 12 जोहड़ निर्माण कार्य हेतु कुल 206.64 लाख रुपये स्वीकृत हैं। 8 जोहड निर्माण कार्य पूरे कराये गये जिन पर 199.95 लाख रुपये का व्यय हुआ जोहड़ निर्माण कार्यों के पेटे 120.47 लाख रुपये का भुगतान किया गया है तथा 79.48 लाख रुपये का भुगतान बकाया है जिसमें श्रम पेटे राशि 68.11 एवं सामग्री पेटे राशि 11.37 लाख रुपये बकाया है।

(4) वर्ष 2013-14 व 2014-15 में बीएसआर के अनुसार 319 कुण्डों के पेटे राशि 341.33 लाख स्वीकृत की गई थी जिसके पेटे राशि 264.17 लाख रुपये का भुगतान कृषकों/सामग्री विक्रेताओं को किया जा चुका है। राशि 77.16 लाख रुपये का भुगतान कृषकों/सामग्री विक्रेताओं को किया जाना शेष है व्यक्तिवार भुगतान की सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(5) हां। यह सही है कि उक्त कार्यों का भुगतान बकाया है क्योंकि

(पंचायती राज मंत्री)

वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रारम्भ होने के पश्चात केवल इस अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में ही राशि का आबंटन किया गया था उक्त परियोजना में राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त कार्यों का श्रम/सामग्री का भुगतान पूर्ण नहीं किया जा सका है। अब उक्त परियोजना में पूर्व की देनदारियो के लिये राशि का आबंटन किया जा चुका हैं। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(6) साम्रग्री की सप्लाई संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार प्राप्त की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में विभिन्न योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

88. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्ष 2014 से 2018 के मध्य किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी सड़कों का निर्माण हुआ? निर्माण में हुई लागत, निर्मित दूरी व क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में केन्द्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मेगा हाइवे, मिसिंग लिंक आदि के तहत सरकार द्वारा कितनी नवीन योजनाएं प्रस्तावित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्ष 2014 से 2018 के मध्य निर्मित की गयी सड़कों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) केन्द्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मेगा हाइवे, मिसिंग लिंक आदि के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मांडलगढ़ में चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पेयजल सप्लाई

89. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के सभी गांवों में चम्बल प्रोजेक्ट के अंतर्गत पेयजल की सप्लाई होनी है? यदि हां, तो कब तक?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में अब तक चम्बल प्रोजेक्ट के तहत पाइप लाइन बिछाने हेतु सडक मार्ग के मध्य खोदे जाने वाले गहरे गड्ढे के लिए क्या ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त सड़क मार्ग की मरम्मत करने की तय समय सीमा क्या है?

(3) क्या यह सही है कि यदि उक्त सड़क मार्ग की मरम्मत तय समय सीमा में नहीं की जाये तो संबंधित अधिकारी व संवेदक पर कार्यवाही अमल में लाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के 2 कस्बे क्रमश: माण्डलगढ़ एवं बिजौलिया तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 359 ग्रामों को चम्बल-भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना के स्वीकृत द्वितीय चरण के पैकेज -6 (कोटड़ी तहसील के 51 ग्राम), पैकेज-7 (कोटड़ी तहसील के 22 ग्राम) तथा पैकेज-8 (2 कस्बे, माण्डलगढ़ एवं बिजैलिया तहसील के क्रमश: 179 एवं 107 ग्राम) के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रावधित है।

उक्त वर्णित तीनों पैकेजों में से पैकेज-6 का कार्य पूर्ण किया जाकर कोटड़ी तहसील के 51 ग्रामों में उक्त परियोजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

पैकेज-7 एवं 8 के क्रमश: 70% एवं 35% कार्य माह मई, 2019 तक पूर्ण कर लिये गये हैं तथा कार्यादेश अनुसार इनके कार्य क्रमश: दिनांक 09.02.2020 एवं 02.11.2020 तक पूर्ण करने निर्धारित हैं।

(2) उक्त पेयजल परियोजना के तहत क्षेत्र के ग्रामों के अंदर पेयजल वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण पाइप लाइनों के बिछाने एवं जोड़ने के लिए मौके की आवश्यकतानुसार ही सड़क काटी जाती है।

परियोजना के निष्पादन हेतु अनुबंध की शर्तों में, अनुबंधक फर्म द्वारा काटी गई सड़क की मरम्मत किये जाने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों से सड़क काटने की अनुमति हेतु निवेदन किया जाता/जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इस संबंध में उक्त क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा लिखित रूप में तथा कुछ पंचायतों द्वारा मौखिक सहमति दी गई है।

प्रतिदर्श के रूप में सरपंच, ग्राम पंचायत जावल, पंचायत समिति, कोटड़ी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विभाग द्वारा अनुबंधक फर्म से उक्त वर्णित पैकेजों के किये गये अनुबंध के अंतर्गत अनुबंध की शर्तों के अनुसार (1) बिछाई गई पाइप लाइन का टेस्टिंग कार्य पूर्ण करने के उपरांत सड़क मरम्मत का कार्य अनुबंधक फर्म द्वारा ही किया जाना है तथा (2) पाइप लाइन कार्य की अनुमोदित दर का 5% भुगतान सेक्शनल टेस्टिंग व सड़क मरम्मत कार्य तथा शेष 5% भुगतान पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो जाने तथा कार्यस्थल पूर्ववत् (साइट क्लीयरेंस) कर दिये जाने पर ही देय है।

(3) उपरोक्तानुसार। चम्बल-भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना के स्वीकृत द्वितीय चरण के उक्त वर्णित 3 पैकेजों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आबादी क्षेत्रों में अब तक कुल बिछाई गई 106.74 किलोमीटर वितरण पाइप लाइनों में से 40.78 किलोमीटर लम्बाई में सड़क काटी गई है तथा इसके विरुद्ध 31.10 किलोमीटर लम्बाई में सड़क मरम्मत कर दी गई है तथा शेष मरम्मत का कार्य पैकेजों की प्रगति के अनुरूप वर्तमान में प्रगति पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दूदू में खराब हैण्डपम्प

90. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील दूदू मौजमाबाद एवं फागी के राजस्व गांव ढाणियों में सरकार द्वारा कुल कितने हैण्डपम्प स्वीकृत कर लगाये गये हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हैण्डपंपों में से कितने हैण्डपंप खराब हैं और कितने स्थाई रूप से बंद हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्थाई रूप से बंद हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपंप लगाने व खराब हैण्डपंपों को ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील दूदू, मौजमाबाद एवं फागी के 134 राजस्व ग्राम एवं 46 ढाणियों में पेयजल आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 की अवधि में विभाग द्वारा क्रमशः 50, 81 एवं 82, इस प्रकार कुल 213 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। इस स्वीकृति के विरुद्ध अब तक क्रमशः 50, 81 एवं 77, कुल 208 हैण्डपम्प निर्माण एवं स्थापना उपरांत चालू किये जा चुके हैं।

उक्त क्षेत्र की फागी तहसील के वित्तीय वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के अंतर्गत शेष रहे 5 हैण्डपम्पों का निर्माण इनके स्थान परिवर्तन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अभी नहीं कराया गया है। इनके निर्माण हेतु नये प्रस्ताव प्राप्त होने पर इनके निर्माण संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

वित्तीय वर्षवार, ग्राम पंचायतवार एवं ग्रामवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, दूदू की तहसील दूदू, मौजमाबाद एवं फागी की विभिन्न जल योजनाओं अंतर्गत उक्तानुसार स्थापित एवं चालू किये गये समस्त 208 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं तथा इनमें से कोई हैण्डपम्प वर्तमान में खराब नहीं है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) जी हां। प्रदेश में दिनांक 01.04.2019 से प्रगतिरत 43वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अंतर्गत उक्त क्षेत्र की तहसील दूदू, मौजमाबाद एवं फागी तहसील में माह जून, 2019 तक मरम्मत योग्य खराब पाये गये क्रमशः 322, 389 एवं 534, इस प्रकार कुल 1245 हैण्डपम्पों को सुधारा गया है।

उक्त अभियान वर्तमान में प्रगति पर है तथा समय-समय पर अस्थाई रूप से खराब होने वाले हैण्डपम्पों को इस अभियान में सुधारने का कार्य विभाग द्वारा सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नये बांध/एनिकटों का निर्माण

91. श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई बांधों से पेयजल की सप्लाई नहीं की जाती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे बांधों से? उक्त बांधों की क्षमता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बीसलपुर बांध सहित प्रदेश के अन्य बांध जहां से पेयजल आपूर्ति हो रही है वहां पानी की काफी कमी है? क्या सरकार प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेयजल संकट को देखते हुए नए बांध और एनिकट का निर्माण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल संसाधन विभाग अंतर्गत निर्मित 744 बांधों से पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। विवरण परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। बीसलपुर बांध सहित प्रदेश के अन्य बांध जिनसे पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहां पानी की उपलब्धता, मांग के विरुद्ध काफी कम है।

पेयजल हेतु नये बांध एवं एनिकट निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मांग अनुसार जल/संसाधनों की उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले में जयपुर डिस्काम के सहायक अभियंता कार्यालय

92. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में जयपुर विद्युत वितरण निगम के कितने सहायक अभियंता कार्यालय संचालित हैं व उक्त कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कुल कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में जयपुर विद्युत वितरण निगम के कुल कितने कार्यालय संचालित हैं व उक्त कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कुल कितने पद रिक्त हैं? कार्यालय इकाईवार कुल स्वीकृत व रिक्त पद का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टोंक जिले में जयपुर विद्युत वितरण निगम के कुल 21 सहायक अभियन्ता कार्यालय कार्यरत हैं। उक्त सहायक अभियन्ता कार्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा क्षेत्राधीन जयपुर विद्युत वितरण निगम के कुल 5 कार्यालय कार्यरत हैं। उक्त संस्थानों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जयपुर विद्युत वितरण निगम में रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया के तहत भरे जाने वाले पदों को नियमित विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया के तहत प्रत्येक वर्ष भरा जाता है एवं सीधी भर्ती के तहत भरे जाने वाले पद राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात नई भर्ती कर भरे जाते है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी की सीमा का निर्धारण

93. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा सिविल रिट संख्या 12781/2014 (डा. जय सिंह बनाम सरकार) में पारित आदेशानुसार एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी, जयपुर की भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराया गया था? यदि हां, तो उस संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में यह स्वीकारा गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की तकनीकी रूप से अनुमोदित, एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी की भूमि, पृथ्वीराज नगर की सीमाएं, जो अधिसूचना दिनांक 03.07.1984 द्वारा राजस्थान सरकार के राजपत्र में दिनांक 12.07.1984 को प्रकाशित की गयीं थीं, के अनुसार पृथ्वीराज नगर क्षेत्र से बाहर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक लाहोटी)

(3) क्या उस संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में कथन है कि पृथ्वीराज नगर योजना हेतु सेक्टर प्लान 'जी' तैयार किया गया है जिसमें न्यू सांगानेर रोड 200 फीट सड़क को पृथ्वीराज नगर की पूर्वी सीमा को निर्धारित किया गया है जिससे एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी को पृथ्वीराज नगर योजना में सम्मिलित किया गया है?

(4) क्या पृथ्वीराज नगर को 2001 में विलोपित करने के उपरांत, उसकी दिनांक 03.07.1984 को अधिसूचित सीमाओं में कोई बदलाव के लिये नयी संशोधित अधिसूचना कभी भी राजस्थान सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गयी है, जिससे न्यू सांगानेर रोड 200 फीट सड़क को पृथ्वीराज नगर की पूर्वी सीमा निर्धारित हो गयी है एवं एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी सन् 2014 से पृथ्वीराज नगर का भाग हो गयी है? यदि हां, तो उस संशोधित अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) सन् 1991 में पृथ्वीराज नगर से सम्बन्धित, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष 116 प्रकरणों में से एक अरविन्द गृह निर्माण समिति द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष खसरा नम्बर 235, 248 से 250 व 258 ग्राम धाबास, तहसील जयपुर से सम्बन्धित दायर रिट संख्या 3335/1991 के निर्णय के विरुद्ध, सरकार द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. के समक्ष रिट संख्या 691/1993 प्रस्तुत की गयी है। तो क्या अरविन्द गृह निर्माण समिति द्वारा विकसित एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी के खसरा नम्बर 29/203 व 29/219 ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर से सम्बन्धित कोई रिट भी इन 116 प्रकरणों में सम्मिलित थी? यदि हां, तो उसकी रिट संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा सिविल रिट संख्या 12781/2014 (डा. जय सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 11.2.2014 की पालना में जविप्रा की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.05.2015 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.05.2015 के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अधिसूचना दिनांक 03.07.1984 जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 12.07.1984 को प्रकाशित की गई है, जिसमें पृथ्वीराज नगर योजना की सीमाएं, निम्नानुसार दर्शायी हैं :-

पूर्व में - मास्टर प्लान की पश्चिमी बाइपास

पश्चिम - प्रस्तावित रेलवे बाइपास

उत्तर - कालवाड़ रोड

दक्षिण - सांगानेर सोडाला सड़कों को मिलाने वाली प्रस्तावित रेलवे बाइपास

उक्त अधिसूचना के अनुसार एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी की भौतिक स्थिति मास्टर प्लान के पश्चिमी बाइपास के पूर्व में स्थित होती है। इस तरह उक्त अधिसूचना में दर्शाई गयी सीमाओं के अनुसार एस.बी.बी.जे. कालोनी पृथ्वीराज नगर योजना का भाग नहीं होती है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि "नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 29/203 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 29/219 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 06.01.1983 तथा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 31.07.1989 को राजपत्र में जारी की गई है। भूमि वाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 10.06.1991 को अवार्ड जारी किया गया, जो दिनांक 18.03.1996 को घोषित किया गया। भूमि का कब्जा दिनांक 27.06.2012 को लिया गया। उक्त दस्तावेजों से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 29/203 एवं 29/219 के संबंध में उक्त भूमि को पृथ्वीराज नगर योजना के लिए अवाप्ति करने के लिए कार्यवाही सम्पादित की गई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अरविन्द गृ.नि.स. समिति द्वारा सृजित आवासीय योजना एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी पृथ्वीराज नगर योजना का भाग है।

(3) जी हां। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार पृथ्वीराज नगर योजना हेतु सेक्टर प्लान "जी" तैयार किया गया है, जिसमें न्यू सांगानेर रोड 200 फीट सड़क को पृथ्वीराज नगर की पूर्व सीमा का निर्धारित किया गया है, जिसमें एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कॉलोनी को पृथ्वीराज नगर योजना में सम्मिलित किया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) जी नहीं। जोन में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार नई संशोधित अधिसूचना प्रकाशित नहीं करवाई गई है।

(5) जी हां। जोन में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में रिट नम्बर 3335/1991 के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी. के समक्ष रिट संख्या 691/93 दायर की गई थी। अरविंद गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी के खसरा नं. 29/203 व 29/219 ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर से संबंधित कोई रिट 116 प्रकरणों में सम्मिलित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में नये मार्गों पर मैट्रो का संचालन

94. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जयपुर में नए मार्गों पर मैट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुर शहर में मैट्रो ट्रेन चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा वर्तमान में कौन-कौनसे कार्य निजी कंपनियों द्वारा करवाए जा रहे हैं तथा विगत 3 वर्षों में किस-किस निजी कंपनी को कितना भुगतान किस कार्य के एवज में किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (जुलाई, 2014) के अनुसार जयपुर मैट्रो रेल प्रोजेक्ट का द्वितीय चरण सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक 23.80 किलोमीटर की लम्बाई में प्रस्तावित है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार डी.पी.आर. की समीक्षा दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा करवाई जा रही है। दिल्ली मैट्रो द्वारा संभावित मार्गों के विवरण के साथ संशोधित डी.पी.आर. राज्य सरकार को दिसम्बर 2019 तक प्रस्तुत की जाएगी।

(2) जी नहीं। जोधपुर शहर में मैट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जयपुर मैट्रो द्वारा वर्तमान में जिन कम्पनियों से कार्य करवाये जा रहे हैं, का विवरण परिशिष्ट-A पर एवं जयपुर मैट्रो द्वारा विगत तीन वर्षों में करवाये गये कार्यों के एवज में भुगतान का विवरण परिशिष्ट-B पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आवारा पशुओं के कारण हुई मृत्यु पर मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता

95. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2013 से 2019 तक कोटा शहर में कुल कितने लोगों को आवारा पशुओं ने घायल किया व इसके कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आवारा सांड, गाय व श्वान से कोटा स्मार्ट सिटी के लोग परेशान हैं? सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(3) क्या सरकार आवारा पशुओं के कारण से हुई मृत्यु पर मृतक के परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2013 से 2019 तक कोटा शहर में आवारा पशुओं से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एवं एक महिला घायल हुई है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नगर निगम, कोटा द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2019 तक कुल 26141 आवारा गौवंश को पकड़ा गया है। नगर निगम, कोटा द्वारा सतत प्रक्रिया के तहत आवारा गौवंश को पकड़ा जाकर गौशाला में भिजवाया जा रहा है।

(3) नगर निगम, कोटा द्वारा गाय, सांड या श्वान के काटने से हुई मौत पर मृतक के परिवार को आर्थिक मदद प्रदान नहीं की गयी है। आवारा गौवंश से हुई मृत्यु पर आर्थिक मदद दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण में अनियमित पदोन्नतियां

96. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पदोन्नतियों में भेदभाव बरता जा रहा है जिसमें एक संवर्ग विशेष को एक वर्ष में कई बार पदोन्नतियां दी गई? जबकि अन्य संवर्ग यथा कनिष्ठ सहायक से सहायक इत्यादि के पद पर नियमित पदोन्नति नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण में पदोन्नतियों में कोई भेदभाव नही बरता जा रहा है। सभी संवर्ग की पदोन्नतियां वर्षवार उपलब्ध रिक्तियां अनुसार नियमानुसार की जा रही हैं। कनिष्ठ सहायक से सहायक के पद पर पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 17577/2016 में दिये गये स्थगन आदेश एवं प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के परिप्रेक्ष्य में 2015-16 से नियमित पदोन्नति नहीं दी गई है लेकिन कार्मिकों को तदर्थ पदोन्नति दी गई है।

सिरोही के मंदिरों की उच्च न्यायालय में लम्बित याचिकाएं

97. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले के मंदिरों के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में कौन-कौनसी याचिकाएं विचाराधीन हैं और उक्त में आगामी सुनवाई कब है? उक्त में विभाग की ओर से आफिसर इंचार्ज कौन है और ये याचिकाएं कब से लम्बित चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में मंदिरों की स्थिति को लेकर गत बीस वर्षों में जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा सरकार को लिखे गए पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले के मंदिरों की व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर, द्वारा गत बीस वर्षों में दिये गए आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले के मंदिरों के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तीन याचिकाएं विचाराधीन हैं:-

1. एस. बी. सिविल रिट नं. 2628/2013 रिडमल सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य श्री देवस्थान बोर्ड ट्रस्ट सिरोही से संबंधित है। प्रकरण में आगामी दिनांक 17.7.2019 है। उक्त प्रकरण में आफिसर इन्चार्ज सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर है। यह याचिका सन 2013 से विचाराधीन है।
2. सिविल रिट (पी.आई.एल.) संख्या 4929/2003 कैलाश वोरा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य विचाराधीन है। जो देवस्थान बोर्ड सिरोही से संबंधित है। प्रकरण में याचिका Due Course में लम्बित है। उक्त प्रकरण में आफिसर इन्चार्ज सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर है।
3. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1800/2003 देवस्थान बोर्ड सिरोही बनाम राज्य सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है।

वर्तमान में रिट याचिका Due Course में लम्बित है।

उक्त रिट याचिका में प्रभारी अधिकारी पर्यटन अधिकारी स्वागत केन्द्र, आबूपर्वत/अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही नियुक्त है।

(2) सिरोही जिले में मंदिरों की स्थिति को लेकर गत वर्षों में जिला कलेक्टर, सिरोही कार्यालय के द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए पत्रों की प्रतियां निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है:-

क्र. सं.	**पत्रांक दिनांक**	**राज्य सरकार का विभाग जहां पत्र भिजवाया गया**	**पत्र का विषय**	**विशेष विवरण**
1	दिनांक 27.01.01	शासन सचिव, राजस्व उपनिवेशन देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर	देवस्थान बोर्ड सिरोही द्वारा उसके अधीन मंदिरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने बाबत।	पृष्ठ संख्या 1-3
2	पत्रांक 5412 दिनांक 08.08.01	सचिव, देवस्थान एवं आयुर्वेद विभाग, राजस्थान जयपुर	देवस्थान बोर्ड, सिरोही द्वारा उसके अधीन मंदिरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने बाबत।	पृष्ठ संख्या 4-7

(देवस्थान मंत्री)

क्र. सं.	पत्रांक दिनांक	राज्य सरकार का विभाग जहां पत्र भिजवाया गया	पत्र का विषय	विशेष विवरण
3	अर्द्ध- शासकीय पत्रांक/ दिनांक 20.07.01	शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर	जिले में स्थित 51 मंदिरों की सम्पत्ति के दुरुपयोग से संबंधित।	पृष्ठ संख्या 8
4	अर्द्ध- शासकीय पत्रांक 1021 दिनांक 28.09.04	सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 10.03.2004 को जिला कलेक्टर, सिरोही को निर्देश दिये गये थे कि श्री देवस्थान बोर्ड ट्रस्ट, सिरोही की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाये एवं दो सप्ताह के भीतर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।	पृष्ठ संख्या 9-13

(3) सिरोही जिले के मंदिरों की व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर, सिरोही के कार्यालय के द्वारा गत वर्षों में किए गए आदेशों की प्रतियां निम्नानुसार परिशिष्ट 2 पर संलग्न है:-

क्र. सं.	जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक/दिनांक	आदेशों का विषय	विशेष विवरण
1.	आदेश क्रमांक 656 दिनांक 05.06.04	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 10.03.04 को जिला कलेक्टर, सिरोही को निर्देश दिये गये थे कि श्री देवस्थान बोर्ड ट्रस्ट, सिरोही की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाये एवं दो सप्ताह के भीतर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निद्रेश दिये गये थे।	पृष्ठ संख्या 14-16

(देवस्थान मंत्री)

क्र. सं.	जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक/दिनांक	आदेशों का विषय	विशेष विवरण
2.	आदेश क्रमांक 731 दिनांक 12.07.04	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर, सिरोही के कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/विधि/2004/656 दिनांक 05.06.2004 को अतिक्रमित करते हुए संशोधित आदेश प्रसारित किया गया।	पृष्ठ संख्या 17-19
3.	आदेश क्रमांक 834 दिनांक 16.08.04	सारणेश्वर मंदिर पर सिरोही देवस्थान बोर्ड ट्रस्ट द्वारा रखें गये दान पात्र के संबंध में	पृष्ठ संख्या 20

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ में पर्यटन विभाग में रिक्त पद

98. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने कार्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं तथा इनमें विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पर्यटन विभाग का एक कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़ संचालित है। जिसमें निम्नानुसार स्वीकृत, कार्यरत रिक्त पद हैं :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्ति की दिनांक
1.	सहायक निदेशक	1	0	1	01.02.17
2.	सहायक पर्यटक अधिकारी	1	1	0	-
	कुल	**2**	**1**	**1**	

(2) जी हां। विभाग द्वारा सहायक निदेशक के चार पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेजी गयी है। चयन उपरान्त रिक्त पदों को भरा जाएगा।

जैतारण में पटवारियों के रिक्त पद

99. श्री अविनाश (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पटवारियों के कितनें पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितनें कार्यरत हैं और कितने रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जैतारण मे तहसील जैतारण व रायपुर में पटवारियों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**नाम तहसील**	**पटवारियों के पद**		
		स्वीकृत	**कार्यरत**	**रिक्त**
1	जैतारण	41	22	19
2	रायपुर (आंशिक)	23	09	14
योग		64	31	33

राज्य में पटवारी के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भीनमाल (जालोर) में सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना

100. श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सैटलमेण्ट नियम, 1956 में जालौर जिले में कितनी नदी, नाले, नाडी, गोचर भूमि, सिवायचक भूमि एवं देवस्थान भूमि दर्ज थी व वर्तमान में कितनी भूमि दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के भीनमाल में कितनी गोचर, कितनी नदी, नाला, तालाब एवं देवस्थान भूमि थी तथा वर्तमान में कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त नदी, नाले, बंजर सिवायचक एवं ओरण भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री पूराराम चौधरी)

उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जालौर में राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

किस्म भूमि	वर्ष 1956 में (है.)	वर्तमान में (है.)
नदी	26382.49	26875.16
नाले	8234.87	6734.50
नाडी	4417.80	4560.74
गोचर	35565.34	36814.82
सिवायचक	40115.55	26393.32
देवस्थान	3910.13	5928.75

(2) जिला जालौर के भीनमाल में राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

किस्म भूमि	वर्ष 1956 में (है.)	वर्तमान में (है.)
नदी	2919.36	2504.59
नाला	448.00	155.46
तालाब	102.01	39.26
गोचर	2896.36	3011.23
देवस्थान	241.11	241.11

(3) जी हां। उक्त नदी, नाले, बंजर भूमि सिवायचक भूमि एवं ओरण भूमि पर लोगों द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण किये गये हैं। जिन्हें हटाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाये गये हैं। धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही सतत व नियमित रूप से की जाती है।

सांभर (जयपुर) में भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक कराने हेतु आवेदन-पत्र

101. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर उपखण्ड कार्यालय में भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक कराने हेतु कितने-कितने आवेदन पत्र जनवरी, 2018 से 10 जून, 2019 तक प्राप्त हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन पत्रों में से कितने-कितने भामाशाह कार्ड को कब-कब लिंक किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कितने आवेदन पत्र कब से किस कारण से लंबित हैं और उक्त आवेदन पत्रों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड कार्यालय सांभर लेक में भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा से लिंक करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खाद्य सुरक्षा में नाम जोडने हेतु दिनांक 01.01.2018 से 01.07.2019 तक कुल 5274 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ने पर स्वत: ही भामाशाह कार्ड लिंक हो जाता है। उसके लिए पृथक से कोई आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

(2) उक्त खाद्य सुरक्षा के आवेदनों में से कुल 2642 आवेदनों को दिनांक 01.01.2018 से 01.07.2019 तक खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया गया है।

(3) दिनांक 01.01.2018 से 01.07.2019 तक उपखण्ड कार्यालय सांभर लेक में 209 खाद्य सुरक्षा के तहत नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र जांच अधिकारी के स्तर पर लंबित होने से प्रक्रियाधीन है।

महुवा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

102. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने राजकीय विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त चल रहे हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं समस्त स्टाफ का विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में संचालित राजकीय विद्यालयों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र महुवा में संचालित उक्त विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

स्वीकृत				रिक्त			
व.अ.	ले-1	ले-।।	शा.शि.	व.अ.	ले-1	ले-।।	शा.शि.
79	393	237	24	41	56	09	03

उक्त श्रेणी के अध्यापकों की श्रेणीवार/विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण प्रश्नोत्तर के खण्ड-1 के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में सम्मिलित है।

(3) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में आर.टी.ई. के अनुसार निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप शैक्षिक पदों के पुन: निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। पुन: निर्धारण उपरान्त अधिशेष शिक्षकों की उपलब्धता तथा नवीन भर्ती से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के नवचयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, विभागीय पदोन्नति समिति एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित पात्र आशार्थी उपलब्ध करवाए जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र महुवा में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं समस्त स्टाफ का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत उक्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं समस्त स्टाफ की सूची सहित विद्यालयवार विवरण प्रश्नोत्तर के खण्ड-1 के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में सम्मिलित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के विद्यालयों में पंजाबी विषय का अध्यापन

103. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में कितने विद्यालयों में पंजाबी विषय का अध्ययन कराया जाता है?

(2) हनुमानगढ़ जिले के पंजाबी विषय वाले विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कितने अध्यापक पदस्थापित हैं व कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में ऐसे विद्यालय, जिनमें पंजाबी विषय पढ़ाया जाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

जिला	मावि	उमावि	योग
श्रीगंगानगर	38	238	276
हनुमानगढ़	31	130	161

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के 416 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में पंजाबी विषय का अध्यापन करवाया जा रहा है।

(2) माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले के पंजाबी विषय वाले 161 विद्यालयों में व्याख्याता ग्रेड-1, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-2 एवं अध्यापक ग्रेड-3 के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

जिला	स्वीकृत	कार्यरत	कार्यरत
व्याख्याता	8	6	2
वरिष्ठ अध्यापक	45	34	11
अध्यापक	37	18	19

विद्यालय विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत जिला हनुमानगढ़ में संचालित 58 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनमें तृतीय भाषा के रूप में पंजाबी विषय का अध्यापन करवाया जा रहा है, इन विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी अध्यापक (प्रधानाध्यापक) तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

जी हां।

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से चयनित पात्र आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दिव्यांग बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षकों की नियुक्ति

104. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिव्यांग बच्चों के प्रभावी शिक्षण के लिए अलग-अलग श्रेणी के अलग-अलग शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त नियमों व प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्त करने हेतु आदेश/दिशा-निर्देश जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब? क्या सरकार के द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर विद्यालयों में अध्यापकों को नियुक्ति दे दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समावेशित शिक्षा के तहत विद्यालयों में बच्चों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 की धारा 2(1) (सी) में परिभाषित विशेष योग्यजन बालकों के अध्यापन हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 266(3) वर्णितानुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-प्रथम एवं द्वितीय शिक्षकों की भर्ती करवाई जाती है। भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 की प्रति परिशिष्ट-"क" पर तथा पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 266(3) की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत दिव्यांग बच्चों के प्रभावी शिक्षण के लिए अलग-अलग श्रेणी के अलग-अलग शिक्षक नियुक्त करने सम्बन्धी प्रावधान/नियमों की छाया प्रति परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 एवं 2018 में विशेष शिक्षकों के लेवलवार विज्ञापित एवं आबंटित अभ्यर्थियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"घ" पर संलग्न है।

1. तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 लेवल-द्वितीय विशेष शिक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या 23192/2018 उषा कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26.03.2019 के क्रम में विशेष शिक्षा लेवल-द्वितीय के विभिन्न पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में अन्तिम निर्णय दिये जाने पर निर्णयानुसार प्रतिक्षा सूची जारी की जा सकेगी।
2. तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 विशेष शिक्षा लेवल-प्रथम के पदों पर चयन रीशफल/प्रतीक्षा सूची जारी किये जाने पर जिला परिवर्तित हुए तथा नवचयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3. माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत वरिष्ठ अध्यापक विशिष्ट शिक्षा के 111 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।

(3) समावेशित शिक्षा के तहत विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:-

1. ब्रेल पुस्तकों की व्यवस्था।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

2. लार्ज प्रिंट पुस्तकों की व्यवस्था।
3. फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प।
4. पात्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अंग उपकरण का नि:शुल्क वितरण।
5. विशेष शिक्षकों हेतु 10 दिवसीय मल्टी कैटेगरी प्रशिक्षण।
6. मोबाइल एवं लैपटोप वितरण एवं प्रशिक्षण।
7. वातावरण निर्माण कार्यक्रम।
8. परिवहन, एस्कार्ट, रीडर एवं स्टाईपेंड फार गर्ल्स भत्ते की सुविधा।
9. पोलियो करैक्टिव सर्जरी।
10. साईट रेस्टोरेशन सर्जरी।
11. काकलियर इंपलान्ट सर्जरी।
12. पेरेन्ट काउंसलिंग।
13. पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था।
14. प्रत्येक ब्लाक सन्दर्भ केन्द्रों पर स्थापित किये गये सन्दर्भ कक्षों में शैक्षिक चिकित्सकीय संबलन।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

105. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या शिक्षा राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और कितनी ग्राम पंचायतों में नहीं हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की किन-किन ग्राम पंचायतों में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और किन-किन ग्राम पंचायतों में नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2009 से अब तक किन-किन ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत वर्तमान में कुल 9894 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 9237 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एवं 430 ग्राम मुख्यालयों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के गांवों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। शेष 227 ग्राम पंचायतों में उनके मुख्यालय पर अथवा अधीन के गांवों में कहीं भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों में सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय संचालित है, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है तथा उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है, जहां सरकारी उमावि स्तर का विद्यालय संचालित न हो।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जनवरी, 2009 से अब तक जिन ग्राम पंचायतों में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है, ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आसीन्द के गुलाबपुरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

106. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसींद): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र आसींद के गुलाबपुरा शहर में लगभग 40 हजार की जनसंख्या निवास करती है एवं राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से यहां के छात्र और छात्राओं को शिक्षा हेतु निजी महाविद्यालयों में जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गुलाबपुरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र आसींद के गुलाबपुरा शहर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से आय/व्यय

107. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से गत तीन वर्ष में किस-किस विभाग में कितनी-कितनी आय हुई है? उक्त राशि का किस-किस मद में व्यय किया गया है? विभागवार एवं वर्षवार आय/व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से प्राप्त राशि का व्यय नियम विरुद्ध अन्य मदों में किया गया है? यदि हां, तो ऐसे समस्त प्रकरणों के व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त राशि की आय व्यय की विभागवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

एसएफएस कोर्स की प्रबन्ध समिति की मांग मद के अनुसार गेस्ट फैकल्टी, अनुबंध पर लगे कर्मचारियों के वेतन, लैब के उपकरण, कच्चा सामग्री खरीद हेतु तथा स्टेशनरी, कम्प्यूटर, रिपेयरिंग हेतु भुगतान किया जा रहा है। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(2) विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से प्राप्त राशि का संबंधित पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा राशि मांग के अनुरूप भुगतान किया जाता है। विभागों को वर्षवार किये गये भुगतान का ब्यौरा परिशिष्ट-1 में निहित है।

शेष राशि का भुगतान पेंशन जैसी आवश्यक मदों में किया जाता है। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के कारण कतिपय मामलों में एसएफएस कोर्स की सम्पूर्ण राशि विभागों को हस्तान्तरण नहीं की जा सकती है। अत: पेंशन एवं आकस्मिक एवं आवश्यक मदों पर कुलपति की स्वीकृति अनुरूप व्यय किया जाता रहा है। स्वीकृति की प्रति व एसएफएस नियम की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिणधरी व समदड़ी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

108. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रतिबद्ध है? क्या सरकार सिणधरी एवं समदड़ी मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय महाविद्यालय खोला जाना राज्य सरकार की सतत प्रक्रिया है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर सिवाना क्षेत्र के सिणधरी एवं समदड़ी मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।